खण्ड-299, अंक-7
गुरूवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1894
(3 अगस्त, 1972 ई0)

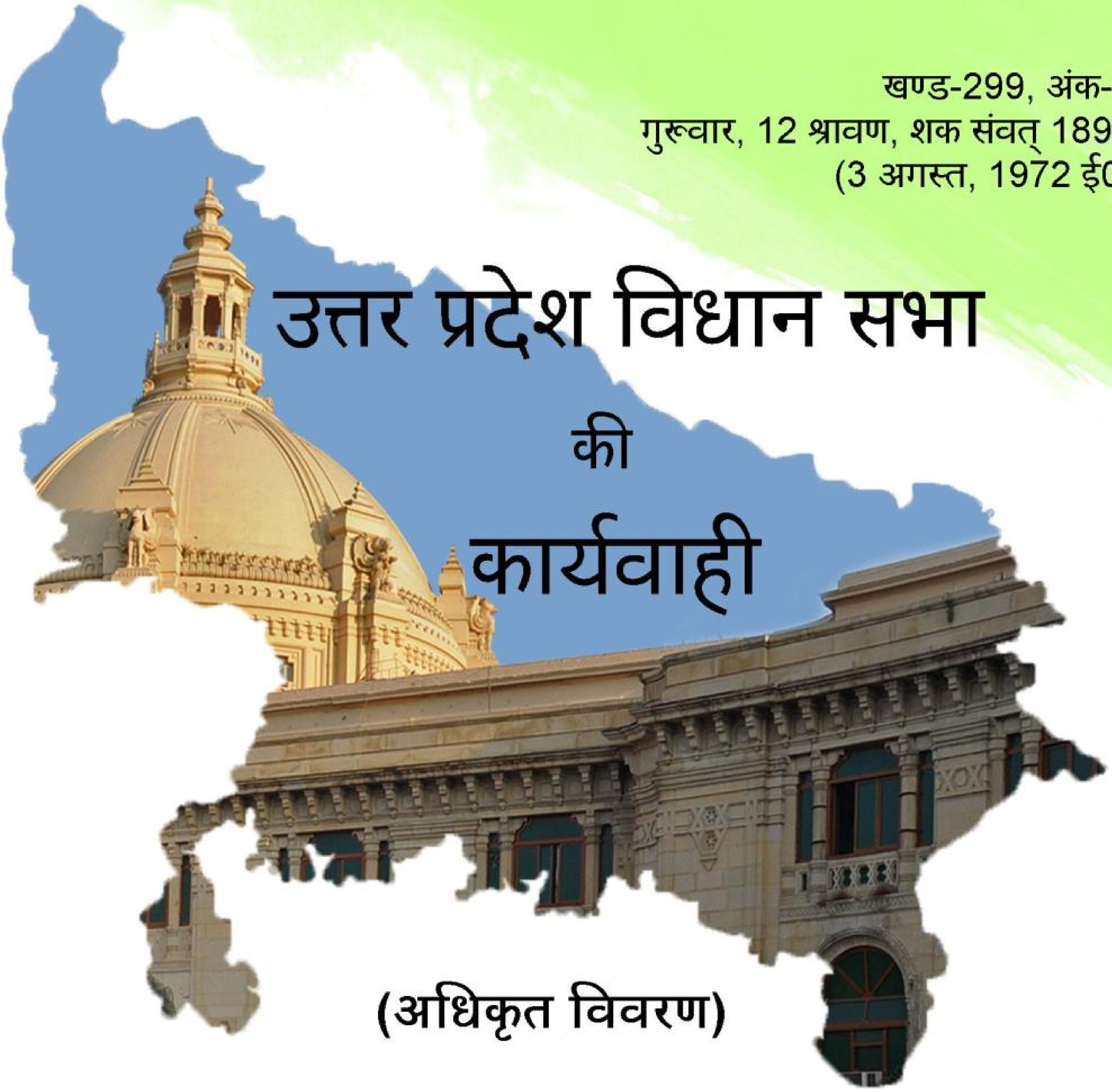

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 3 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य 409

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)

केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जुदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेत राम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री

पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दूबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी,
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री

राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना, मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल, चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
बिक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री

शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरण पिडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शांन्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बक्शसिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# प्रश्नोत्तर

## बृहस्पतिवार, 3 अगस्त, 1972

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के टर्म्स आफ रिफरेन्स

**1—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित) तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के सातवें सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 27 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति, जो कि अपेक्षाकृत एक सीमित उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा गठित की गई थी के क्षेत्राधिकार में राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा उनसे संबंधित अन्य मामले सम्मिलित थे परन्तु वर्तमान वेतन आयोग जो कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार गठित किया गया है, उसके क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त वर्णित विषय सम्मिलित नहीं किये गये ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

वित्त, राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

वेतन अभिनवीकरण समिति के विचार क्षेत्र में सेवा शर्तें तथा उनसे संबंधित अन्य मामले सम्मिलित थे क्योंकि वह केवल राज्य कर्मचारियों के लिये ही गठित की गई थी। वर्तमान वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों तथा गैर-सरकारी शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों से भी संबंधित है और केवल कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर ही विचार करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। वर्तमान वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में इसीलिए सेवा शर्तें तथा उनसे संबंधित मामले नहीं रखे गये हैं।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

क्या मंत्री जी को पता है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये गठित तृतीय वेतन आयोग में वेतन, मंहगाई, नगर प्रतिकर भत्ता, पेंशन, मकान किराया, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि भी सम्मिलित हैं और उन सभी पर विचार चल रहा है ? क्या मंत्री जी को पता है कि प्रदेशीय सरकार का वेतन आयोग इन सारी चीजों पर विचार नहीं कर रहा है और क्या वे भी इन सभी चीजों पर इस वेतन आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाना उचित समझते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार का वेतन आयोग जिसका जिक्र आपने किया वह केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ही विचार कर रहा है जब कि प्रदेशीय वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, गैर-शिक्षण सेवा संस्थाओं तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं आदि की उपलब्धियों तथा शर्तों के सम्बन्ध में जांच कर रहा है। इस कारण हमारे आयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह सम्भव नहीं है कि वह इन सभी चीजों की जांच करके अपनी संस्तुति कर सके।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सन् 1947 म माननीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता म एक वेतन आयोग बना था और फिर सन् 65 में वेतन अभिनवीकरण समिति ने भी महंगाई भत्ता, आवास व्यवस्था, पेंशन तथा चिकित्सा आदि विषयों पर विचार किया था और ये सभी चीजें उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में थीं। केन्द्रीय सरकार ने भी अपने तृतीय वेतन आयोग में इन्हीं

चीजों को शामिल किया है और उन पर आयोग विचार कर रहा है । हमारी सरकार को कौन-सी कठिनाइयां हैं कि अपने कर्मचारियों की इन सभी चीजों को टर्म्स आफ रेफरेंस में भेजने से कतरा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, सेवा आदि के जो दूसरे प्रश्न हैं वे सरकारी कर्मचारियों तथा दूसरे कर्मचारियों आदि के इतने विशाल हैं और विस्तृत हैं कि अगर उन पर इस कमीशन को विचार करने को कहा जाय तो उनकी रिपोर्ट आने में वर्षों लग जायेंगे और जो आपके सम्मुख प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट भी आई है, उनमें भी कहा गया है और पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पता चलता है कि सेवा नियम आदि बनाने में कितना अधिक समय लग जाता है । इन सेवा नियम से कई बातें सम्बन्धित है और उन सभी बातों पर विचार होगा । ऐसी अवस्था में सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि जल्दी रिपोर्ट नहीं आ सकेगी बल्कि इसमें वर्षों की देर लग जायेगी जब कि हम यह चाहते हैं कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे दे और कर्मचारियों को हम शीघ्र ही वेतन मान उपलब्धियों आदि के बारे में सहायता पहुंचा सकें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुये कि महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या सरकार ने वेतन आयोग, को कोई निर्देशन दिया है कि वह इस बात को भी मद्देनजर रखते हुये उनके वेतन, मंहगाई भत्ते तथा दूसरे मुद्दों पर विचार करें और जो दूसरी उपलब्धियां हैं, उन पर भी विचार करे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

जी नहीं, ऐसा विचार नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

एक कारण यह बताया गया कि सेवा शर्तों को टर्म्स आफ रेफरेंस में रखनें से वेतन आयोग को बड़ा बिलम्ब हो जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग भी सेवा शर्तों पर अपना प्रतिवेदन देगा और अभिनवीकरण समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दिया है तो क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह चीज टर्म्स आफ रेफरेंस में इनक्लूड नहीं हुई तो किसी और समिति के सुपूर्द सेवा शर्तों की नियमावली को करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

जी नहीं, शासन इसे आवश्यक नहीं समझता ।

श्री रामगोपाल संड---

मंत्री जी ने अभी-अभी कहा, मुझे दुख हुआ, आपको भी हुआ होगा कि शासन इसे आवश्यक नहीं समझता । क्या इसे भी शासन आवश्यक नहीं समझता कि प्रदेश में सब प्रकार की शान्ति रहे और वेतन आयोग की रिपोर्ट आये तो 7 लाख कर्मचारी और अधिकारी मिल करके जो 8 लाख होते हैं वह उसको सहर्ष स्वीकार कर लें ? और यह रिपोर्ट जो आयेगी पेंशन, आवास और चिकित्सा की तो उसमें बहुत अधिक व्यय नहीं होने वाला है तो क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय शान्ति बनी रहे, इस दृष्टि से क्या आवश्यक नहीं समझती कि यह टर्म्स आफ रेफरेंस में आये ?

श्री अध्यक्ष---

आप बहस न करें, प्रश्न कीजिये ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या वित्त मंत्री जी प्रदेश में औद्योगिक शान्ति के लिये आवश्यक नहीं समझते कि सेवा के नियमों में और अन्य परिवर्तन किया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य के सहयोग से अभी तक तो प्रदेश में औद्योगिक शान्ति है ही और औद्योगिक शान्ति बनी रहेगी और सरकारी कर्मचारियों का भी सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है, क्योंकि वे भी शासन और सरकार के अंग ही हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि पे कमीशन की रिपोर्ट आने दें और जितने अन्य विषय हैं उन पर शासन स्वयं विचार करने में समर्थ है, अलग कमेटी या आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों की जीवनोपयोगी वस्तुओं की आवश्यकताओं के बारे में कोई अन्तर समझते हैं जिस आधार पर कि केन्द्रीय सेवाओं तथा उपलब्धियों और प्रान्तीय कर्मचारियों की सेवा उपलब्धियों में अन्तर लाने का प्रयास किया जा रहा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये प्रश्न सब वेतन आयोग के सम्मुख विचाराधीन ही हैं।

श्री पारसनाथ सिंह—

यह तो नहीं है। सारी आवश्यकतायें जो प्रांतीय कर्मचारियों की हैं वही सब केंद्रीय कर्मचारियों की भी हैं और वही सारे मानव-समाज की एसेंशियल आवश्यकतायें एक हैं, तो क्या मंत्री महोदय अन्तर करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि कहा गया कि सेवा और उपलब्धियों के नियम बने हुए हैं और समय लगेगा बनाने में तो क्या अन्तर समझते हैं दोनों की आवश्यकताओं में?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के संसाधन एक नहीं है। संसाधन अलग-अलग हैं। उनकी क्षमता दूसरी है, हमारी दूसरी है और संसाधन जुटाने में जितना सहयोग मिलना चाहिये सदस्यों का वह और अधिक मिलता रहा तो बहुत सी बातें संभव हो सकती हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि जो आयोग मुकर्रर किया गया है उसका अभी पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट कब तक आयेगी और साथ ही साथ यह देखते हुए कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि उसका प्रभाव पड़ता है कर्मचारियों पर तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जो आयोग गठित है उसी में उनकी सेवा शर्तों पर भी विचार कर लिया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट है वेतन आयोग की, हम तो अपेक्षा करते हैं कि वह नवम्बर तक आ जायगी। 4 महीने का समय और बढ़ाया गया है और जहां तक महंगाई आदि बढ़ने का प्रश्न है तो दो बार अन्तरिम सहायता घोषित की जा चुकी है और 29 करोड़ रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में दिये जा चुके हैं सरकार द्वारा।

## वेतन भत्तों के पुनर्वेक्षण हेतु गठित वेतन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जाना

**2—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, अध्यापकों, गैर शिक्षा कर्मचारियों तथा स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के पुनर्वेक्षण हेतु बनाये गये वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये और समय की मांग की है जब कि उनकी

रिपोर्ट 15-7-72 तक आ जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आयोग को शीघ्र ही रिपोर्ट देने के लिये आदेश देगी तथा देरी की स्थिति में दुबारा बढ़ी हुई महंगाई के अंकों पर अन्तरिम राहत देने की घोषणा करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

जी हां ।

आयोग के विचाराधीन विषयों के संबंध में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से 15 जुलाई, 1972 तक विचार विमर्श ही पूरा न हो सका था, अतः आयोग के कार्यकाल की अवधि बढ़ाना आवश्यक था। यह अवधि दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई है । शासन आयोग से इस अवधि के अन्दर उनकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करती है । चूंकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 15 नवम्बर, 1972 तक आने वाली है इस कारण इस बीच में अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार यह बतलायेगी कि पिछली अन्तरिम सहायता दिये जाने के बाद से आज तक मूल्य सूचकांक कितना बढ़ गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मूल्य सूचकांक बढ़ा है किन्तु अभी वह इतना नहीं बढ़ा है कि जिससे यह कहा जा सके कि और अन्तरिम सहायता देने की आवश्यकता है । इस समय कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 235 है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तब से अब तक मूल्य सूचकांक कितना बढ़ा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उस समय 224 था और अब 235 हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या यह निश्चय नहीं था कि प्रत्येक 10 प्वाइंट के बढ़ने पर अन्तरिम सहायता दी जायेगी ? 224 पर आपने अन्तरिम सहायता दी थी और अब 235 ह । क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

ऐसी बात नहीं है । केंन्द्रीय वेतन आयोग ने भी इस संबंध में जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह था :--

"We hope that the various measures which the Government have taken or might take would contribute to reasonable price stability. In future if, however, despite all such measures prices continue to rise a review might be called for only when the average index reaches 238."

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या मान्यता प्राप्त डिग्री कालेजों के अध्यापकों का भी मसला वेतन आयोग के सामने है या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

डिग्री कालेजों के अध्यापक उसमें शामिल हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आमतौर पर होता यह कि वेतन आयोग बिठाये तो जाते हैं लेकिन वह सो जाते हैं। तो यह वेतन आयोग भी सोये नहीं इसलिये उससे कोई अन्तरिम रिपोर्ट मांग लेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वेतन आयोग बड़ी तत्परता से कार्य कर रहा है। मैं बधाई देता हूं वेतन आयोग के सदस्यों को। और वह रात को भी जाग कर काम करते हैं यह खबर आयी है। जहां तक अन्तरिम राहत की बात है, वह तो मैंने अभी स्थिति स्पष्ट की है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि नवम्बर तक वह रिपोर्ट आ जायेगी। क्या विषम स्थिति को देखते हुये नवम्बर के पहले रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिये चेतावनी दी जा सकती है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। मैं माननीय सदस्य की भावना को अध्यक्ष वेतन समिति तक अवश्य पहुंचा दूंगा।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी ने कहा कि रात में भी वह काम करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं। तो क्या जो थोड़ी-बहुत भी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, उसको वह सदन के सामने रखेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मेरे सहयोगी ने उत्तर में बतलाया, अभी विभिन्न कर्मचारियों के मेम्बरों, अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों का एविडेंस हुआ है। उस एविडेंस को सदन के सामने रखना उचित नहीं होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी सदन को दो स्पष्ट आश्वासन देंगे? पहला, 15 नवम्बर के बाद वेतन आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायगा और दूसरे, जैसे आज 235 रुपये प्राइस इंडेक्स है तो 238 आने पर, जैसी कि आपकी घोषणा है, अन्तरिम सहायता दे दी जायगी चाहे रिपोर्ट आये या न आये?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कार्यकाल तो तभी बढ़ाया जाता है क्योंकि आयोग उनके लिये आग्रह करता है। सरकार अपनी ओर से कोई समय नहीं बढ़ाती है। और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि कुछ दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा, सम्मानित सदस्य संसाधनों का तो विरोध करते हैं, अब अगर उनका सहयोग मिला तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने घोषणा की कि जब 238 प्राइस इन्डेक्स हो जायेगा तब दिया जायेगा। 235 हो गया है, दिन प्रति दिन भाव बढ़ रहे हैं, आयोग की रिपोर्ट आने तक 238 हो जायेगा, तो क्या आप 238 हो जाने पर अंतरिम सहायता देंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तब तक तो रिपोर्ट भी आ जायेगी और हमें तो आशा है और हम चेष्टा भी कर रहे हैं, यह प्राइस इन्डेक्स घटेगा।

श्री बलवीर सिंह—

यह देखते हुये कि मंहगाई बहुत बढ़ रही है, मंहगाई भत्ता भी आप बढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसा इन्तजाम करेंगे कि इन सरकारी कर्मचारियों को और जनता को जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसी चीनी आदि है, अपनी आवश्यकतानुसार सस्ती दर पर मिल सकें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चीनी आदि उपयोगी सामान तो सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा।

श्री बलवीर सिंह—,

वह तो आप बहुत कम देते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मंत्री जी ज्योतिषी कैसे बन गये प्राइस इन्डेक्स के लिये कह दिया बढ़ेगा नहीं, जब कि वह बराबर बढ़ रहा है। मैं उसका उत्तर चाहता हूं जैसी कि उन्होंने घोषणा की है कि 238 प्राइस इन्डेक्स हो जाने पर आप देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका शर्तिया सवाल है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह मान्यवर, उनकी घोषणा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने कोई घोषणा नहीं की है और ज्योतिषी तो कोई भी नहीं है न मैं, न आप ।

## बलिया जनपद में इस्पात का कारखाना

**३—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद में सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के सहयोग से इस्पात का कारखाना खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर.....

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य डिसिप्लिन में रहेगा क्या उसे आप मौका नहीं देंगे ? आप इधर देखते ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी (कांग्रेस पक्ष) तरफ से भी कई माननीय सदस्यों को मैंने बुलाया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, वित्त मंत्री जी को ज्यादा जानकारी है, वे कृपया यह बतायेंगे कि क्या एक स्टील प्लान्ट खोलने के लिये औद्योगिक निगम कानपुर' को कोई लाइसेंस मिला है ? और क्या उसे बलिया में लगाने का विचार है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या केन्द्रीय सरकार के सहयोग से बलिया में स्टील का कारखाना खोलने का विचार है, उसका उत्तर दिया गया, जो और प्रश्न किया जायेगा उसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्टील प्लान्ट खोलने का कोई लाइसेंस मिला है ? और यदि मिला है, तो क्या उसे बलिया में खोलने का विचार है और उसकी योजना क्या है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

एक मिनी स्टील प्लान्ट लगाने का औद्योगिक निगम को लाइसेंस मिला है, विचार हो रहा है । जिन जिलों के विषय में विचार हो रहा है, बलिया भी उसमें है और उसमें कार्यवाही चल रही है ।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों पर विचार हो रहा है, उसमें बुलन्दशहर शामिल है या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

जहां पर यह स्थापित करने की बात हो रही है, वे कौन-कौन से जिले हैं और क्या यह ज्वाइन्ट सेक्टर में लगाया जाएगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यों तो सरकार उन सभी पिछड़े जिलों पर विचार कर रही है, जो 26 पिछड़े हुए जिले हैं, लेकिन इस स्टील प्लान्ट के सन्दर्भ में बलिया और बनारस दो जिले प्रमुख हैं । अब टेक्निकल कमेटी आने वाली है, जब वह फाइनल कर देगी, तब मैं जिले की घोषणा कर दूंगा। जहां तक ज्वाइंट सेक्टर में लगाने की बात है, यह उसमें भी लगाया जा सकता है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इस योजना की रूपरेखा क्या है ? और यह ज्वाइन्ट सेक्टर में लगेगा तो क्या आप उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को प्राथमिकता देंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, ज्वाइन्ट सेक्टर में लगेगा और जहां तक रूपरेखा का प्रश्न है, टेक्निकल कमेटी जब उसको देख ले तब होगा। जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा में मोटी-मोटी बात यह है कि यह ज्वाइन्ट सेक्टर में लगेगा। कुल 8 करोड़ की पूंजी लगेगी और उसमें अंश पूंजी भी 25 प्रतिशत और जिसका अनुमान 1.5 होगा और इस तरह से जहां की रूपरेखा पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो आप के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं माननीय सदस्य का सहयोग चाहता हूं जब तक यह फाइनल न हो जाय ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मंत्री जी ने कहा कि जो पिछड़े जिले हैं, उन पर विचार हो रहा है और उन्होंने उसमें दो जिलों का नाम बताया है, तो बनारस जिला क्या पिछड़ा हुआ इलाका है ? यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आपने मेरे दो प्रश्नों का उत्तर एक में जोड़ दिया और एक भ्रम पैदा कर दिया। मैंने तो यह कहा है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं यानी 26 जिले हैं उन पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से विचार हो रहा है। लेकिन स्टील प्लान्ट के सम्बन्ध में जिन जगहों पर विचार हो रहा है, उसमें ये दो हैं मैंने उनके नाम निवेदन किये हैं कि ये बलिया और बनारस हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे पूर्व योजना के अनुसार नैनी, जिला इलाहाबाद का भूमि सर्वेक्षण हो चुका है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी को विदित है कि उद्योग विभाग को प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये जो सुविधायें देनी चाहिएं, बिजली और जमीन वगैरह की वह नहीं मिल पाती है? तो क्या सरकार उसकी नीति में परिवर्तन करेगी? जैसे जमीन के रिक्वीजीशन में दिक्कत होती है, उसको एक्वायर कराकर करेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जमीन हमेशा एक्वायर करा के ही ली जाती है। जब सरकार इसमें परिवर्तन सोचेगी तो आपके सुझाव पर विचार करेगी।

## बुनकरों से सम्बन्धित एक सदस्यीय आयोग की अंतरिम सिफ़ारिशें

**4—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुनकरों से संबंधित जो एक सदस्यीय आयोग मार्च, 1972 में नियुक्त हुआ था, ने जुलाई, 1972 में शासन को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। आयोग की संस्तुति पर विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय सहायता तथा विपणन हेतु एक ही निगम स्थापित किया जाय। तदनुसार निगम की यथाशीघ्र स्थापना किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1036–1037 पर)।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं? तथा उसमें से कितनी सरकार ने स्वीकार कीं? और जो सिफारिशें स्वीकार कर लीं उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपके पास पहुंच गयी है रिपोर्ट।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सदन को मालूम हो जाय इसलिए मुख्य-मुख्य सिफारिशें बता दें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

100 पन्ने का विवरण होगा। माननीय मंत्री जी की मेज पर रखी है वह किताब। मुझे थोड़े ही दिया है। वही मुख्य-मुख्य सिफारिशें पूछ रहा हूं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अंतरिम रिपोर्ट जो आयी है उसका पूरा विवरण माननीय सदस्य को दे दिया गया है सवाल के जवाब में। उसमें आयोग ने चार मुख्य सिफारिशें की हैं। पहली यह है कि हेंडलूम और पावरलूम का फाइनेंशल और डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जाय। दूसरी सिफारिश उन्होंने यह की है कि हेंडलूम और पावर लूम की मार्केटिंग का काम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से कराया जाय। तीसरी सिफारिश यह है कि स्टेपिल और काटन यार्न का डिस्ट्रीब्यूशन यू० पी० स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के माध्यम से कराया जाय। चौथी सिफारिश यह है कि बुनकरों का जो माल इकट्ठा है, उसका सर्वेक्षण करा लिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर—

किन-किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया और जिन-जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया उन पर क्या कार्यवाही हुई इसका उत्तर नहीं दिया?

लघु उद्योग मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

अभी इंटरिम रिपोर्ट है। जब पूरी रिपोर्ट आ जाय तब सरकार विचार करेगी, यद्यपि इस रिपोर्ट पर विचार जारी है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर लिखित यह दिया है कि निगम बना रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको बुलाया है। आप बैठिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक तो इंटरिम रिपोर्ट यह आ गयी जिस पर विचार कर रहे हैं और केन्द्र में इसी विषय पर एक बैठक हुई पिछले एक सप्ताह के अन्दर जिसमें माननीय मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे, उसने भी कुछ निर्णय लिये हैं, किन निर्णयों को कार्यान्वित करने में प्राथमिकता देंगे?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न जो है हमारे सामने स्टेपिल यार्न के वितरण का है। आज बुनकरों को परेशानी है, कीमत ज्यादा बढ़ गयी है। इसके ऊपर दिल्ली में विचार हुआ और केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया हम लोगों ने कि उसकी ऐसी व्यवस्था करें कम से कम हम बुनकरों को काफी मात्रा में दे सकें, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे इन्तजाम। एक तो यह कार्यवाही की जा रही है इस वक्त।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की कब तक सम्भावना है जिससे समस्या हल हो सके?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सितम्बर के आखिर तक वह मिल जायगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। आयोग की संस्तुति पर विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय सहायता तथा विपणन हेतु एक ही निगम स्थापित किया जाय। मेरा प्रश्न है कि

लिखित उत्तर में उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्थापना का निर्णय ले लिया है और कार्यवाही की जा रही है, और अभी मंत्री जी ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, तो दोनों में कौनसी बात सही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

अभी पूरी रिपोर्ट मिली नहीं यह मैंने निवेदन किया और जो रिपोर्ट मिली है उस पर विचार जारी है और यह विचार किया गया कि इसको स्थापित किया जाय ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

अन्तरिम रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है कि जो धागा और स्टेपुल का वितरण बुनकरों को हो रहा है, वह असंतोषजनक है इसलिये यह लघु उद्योग निगम को दे दिया जाय, क्या यह सही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

रिपोर्ट अन्तरिम न मिली हों तो उनको कैसे मालूम हो गया ? मैंने निवेदन किया था कि स्टेपुल यार्न के वितरण की समस्या बड़ी भारी है । दिल्ली में उस पर विचार विमर्श हुआ । हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि उसे वह अधिक मात्रा में उपलब्ध कराये ताकि हम उसे बुनकरों को अच्छी तरह से वितरित करा सकें ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

पिछली 22 तारीख को प्रधान मंत्री तथा फारेन ट्रेड मिनिस्टर, श्री मिश्रा से बातचीत होने पर और 24 तारीख को बुनकरों से बातचीत होने के बाद लखनऊ में जो फैसले किये गये हैं, उन पर कब तक अमलदरामद हो जायगा और क्या यह बात सही है कि इस वक्त बुनकर बड़े संकट में हैं लिहाजा उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुये यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस फैसले पर अमलदरामद हो ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

कल हम लोग बैठे और जो चर्चा हुई थी उस पर विचार हुआ । हमारी बराबर यह कोशिश है कि जो चीजें तय हो गयी हैं, उनको हम जल्दी ही लागू करें ।

श्री राम बिलास पांडेय---

जो संस्तुति इस सरकार ने इस निगम को दी है उसमें लिखा है कि स्टेपुल यार्न बाटने के लिये कुशल ज्ञान वाले तथा पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं लिहाजा उसके वितरण का कार्य उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को दे दिया जाय तो यह जो सूचना दी गयी है कि कुशल बाटने वाले लोग नहीं हैं जिससे बुनकर लोगों को धागा नहीं मिल पाता है तो फिर आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की ? और दूसरे जो 30 करोड़ रुपये का माल एकत्रित हो गया है, उसके निर्यात के क्या साधन उपलब्ध किये गये हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

सूत के वितरण के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया कि आयोग ने रिपोर्ट में इशारा किया है लिहाजा हम उसके वितरण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करा रहे हैं । यह एक दिन का काम नहीं है । माल विभाग से उसके लिये मदद ले रहे हैं । सर्वेक्षण हो जाने के बाद यह तय हो जायगा कि किस सिस्टम के जरिये से उसका वितरण कराना उपयोगी होगा ।

श्री हबीबुर्रहमान---

60 नम्बर अथवा उसके ऊपर के नम्बर का सूत न मिलने के कारण 75 फीसदी कारखाने बन्द हैं तो क्या सरकार 60 नम्बर अथवा उसके ऊपर नम्बर के सूत को उन मंडियों म पंहुचायेगी जहां उसकी जरूरत है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

टेक्सटाइल कमिश्नर यहां आये थे, उनसे बातचीत इसके बारे में हुई थी । उन्होंने यह बतलाया कि हम सूत बुनकरों को इस तरह से देंगे कि उनको सस्ता मिल सके । बीच के बिचौलियों को अलग कर दिया जायगा । जो बुनकरों की यूनियन हैं अथवा किसी सरकारी संस्था के जरिये ऐसा इन्तजाम होगा जिससे कम कीमत में बुनकरों को सूत मिल सके जल्दी ही इसकी व्यवस्था की जायगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

जो हैंडलूम विकास निगम आप बनाने जा रहे हैं । एक करोड़ की पूंजी से उसकी स्थापना कब हो जायगी और कब से वह कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

अभी तो उसका मसविदा तैयार कराया जा रहा है । इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि उसमें विधि की बातों पर भी विचार किया जायगा ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो केमिकल्स उद्योग में उपयोग में आते हैं उनको उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भी सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां, व्यवस्था करने के लिये तो बैठे हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि हैंडलूम के वीवर्स को कार्ड बनाने के जो आदेश दिये गये हैं ये केवल उन्हीं के बनाये जायेंगे जो कि लाइसेन्सी हैं या उनके भी बनेंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं क्योंकि ये बराबर कोशिश करते चले आ रहे हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

फिलहाल तो स्टेपुल यार्न के वितरण में यह व्यवस्था काफी पहले से चली आ रही है कि जो लाइसेंसी हैं उनको ही दिये जांय । बाकी दूसरे लोगों को विचार पर करेंगे ।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### पर्वतीय जिलों का टैक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण

*1---श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों का टैक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां, समस्त 8 पर्वतीय जिलों का सर्वेक्षण वहां की औद्योगिक सम्भावनाओं पर प्रकाश डालने हेतु नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन नई दिल्ली द्वारा 1969 में कराया गया था । इस रिपोर्ट की प्रति लघु उद्योग मंत्री जी के कमरे में उपलब्ध है । माननीय सदस्य उसे वहां देख सकते हैं ।

श्री इन्द्रमणि—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न साफ पूछा था कि क्या-क्या आपने टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण किया है? इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि हमने औद्योगिक सर्वेक्षण किया है। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह दोनों चीजें एक ही हैं?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, नेशनल इंण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने जो सर्वेक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी के कमरे में है, माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री इन्द्रमणि—

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा ही है। मैंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों का टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण किया गया है इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि 8 पर्वतीय जिलों का सर्वेक्षण वहां की औद्योगिक सम्भावनाओं पर प्रकाश डालने चहेतु नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा 1969 में कराया गया था। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह औद्योगिक सर्वेक्षण और टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण एक ही चीज है या उसमें कोई अन्तर है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, औद्योगिक सर्वेक्षण में विचार करते हुए यह चीज आ जाती है की वहां की स्थिति कैसी है, क्या साधन हैं, जमीन कैसी है। इसलिये वह एक तरह से टेक्नो-इकोनोनौमिकल सर्वेक्षण ही हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जिन 8 पर्वतीय जिलों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट मेरे कमरे में है, उसके सम्बन्ध में मोटी तौर पर यह बता दें कि उसमें किन-किन उद्योगों की सिफारिश की गई है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, जो जिलेवार सूची है, उसे यदि आप की आज्ञा हो, तो मैं पढ़ दूं—

1—नैनीताल में आरा मशीन, तेल उद्योग, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, पशु तथा मुर्गियों का चारा, स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, टायर रीट्रिडिंग तथा मरम्मत, कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला, की टीन डिब्बे बनाना, बेकालाइट के पुर्जे, कोल्डस्टोरेज।

2—पौड़ी में टेनरी, आरा मशीन, ग्रे कार्ड बोर्ड, रोजिन तथा तारपीन, स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला, ग्ल्यु फ्राम नेटरी वेस्ट।

3—अल्मोड़ा मेटेनरी, आरा मशीन, राइस ब्रान आयल, राइस मिलिंग खाद्य पदार्थों का संरक्षण, ट्यूब रीट्रिडिंग तथा मरम्मत, स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला, ग्ल्यु फ्राम टेनरी वेस्ट स्ट्रक्चरल फैक्ट्रीबेशन, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क-पाउडर तथा इंजीनियरिंग।

4—आरा मशीन, राइस ब्रान आयल, राइस मिलिंग लेदर-गुड्स तथा फुटवियर, रबन टंग तथा अन्य वस्तुयें, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर सेट (ट्रान्जिस्टर) स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग।

5—पिथौरागढ़ में आरा मशीन, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, सीमेंट प्लान्ट, कांकरीट ब्लाक्स, प्रेस्ड कांकरिट पोल्स, आर० सी० सी० सी० पाइप्स (ट्यूब पाइप) स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि यन्त्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला, अल्मोनियम के बर्तन, घरेलू बिजली के सामान, और कोल्ड स्टोरेज।

6—उत्तरकाशी में आरा मशीन, सिमेन्ट सटिलकाक, क्रिकेट के बल्ले, स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला।

7—देहरादून का जानसर बावर क्षेत्र—में खाद्य पदार्थों का संरक्षण, कांकरीट ब्लाक, प्रेस्ड कांकरीट पोल्स, मोजेक, फ्लोर, टाइप, आर० सी० सी० पाइप, स्वचालित गाड़ियों की मरम्मत, कृषि मंत्रों हेतु जाबिंग कार्यशाला, साधारण मइस्कोकोप, टेलिस्कोप कोल्ड स्टोरेज।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने एकदम गलत जवाब दिया है। प्रश्न टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण के सम्बन्ध में किया गया है और जवाब वे औद्योगिक विकास सर्वेक्षण की रिपोर्ट दे रहे हैं—यह तो कहे खेत का और सुने खलिहान वाला हिसाब है। उन्होंने कहा कि टैक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण में ही औद्योगिक विकास सर्वेक्षण भी सम्मिलित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सवाल को स्थगित करें और इसका सही जवाब माननीय मंत्री जी से दिलवावें कि टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण पर्वतीय जिलों का कराया गया था या नहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके देखने से मालूम हुआ कि सभी बातें उसके अन्दर हैं। हेडिंग में ही है, नेशनल कौंसिल आफ अप्लायड इकोनौमिक्स। इसी से यह जवाब दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मन्त्री जी ने जो विभिन्न जिलों की सूची दी है, उस सूची में देहरादून भी था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेपर इंडस्ट्रीज के लिये जितना रा मेटिरिअल चाहिये, वहां उपलब्ध है, क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि वहां पर पेपर इंडस्ट्रीज कायम की जा सकती है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय मन्त्री जी ने टेक्नो-इकोनौमिकल सर्वेक्षण का जो स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने उसका समावेश औद्योगिक विकास सर्वेक्षण में ही कर दिया। अगर माननीय मंत्री जी को इसका माने अधिकार पूर्ण ढंग से मालूम न हो कि वे हम लोगों को समझा सकें तो अच्छा हो कि पहले डिक्शनरी कंसल्ट कर लेते ताकि इतना वक्त न लगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात का ज्ञान है कि नेशनल कौंसिल आफ अप्लायड इकोनौमिक्स ने जब पूरे प्रदेश का टेक्नोइकोनामिक्स सर्वेक्षण कराया था तो टेहरी और उत्तरकाशी को ही सब से पिछड़ा घोषित किया था ? फिर क्या कारण है कि टेहरी और उत्तर काशी में कोई उद्योग नहीं रखा गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

उन्होंने एक और सर्वे की बात सामने रखी है जिसका सम्बन्ध इससे नहीं है। यह केवल पर्वतीय क्षेत्र में नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कौंसिल की ओर से सेर्वेक्षण हुआ और उसी की बात हमारे सामने है। किसी और सर्वे की बात उन्होंने कही जिसमें चमोली वगैरह को पिछड़ा जिला कहा गया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिये सुझाव दिया गया है डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा पहाड़ों में लगाने के सम्बन्ध में, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 से अब तक इस पर कहीं अमल किया गया है? और इस तरह की इंडस्ट्री कहीं लगी है या नहीं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

नैनीताल में 38, अल्मोड़ा में 5, टेहरी में 1, चमोली में 18, उत्तर काशी में 14 और पिथौरागढ़ में 29 लगी है।

श्री इन्द्रमणि—

क्या माननीय मन्त्री जी इन आठ जिलों का टेक्नो इकोनोमी सर्वे अलग से कराने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, एक सर्वे हो गया है। उस पर विचार कर लें। इसके बाद सोचेंगे।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या यह सही है कि इस सर्वेक्षण के बाद सरकार नैनीताल में कागज और लुग्दी का कारखाना खोलने जा रही है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है।

[3 अगस्त, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[15वें सोमवार के प्रश्न सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

## क्रशर हेतु गन्ने का निम्नतम निर्धारित मूल्य

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य में जो लोग निजी तौर के क्रैशर चला रहे हैं वे लोग सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के मूल्य से बहुत कम दर किसानों को देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रेशर द्वारा पेरे जाने वाली गन्ने की मूल्य दर निश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

बाजारों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का कोई मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं है। शासन ने इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या क्रेशरों के लिये भी गन्ने का निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्रशरों द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारण करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, एसा है कि कृषक जो गन्ना लेते है उनके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि अव्वलन तो वे छोट काश्तकार हैं। वह गन्ना पहले फक्टरी में जाता है तो उनके सामने प्रश्न आ जाता है और अपने गन्ने को वे स्वयं पेरते हैं। जब स्थिति ऐसी हो जाती है तो वह दूसरों का गन्ना

लेकर पेरते हैं। अगर मूल्य निर्धारित किया जाये, जैसे मूल्य निर्धारण करने का प्राविधान तो है। लेकिन उस की बुनियाद में रिक्वरी आती है। इसलिये अगर रिक्वरी से मूल्य निर्धारण करेंगे तो उसमें काश्तकार का नुक्सान है। गन्ने का मूल्य निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख-कर किया जाता है। (1) गन्ने का उत्पादन मूल्य, (2) अन्य फसलों से प्राप्ति तथा कृषिगत सामानों का सामान्य बाजार भाव (3) सस्ते मूल्य पर उपभोक्ताओं को चीनी प्राप्ति की स्थिति, (4) चीनी उत्पादकों द्वारा निर्मित चीनी का मूल्य जिस पर वे उसे बेचते हैं तथा (5) गन्ने से चीनी की प्राप्ति की मात्रा। इन 5 वस्तुओं को सामने रखकर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। पाचवां प्वाइंट सरकार को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मूल्य निर्धारित किया जाय। अगर परसेंटेज निकाला जायेगा तो कम आयेगा और किसानों को नुकसान होने का अन्देशा है। लेकिन फिर भी गन्ने की कमी चल रही है सरकार इसका एक्जामिन कर रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी इसको सही मान कर कि कृषक को गन्ने का मूल्य कम नहीं देते हैं बल्कि उनको कांटों में ऐसा होता है कि उससे कम तौल होती है और कृषक का भारी नुक्सान होता है ? चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर है भी तो वे लोग स्वयं उनसे मिल कर रिश्वत लेते हैं तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वे लोग हफ्ते में कम से कम दो बार अलग-अलग चेकिंग कर के रिपोर्ट दें ताकि गोलमाल को बचाया जा सके और किसानों को भारी नुक्सान से बचाया जा सके ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, चेकिंग की व्यवस्था तो है लेकिन माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

पच्छिमी जिलों में यह केन क्रशर्स बहुत हैं और अभी पूर्वी जिलों में बहुत कम हैं तो क्या मंत्री जी इसको भी स्माल स्केल इंडस्ट्री मान कर इनको वहां प्रोत्साहन देने के लिये कोई और भी सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

सरकार तो पूरे प्रदेश को एक सूबा मानती है और वह पश्चिम और पूर्व के बटवारे की बात नहीं सोच सकती। क्रशर्स के सम्बन्ध में जो भी नीति निर्धारित होगी वह सभी भागों को ध्यान में रख कर निर्धारित होगी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार की यह नीति है कि किसानों को गेहूं की तरह गन्ने को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिये ? यदि यह नीति है तो इन क्रशर पर गन्ने की सप्लाई करने वालों को वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दिलवाते ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने उत्तर में अभी कहा, सम्भवतः आपने ध्यान से उसे नहीं सुना, जब गन्ना कम हो जाता है तो किसानों को क्रशर पर अधिक कीमत मिल जाती है और रिकवरी बेसिस पर अगर मिनिमम प्राइस रख देंगे तो किसानों को क्रशर पर गन्ना देने से जो लाभ होता है वह नहीं होगा, वह उससे वंचित हो जायंगे और यह नीति किसान विरोधी होगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

सरकार ने गन्ने की मिनिमम प्राइस मुकर्रर करने के लिये कब से विचार करना शुरू किया है और आप कब तक इस पर अन्तिम फैसला ले लेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

विचार तो हम ने जब से गले की कमी हुई तब से किया लेकिन पहले गन्ना अधिक था जब उसकी कमी हुई तो किसानों को वेशी दाम मिलने लगे। जब बेशी था तब से ही विचार हो रहा था। हमने अन्य प्रदेशों से, आन्ध्र प्रदेश से भी जानकारी की जहां पर क्रशर के गन्ने की मिनिमम प्राइस फिक्स की गई थी, उन के सामने कुछ कठिनाई आई है, अभी हम उन को एगजामिन कर रहे हैं। जब सब जगह से रिपोर्ट आ जायगी तम हम सब देखकर फैसला लेंगे।

*6—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## जी० ए० डी० आर० से सम्बन्धित कार्याधिकारी के पद

*7—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1971 के आठवें बुधवार (15–9–1971) के लिये निर्धारित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जी० ए० डी० आर० पर प्रतिवर्ष के व्यय के देखते हुये और सचिवालय में अनुभागों के बन जाने तथा उनके द्वारा सुचारु रूप से कार्य शुरू कर देने के पश्चात् क्या सरकार इस विभाग में नियुक्त समस्त विशेष कार्याधिकारियों के पदों को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जी नहीं।

*8—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जब सचिवालय में विभागों को विभाजित करके इन्हें अनुभागों में बांटा जा चुका है और अनुभागों में कार्य नियमानुसार होने लगा है तो जी० ए० डी० आर० में तीन विशेष कार्याधिकारियों और एक अनुसचिव के पदों को बनाये रखने का अब क्या औचित्य है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी० ए० डी० (आर०) में इस समय विशेष कार्याधिकारी के एक पद के अतिरिक्त संगठन एवं विधि अधिकारी के 3 पद हैं जिसमें से एक पद 1 अप्रैल, 1972 से केवल 6 माह के लिये कार्य की अधिकता के कारण सृजित किया गया है। अनु सचिव का पद पूर्णकालिक नहीं है।

सन् 1963 में जारी किये गये शासन के आदेशानुसार सचिवालय में अतिरिक्त स्टाफ देने के प्रस्तावों को सामान्य प्रशासन (पुनस्संगठन) विभाग द्वारा जांचना आवश्यक है। ऐसे स्टाफ सम्बन्धी सभी मामले इस विभाग को जांच के लिये आते रहते हैं। सचिवालय के विभागों को विभाजित करके उन्हें अनुभागों में परिवर्तित करने का मामला ऐसे मामलों में से एक मामला था जिस पर इस विभाग द्वारा राय दी गई थी। विभाग के नियमित कार्यों के लिये प्रश्नगत पदों को बनाये रखना आवश्यक है।

## रूहेलखण्ड मण्डल में इंडियन आर्डिनेन्स की रायफलें बेचा जाना

*9—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखंड कमिश्नरी के जिला बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं व बिजनौर में अग्नेय अस्त्रों के विक्रेताओं ने दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 31 नवम्बर, 1971 तक इन्डियन आर्डिनेन्स की बनी 315 बोर राइफिल तथा दुनाली बन्दूकें प्रत्येक दूकानदार ने कितनी मात्रा में प्राप्त कीं और किन-किन लाइसेंसदारों के हाथ बेची क्या खरीदार लाइसेंसदार उसी जिले के निवासी थे जिस जिले से उन्होंने खरीदी?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न† सूचियों में दी गयी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह जो 315 व 312 बोर की रायफल की प्राइस कंट्रोल्ड है लेकिन कोई भी दुकानदार इन बोर को निर्धारित नाम पर नहीं देता है। क्या मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिलाधिकारी अपनी देखरेख में इन बन्दूकों को बिकवाया करें?

लाइसेंस्ड दुकानदार कंट्रोल प्राइस से ज्यादा पर बेचते है, क्या मन्त्री जी इस की जानकारी करा के आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

अगर आप ऐसी कोई जानकारी देंगे तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

लुधियाना, पंजाब और फाजिल्का के लोग आकर ज्यादा कीमत पर बन्दूकें ले जाते है लेकिन यू0 पी0 के लोगों को कन्ट्रोल प्राइस पर यह दुकानदार नहीं देते है। तो क्या मन्त्री जी उन से कंट्रोल प्राइस पर दिलाने की कोई उचित व्यवस्था करेंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

अगर निर्धारित कीमत पर यह लोग नहीं देते हैं और आप जानकारी करायेंगे तो लाईसेन्स प्रोडक्स करने पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

किसी लाइसेन्सदार को क्या मालूम कि माल उन के पास है या नहीं वह कह देते हैं कि नहीं है, स्टाक में नहीं है। या तो वह जिलाधिकारी के पास सूची भेजा करें कि इतना स्टाक है वरना वह कह देते हैं कि स्टाक में नहीं है और जो ज्यादा पैसा देता है उसको दे देते हैं। तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिलाधीश के पास स्टाक की पोजीशन दुकानदार भेजा करें?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

यह जो आर्म्स बेचने के दुकानदार हैं उनके ऊपर आर्म्स बेचने के लिये कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वह अपने कोटे में से प्रदेश के बाहर के लोगों को न बेंचें। जो लाइसेंसी हैं वे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा।

*10—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री बंशीधर पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*11—श्री कल्याण सिंह—

[12 वें सोमवार के प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## सहकारी समितियों द्वारा ऋण-प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

*12—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बुलन्दशहर ने (क) लौह कला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड गुलावठी, बुलन्दशहर, (ख) अनाज दाल उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, रामनगर बुलन्दशहर, (ग) अनाज, दाल, धान औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, जिला गुलावटी, बुलन्द शहर, (घ) लौहकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समित लिमिटेड, देवली (बुलन्द शहर), (ङ)

†छापी नहीं गयीं।

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० विलायतनगर, बुलन्दशहर के नाम से फर्जी समितियां बनाकर ऋण प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ? क्या यह भी बतायेगी कि उपरोक्त चारों कथित समितियों को वर्ष 1971–72 में अलग-अल कितनी-कितनी धनराशि का ऋण स्वीकार किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने (क) लौहकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, गुलावठी (बुलन्दशहर), (ख) अनाज दाल धान उत्पादन सहकारी समिति लि०, रामनगर (बुलन्दशहर), (ग) अनाज दाल धान औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, गुलावठी (बुलन्दशहर), (घ) लौहकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, देवली (बुलन्दशर) और (ङ) रेशा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, विलायतनगर, (बुलन्दशहर,) के नाम से फर्जी समितियां बनाकर कोई ऋण नहीं प्राप्त किया गया है। इन में से केवल रेशा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, विलायतनगर, बुलन्दशहर को वर्ष 1971–72 में 9,375 रु० ऋण एवं 1,075 रु० अनुदान कुल 10,450 रु० की धनराशि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकार की गयी है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो 5 सहकारी समितियों का उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, क्या सरकार ने उन की जांच करायी है कि इन में से प्रथम 4 वास्तव में सहकारी समितियां हैं, अगर क्या इन सहकारी समितियों ने ऋण प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो उन को क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

पहली जो समिति है उस का पंजीकरण 5 जुलाई, 1971 को हुआ था, दूसरी का 9 फरवरी, 1971 को हुआ था। तीसरी समिति का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। चौथी का पंजीकरण हो चुका है। पांचवीं भी पंजीकृत है।

श्री कल्याण सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि जो उन्होंने ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था तो उन्हें किन कारणों से नहीं दिया गया, जब कि ये कहते हैं कि वे फर्जी नहीं हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो यह है कि इन समितियों के नाम से फर्जी समितियां बनाकर कोई ऋण प्राप्त किया गया या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि क्या फर्जी समितियां बनाकर ऋण प्राप्त किया गया है। आप कहते हैं कि ये वास्तविक हैं सरकार की दृष्टि में और इन के उत्तर के अनुसार उन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दिया ऋण के लिए। तो फिर ऋण किस आधार पर नहीं दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो पहली समिति है उस को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी, दूसरी के बारे में जांच हो रही है। चौथी को भी कोई सहायता की स्वीकृति नहीं दी गयी है और पांचवीं को सहायता दी गयी है।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। मैंने माननीय मन्त्री जी से कारण जानना चाहा था, वह उन्होंने नहीं बताया। मेरी सूचना को सही मानकर क्या

सरकार इस की जांच करायेगी कि प्रथम सहकारी समिति फर्जी है, जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं और जिस पर जिला उद्योग अधिकारी ने अपनी संस्तुति भी कर दी है। तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं अवश्य जांच करवा लूंगा।

*13-14—श्री अनन्त राम जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*15—श्री मोहनलाल कपूर—

[12वें सोमवार के तारांकित प्रश्न 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*16—श्री मोहन लाल कपूर—

[12वें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

## उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् का गठन

*17—श्री राम गोपाल सण्ड तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सरकार द्वारा नागरिक परिषद् गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और इस परिषद् का कार्य क्षेत्र क्या है ? तथा इस परिषद् ने अब तक क्या-क्या कार्य किया और इन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या जिला केन्द्रों पर भी परिषद् गठित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् का गठन 1 मई, 1971 से किया गया है। परिषद् के कार्यक्षेत्र का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। परिषद् द्वारा किये गये कार्य एवं उन पर हुये व्यय की धनराशि का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

प्रदेश के सभी जिलों में परिषद् का गठन हो गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आग पृष्ठ 1038-1039 पर)

## औद्योगिक विकास हेतु विकास केन्द्रों की स्थापना

*18—श्री रामगोपाल सण्ड तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में औद्योगिक विकास की वृद्धि हेतु विकास केन्द्रों की स्थापना करने जा रही है। यदि हां, तो यह केन्द्र इस वर्ष कहां-कहां खोले जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां। इस वर्ष ऐसे खोले जाने वाले केन्द्रों के बारे में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1040 पर)।

*19-20—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 42-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

---

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## उद्योग निदेशालय, कानपुर के स्टोर परचेज विभाग के आमंत्रित टेंडर

*21—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल) तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 की अवधि के लिये उद्योग निदेशालय, कानपुर के स्टोर परचेज विभाग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1971 के आमन्त्रित टेन्डरों के तथा 9 सितम्बर, 1971 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार किन-किन फिनाइल उत्पादकों 5 आर० डब्ल्यू० सी० तथा 10 आर० डब्ल्यू० सी० फिनाइल का प्रति लीटर क्या रेट स्वीकृत हुआ है ? क्या 28 दिसम्बर, 1971 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार टरपेन्टाइन फैक्टरी, कलक्टरगंज, बरेली का बिना टेन्डर लिये रेट स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो बरेली टरपेन्टाइन फैक्टरी का प्रति लीटर क्या रेट स्वीकृत किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गजट नोटिफिकेशन सं० 323 (आर)/617 (आर), दिनांक 9-9-71 द्वारा जुलाई, 71 से जून, 72 तक के लिए जिन प्रतिष्ठानों के साथ 5 आर० डब्ल्यू० सी० तथा 10 आर० डब्ल्यू० सी० फिनाइल का दर अनुबन्ध किया गया था उनका विवरण 'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

जी नहीं । मेसर्स दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी इन्डस्ट्रीज लि०, कलक्टरगंज, बरेली का कोटेशन अन्य कोटेशनों के साथ प्राप्त हुआ था । अतः इनको इसी निविदा के आधार पर लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता । तथापि, विज्ञप्ति सं० 463 (आर)/617 (आर)/अडेन्डम, दिनांक 28-12-71 द्वारा उन की निम्नलिखित दरें स्वीकृत की गयी थीं :—

(1) 20/22 लीटर पैकिंग में रु० 2.65 प्रति लीटर/नारमल-विन्टर ।

(2) 200/220 लीटर पैकिंग में रु० 2.35 प्रति लीटर/नारमल-विन्टर ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1041 पर)

*22—श्री डूंगर सिंह विष्ट तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के लिए दिनांक 14 मार्च, 1972 को किन-किन फिनाइल उत्पादकों ने टेन्डर दिये ? किन-किन के क्या रेट स्वीकार किये ? क्या टरपेन्टाइन फैक्टरी, कलक्टरगंज, बरेली ने भी टेन्डर दिया है ? यदि हां, तो उन का किस रेट का टेन्डर स्वीकार किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1972-73 हेतु टेन्डर नोटिस सं० 601, दिनांक 5-2-72 द्वारा आमंत्रित टेन्डर के उत्तर में जिन-जिन फर्मों के कोटेशन प्राप्त हुये उन को सूची विवरण 'ख' सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

अपेक्षित विवरण 'ग' सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

जी हां । मेसर्स दि टरपेन्टाइन सब्सिडियरी इन्डस्ट्री लि०, कलक्टरगंज, बरेली ने भी टन्डर दिया था ।

उनका रु० 2.65 प्रति लीटर (नेकेड) की दर से टेन्डर स्वीकार किया गया (5 आर० डब्ल्यू० सी० से कम नहीं नार्मल) ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1042-1043 पर)

*23–24–श्री त्रिवेणी सहाय
[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*25-26––श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह––
[12वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20–21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## कानपुर के एयर फोर्स डिपो से बैटरियों की चोरी

*27––श्री नित्यानन्द स्वामी––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, अगस्त, 1971 में कानपुर स्थित एयरफोर्स डिपो से 6 लाख रुपया कीमत की 14 बैटरियों की रहस्यमय ढंग से चोरी हो गयी थी? क्या सरकार चोरी का पता लगा कर बैटरियां बरामद करा पायी ? क्या इसमें विदेशी तत्वों का हाथ था ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

वायु सेना स्टेशन, कानपुर के अधिकारियों ने 19 जुलाई, 1971 को स्थानीय पुलिस को स्टेशन के चार्जिग रूम से 14 बैटरियों के चोरी होने की सूचना दी पुलिस जांच तुरन्त आरम्भ हुई और एक सप्ताह के भीतर ही पता लग गया कि मामला केवल चोरी का था तथा 6 'अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिये गये और बैटरियां बरामद हो गयीं। जांच से पता चला कि चोरी करने वालों का गिरोह स्थानीय था और अनुमत: बैटरियों में लगी चांदी की लालच से चोरी की गयी। जांच से उपलब्ध तत्वों से विदेशी तत्वों का हाथ इस चोरी में होने का कोई आधार नहीं पाया गया। कुल 13 अभियुक्त मालूम हुये जिनमें से गिरफ्तार व्यक्तियों के अलावा दो अन्य ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया तथा शेष 5 फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मुकदमा अदालत में भेज दिया गया और विचाराधीन है।

उक्त बैटरियों की कुल कीमत 42 हजार रुपये बतायी जाती है।

## सहायक अभियन्ता, श्री विश्व नाथ सिंह की सिनेमा भवन गिरने मे मृत्यु

*28––श्री शम्भू नाथ चौधरी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में 20 फरवरी, सन् 1972 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री विश्वनाथ सिंह की मृत्यु सरजू चित्र मन्दिर रसड़ा के निरीक्षण के समय सिनेमा के त्रुटिपूर्ण भवन में अचानक गिरने से हो गयी ? यदि हां, तो इस सिनेमा को चालू करने का अनुज्ञा-पत्र क्यों और कैसे दिया गया जब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसके विरुद्ध गम्भीर आपत्तियां उठायी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जी नहीं। सहायक अभियन्ता की मृत्यु सिनेमा भवन के त्रुटिपूर्ण होने या किसी भाग के गिरने से नहीं हुई। निरीक्षण के समय उनका पैर फाल्स सीलिंग, जो कि केवल ध्वनि तथा तापमान संतुलन बनाये रखने एवं सुन्दरता के प्रयोजन से बनायी गयी थी; पैर पड़ जाने के कारण वे नीचे बालकोनी पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गयी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो आपत्तियां उठायी थीं उनसे दुर्घटना का कोई सम्बन्ध नहीं था।

*29––श्री रामगोपाल सण्ड––
[21वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## इलाहाबाद जिले के राजनैतिक पीड़ित

*30—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 31 मार्च, 1972 तक राजनैतिक पीड़ित पेन्शन पाने वालों की कुल संख्या कितनी है और वे कब से कितनी पेन्शन पा रहे हैं ? क्या उनकी सूची सरकार सदन के पटल पर रक्खेगी ?

*31—श्री रुपनाथ सिंह यादव

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इलाहाबाव जिला में कुल कितने राजनैतिक पीड़ित हैं और उनमें से कियनों ने ने 31 मार्च, 1972 तक पेंन्शन के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं और उन में से कितनों का कितना-कितना धन स्वीकृति किया गया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक सूची सदन के पटल पर रक्खेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इतनी व्यापक सूचना एकत्र करना सुलभ नहीं है ।

## कानपुर की श्रमिक बस्तियों में रहने वाले परिवारों की बेदखली

*32—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री सच्चिदानन्द, श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि दिनांक 5 फरवरी, 1972 को श्रमिक सेवा कमेटी 41/10, पुराना कानपुर ने उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें कानपुर की श्रमिक बस्तियों में रहने वाले 10,000 परिवारों को बेदखल करने के बारे में लिखा गया है ? मन्त्री ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां ।

मामला विचाराधीन है ।

*34—श्री उमाशंकर शुक्ल—

[7वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत उत्तरित]

## जनपद शाहजहांपुर में बड़े उद्योग

*34—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार शाहजहांपुर जनपद में जिसे केन्द्र द्वारा पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है किसी बड़े उद्योग की स्थापना करने की योजना बना रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

## सरकारी सेवाओं में निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि

*35—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि किसी युवक के सरकारी नौकरी पाने सम्बन्धी आयु की पाबन्दी की मियाद के अन्दर नौकरी लायक शिक्षा प्राप्त कर लेने व अपने को सेवायोजन कार्यालय [इम्प्लायमेंट एक्सचेंज) में रजिस्टर्ड कर लेने के उपरान्त भी यदि सरकार उसे नौकरी न दे सके तो आयु सम्बन्धी निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर उसे नौकरी पाने के अधिकार से वंचित कर देने का क्या औचित्य है और क्या सरकार उसे नौकरी देने तक बेकारी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

बेरोजगारी की समस्या को ही देखते हुये राज्याधीन सेवाओं में भर्ती के लिये पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 24/25 वर्ष से बढ़ा कर 27 वर्ष कर दी गयी है। वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण बेरोजगार व्यक्ति को बेकारी भत्ता देना सम्भव नहीं है।

*36—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार बेकारी सम्बन्धी अपनी ही घोषणा को ध्यान में रखते हुये उस बेकार युवक को, कि जिस ने सरकारी आयु सम्बन्धी निर्धारित पाबन्दी के भीतर ही नौकरी लायक शिक्षा प्राप्त कर के सेवायोजन कार्यालय (एम्पलायमेंट एक्सचेंज) में अपने को रजिस्टर्ड करा दिया हो, को निर्दोष मान कर आयु की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कम से कम 3 साल तक उसे नौकरी प्राप्त करने का अधिकार देने को सहमत है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी नहीं।

*37–38—श्री अनन्त राम जायसवाल—

[12वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 22-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

## जिला मुरादाबाद के ग्राम, दीपपुर में श्रीमती नन्दावती की हत्या

*39—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1972 को थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम दीपपुर की मुसम्मात नन्दावती की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि नहीं किये गये, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिवचरन सिंह, निवासी ग्राम दीपपुर ने 10–2–72 को थाना हसनपुर में इस आशय की सूचना दी कि उस की पुत्री श्रीमती नन्दावती ग्राम दीपपुर में स्थित रामपाल सिंह के बाग में मरी हुई पड़ी है और उसके गले के आस-पास से खून निकल रहा है। इस सूचना पर अभियोग धारा 302 भा० द० वि० अपराध सं० 26 थाना हसनपुर पर अंकित हुआ। वादी ने किसी के प्रति प्रथम सूचना में सन्देह नहीं अंकित कराया। अभी तक किसी के विरुद्ध अपराध धारा 302 भा० द० वि० सिद्ध नहीं हो सका है। इस कारण कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है।

*40—श्री धर्मवीर सिंह—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 96 के अन्तर्गत उत्तरित]

## प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या तथा दंगों सम्बधी अपराधों में वृद्धि

*41—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत 3 वर्षों से डाका, लूट, हत्या एवं दंगा के जुर्म में वृद्धि हुई है। यदि हां, तो किन कारणों से तथा क्या उसे कम करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी

प्रदेश में वर्ष 1968 की अपेक्षाकृत वर्ष 1969 में डकैती, लूट, हत्या एवं दंगा के जुर्मों में बहुत थोड़ी ही वृद्धि हुई है। वर्ष 1969 की अपेक्षाकृत वर्ष 1970 तथा 1971

में इन जुर्मों की संख्या में कुछ वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1970 से सभी अपराधों को पंजीकृत करने का एक नया अभियान चलाया गया है। इस वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस प्रकार हैं:—

1—आर्थिक परिस्थितियों में विषमता।

2—जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि।

3—समाज के सभी वर्गों में ज्यादा आपसी वैमनस्य तथा एक दूसरे के प्रति असदिष्टयुता भावना

4—कानून की अवहेलना करने की प्रवृत्ति।

5—जनता के नैतिक स्तर की गिरावट।

अपराध स्थिति पर नियंत्रण हेतु जो विशेष कदम उठाये गये हैं वे संलग्न तालिका में दिये हुए हैं।

वर्ष 1972 के प्रथम त्रैमास में, वर्ष 1971 के प्रथम त्रैमासीक अपेक्षाकृत हत्या के अलावा अन्य अपराधों (डकैती, लूट, दंगा) में कमी हुई है।

(देखिये तत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1044 पर)

*42—श्री मंजूर अहमद—

[12वें सोमवार के प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*43—श्री मंजूर अहमद—

[12वें सोमवार के प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## होमगार्ड्स विभाग में जिला समादिष्टाओं का सृजन

*44—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद) तथा श्री त्रिकोल चन्द—

क्या मुख्य मंत्री बतावेंगे कि क्या यह सही है कि होमगार्ड्स विभाग में जिला स्टाफ अधिकारियों के पद समाप्त करके उनके स्थान पर 64 जिला समादेष्टा होमगार्ड्स के पदों का सृजन किया गया है। क्या यह भी सही है कि जिला समादेष्टा के पदों को भरने के लिये 43 भूतपूर्व जिला स्टाफ अधिकारियों का 7, 8 मार्च, 1972 को साक्षात्कार किया गया? यदि हां, तो उनमें से कितने और कौन-कौन चुने गये। क्या कृपया यह भी बतावेंगे कि साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उक्त 43 अभ्यर्थियों में कितने हरिजन थे और उनमें से कितने चुने गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

होम गार्ड संगठन के 48 जिला स्टाफ अधिकारियों के पद समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इनके स्थान पर 48 जिला समादेष्टाओं के पदों का सृजन किया गया है। इन पदों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करने के हेतु 7 और 8 मार्च को 43 जिला स्टाक अधिकारियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। चूंकि इनमें से सफल अभ्यर्थियों के चुनाव की घोषणा अभी नहीं हो पाई है, शासन के लिये यह बताना संभव न होगा कि इनमें से कौन-कौन चुने गये। साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उक्त 43 अभ्यर्थियों में तीन हरिजन थे। उनमें से दो का चुयन हुआ।

## जिला वाराणसी में गुण्डों तथा डकैतों का हनुमान व देवीदल

*45—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को सूचना है कि वाराणसी जिले में गुन्डों एवं डकैतों का कोई हनुमान दल एवं देवीदल बन गया है जो मंगलवार का दिन अपनी डकैती के लिये शुभ दिन मानकर डकैती करता है? यदि हां, तो उक्त दल में कितने सदस्यों की संख्या अनुमानित है और इस दल का अगुवा कौन व्यक्ति है और पूरा पता क्या है?

*46क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस दल ने तथा अन्य डकैतों ने वाराणसी शहर एवं जिले में 1 जनवरी, 1972 से 31 मार्च, 1972 तक लगातार कितनी डकैती डाली है और क्या कार्यवाही हुई।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

## रोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स को बेरोजगारी भत्ता

*47—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री मनोहर लाल—

क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स को जिस प्रकार राजस्थान सरकार बेरोजगारी का भत्ता देती है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा भत्ता देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उपाय किये जा रहे हैं। वर्ष 1972–73 के लिये 864 लाख रु० के परिव्यय पर आधारित विशेष रोजगार योजनायें, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं, इसमें से 432 लाख रुपये केन्द्र से सहायता के रूप में प्राप्त होगा और इतनी ही धनराशि राज्य सरकार लगायेगी। इन कार्यक्रमों के संचालन से वर्ष 1972–73 में 1,09,731 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा जिसमें 2689 डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियर्स को भी रोजगार मिलने का अनुमान है।

*48—श्री नसीमुउद्दीन सिद्दीकी—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 99 के अन्तर्गत उत्तरित]

## थाना तालबेहट, जिला झांसी के पंचायती क्षेत्र, बिरधा में डकैतियां

*49—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना तालबेहट जिला झांसी ने न्याय पंचायत क्षेत्र बिरधा के 5 मील क्षेत्र के अन्तर्गत ही फरवरी, मार्च, 1972 में ग्राम गुन्देरा में दुरुजू गड़रिया वगैरह के यहां डकैती पड़ी तथा बन्दूक चली, ग्राम उगरपुर मजरा मकरी बद्दिलिया काछी के यहां डकैती पड़ी, ग्राम झाउर मजरा मानेरा में डकैती पड़ी और बन्दूक चली तथा गांव वालों ने मुकाबला किया, ग्राम गेवरा, मजरा धुवेरा में लच्छी काछी के यहां डकैती पड़ी ? यदि हां, तो गृह मंत्री बतायेंगे कि इस संबंध में पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां की और आगे क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना तालबेहट जिला झांसी के अन्तर्गत न्याय पंचायत क्षेत्र बिरधा के 5 मील क्षेत्र में फरवरी, मार्च, 1972 में ग्राम गुन्देरा, ग्राम उगरपुर मजरा मछरी तथा ग्राम झाउर मजरा मानेरा और ग्राम गेवरा मछरा धुवेरा में डकैती पड़ने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई अतः इस संबंध में किसी अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*50—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1972 से मार्च, 1972 तक थाना तालबेहट में कुल कितनी और कहां कहां पर डकैती पड़ी कितने कत्ल हुये और उनमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनवरी 1, 1972 से 31 मार्च, 1972 की अवधि में एक ही रात (1/2-1-72 की रात) में दो डकैतियां, एक ग्राम सुनौरा में श्री रघुआ के घर पर दूसरी ग्राम चांदरा में श्री हल्के यादव के घर पर पड़ने की सूचनायें थाना तालबेहट पर प्राप्त हुई। इन रिपोर्टों के आधार पर थाने पर दो मुकदमें धारा 395/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम हुए । यह दोनों डकैतियां एक ही गैंग के डाकुओं ने डाली ।, 9 डाकू पकड़े गये। दोनों मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा चुकी हैं ।

इस अवधि में थाना तालबेहट के अन्तर्गत कोई कत्ल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई ।

## उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारपोरेशन की स्थापना

*51—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने कोई सीमेंट कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है और उसको क्या कार्य सुपुर्द किया जायगा और इस पर क्या धनराशि व्यय होंगी और उसका गठन किस प्रकार होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सीमेंट कारपोरेशन की स्थापना की है जिसका नाम "दि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०" है । यह कारपोरेशन इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन 29 मार्च, 1972 को हुआ था । कम्पनीज ऐक्ट की धारा 617 की परिभाषा के अनुसार यह एक सरकारी (पब्लिक) कम्पनी है । यह कारपोरेशन प्रदेश में सीमेंट उद्योग तथा इससे संबंधित अन्य उद्योग को लगाने के सभी कार्य करेगा। चुर्क तथा डाला सीमेंट कारखाने जो अभी तक सरकार द्वारा चलाये जाते थे वह भी एक अप्रैल, 1972 से सीमेंट कारपोरेशन को सौंप दिये गये हैं । सीमेंट कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपया है और आवश्यकतानुसार इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है । डाला चुर्क सीमेंट फैक्टरियों में लगी हुई राज्य सरकार की पूंजी में से 11 करोड़ रु० के सीमेंट कारपोरेशन के अंशक शासन की ओर से खरीदे जायेंगे । इसके अतिरिक्त वर्ष 1972-73 में एक करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि के अंशक शासन की ओर से खरीदे जायेंगे। सीमेंट कारपोरेशन का सब कार्य बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के पर्यवेक्षण में होगा।

*52—श्री राजित राम पांडेय तथा श्री कन्हैयालाल सोनकर—
[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*53—श्री राजित राम पांडेय तथा श्री कन्हैयालाल सोनकर—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*54—श्री हरी सिंह बिष्ट—
[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 100 के अन्तर्गत उत्तरित]

*55—श्री मोहम्मद असरार अहमद—
[13वें सोमवार के प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## शकर उद्योग के श्रमिकों को बोनस

*56—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शकर उद्योग के श्रमिकों को खाडिलकर फार्मूला 8.33 प्रतिशत के हिसाब से 1970-71 का बोनस भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो उद्योग पतियों के विरुद्ध कौन कार्यवाही की गई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं, खाडिलकर फार्मूला के अन्तर्गत अवशेष मुनाफे के हिसाब से एक प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 4.33 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस के रूप में (अग्रिम) पेशगी देने की व्यवस्था है। शक्कर मिलों में इससे कहीं अच्छी व्यवस्था 70–71 के लिये की गयी थी।

## चाय बागान मजदूरों के लिये न्यूनत्तम निर्धारित वेतन मजदूरी

*57—श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चाय बागान मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कब और निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें क्या हैं और क्या राज्य की चाय बागानों में उसका अनुपालन हो रहा है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत चर्चित मजदूरों के लिये मजदूरी की वर्तमान दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं—

| | | |
|---|---|---|
| देहरादून के चाय बागानों में लगे मजदूरों के लिए | शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 16–3–1961 द्वारा | रु0 37.50 प्रतिमास या रु0 1.44 प्रतिदिन |
| अल्मोड़ा जिले के बेरी नाग क्षेत्र के लिये | शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 8–11–1960 द्वारा | रु026.00 प्रतिमास या रु0 1.00 प्रतिदिन |
| अल्मोड़ा जिले के अन्य क्षेत्र तथा गढ़वाल के | शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 18–11–1965 द्वारा | रु026.00 प्रतिमास रु0 1.00 प्रतिदिन |

चाय बागान मजदूरों के लिए इन दरों का अनुपालन हो रहा है।

## बक्सर, उन्नाव स्थित ढिल्लेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण

*58—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के परगना डौड़ियाखेरा के ग्राम बक्सर में स्थित ढिल्लेश्वर मन्दिर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सन् 1858 ई० में अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था जिसके भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं और क्या इसी स्थान पर अमर शहीद राव राम बख्श सिंह को 28 दिसम्बर, सन् 1859 में फिरंगियों ने फांसी पर लटका दिया था जहां पर स्मारक स्वरूप बलिदान चौरा निर्मित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर के भग्नावशेषों एवं बलिदान चौरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की कोई योजना बनाकर कार्यान्वित करने का विचार कर रही है?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

ग्राम बक्सर में ढिल्लेश्वर मन्दिर के भग्नावशेष विद्यमान हैं। जिसके बारे में यह बताया जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इस मन्दिर को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था। इसी स्थान पर एक पुराना बरगद का पेड़ है और यह कहा जाता है कि श्री राव राम बख्श सिंह को उसी पेड़ से लटका कर फांसी दी गयी थी। यहां स्मारक स्वरूप एक चौरा भी बना हुआ है। मन्दिर एवं चौरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

## लखनऊ के सिल्वर ओक रेस्टोरेन्ट में डकैती

*59—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायं)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के ठीक सामने सरोजनी नायडू पार्क में स्थित सिलवर ओक रेस्टोरेन्ट में दिनांक 11 मार्च, 1972 को कोई

डकैती पड़ी जब कि जिला मजिस्ट्रेट के बंगले के पास पुलिस गार्ड का पूर्ण प्रबन्ध था। यदि हां,तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और तैनात पुलिस गार्ड द्वारा इस कान्ड को रोकने में क्या रोल अदा किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लखनऊ के सरोजिनी नायडू पार्क में स्थित सिल्वर ओक रेस्टोरेन्ट में दिनांक 11–3–72 को डकैती की कोई घटना होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*60—श्री सूबेदार प्रसाद—

[15वें सोमवार के प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## अवाड़ी ग्राम (आजमगढ़) में श्री जयकरन हरिजन के घर डकैती

*61—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवाड़ी ग्राम में श्री जयकरन हरिजन के घर पर 12अप्रैल, 1972 की रात्रि में भीषण डकैती पड़ी और घर के व्यक्तियों को घायल कर लगभग 4,000 की सम्पत्ति डकैत लूट ले गये? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री जयकरन, निवासी ग्राम अवाड़ी, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर दिनांक 13–4–72 को इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दी कि दिनांक 12/13–4–72 की रात में 3 नामजद व 4 अज्ञात डाकुओं ने उनके घर पर डकैती डाली, लोगों को मारा पीटा और लगभग 1172 रु0 के मूल्य का सामान लूट ले गये।

इस रिपोर्ट पर थाने पर धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद तीन अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय को दी गयी। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

## उत्तर पदेश राजकीय हस्तकला के कर्मचारी

*62—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय हस्तकला में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी मैनेजर, विक्रेता, सहायक विक्रेता, पकर, स्टाक रेंजर, मारकर के पद पर दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 तक काम कर रहे थे और क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा न होते हुए भी सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवा पृथक कर दिया है? यदि हां, तो पृथक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

15–12–71 के पहले राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला में कुल 173 कर्मचारी कार्यरत थे। उनमें से 6 कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे जिनमें एक कर्मचारी तृतीय श्रेणी का था तथा पांच चतुर्थ श्रेणी के थे। उक्त संख्या 15–12–71 को निर्यात निगम को हस्तान्तरित कर दी गई। संस्था के किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया गया है क्योंकि जिन अस्थायी कर्मचारियों को एक माह का सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया उन्हें निगम ने नोटिस दिये जाने के तुरन्त बाद अपनी सेवा में ले लिया।

*63—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 102 के अन्तर्गत उत्तरित]

## जौनपुर जनपद के मुंगरा बादशाहपुर तथा सुजान गंज में डकैतियां व हत्याएं

*64—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर जनपद में मुंगरा बादशाहपुर तथा सुजानगंज थानों में जनवरी, 1972 ई० से लेकर दिनांक 19 अप्रैल, 1972 तक कितनी कहां और किनके यहां डकैतियां पड़ीं तथा कितनी और कितनी हत्यायें हुईं, कितने और कौन अभियुक्त गिरफ्तार हैं और कितने और कौन अभियुक्त फरार हैं अभियुक्तों का पता क्या है? सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1045–1050 पर)

## थाना मुगराबाद–घाटपुर (जौनपुर) मे श्री राम जमन के घर डकैती

*65—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत थाना मुंगरा बादशाहपुर के दानेसंकरा गांव में श्री राम जमन के यहां 14/15 अप्रैल, 1972 की रात में एक भीषण डकैती पड़ी जिसमें 25,000 रु० पच्चीस हजार की सम्पत्ति लूटी गई और अनेक ग्रामीणों को मार कर घायल कर दिया? क्या गृह स्वामी ने डकैतों को पहचाना है और नामांकित किया है? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई, कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं तथा कितने फरार हैं, अभियुक्तों का पता क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम दानेसकरा, थाना मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के राम जयन नामक व्यक्ति के घर में दिनांक 14/15–4–72 की रात में करीब साढ़े बारह बजे उन्हीं के ग्राम के लाल बहादुर पासी पुत्र रामसुमेर पासी, रामजस, राम जग, राम बक्स पुत्र गण फागू और भूपेन्द्र पुत्र राम बक्स तथा 10/11 अन्य लोग जिन्हें देख कर पहचाना जा सकता बताया गया, द्वारा डाका डाले जाने तथा कुछ लोगों को चोटें पहुंचाये जाने की सूचना थाना मुंगरा बादशाहपुर पर दिनांक 15–4–72 को प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाने पर धारा 395/397, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से रिपोर्ट झूठी पाई गई। अतः मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

## जिला सीतापुर, थाना बिसवां के ग्राम में डकैती

*66—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर थाना बिसवां के ग्राम बहाराखेरा मजरा वृन्दावन में डकैतों ने दिनांक 11 मार्च, 1972 को रात में 10 व 11 घरों को लूटा जिनमें डकैतों की रिपोर्ट केवल एक ही व्यक्ति की लिखी गई? यदि हां, तो शेष लोगों की रिपोर्ट न लिखे जाने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 11–3–72 की रात में थाना बिसवां के अन्तर्गत ग्राम बहाराखेरा में 10–12 घरों के लूटे जाने की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं प्राप्त हुई। श्री गंगू निवासी ग्राम बहाराखेरा मजरा वृन्दाबन ने दिनांक 10-3-72 को थाना बिसवां पर यह सूचना दी कि दिनांक 9/10-3-72 की रात में तीन नामांकित एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके तथा चार अन्य व्यक्तियों के यहां डकैती डाली। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अधीन कायम किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से यह विदित

हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित पांच व्यक्तियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति के घर में भी डकैती पड़ी ।

उक्त घटना क्रम में डकैतों का गिरोह एक ही था तथा एक ही घटना क्रम में एक के बाद एक करके छः घर लूटे गये जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और प्राप्त सूचना रिपोर्ट में लगभग सभी घरों में पड़ी डकैती की सूचना दी हुई थी अतः अलग-अलग घटनायें न दिखलाकर तथा अलग-अलग मुकद्दमे कायम न करके केवल एक मुकदमा कायम किया गया ।

## श्री गनेश प्रसाद, हसेपुर, थाना तालगांव, जिला सीतापुर का प्रार्थना-पत्र

*67—श्री राम लाल राही—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1971 को गनेश प्रसाद, निवासी हसेपुर, थाना तालगांव, जिला सीतापुर ने एक रिपोर्ट थाना हाजा में अपने छोटे भाई वेदनाथ को कुछ व्यक्तियों द्वारा गायब किये जाने की लिखाई गई थी? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक इस घटना के सम्बन्ध में जांच न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या गृह-मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वेदनाथ अब भी गायब हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री गनेश प्रसाद निवासी ग्राम हसेपुर थाना तालगांव जिला सीतापुर ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को सम्बोधित एक प्रार्थनापत्र दिनांक 16-12-71 पुलिस कार्यालय सीतापुर में दिनांक 15-2-72 को क्षेत्राधिकारी बिसवां के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अमुक व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के भाई वेदनाथ को गायब किये जाने का उल्लेख था । इस प्रार्थना-पत्र पर एक मुकदमा धारा 364 भारतीय दण्ड विधान का क्षेत्राधिकारी, बिसवां के आदेश से कायम किया गया और विवेचना की जा रही है । वेदनाथ का अभी तक पता नहीं लग सका है ।

## छटनी शुदा सहायक विकास अधिकारियों का परीक्षाफल

*68—श्री रघुनाथ सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1956 से 1962 तक तदर्थ समिति द्वारा चुनाव के आधार पर नियुक्त जिन भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) को 1968 में छंटनी कर दिया गया था, को उद्योग विभाग द्वारा नियमित छंटनी शुदा कर्मचारी घोषित किया था और क्या उच्च न्यायालय द्वारा भी फरवरी, 1971 में शासन की अपील रद्द कर इन्हें नियमित छंटनी शुदा कर्मचारी घोषित कर लोक सेवा आयोग को उसके द्वारा रोके गये परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो उन परिणामों को क्यों घोषित नहीं किया गया और इन्हें कब तक घोषित कर दिया जावेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उच्च न्यायालय ने जिन दो छटनी शुदा सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) के परिणाम घोषित किये जाने का आदेश दिया था, उनके परीक्षाफल घोषित कर दिये गये हैं ।

*69—श्री गया प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## भूतपूर्व थानाध्यक्ष धर्मवीर सिंह, ढाका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*70—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्मवीर सिंह ढाका भूतपूर्व थानाध्यक्ष, सम्भल के विरुद्ध रिश्वत व अनियमितताओं सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के वर्ष 1971-72 में प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1971–72 में प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा प्रदेश के गृह मन्त्री को सम्बोधित चार शिकायती पत्र (6–1–72, 12–1–72, 21–1–72, 22–2–72) प्राप्त हुए जिनमें थाना सम्भल (मुरादाबाद) के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह ढाका के विरुद्ध रिश्वत लेने आदि के आरोप थे। 12–1–72, 21–1–72 तथा 22–2–72 के शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोप सत्य नहीं पाये गये। 6–1–72 के शिकायती पत्र पर जांच अभी जारी है।

## थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में श्री मदन लाल पर गोली चलाना

*71—श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 17/18, अगस्त, 1971 की दरमियानी रात को एक व्यक्ति श्री मदन लाल को मारने की नियत से किसी ने जो तीन गोलियां बन्दूक से चलाई थी जिस घटना की रिपोर्ट थाना पुरकाजी में भी दर्ज है? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18–8–71 को थाना पुरकाजी पर वादी श्री कश्मीरी लाल ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह और उसके भाई रसाराम व मदनलाल अपने फार्म बढ़ोवाला पर सो रहे थे। 17/18–8–71 को दरमियानी रात को दो सरदार व एक मोने व्यक्ति ने उन पर फायर किये जिससे मदनलाल घायल हो गये। इस पर एक अभियोग धारा 307 भा0द0वि0 के अधीन कायम हुआ जिसकी जांच की गयी। जांच से अभियुक्तों का कोई पता नहीं चला। अतः 23–12–71 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर जांच समाप्त कर दी गयी।

## जिला आजमगढ़ के थानों में डकैतियां, कत्ल, बल्वे तथा राहजनी की घटनायें

*72—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में किन-किन थानों के अन्तर्गत अलग-अलग कुल कितनी डकैतियां, कत्ल, बल्वे तथा राहजनी की घटनायें हुई हैं? क्या सरकार आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बढ़ते हुए अपराधों के रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो वह किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में प्राप्त डकैती, कत्ल, बल्वे तथा राहजनी की रिपोर्ट का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

अपराधों की रोकथाम के लिये दिन व रात में सशस्त्र पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा है। उन जगहों पर जहां झगड़ा होने की आशंका होती है सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। बदमाशों के विरुद्ध धारा 109 और 110 जाब्ता फौजदारी तथा गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जो बदमाश आर्म्स ऐक्ट और आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अपराधों के दोषी पाए गए उनके विरुद्ध उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1051 पर)

## ग्राम रामापुर उन्नाव निवासी श्री दीवान के घर डकैती

*73—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिवान पुत्र पनई, निवासी ग्राम रामापुर, मजरा महनौरा, थाना असोहा, जिला उन्नाव के घर 26/27 नवम्बर, 1971 में डकैती पड़ी थी और उसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही अब तक अमल में लाई गई और क्या यह सही है कि इसी सम्बन्ध में दिनांक 29 दिसम्बर, 1971 को मुख्य मन्त्री डी0 आई0 जी0 व कप्तान पुलिस, उन्नाव को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया गया था कि पुलिस डकैतों की जांच करने में कोताही कर रही है? उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 27-11-71 को ग्राम रामापुर मजरा महनौरा थाना असोहा जिला उन्नाव के निवासी श्री दीवान ने थाना असोहा पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 26/27-11-71 की रात को तीन नामांकित तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनके घर में डकैती डाली। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त मामले में विवेचना अभी जारी है।

प्रार्थी का एक प्रार्थना-पत्र उप-पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त डकैती के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने आदि की शिकायतें की गई थीं। इसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की थी। उनकी जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

*74—श्री हरिवंश सहाय—

[11वें सोमवार के प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*75—श्री गया प्रसाद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

## बहराइच जिले के कोतवाली थाना के अन्तर्गत हाजी रजाक की मृत्यु

*76—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के कोतवाली थाना के अन्तर्गत हाजी रजाक नामक व्यक्ति की जो कि ग्राम गोबरहा, थाना कोतवाली जिला बहराइच में मार्च, 1972 में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी? इस मृत्यु का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 18-4-72 को श्रीमती जायदानी से उनके पति हाजी रजाक निवासी, ग्राम गोबरहा थाना कोतवाली जिला बहराइच की मृत्यु के बारे में थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली में धारा 302/328/342 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। एस0 डी0 एम0 कैसरगंज के आदेश से हाजी रजाक की लाश कब्र से निकाली गई तथा उसका पोस्ट मार्टम कराया गया। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कोई कारण निश्चित नहीं हो सका अतः विसरा सुरक्षित रखा गया जो रासायनिक परीक्षक आगरा को विश्लेषण हेतु भेजा गया है। विसरा के परीक्षण का परिणाम ज्ञात होने पर जांच पूरी की जायगी।

*77—श्री बासुदेव सिंह वैद्य—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## जसपुर, नैनीताल के श्री सुन्दर लाल लोहार के घर अवैध शस्त्रों का कारखाना

*78—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस ने जसपुर नैनीताल के श्री सुन्दर लाल लोहार के मकान पर हाल में छापा मार कर अवैध शस्त्र बनाने के कारखाने का पता लगाया है ? यदि हां, तो पुलिस ने वहां से कौन-कौन से अवैध शस्त्र तथा शस्त्रों के पुज प्राप्त किये हैं तथा श्री सुन्दर लाल और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। प्राप्त किये गये अवैध शस्त्र तथा शस्त्रों के पुर्जों की सूची संलग्न है। श्री सुन्दर लाल के तीन पुत्रों ओम प्रकाश, राज बहादुर व राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। श्री सुन्दर लाल को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वे मौके पर मौजूद नहीं थे और न तो उपर्युक्त अभियोग में फंसे हुए पाये गये।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1052 पर)

*79—श्री बनारसी राम—

[7वें सोमवार में प्रश्न संख्या 104 पर उत्तरित]

## यू० पी० सैनिक स्कूल को छात्रवृत्ति के लिए धनराशि

*80—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० सैनिक स्कूल, लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ? क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त छात्र वृत्तियों को देने का आधार क्या है और वह किस प्राथमिकता के अनुसार कितनी-कितनी धनराशि को दी जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यू० पी० सैनिक स्कूल लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

*81—श्री दुर्जन—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 105 के अन्तर्गत उत्तरित]

## मंत्रियों के निजी सचिवों का लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव

*82—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० सिविल सचिवालय में मन्त्रियों के निजी सचिवों का पिछला चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा कब हुआ था तथा निजी सचिव ग्रेड (1) व ग्रेड (2) के कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हैं और कब से उन स्थायी पदों को भरने के लिये तथा अस्थायी पदों पर काम करने हेतु अनुमोदित कराने के लिये आयोग द्वारा चुनाव सरकार अब कब करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में मन्त्रियों के निजी सचिवों का पिछला चयन लोक सेवा आयोग द्वारा सितम्बर, 1963 में हुआ था। इस समय निजी सचिव (ग्रेड—1) तथा निजी सचिव (ग्रेड—2) के नये संवर्ग बनाये जाने के कारण सभी पद अस्थायी हैं। इन पदों के सम्बन्ध में सेवा नियम बनाये जा रहे हैं जिनके पूर्ण हो जाने पर इन पदों पर स्थायी व अस्थायी नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा शीघ्र चयन कराया जायगा। निजी सचिव (ग्रेड—1) के पदों के सेव नियमों के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है तथा निजी सचिव (ग्रेड—2) के पदों के सेवा-नियमों का आलेख्य लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति के लिये भेजा जा रहा है।

*83—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—
[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*84—श्री गोविन्द सिंह नेगी—
[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 107 के अन्तर्गत उत्तरित]

## नागरिक सुरक्षा निदेशालय में नियुक्तियां तथा जीपों का इस्तेमाल

*85—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार का ध्यान मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के पैरा 52 की ओर गया है? यदि हां, तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय में कितने ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं? यदि हां, तो इसे सुधारने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

नागरिक सुरक्षा राज्य मन्त्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

नागरिक सुरक्षा निदेशालय में केवल दो आशुलिपिकों की नियुक्तियां की गई हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं। ये नियुक्तियां मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के पैरा 52 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार ही की गई है। इसे सुधारने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*86—श्री बांकेलाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिद्वार एवं मुगलसराय के सुरक्षा संगठन के लिये स्वीकृत जीपों का इस्तेमाल निदेशालय, लखनऊ में किया जा रहा है? यदि हां, तो यह किसके आदेश पर वहां से मंगाई गई और वहां का कार्य किस प्रकार हो रहा है?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

हरिद्वार एवं मुगलसराय के नागरिक सुरक्षा संगठन के लिये स्वीकृत जीपों को वहां पर आवश्यकता न रहने के कारण रिजर्व के तौर पर रखने के लिये नागरिक सुरक्षा निदेशालय में मंगा लिया गया है और इनका इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय में किया जाता रहा है। ये जीपें निदेशक, नागरिक सुरक्षा के आदेश पर मंगाई गई हैं। इन दो शहरों में नागरिक सुरक्षा कार्य के लिये उपलब्ध मोटर सायकिलों द्वारा वहां का कार्य हो रहा है।

## इलाहाबाद न्यायालय में डी० जी० सी० के रिक्त पद हेतु आवेदन-पत्र

*87—श्री रमापति त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिला न्यायालय में डी0 जी0 सी0 रेवन्यू का पद कितने दिन से रिक्त है तो क्या न्याय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त के सम्बन्ध में दिये गये पद हेतु इलाहाबाद के जिला अधिकारी व जिलाधीश द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे? तथा आज तक इस पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं?

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

डी0 जी0 सी0 (माल—3), इलाहाबाद का पद नवम्बर, 1971 में रिक्त हुआ। इस पर नियुक्ति के लिये जिलाधिकारी ने प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करने के पश्चात् अपनी संस्तुति शासन को भेजी जो 25 नवम्बर, 1971 को प्राप्त हुई। इसके साथ अभ्यर्थियों के बारे में परगनाधिकारी तथा न्यायिक अधिकारियों की राय की प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई थीं जिनको नियुक्ति का निर्णय करने के पहले देखना आवश्यक था। इसलिये वे मांगी गयी और साथ ही साथ अभ्यर्थियों द्वारा किये गये 2 वर्ष के माल के मुकदमों की संख्या भी मांगी गयी। यह सूचना तथा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल की रिपोर्ट, जो मांगी गई थी, के आने पर नियुक्ति के आदेश कर दिये गये।

*88—श्री रमापति त्रिपाठी—

क्या न्याय मन्त्री बतलायेंगे कि इलाहाबाद जिला-जज एवं जिला अधिकारी द्वारा मांगे गये प्रार्थना-पत्र की अवधि समाप्ति के बाद उक्त पद पर नियुक्त हेतु कोई प्रार्थना-पत्र न्याय-मन्त्री के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर मन्त्री जी ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी से तत्काल रिपोर्ट भेजने को कहा था ? यदि हां, तो क्यों तथा रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। श्री दुर्गा प्रसाद जायसवाल ने शासन को सीधे प्रार्थना-पत्र भेजा। उससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने जिला अधिकारी को अपना प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया था। शासन ने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी एवं जिला जज की राय के लिये भेजा। जिलाधिकारी की राय फरवरी 24, 1972 को प्राप्त हुई थी।

## सुल्तानपुर जिले के थाना जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना के पुलिस अधिकारी

*89—श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले के थाना जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना में क्या कोई ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जिनको एक ही स्थान पर 5 या 5 से अधिक वर्षों से सेवा करते हुए हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक कांस्टेबिल को छोड़कर थाना जगदीशपुर तथा मुसाफिरखाना में कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी (सब-इंस्पेक्टर, हैड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल) नहीं है जिसे एक ही स्थान पर पांच वर्ष या अधिक समय हो गया हो। कांस्टेबिलों के लिये तैनाती की अवधि निर्धारित नहीं है अतः इस आधार पर स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

## श्री राम औतार के कत्ल के सम्बन्ध में थाना अध्यक्ष, सचेंडी, जिला कानपुर के विरुद्ध कार्यवाही

*90—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 4 अप्रैल, 1971 को ग्राम जमुई थाना सचेंडी, जिला कानपुर में हुए श्री राम औतार के कत्ल के मुकदमें का विद्वान न्यायाधीश, कानपुर ने निर्णय देते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष, सचेंडी की विवेचना कार्य को झूठा ठहराते हुए उनके आचरण की कड़ी आलोचना करने के साथ उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही किये जाने को पुलिस उप महानिरीक्षक के कानपुर परिक्षेत्र को लिखा है ? यदि हां, तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। मामले में पारित अवक्षेमों पर पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा 500 के अन्तर्गत जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर मामले में यथोचित कार्यवाही की जायगी।

## पिथौरागढ़ के बेरीनाग राजकीय गर्ल्स स्कूल की इमारत

*91—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ के बेरीनाग राजकीय गर्ल्स स्कूल की इमारत के निर्माण के लिये कई वर्षों से स्थानीय जनता की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। चूंकि स्कूल के लिये स्थायी भवनों के निर्माणार्थ बड़ी उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, अतः जिस भूमि में स्कूल इस समय चल रहा है उसी भूमि में कुछ अस्थायी शैड्स का तुरन्त निर्माण करने के विषय पर शासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

## शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में मूर्तियों की चोरी

*92—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद नगर में अप्रैल, 1972 में जैन मन्दिर से पवित्र मूर्तियों की चोरी हो गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वहां की पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद नगर में जैन मन्दिर से दिनांक 9/10-4-72 की रात मूर्तियों आदि की चोरी हो जाने की सूचना दिनांक 10/4/72 को पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना शिकोहाबाद में भा० द० वि० की धारा 457 के अन्तर्गत एक अपराध अंकित हुआ। विवेचना के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ कर जेल भेजा गया। पुलिस का एक विशेष दल तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारी मूर्तियों तथा अन्य अपराधियों की खोज के लिये प्रयत्नशील है। क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ने मौके का निरीक्षण भी किया।

## तहसील फरेन्दा के ग्रामों का गोरखपुर की तहसील में मिलाया जाना

*93—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील फरेंदा के कौन-कौन से गांव जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज, थाना महाराजगंज में शामिल है, कौन-कौन गांव, थाना महराजगंज से तहसील फरेंदा के थाना पुरन्दरपुर में मिला दिये तथा अवशेष को थाना पुरन्दरपुर में मिला देने में सरकार को क्या कठिनाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तहसील फरेंदा के संलग्न सूची में उल्लिखित 14 ग्राम तहसील महराजगंज के थाना महराजगंज में शामिल थे। इनको 3-9-71 को शासकीय विज्ञप्ति द्वारा तहसील फरेंदा के थाना पुरन्दरपुर में मिला दिया गया है। तहसील फरेंदा के शेष दो ग्राम रानीपुर तथा दशरथपुर को थाना महराजगंज से हटा कर थाना पुरन्दरपुर में मिलाये जाने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1053 पर)

## जनपद सुल्तानपुर, थाना लम्भुआ के ग्राम में श्री अब्दुल रसीद खां के घर डकैती

*94—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद सुल्तानपुर, थाना लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम टीड़ी का पुरवा तथा भौवरिया के दो धनी व्यक्तियों श्री अब्दुल गफूर तथा एक ग्राम प्रधान के यहां एक ही रात में डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं ने 6 लाख की सम्पत्ति लूटी? यदि हां, तो शासन द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और उक्त ग्रामों की जनता की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 10–4–72 को अब्दुल गफूर नहीं बल्कि श्री अब्दुल रसीद खां निवासी ग्राम छतारी (टीडी का पुरवा) मजरे धोबरियार थाना लम्बुआ, जिला सुल्तानपुर ने थाना लम्बुआ पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 9/10-4-72 की रात में लगभग 12 बजे 10/12 सशस्त्र डाकुओं ने उसके घर पर हमला किया और डरा–धमका कर सामान तथा जेवरात लूट ले गये। वादी ने यह भी लिखा था कि कुछ देर बाद उसे पता चला कि श्री शम्भूनाथ तिवारी ग्राम प्रधान धोवरियार के यहां भी डाकुओं ने लूट पाट की है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना लम्बुआ पर धारा 395/307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुया और उसी दि ा जां ा शुरू की गई।

जिले से प्राप्त सूचना के अ ुसार वादी तथा ग्राम प्रधान की लूटी गयी सम्पत्ति की कीमत लगभग 7922 रुपये है।

उक्त मुकदमें की जांच से 11 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। जांच जारी है।

ग्राम धोवरियार तथा आसपास के गांवों में रात के समय पहरे के लिये ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। एक सशस्त्र गारद को रात में गश्त के लिये लगा दी गई है।

## थाना मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में दर्ज हत्याओं की जांच

*95—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 1 जनवरी, 1970 से 21 फरवरी, *1972 तक की अवधि में थाना मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में हत्या के अपराधों में दर्ज किये गये कुल 6 हत्याओं में जिन 4 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई उसके क्या कारण थे और जिस 1 मामले में जांच जारी थी उसमें अब तक क्या प्रगति हुई तथा 21 फरवरी, 1972 से अब तक उक्त थाने में कितनी हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई तथा उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में दिनांक 1 जनवरी, 1970 से 21 फरवरी, 1972 की अवधि में दर्ज किये गये हत्या के मुकदमों में से चार में निम्नलिखित कारणों से फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी—

दो मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्टों में कोई अभियुक्त नामजद नहीं किया गया था तथा जांच से भी अभियुक्तों का पता नहीं लग पाया।

एक मुकदमें में एक स्त्री अभियुक्त थी जो बच्चा लेकर नदी में कूद गई और मर गई। शेष एक मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामांकित नहीं किया गया था। इसकी जांच के दौरान चार अभियुक्त गिरफ्तार किये गए थे किन्तु गवाहों द्वारा उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई।

दिनांक 1–1–70 से 21–2–72 की अवधि में कायम हुए हत्या के लिये एक मुकदमें की जांच जारी थी उसमें अब भी जांच जारी है।

दिनांक 21–2–72 से 15–7–72 तक थाना मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में हत्या का केवल एक मुकदमा 28–5–72 को दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

*96—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## ग्राम कठघरिया (नैनीताल) में बाबा हैड़ाखान के गिरोह की जांच

*97—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 1972 को नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के क्रम पर क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-4-1971 के प्रार्थना-पत्र में जिन तथ्यों का सारांश संलग्न किया गया है क्या इन तथ्यों की जांच सी० आई० डी० द्वारा भी की गई थी ? यदि हां, तो सी० आई० डी० की रिपोर्ट क्या है और इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच अभी अपूर्ण है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*98—श्री विश्वनाथ कपूर—

[9वें सोमवार के प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत उत्तरित]

*99—100—श्री दल सिंगार यादव—

[11वें सोमवार के प्रश्न सख्या 37-38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## रूद्रपुर पब्लिक कैरियर की ट्रक द्वारा माल गायब किया जाना

*101—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रुद्रपुर पब्लिक कैरियर यूनियन रुद्रपुर, जिला नैनीताल और रुद्रपुर के व्यापारियों के बीच एक ट्रक यू० एस० ए० 8377 तथा यू० पी० वाई० 1219 द्वारा व्यापारियों का माल गायब किये जाने तथा बरबाद किये जाने के कारण रुद्रपुर मण्डी का सारा काम दिनांक 10 अप्रैल, 1972 से ठप है और दोनों वर्गों में भयंकर तनाव की स्थिति है जिससे किसी भी समय अप्रत्याशित घटना होने की संभावना है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति पर काबू रखने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## ग्राम जठौला (अलीगढ़) निवासी श्री चन्दन सिंह का पीटा जाना

*102—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 21-3-1972 को थाना हरदुआगंज (अलीगढ़) में जठौला ग्राम माजरा माछुआ के चंदन जाटव को लाठी, फर्से, बल्लमों से बुरी तरह घायल करके मारा जिसकी रिपोर्ट 21-3-1972 को नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त थाने में की लेकिन आज तक नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जठोला एच०ओ० माछुआ थाना हरदुआगंज निवासी श्री चन्दन सिंह को लाठी बल्लम इत्यादि से मारे पीटे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20-3-72 को थाना हरदुआगंज पर पांच नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की काफी कोशिश की गई परन्तु हाथ नहीं आ सके और कार्यवाही धारा 87/88 जा० फो० की रिपोर्ट दी गई। सभी अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तारी न हो सकने में किसी का दोष नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## कानपुर जिले के महाराजपुर के थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराना तथा शमीम तथा शाहनाज का बयान

*103—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना महाराजपुर के थानाध्यक्ष नवलकिशोर सिंह ने दिनांक 16-9-1971 को सरदार कुलदीप सिंह व गोपाल-कृष्ण आदि के विरुद्ध थाना महाराजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

*104—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में स्टेट बनाम गोपाल कृष्ण में धारा 164 आर० पी० सी० का के० एन० राय, एस० डी० एम०, अकबरपुर के यहां मुसम्मात शमीम एवं शाह-नाज का बयान हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मुकदमें में सी० ओ० की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई यदि हां, तो सी० ओ० की जांच रिपोर्ट क्या है और उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज कराने के अपराध में क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्टेट बनाम गोपाल कृष्ण में धारा 164 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत मुसम्मात शमीम व शहनाज का बयान एस० डी० एम०, अकबरपुर के न्यायालय में हुआ था । मुकदमें में सी० ओ० की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लागाई गई । थानाध्यक्ष श्री नवलकिशोर सिंह को थानाध्यक्ष के पद से हटा कर कन्ट्रोल रूप में द्वितीय अफसर के रूप में स्थानान्तरित किया गया ।

## थानाध्यक्ष मालथोन, जिला सागर द्वारा ट्रक ड्राइवर को पीटना

*105—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार गुहवाल सिंह (थानेदार थाना मालथोन, जिला सागर) में 15-4-1973 को वन निकासी बेरियर गोना थाना नरहट, जिला झांसी पर आकर ट्रक नं० 87 यू० पी० आई० के ड्राइवर श्री अहमद खां को बहुत मारा पीटा और रेंज चौकी में घुस कर सरकारी वन विभाग की रवन्ना बुक फाड़ डाली और महसूल का, कैश का नोट फाड़ कर फेंक दिया तथा ट्रक को जबरदस्ती सिपाहियों की ताकत पर मालथोन थाना भगा ले गया जिसकी रिपोर्ट श्री अहमद खां ड्राइवर तथा रेंज अधिकारी गौना जिला झांसी ने थाना नारहट, जिला झांसी में रिपोर्ट लिखाई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रेंजर गोना, थाना नारहट, जिला झांसी ने थानाध्यक्ष नारहट को दिनांक 15/16-4-72 की रात में एक इस आशय का प्रार्थना-पत्र भेजा कि गोना बेरियर के चौकीदार द्वारा रिपोर्ट की गई है कि 15-4-72 को शाम को तारीख 7 बजे पत्थर धर कर अगहरा घाट की ओर से गोना बैरियर पर ट्रक नं० यू० पी०आई० 87 आई जब ट्रक का ड्राइवर ट्रीजिट फीस देने के बाद रवन्ना ले रहा था तो एक सरदार जी को अपने को थानाध्यक्ष मालधोन बता रहे थे बेरियर चौकी के भीतर घुस आए व चौकीदार से बेरियर का एक मास पुराना रेकार्ड मांगा । चौकीदार द्वारा उच्चाधिकारियों की आज्ञा बिना रिकार्ड दिये जाने में असमर्थता प्रकट करने पर उक्त व्यक्ति ने जबरन चौकीदार से रिकार्ड छीनने की कोशिश की जिसके फलस्वरूप बंधी के 4 पृष्ठ तथा ड्राइवर द्वारा फीस क रूप मे दिया गया दो रुपये का नोट फट गये । बाद में उक्त सरदार जी उपरोक्त ट्रक को स्वयं मंगाकर अगहार घाटी की ओर ले गये ।

दिनांक 16-4-72 को थानाध्यक्ष, नारहट ने इस प्रार्थना-पत्र की जांच की जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रक को थानाध्यक्ष मालथोन मध्य प्रदेश श्री जी0 एस0 गिरवाल ने कब्जे में लिया था और मध्य प्रदेश ले गये थे। जांच से कंशियर चौकीदार के प्रति दुर्व्यवहार किये जाने और कागजात फाड़े जाने अदि की शिकायतें निराधार पाई गई। रेंजर की यिपोर्ट में ड्राइवर को पीटे जाने का कोई जिक्र नहीं था और ट्रक ड्राइवर ने भी थाना नारहट में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा ट्रक कब्जे में लिये जाने के मामले से इस प्रदेश की सरकार सम्बन्धित नहीं है।

## जाली वारेन्ट

*106—श्री राम दुलारे मिश्र, (जिला कानपुर), श्री शिव लाल (जिला कानपुर) तथा श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मार्च, अप्रैल, 1972 के बीच कानपुर जिले के सचेंडी थाना के (पुलिस स्टेशन) धरमंगदपुर के प्रमुख नागरिक जन सेवक और धरमंगदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री गयादीन त्रिपाठी तथा सचेण्डी के प्रमुख जन सेवक श्री प्रेम शंकर पाण्डे के नाम धारा 395 के अन्तर्गत डकैती डालने संबंधी फर्जी वारण्ड आये जो जिलाधीश (न्याय) एटा के हस्ताक्षर और अदालती मोहर युक्त थे साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रारम्भिक कार्यवाही भी की गई? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एटा के अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) का कोई आदेश ज्येष्ठ अधीक्षक, कानपुर के नाम उक्त फर्जी वारण्ट से संबंधी प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कानपुर जिले के संचेंडी थाने के अन्तर्गत धरमंगदपुर निवासी श्री गयादीन तथा संचेंडी निवासी श्री प्रेम शंकर पाण्डे के नाम एक वारण्ट गिरफ्तारी अपराध अन्तर्गत धारा 395/397 भा0दं0वि0 डाक द्वारा प्राप्त हुआ था जिस पर ए0डी0एम0 (जे0) एटा के न्यायालय की मुहर थी। इस वारन्ट पर कोई कायवाही नहीं की गई तथा वारन्ट के जाली होने के सन्देह होने पर उसे जिला एटा वापस किया गया तथा बाद में इस वारन्ट के जाली होने के सन्देह की पुष्टि भी हो गई। जाली वारन्ट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा जांच पड़ताल की जायेगी।

## कर्ण प्रयाग, जिला चमोली के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के भवन एवं छात्रावास

*107—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र कर्ण प्रयाग, जनपद चमोली के कितने और किन-किन राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के भवन तथा छात्रावास निर्माण की वित्तीय वर्ष 1972-73 में योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली के कर्ण प्रयाग निर्वाचन क्षेत्र में स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के भवन तथा छात्रावास निर्माण की कोई योजना वित्तीय वर्ष 1972-73 में अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है।

## मैनपुरी उप पुलिस अधीक्षक थाना, बाबा सावन सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

*108—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बाबा सांवलदास, उप पुलिस अधीधक, जिला मैनपुरी जब मैनपुरी आने से पूर्व आगरा में थे तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप थे

जिसकी जांच सी0आई0डी0 कर रही थी और क्या यह भी सही है कि उक्त सी0आई0डी0 की जांच पूरी हो गई है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य तथ्यों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित पुलिस उपाधीक्षक का नाम श्री बाबा सांवल दास न होकर श्री बाबा सावन सिंह है। यह सही है कि उनके विरुद्ध आगरा/मैनपुरी जिले में तैनाती की अवधि का भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच सी०आई०डी0 द्वारा करायी गयी। सी0आई0डी0 की जांच पूरी हो गई है। सी0आई0डी0 की जांच के निष्कर्ष से पुलिस उपाधीक्षक बाबा सावन सिंह का आचरण इस मामले में संदिग्ध होना पाया गया। इसके अतिरिक्त 3 अधीनस्थ कर्मचारियों (सब-इन्सपेक्टर्स पुलिस) द्वारा इस मामले की विवेचना के संबंध में विभिन्न त्रुटियां किया जाना भी पाया गया। अग्रिम कार्यवाही शासन के विचारधीन है।

*109—श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

[9वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न 117 के अन्तर्गत उत्तरित]

## श्रमिकों को पुनरीक्षित वेतन का भुगतान

*110—श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1972 के दिनांक 30 मार्च, को (ख) के प्रश्न संख्या 21 व 22 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन सभी मिलों पर अभियोग क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर पुनरीक्षित दर पर वेतन का भुगतान नहीं दिया था ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

शासकीय अधिसूचना संख्या 10397 (एच0 आई0)/36, दिनांक 27-11-70के अनुसार श्रमिकों को पुनरीक्षित वेतन का भुगतान 1 नवम्बर, 1970 से आरम्भ होने वाली अवधि से देय था और उसका भुगतान दिसम्बर, 70 में किया जाना था। यह आदेश प्रतिष्ठानों में दिसम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह तक पहुंच सका। अतः माह नवम्बर, 1970 के वेतन के पुनरीक्षित वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

राज्य के 71 चीनी मिलों में से 70 प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को पुनरीक्षित दर से वेतन जनवरी, 71 से मिलने लगा था। अतः इस सम्बन्ध में अभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

मेसर्स विष्णु प्रताप सुगर मिल्स., खडडा में आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1970-71 का पिराई का मौसम विलम्ब से (दिनांक 27-2-71 मे) आरम्भ हुआ तथा दिनांक 3-7-71 से प्रतिष्ठान का प्रबन्ध चीनी निगम के अन्तर्गत ले लिया गया। श्रमिकों को उक्त तिथि (दिनांक 3-7-71) में से पुनरीक्षित दरों से वेतन दिया जाने लगा। उपरोक्त परिस्थिति में इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध भी कोई अभियोजन नहीं चलाया गया।

*111—श्री हरी सिंह बिष्ट—

[5वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या 80 पर उत्तरित]

*112—श्री राम मूर्ति 'अंचल' तथा श्री बसन्त लाल शर्मा—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 112 के अन्तर्गत उत्तरित]

## ए० डी० जी० सी० का रिक्त पद

*113—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बताएँगे कि देवरिया जिला में सह सरकारी वकील फौजदारी का स्थान गत तीन चार महीनों से खाली है तथा इसकी पूर्ति हेतु जिला जज व जिलाधिकारी, देवरिया ने अपनी संस्तुति सरकार को भेज दी है ? यदि हां, तो नियुक्ति न करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। ए०डी०जे०सी० (फौजदारी), देवरिया की नियुक्ति डी०जी०सी० (फौजदारी) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप ए०डी०जी०सी० (फौजदारी) का पद कुछ महीनों से रिक्त है। इस पर नियुक्ति की संस्तुति जिलाधिकारी ने शासन को फरवरी 12, 1972 को भेजी थी परन्तु इसके साथ अभ्यर्थियों के कार्य विवरण नहीं थे। इसलिये जिलाधिकारी को सब अभ्यर्थियों के पिछले तीन वर्षों के प्रमाणित कार्य विवरण भेजने के लिये मार्च 28, 1972 को कहा गया, कार्य विवरण प्राप्त हो गया है। नियुक्ति शासन के विचाराधीन है।

*114—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री राम सागर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*115—श्री सूबेदार प्रसाद—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 113 के अन्तर्गत उत्तरित]

*116—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सियाराम—

[12वें सोमवार के तारांकित प्रश्न 28 के अन्तगत स्थानान्तरित]

## ग्राम कपसेंठा, थाना देवगांव (जौनपुर) निवासी श्री सीताराम सिंह के घर डकैती

*117—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

विधान सभा की दिनांक 4 मई, 1972 के नत्थी (ङ) के प्रश्न संख्या 94 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो डाकू गिरफ्तार हुए हैं, जिसने आत्म समर्पण किया है तथा जो लोग फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिये कार्यवाही हो रही है उनके नाम तथा पते क्या हैं ? क्या उनकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस के अलावा भी अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 4-5-72 के नत्थी (ङ) के प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में 13 अभियुक्त प्रकाश में आये थे। इनमें से 4 गिरफ्तार हुये, 1 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया तथा 8 फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिये प्रयास जारी है। अभियुक्तों के नाम व पते संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1054.. पर)

## गन्ना फेडरेशन कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*118—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 121 के अनुसार गन्ना समितियों व गन्ना फडरेशन के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी तक न बनाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन की विज्ञप्ति दिनांक 21-1-1970 द्वारा गन्ना आयुक्त को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समितियों और उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी समिति संघ लि० के कर्मचारियों को उपलब्धियों, भरती, सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में सेवा नियमावली बनाने हेतु प्राधिकारी नियुक्त किया गया था। गन्ना आयुक्त ने मई, 1972 में सेवा नियावली तैयार करके शासन को भेज दी है। परन्तु इसी बीच मार्च, 1972 में उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा संस्थान मण्डल की स्थापना हो जाने के कारण गन्ना आयुक्त द्वारा बनाई गई नियमावली की वधानिक स्थिति जांची जा रही है। इस पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् नियमावली पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

## सहकारी गन्ना समिति, सकौती टांडा (मेरठ) में पर्चियां जारी करने में अनियमिततायें

*119—श्री नैपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी गन्नासमिति, सकौती टाण्डा, जिला मेरठ में दिनांक 18-7-72 ई० को गन्ना सप्लाई संबंधी अनियमितताओं के कारण श्री तेजपाल सिंह अवैतनिक मंत्री के विरुद्ध कोई मिजस्ट्रेट द्वारा जांच हुई? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, एस० डी० एम०, मेरठ की प्रारम्भिक जांच के अनुसार वर्ष 1970-71 में सहकारी गन्ना समिति, सकौती टांडा में कतिपय संचालकों के दबाव के फलस्वरूप पर्चियां जारी करने की अनिमिततायें प्रकाश में आईं जिसके लिये श्री तेजपाल सिंह, अवैतनिक मंत्री को पूर्णतः दोष मुक्त नहीं बताया गया है और इनकी सत्यनिष्ठा को भी संदेहजनक बताया गया है। अतः इनके विभागीय कार्यवाही करने के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

*120—श्री लालबहादुर सिंह—

[11वें मंगलवार के प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत उत्तरित]

*121—श्री के० एस० मोहरिया—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 115 पर उत्तरित]

*122—श्री राम दुलारे मिश्र—

[11वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत उत्तरित]

*123—श्री रामसिंह खन्ना, श्री सूबेदार सिंह तथा श्री शिवबक्ष सिंह राठौर—

[7वें सोमवार के प्रश्न संख्या 116 के अन्तर्गत उत्तरित]

## घाटों की नीलामी

*124—श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रथम सत्र, 1972 के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिन चार घाटों को नीलाम कराये गये हैं इन घाटों की चौहद्दी क्या है और प्रश्नकर्ता के पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिन चार घाटों का नीलाम कराया गया उनकी चौहद्दी इस प्रकार है :—

(1) गोलाघाट—उत्तर में चिमनियां, दक्षिण में घाघरा नदी, पूर्व में ब्योरी तथा पश्चिम में बिसरा।

(2) बड़हलगंज—उत्तर में कल्यानपुर, दक्षिण में घाघरा नदी, पूर्व में चिल्लूपार, तथा पश्चिम में जाईपार कोड़ारी।

(3) भैंसहाघाट—उत्तर में जगदीशपुर, दक्षिण में मेंडी, पूर्व में राप्ती नदी तथा पश्चिम में पश्चिम ताल बड़ेला।

(4) चन्दाघाट—उत्तर में राप्ती नदी, दक्षिण में मंलाव, पूर्व में रुदाइन उर्फ मझगांवा तथा पश्चिम में मंलाव।

प्रश्नकर्ता के पत्र की जांच भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के खान अधिकारी, श्री अखिलेश्वर सिंह द्वारा कराई गई थी।

## थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की पुलिस द्वारा कार ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार

*125—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई तार दिनांक 6 मई, सन् 1972 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि कार संख्या यू०एस०एफ० 850 को थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की पुलिस बलात बेगार में पकड़ ले गई है? यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को दिनांक 7-5-72 को श्री जगन्नाथ राव का तार इस आशय का प्राप्त हुआ था कि कस्बा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर से कार संख्या यू०एस०एफ० 850 को मड़ियाहूं थाने के दरोगा ने दिनांक 3-4-72 को 12 बजे रात से कहीं बेगार में जबरदस्ती भेज दिया है जिसका अभी तक पता नहीं चला है। इसी आशय का भी जगन्नाथ राव का एक तार पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को भी प्राप्त हुआ था। तार में अंकित आरोप की जांच पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

*126—श्री जगन्नाथ राव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तार यू० एस०एफ० 850 के ड्राइवर ने कोई लिखित रिपोर्ट एस० पी० जौनपुर को दी है कि उसके साथ दिनांक 3 मई को 12 बजे रात्रि में बड़ा अभद्र व्यवहार पुलिस ने किया यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार कार संख्या यू० एस० एफ० 850 के ड्राइवर ने दिनांक 3-5-72 को 12 बजे रात में पुलिस द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की कोई लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को नहीं दी है।

## भानपुर (फर्रुखाबाद) में घातक हमला तथा श्रीमती बेलमती की मृत्य

*127—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) तथा श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 24/25 फरवरी, 1972 की रात्रि को लगभग 8 बजे जिला फर्रुखाबाद के थाना छिबरामऊ के अन्तर्गत ग्राम भानपुर में कुछ अवांछनीय व्यक्तियों ने कांता, लाठी, कुल्हाड़ी, भाला से लैस होकर कठोरी राज कुमार, राम सेवक व श्रीमती बेलवती के घर का दरवाजा तोड़कर घुस गये तथा बुरी तरह से घायल किया जिसके फलस्वरूप गर्भवती श्रीमती बेलमती की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन पर क्या आरोप हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार भानपुर निवासी, श्री राज कुमार, पुत्र श्री रामदयाल ने तहरीरी रिपोर्ट दी कि सबश्री भारत, राजाराम, सूबेदार, मुरली आदि ने उसके मकान में घुसकर मारपीट की और चोटे पहुंचाई। इस पर थाना छिबरामऊ में 25-2-72 को अपराध सं० 69 ए धारा 147/148/323/324/452 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस रिपोर्ट में श्रीमती बेलमती को चोटें आने का उल्लेख नहीं था। श्रीमती बेलमती की मृत्यु की सूचना पर बाद में यह अपराध धारा 304 भा०दं० व० में तरमीम किया गया। इस घटना के सिलसिले में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 15 व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

*128—डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

[9वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत उत्तरित]

## सचिवालय में टाइपिस्टों के रिक्त स्थायी पद

*129—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कई वर्षों से टाइपिस्टों के 9 स्थायी पद रिक्त पड़े हुये हैं तथा सरकार ने 27 स्थायी पद इस वर्ष सृजित किये हैं ? यदि हां, तो इन स्थायी पदों पर अस्थायी टंककों को अब तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है तथा इन सभी स्थायी उपलब्ध पदों पर कब तक अस्थायी टाइपिस्ट स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल 6 स्थायी पद रिक्त हैं जिन्हें मौलिक रूप से भरा जा चुका है। शेष पदों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इन सभी पदों पर अस्थायी टाइपिस्टों को शीघ्र ही स्थायी कर दिया जायेगा।

## चीनी मिलों द्वारा फार्मरों को गन्ना कीमत का भुगतान

*130—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष रामपुर, बाजपुर तथा काशीपुर चीनी मिलों से किन-किन फार्मरों को 10,000 से ऊपर के गन्ने की कीमत का भुगतान किया गया है या किया जाना है ? यह भी बताने की कृपा करें कि एक लाख तथा 25 लाख के बीच का भुगतान कितने फार्मरों को किया गया है या किया जाना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस वर्ष (सीजन 1971-72 में) रामपुर, बाजपुर तथा काशीपुर चीनी मिलों ने 10,000 रु० से ऊपर का गन्ने की कीमत का भुगतान क्रमशः 139, 321 तथा 153 कृषकों को किया है। उक्त चीनी मिलों ने एक लाख तथा 25 लाख रुपये के बीच क्रमशः 2, 5 तथा 5 कृषकों को किया है।

उक्त कथित दो प्रकार के भुगतान को पाने वाले कृषकों की मिलवार सूची सचिव, विधान सभा के कमरे में अवलोकनार्थ रख दी गई है।

## मंसूखपुर सहकारी गन्ना समिति, मुजफ्फरनगर में गबन

*131—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) सहकारी गन्ना समिति में जो 78 हजार रुपयों का गबन जाली पर्चों बनाकर सीजन 1971-72 में संचालक मण्डल एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया था उसमें संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस गबन में दोषी प्रतीत होने वाले 15 सीजनल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा समिति के स्थायी कर्मचारियों की इस गबन में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है ।

इस गबन की पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी गई है । जांच अभी जारी है ।

इस गबन के बारे में एक विशेष संपरीक्षा दल भी जांच कर रहा है । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर जब गबन का पूर्ण और सही विवरण प्रकाश में आयेगा तब सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

## गन्ना सोसाइटियों के अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी पदों पर नियुक्तियां

*132—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर तथा देहरादून की गन्ना सोसाइटियों के अस्थायी कर्मचारियों में से वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 तक कितने और किन व्यक्तियों की स्थायी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन व्यक्तियों की नियुक्तियां करते समय साधारण निम्न सेवा काल तथा निर्धारित योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला सहारनपुर व देहरादून की गन्ना सोसाइटियों को अस्थायी कर्मचारियों में से वर्ष 1970–71 में (तीन) सर्वश्री चन्द्रभान, राजेन्द्र प्रसाद डौड़ व इनामुल्ला खां तथा वर्ष 1971–72 में 2 (दो) सर्वश्री रफलसिंह व रंजीत सिंह नेगी को अस्थाई एवं तदर्थ रूप में लिपिक के स्थायी पदों पर नियुक्त किया गया था । इन सब की तदर्थ नियुक्तियां अब समाप्त कर दी गई हैं । उपरोक्त तदर्थ नियुक्तियां करते समय केवल निर्धारित योग्यता का ध्यान रखा गया था, निम्न सेवाकाल का नहीं ।

*133—श्री रामसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वेतन आयोग के विचाराधीन राजकीय सेवाओं के कर्मचारियों के साथ ही गन्ना सोसाइटियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अस्थायी (सीजनल) कर्मचारियों के वेतन भी विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

*134–135—श्री सूबेदार प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*136—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[13वें सोमवार के प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## हस्तकला कर्मचारी संघ की मांगे

*137—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनसे हस्तकला कर्मचारी संघ का कोई शिष्ट मन्डल दिनांक 25–4–1972 को उनके कक्ष में मिला था ? यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या मांगें थी ? शासन इस विषय पर क्या कर रहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मुख्य मंत्री के यहां कथित शिष्टमंडल की मुख्य मंत्री से भेट का कोई रिकार्ड नहीं है । संघ से पूछने पर ज्ञात हुआ है कि संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री जी से 25–4–72 को नहीं बल्कि 20–4–72 को मिला था ।

कर्मचारियों की मांगे संलग्न सूची में दी गई हैं। राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला में जो स्थायी पद रिक्त है उन पर कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है। हस्तकला का मुख्यालय लखनऊ से कानपुर नहीं हटाया गया है और न उसे हटाने का कोई प्रस्ताव है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1055 पर)

## विकास क्षेत्र थराली (चमोली) में चिकित्सालय न होना तथा ग्वालदम के कम्पाउन्डर का उच्चीकरण

*138—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र थराली में ग्राम धैस औस भानमती क्षेत्र से राजकीय चिकित्सालय कितनी दूरी पर स्थित है, और आज तक उक्त स्थानों में चिकित्सालय न खोले जाने के क्या कारण हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब इन स्थानों में कब तक चिकित्सालय खुल जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली के विकास क्षेत्र थराली में ग्राम धैस तथा मानमती क्षेत्रों से निकटतम राजकीय चिकित्सालय क्रमशः 15 व 16 मील की दूरी पर मंदोली तथा देवाल नामक स्थानों पर स्थित हैं। उक्त स्थानों पर अभी तक अस्पताल जिला परामर्श दात्री समिति की संस्तुति के अभाव में नहीं खोले जा सके। उक्त दोनों स्थानों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की संस्तुति जिला परामर्श दात्री समिति ने की है। समिति की संस्तुति पर विचार करके आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

*139—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के स्थान ग्वालदम के कम्पाउन्डर यूनिट का उच्चीकरण कब तक हो जायेगा? क्या इस संबंध में सिविल सर्जन, चमोली तथा जिला प्रशासन ने संस्तुति भी की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्थान ग्वालदम में स्थित कम्पाउन्डर यूनिट का वर्तमान वित्तीय वर्ष में उच्चीकरण करने का प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा पारित किया गया है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

## फर्रुखाबाद में रेल में चलने वाली पुलिस लाइन फतेहगढ़ गार्ड पर सफर खर्च

*140—श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री चन्द्र प्रतापनारायण सिंह तथा कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में रेल में चलने वाली पुलिस लाइन फतेहगढ़ की गार्ड के कर्मचारियों को कितना सफर खर्च वित्तीय वर्ष 1971-72 में दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला फर्रुखाबाद में रेल में चलने वाली पुलिस लाइन फतेहगढ़ की गार्ड के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1971-72 में कुल 2,500 रु० 85 पैसे सफर खर्च दिया गया।

## अतारांकित प्रश्न

1—श्री शमीम आलम—

[13वें सोमवार के प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

2—श्री शमीम आलम—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## थाना सजेती (कानपुर) में डकैती, राहजनी तथा कत्ल की घटनायें

3—श्री ज्वला प्रसाद कुरील, श्री राम दुलारे मिश्र, श्री राम लाल राही, श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री राम मूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर, थाना सजेती क्षेत्र में जुलाई, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक डकैती, राहजनी तथा कत्ल की कितनी घटनायें घटीं। इन घटनाओं में से कितनी घटनाओं पर कार्यवाही करने में पुलिस सफल हुई तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 1056 पर)

4—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## एस० ओ० एस० आई० प्रदेश की पुलिस में अनुसूचित जातियों का संरक्षण

5—श्री सियाराम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न 1 दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के उत्तर से संबंधित एस० ओ० एस० आई० प्रदेश पुलिस में अनुसूचित जाति का अब तक संरक्षण 18 प्रतिशत के स्थान पर 4.5 प्रतिशत है तो 18 प्रतिशत का शेष 13.5 प्रतिशत सरकार अनुसूचित जाति का संरक्षण कब तक पूरा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक संरक्षण केवल उन्हीं पदों के लिये होता है, जिनके लिये सीधी भर्ती की जाती है अथवा जिन पर प्रोन्नति के लिये सीमित प्रतियोगात्मक परीक्षा होती है। थानाध्यक्ष का पद उप निरीक्षक के समान स्तर का ही माना जाता है और उस पद पर नियुक्ति प्रोन्नति नहीं मानी जाती है। अतः संरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

## जिला औद्योगिक संस्थान, लखनऊ के सेमीनार के सम्बन्ध में अध्यक्षों व प्रधानाचार्यों को भत्ता

6—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला औद्योगिक संस्थान के अध्यक्षों व प्रधानाचार्यों का सेमिनार लखनऊ में तत्कालीन श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 9 व 10 सितम्बर, 1970 को हुआ था ? यदि हां, तो कितने अध्यक्षों व प्रधानाचार्यों को यात्रिक एवं दैनिक भत्ते दिये गये और कितने अध्यक्षों व प्रधानाचार्यों का भत्ता अब भी देय है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां। 54 प्रधानाचार्यों के यात्रिक एवं दैनिक भत्ते का भुगतान किया जा चुका है। 21 अध्यक्षों में से केवल दो अध्यक्षों ने यात्रिक एवं दैनिक भत्ते का बिल प्रस्तुत किया था, जिस के भुगतान के लिये महालेखाकार की एथारिटी मांगी गई है, जो अपेक्षित है।

## एल० आई० यू०, कानपुर के डिप्टी एस० पी० का स्थानान्तरण

7—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एल० आई० यू०, कानपुर में कोई ऐसे भी डिप्टी एस० पी० हैं जो लगातार 5 वर्षों से कानपुर में ही नियुक्त हैं ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री जगत बहादुर वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक, 2 अगस्त, 1967 से एल० आई० यू०, कानपुर में इंचार्ज की हैसियत से नियुक्त हैं । अभिसूचना विभाग में अधिकारियों का जनता से सीधा संपर्क नहीं रहता है और वे विभाग में अधिक समय तक रहने से अपने कार्य में पारांगत एवं दक्ष हो जाते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है । अभिसूचना विभाग के अधिकारियों पर स्थानान्तरण विषयक सामान्य नियम अथवा प्रक्रिया को लागू करने में सख्ती नहीं बरती जाती ।

8—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

9—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न 10 पर उत्तरित]

10–12—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

13—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 15 पर उत्तरित]

14—श्री राम निहोर राय—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 15 पर उत्तरित]

## राजकीय स्कूल, मुन्दोली (चमोली) के भवन का निर्माण

15—श्री शेर सिंह हानू—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में राजकीय जूनियर हाई स्कूल, मुन्दोली विकास क्षेत्र भटाली के विद्यालय भवन का निर्माण कब तक हो जायगा ? क्या इसके भवन प्लान इस्टीमेट शासन को भेजा गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

राजकीय जूनियर हाई स्कूल, मुन्दोली के भवन निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था कर ली गई है तथा आगणन (एस्टीमेट) बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दे दिये गये हैं । अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भवन का निर्माण कब तक हो जायगा ।

16—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सियाराम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

17—श्री राममूर्ति 'अंचल' तथा श्री धर्मवीर सिंह—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 18 पर उत्तरित]

18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 19 पर उत्तरित]

19—श्री त्रिवेणी सहाय—

[8वें सोमवार के प्रश्न संख्या 20 पर उत्तरित]

## टाइपिस्टों की ज्येष्ठतानुसार सूची

20—श्री सिया राम तथा श्री राम सागर—

विधान सभा (17-12-70) को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 28-39 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री 244 टाइपिस्टों की एक सूची ज्येष्ठतानुसार सदन की मेज पर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूची† संलग्न है।

21—22—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[13वें सोमवार के प्रश्न संख्या 2–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

23—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## जनपद चमोली के राजकीय स्कूलों के भवनों व छात्रावासों का निर्माण इस्टीमेट

24—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली के राजकीय इन्टर कालेज, तलवाडी रा० इ० कालेज, कर्णप्रयाग और राजकीय हाई स्कूल, गैरसेड तथा नरायणगढ़ के छात्रावास तथा विद्यालयों के पानी का प्लान का एस्टीमेट शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय हाई स्कूल, गैरसेड के लिये अतिरिक्त भवनों के निर्माणार्थ 3,78,600 रु० लागत का आगणन (एस्टीमेट) शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति क्रमशः माह जनवरी तथा मई, 1972 में प्रदान की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दिये गये हैं कि वे भवनों का निर्माण शीघ्र करा दें। तथापि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा।

राजकीय इन्टर कालेज, तलवाड़ी व कर्णप्रयाग एवं राजकीय हाई स्कूल, नारायणगढ़ के लिये कोई नये भवनों के निर्माणार्थ आगणन अभी शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं।

25—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्तर्गत कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूल के छात्रावास तथा मुख्य विद्यालय भवनों का निर्माण होगा और कितने विद्यालयों के प्लान व एस्मीमेट शासन के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चमोली जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों, मालतोली तथा गोदली के मुख्य भवनों का निर्माण कार्य, जो 1971–72 में स्वीकृत हुआ था वह वित्तीय वर्ष 1972–73 में भी चलेगा।

---

†छापी नहीं गयी

इस जिले के अन्य किसी राजकीय जूनियर हाई स्कूल के लिये भवन निर्माणार्थ कोई आगणन (एस्टीमेट) इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

26—श्री भारत सिंह चौहान—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## ग्राम सभाओं के चुनाव में गोली तथा लाठी का प्रयोग

27—श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री राम सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि गत मास में होने वाले ग्राम सभाओं के चुनावों में अनेक जगहों पर गोली तथा लाठी का खुलकर प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक कितने लोग जान से मारे गये तथा कितने घायल हुए ? जिलेवार मृतकों की संख्या क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

## प्रदेश में नये पुलिस थाने

28—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1972 में कितने नये पुलिस थाने प्रदेश में कायम किये जा रहे हैं ? और कहां-कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1972 में प्रदेश में अभी निम्नलिखित 40 नये थाने कायम किये जा रहे हैं—

| थानों के नाम | जिला |
|---|---|
| 1—शाहगंज | आगरा |
| 2—न्यू आगरा | ,, |
| 3—फिरोजाबाद दक्षिण | ,, |
| 4—सलेमपुर | ,, |
| 5—बागवाला | एटा |
| 6—सिकन्दरपुर वैश्य | ,, |
| 7—नरहोली | मथुरा |
| 8—पिलवाना | कानपुर |
| 9—ग्वाल टोली | ,, |
| 10—धजरिया | ,, |
| 11—रायपुरवा | ,, |
| 12—हरवंश मोहाल | ,, |
| 13—नजीराबाद | ,, |
| 14—स्वरूपनगर | ,, |
| 15—फजलगंज | ,, |
| 16—गोविन्द नगर | ,, |
| 17—अट्टा | जालौन |
| 18—डाकोर | ,, |
| 19—माधवगढ़ | ,, |
| 20—सुरखा | हरदोई |
| 21—मूंझला | ,, |

| थानों के नाम | जिला |
|---|---|
| 22—सोनार | हरदोई |
| 23—माझी | उन्नाव |
| 24—मीनापुर | " |
| 25—असीवन | " |
| 26—रामपुर मझरा | सीतापुर |
| 27—रामपुर कलां | " |
| 28—सकरन | " |
| 29—रामकोट | " |
| 30—कटवर | मुरादाबाद |
| 31—सिविल लाइन्स | " |
| 32—नवगवां सादात | " |
| 33—हयातनगर | " |
| 34—बनिया खेड़ा | " |
| 35—उधटी | बदायूं |
| 36—मूसा बाग | " |
| 37—कोतवाली देहात | बहराइच |
| 38—सिरसिया | " |
| 39—गिलौला | " |
| 40—डोईवाला | देहरादून |

## विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की मांग

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय कल्पनाथ सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपकी इजाजत से मान्यवर, मैं एक चीज नोटिस में लाना चाहता हूं । प्रिविलेज का सवाल है । कायदे कानून ऐसे हैं कि इसकी नोटिस हो जाय एट् दि अर्लिएस्ट ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो पहले मेरे पास आना चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक पर्चा मिला है । इसमें फिरकावाराना अन्दाज से.....

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का सवाल है । सदस्य के अथवा सदन की किसी समिति के विशेषाधिकार के भंग का सवाल आता है तो उसके उठाये जाने के बारे में यह है कि वह अध्यक्ष की अनुमति से आना चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह कायदा है कि जल्द से जल्द इसकी नोटिस हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसे आज मेरे पास भेज दीजिये । जब मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो नहीं पढ़ने दूंगा ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

(वित्त मंत्री की ओर संकेत करते हुये कि वे श्री रामकुंवर सिंह को बैठने का निर्देश दें)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक व्यवस्था आप दें कि हमारा आना जाना दूभर हो गया है क्योंकि इतने ट्रांसफर्स हो गये हैं.....

## मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—(क्रमागत)

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि किसानों के ऊपर यह सरकार किस प्रकार ज्यादती करने पर तुली हुई है। अगर यह सरकार बन्दोबस्त करना चाहती है तो जो न्यूनतम मालगुजारी दी जा रही है अगर वही रेट सरकार निर्धारित कर दे तो मुझे उस मामले में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि श्रीमन्, आप देखें कि हालत क्या हो रही है। एक तरफ यह सरकार भूमि विकास कर लगाने की बात करती है और दूसरी तरफ खाद्यान्न का उत्पादन जिस तरह बढ़ना चाहिये वह आज पिछले दिनों के औसत से उस प्रकार ठीक नहीं बढ़ रहा है।

श्रीमन्, इसका एक कारण यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योगों को कुल मिलाकर 284.1 करोड़ यूनिट इस्तेमाल करने का अवसर मिला है और जिसका उन्होंने 26.69 करोड़ यूनिट अदा किया सरकारी खजाने में और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस पर 71–72 में सीजन में सत्तर करोड़ यूनिट किसानों को दी गयी जिसका किसानों ने 13.39 करोड़ रुपया अदा किया।

श्री अध्यक्ष—

ये कैरो यूनिट्स हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, बिजली के। इसका मतलब क्या हुआ कि किसानों का औसत जो तीन परसेन्ट के हिसाब से बिजली बढ़ी है वह छोड़ दीजिये। किसानों का औसत 19 पैसे प्रति यूनिट है। जबकि पूंजीपतियों का औसत 9.4 पैसा प्रति यूनिट पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक तरफ यह स्थिति है कि किसानों और उद्योगपतियों के बीच इतना भेदभाव है, और दूसरी तरफ यह सरकार अपने निकम्मेपन के कारण लूट-खसोट, चोरी-बेइमानी और रिश्वत-खोरी के कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 42.15 लाख रुपये का घाटा दिखा रही है तो फिर इस सरकार को नया टैक्स लगाने का क्या अधिकार है। इतना बड़ा बिजली का कारोबार इस प्रदेश में चल रहा है और यह घाटे में चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर नया टैक्स आप लगाने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नये टैक्स लगाने की नीति किस आधार पर बनाई गई है—यह एक सीधा-सादा सवाल सामने है।

मान्यवर, आप सेल्स टैक्स की ओर देखें। मैं अकेले सेल्स टैक्स की बात करूंगा। अकेले सेल्स टैक्स में पहली जून, 1972 को इन्होंने 36.61 लाख रुपये का बकाया रख छोड़ा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में कि क्या कोई इस बकाये को वसूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†2 अगस्त, 1972 की कार्यवाही से।

करन के लिये सरकार ने कदम उठाये ? मान्यवर, आज यही स्थिति सिंचाई विभाग की है घाटा-जहां देखिये घाटा, घाटा, घाटा । जितने भी डिपार्टमेन्ट हैं उनमें घाटा ही घाटा है और इसका मूल कारण इनकी कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था तथा लूट-खसोट की नीति है । इसलिये किसानों के ऊपर यह जो नया टैक्सेशन लगाने जा रहे हैं उसका हरगिज-हरगिज कोई औचित्य नहीं है ऐसी हालत में जब कि मुख्यमंत्री जी और विद्युत् मंत्री जी ने जब सवा छः एकड़ के ऊपर लगान माफी की बात आई थी तो इसका इन्होंने समर्थन किया था और आज जब यह उधर चले गये और सरकार में हैं तो इसको भूल गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन में मंत्रि परिषद को बैठने का कोई औचित्य रह गया है ।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब किसानों पर इस प्रकार का टैक्सेशन करने की नीति को सरकार यदि नहीं छोड़ती है तो मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने सवा छः एकड़ के किसान पर लगान माफी के संबंध में अपना मत दिया था, और उस समय बहस किया था, वह इसका विरोध करें । मान्यवर, आपको याद होगा जब विधान परिषद् को तोड़ने के विषय में एक प्रस्ताव जब इस सदन में आया था और उस पर ढील-ढाल होने लगी तो नेशनल हैराल्ड और नवजीवन ने एक कार्टून निकाला था जिसका आशय यह था कि यह लोग महज थूक कर चाटते ही नहीं है, बल्कि उगलदान ही निगले जा रहे हैं । यही स्थिति आज पैदा हो गई है । जिन लोगों ने सवा छः एकड़ लगान माफी की बात कही थी, वही लोग आज सवा 3 एकड़ के किसानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या औचित्य रह गया है ।

मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं जो उस पक्ष में बैठे हुये हैं और जो किसानों के बल पर चुन कर आये हैं, कमलापति त्रिपाठी जी का मोह छोड़कर, मंत्रि-परिषद का मोह छोड़ कर इस बिल के विरोध में एक होकर खड़े हो जायं । श्रीमन्, एक बात और कहनी है और वह यह निवेदन करनी है कि बेरोजगारी इस प्रदेश में सारे प्रदेशों से आगे है और इस प्रदेश की आबादी भी सभी प्रदेशों से ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया ।

मान्यवर, हमारी आबादी की दशा क्या है ? 1971 में हमारी आबादी की स्थिति है वह 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है, जबकि अखिल भारतीय 182 है, जो औसत से 64.8 प्रतिशत है । हमारी जन संख्या अधिक है और हमारे रोजगारों की हालत क्या है, उस सिलसिले में निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमन्, आज प्रति लाख के पीछे 402 कर्मचारी फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में जबकि अखिल भारतीय संख्या 911 है । महाराष्ट्र में यह 2000 है, पश्चिम बंगाल में 1880, तामिलनाडु में 1058, हरियाना में 837 और पंजाब में 745 है । लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे अधिक आबादी बाला यह प्रदेश है और इसमें फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या केवल 402 के करीब है । मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या इस सरकार को ये सारी चीजें नहीं मालूम हैं । मान्यवर, इस सरकार के पास सारी फीगर्स मौजूद हैं और इसके बावजूद भी अनइम्प्लायमेंट दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रही है । आखिर ये सोचते क्या हैं ? और करते क्या हैं ? आज ये सारे प्रदेश को तबाह करने में लगे हैं। इसलिये, मान्यवर, मैं इस सारे सदन से अपील करता हूं कि यह जो बेकारी या बेरोजगारी की सरकार है, यह जो किसान-विरोधी सरकार है, यह जो पूंजीपति-समर्थक सरकार है, यह जो टाटा-बिड़ला द्वारा पाली हुई सरकार है, उसको एक मिनट भी इस सदन में नहीं रहना चाहिये, नहीं रहना चाहिये, नहीं रहना चाहिये ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कल से अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है । हमारे इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने, जहां तक मुझे ख्याल है, हर पहलू को स्पर्श किया है । मुझे चौधरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

साहब का वह जुमला याद है कि अगर इस सरकार के एक दिन के कारनामें को कहें तो वह एक दिन के लिये पर्याप्त नहीं होगा । मैं भी, मान्यवर, उस प्रस्ताव के समर्थन में, जो चौधरी साहब ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर पिछले 25 वर्ष में कांग्रेस की सत्ता यहां रही । बीच में संविद सरकारें भी आयीं और आज फिर कांग्रेस की सरकार है यद्यपि दूसरे रूप में इस संदर्भ में मैं अपने राष्ट्रपति की वाणी को स्मरण करता हूं और वह यह है कि देश में तब तक प्रगति नहीं हो सकती है जब तक कि यहां का राष्ट्रीय चरित्र का संकट रहेगा । मैं व्यक्तिगत चरित्र से उठकर राष्ट्रीय चरित्र को रखता हूं, यद्यपि इन दोनों में विशेष भेद नहीं है । उस संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रपति नें अवश्य कहा लेकिन क्या कभी उन्होंने चिंता की- चाहे केन्द्रीय सरकार हो या प्रान्त की सरकार हो—राष्ट्रीय-चरित्र के निर्माण के प्रयास में ? आखिर यह राष्ट्रीय-चरित्र में फाल किस दिन से प्रारम्भ हुआ ? मान्यवर, यह राष्ट्रपति के चुनाव के दिन से शुरू हुआ, और उसी संदर्भ में शुरू हुआ । हमारे महान् से महान् व्यक्ति उसमें शिकार हो गये । आखिर समाज को बनाने के लिये, इस राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र के संबंध में करना क्या है ? इस संबंध में कुछ कहने के पहले मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना समय हमें देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं 45 मिनट ले लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह लेन-देन की बात नहीं होनी चाहिए कि हम डेढ़ घण्टा कहें और आप सवा घण्टे कहें । तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि चरित्र का गठन दो तरीके से होता है । एक तो हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें और चरित्र का पाठ पढ़ाएं और दूसरे हमारे नेता ऐसे हों जो अपने जीवन के आदर्श को समाज के सामने रखें । मान्यवर, महात्मा गांधी का नाम आज भी हम लोग याद करते हैं । मेरा तो दावा है कि प्रतिपक्ष ज्यादा उनका नाम लेता है । वहां तो अब एक दूसरे गांधी का नाम आने लगा है । तो क्या राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से या चरित्र की दृष्टि से आज हमारे देश के सर्वोपरि नेताओं ने कोई आदर्श रखा और क्या कभी यह चिन्तन किया कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर क्या पड़ेगा ? व्यक्तिगत जीवन को तो छोड़िए ।

99 प्रतिशत आज ऐसे महान् व्यक्ति मौजूद हैं जो पालिटिक्स में ऊंचे हैं लेकिन व्यक्तिगत चरित्र को कोई महत्व नहीं देते । मेरी राय में दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं । तो गिरावट उसी समय से शुरू हुई, सारा वातावरण बिल्कुल विषाक्त हो गया । क्या कोई व्यक्ति ऐसा है, जो आज राजनीति में है और सामने आकर कह सके कि मैं बहुत बड़ा हूं या मैं बहुत बड़ी हूं? मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरा राष्ट्रीय चरित्र सब कुछ आदर्श योग्य है इसका आप अनुपालन करें ? फिर मान्यवर, यह समाज किधर जायगा ? फिर मामूली राजनैतिक कार्यकर्ता जो मेरे समान हैं, वह कहां जायेंगे ? उसकी छाया प्रांतीय सरकार पर भी पड़ गयी । हम कहा करते थे कि संविद सरकार है ।

अब सांस लेने को मिली, संविद सरकार गयी और स्टेबिलिटी आयी । अब तो केन्द्र में भी और प्रदेश में भी वही सरकार है । अब तो चांदी ही चांदी है । फिर क्यों नहीं आशा की किरण दिखाई पड़ती ? तो मान्यवर, प्रथम चीज है राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र । उस कसौटी पर सरकार के दल को अगर देखें तो आप सोचें इस दल के कुल 81 सदस्य थे । संसार में इतना अधिक पार्टी बदल नहीं हुआ होगा, आज जो बहुमत है जिसकी सरकार है, क्या वे एक आदर्श पर जीतकर आये हैं या तमाम पार्टियों का एक दल है जिनका कामन प्रोग्राम है, या ऐसे लोग हैं जिनके राष्ट्रीय चरित्र का पतन हुआ ? बहुत से लोग ऐसे हैं जो राज्य सभा में पैसे पर बिके, बहुत से लोग मंत्री पद या किसी चेयरमैनशिप की लालच में आये ।

तो राष्ट्रीय जीव : तो गौण हो गया, स्वार्थ सामने आ गया यदिस्वार्थ सामने आयेगा तो समाज और राष्ट्र की बात कौन सोचेगा ? यह स्थिति आजकल है । स्टेबिलिटी आउटसाइड बट इनस्टेबिलिटी इनसाइड ।

आज सरकार के अन्दर किसी का भी मत एक सा नहीं है । मैंने कहा था कि डिफैक्शन का कानून बने । मान्यवर, एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि खाना कितना खाना चाहिये तो उन्होंनो कहा कि इतना खाना चाहिये कि डकार ले तो चावल बाहर चला आए । जैसे कि एक माननीय सदस्य को सद्बद्धि आयी और वह इधर आ गये । तो आज का मंत्रिमण्डल कहां से बना, कैसे बना इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है । आज भ्रष्टाचार जो हम देख रहे हैं या निराशा की किरण जो हम देख रहे हैं उसका मूल कारण यह है ।

एक चीज और कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह जो एक मैसिव एपीयरेन्स दिखाई देती है यह बड़ी डिसैप्टिव है । मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं । किसी व्यक्ति ने बताया कि जब कोई पार्टी मीटिंग होती है तो ऐसी परिस्थिति होती है कि दल बदलुओं के आधार पर चलती है । एक पक्ष और देखें, श्रीमन् । मंत्रिमण्डल बना, ऐसे व्यक्तियों से बना और ऐसे व्यक्तियों के आधर पर कही जाने वाली बहुमत वाली पार्टी ने मंत्रिमण्डल बनाया अब वह मंत्रिमंडल नहीं बना और इसके बारे में अधिक क्या कहूं ।

हमारे माननीय चौधरी साहब ने, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि उसमें से किसी चीज की ओर ध्यान नहीं दिया गया । न उसमें योग्यता की ओर ध्यान दिया गया, न ईमानदारी की ओर, किस चीज की ओर ध्यान दिया गया इसके लिये तो आगे कहूंगा लेकिन मंत्रिमंडल गठित हुआ और उससे केवल हम नहीं ऊबे, उधर के माननीय सदस्य भी ऊबे, जनता भी ऊब गयी और ट्रेनों में, मोटरों में जहां जाइये जनता आज क्या कह रही है उसे सुनिये ।

मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि वे दूसरे रूप में बसों में और ट्रेनों में चलें और उन्हें पता चलेगा कि लोग उनको हर जगह यह कहते सुनाई पड़ेंगे कि गत 25 वर्षों में इतना अयोग्य, इतना भ्रष्ट शासन मैंने कभी नहीं देखा और वे स्वयं भी यही कहने लगेंगे । आज जनता कराह रही है चारों तरफ और कह रही है कि अरे यह सब गड़बड़ हो गया । ऐसा क्यों है? मैंने पहले ही कहा कि चरित्र का अभाव तो है ही, साथ ही आपके सामने मान्यवर, ऐसी अनेक शिकायतें मंत्रियों के बारे में आयी हैं, अनेकों विभागों के बारे में आयी हैं उनको बाद में कहूंगा लेकिन मंत्रिमंडल को देखकर मुख्य मंत्री जी को स्वयं चिन्ता हुई कि मंत्रिमंडल में बदल करना चाहिये, मगर मान्यवर, हिन्दुस्तान में आदर्श क ग्रेस की दृष्टि से दूसरा ही है ।

जब वह गांधी जी चले गये और दूसरे गांधी आये तो शायद जीवन का मूल्य ही बदल गया और उसका असर इन पर भी हो गया और इन्होंने भी कहा कि बदल देने से ही काम चल जायगा यह नहीं कि अपने मंत्री मंडल को पूरा बदल देते रिशफिल कर देते, अयोग्य मंत्रियों को ड्राप आउट कर देते हैं और अपने ही दल के योग्य आदमियों को उसमें लाते । मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन जहांतक मुझे बताया गया है कि 82 आदमियों का एक डेपूटेशन 6 जुलाई को प्रधान मंत्री जी से मिला । और मंत्रियों की अयोग्यता के बारे में उनको एक ज्ञापन दिया । लेकिन उसका असर नहीं हुआ । मुख्य मंत्री जी ने समझा कि केवल उसकी शक्ल बदल देने से ही काम चल जायगा और इस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल में सिर्फ विभाग बदल कर प्रान्त को निराशा में छोड़ दिया और घोर असंतोष व्याप्त होने का अवसर दिया ।

मान्यवर, आज स्थिति ही ऐसी चल रही है मैं उनके आर्गनाइजेशन के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन जो अखबारों में मैंने आज पढ़ा वह यह है कि माननीया अध्यक्षा, प्रादेशिक कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को भूमि भवन कर ती वापस लेना ही पड़ेगा, उनको भूमि विकास वापस लेना पड़ेगा । इलाहाबाद में कांग्रेसवालों ने ही प्रस्ताव पास किया है कि इन करों को वापस तो राष्ट्रीय जीवन तो गौण हो गया, स्वार्थ सामने आ गया । यदि स्वार्थ सामने आयगा तो समाज

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ले लेना चाहिये । तो श्रीमन्, इस प्रकार इनमें आपस में ही अन्तर्द्वन्द है, विचारधाराओं का संघर्ष है तो सरकार कैसे चले । एक कवि ने लिखा है :—

"उर अंतर धुंधुवाय जरे जिमि कांच की भट्टी ।
रक्त मांस जरि जाय रहै हड्डिन की टट्टी ।"

फिर अविश्वास का कारण क्यों न हो । हमारे सामने माडलिंग का आदर्श प्रस्तुत है । माडलिंग वहां इंग्लैंड में होम सेक्रेटरी थे । उस जमाने में कुछ रिफार्म्स से सम्बन्धित बात थी । उनके बारे में जांच होने लगी और उनको पता चला तो श्री माडलिंग ने फौरन होम सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया और यह कह कर इस्तीफा दिया कि इस से हो सकता है कि जांच में कोई बाधा पड़े । खुद श्री हीथ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे कहा लेकिन जन-जीवन को पवित्र रखने के लिये उन्होंने त्यागपत्र को वापस नहीं लिया । यह पब्लिक लाइफ इग्लैंड की उपज है और दूसरी यहां की आज की है । लेकिन एक बहुत भद्दी मसल है, मैं उसे नहीं कहूंगा । लेकिन मुझे यह बताया गया कि जो 82 आदमी मिले थे उनमें से एक राज्य मंत्री कुंवर अशरफ अली साहब भी थे । लेकिन आज स्थित ऐसी चल रही है और यह हमारा आदर्श है ।

हम कहते हैं कि इतनी चीजें अखबारों में छपीं और इतनी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कहीं तो भी बात वही की वहीं है । "सीजर्स वाइफ मस्ट वि एबव बोर्ड" । मुख्य मंत्री जी को चाहिये था कि उन सब बातों की जांच करवा कर कहते कि यह सब आरोप निरर्थक हैं । इसके करने में आपको क्या शरमिन्दगी है, आप क्यों जांच से भागते हैं ? इस डर से तो नहीं कहता कि क्या होना चाहिये । क्या कारण है कि कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती और वह किया जाता है । पब्लिक इन्क्वायरी आर्डिनेंस हमारे सामने नहीं आया । पंडित जी एक आदर्श स्थापित करेंगे जैसा कि हीथ ने किया । न्याधिकारण यहां भी स्थापित होना चाहिये । हमको इस स्थिति से भी देखना चाहिये ।

मंत्रियों के बारे में आये दिन कहा जाता है कि कोई भी सरकार हो उसको ढंग से चलाने के लिये, उसके विकास कार्यों को चलाने के लिये ला ऐन्ड आर्डर की आवश्यकता है । मान्यवर, उसी ला ऐन्ड आर्डर की क्या स्थिति हमारे प्रदेश में आज है ? जो स्थिति आज है वह हमसे और आप से छिपी नहीं है । अगर कोई हमारी बहू बेटी जंजीर को पहन कर कहीं जाती है तो वह कभी भी सुरक्षित नहीं है ।

लाज की तो बात ही जाने दीजिये वह भी उसकी कहीं सुरक्षित नहीं है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपको स्वयं ज्ञात है कि आज ला ऐन्ड आर्डर की क्या स्थिति हो गई है । अखबारों में निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पश्चिमी बंगाल से पीछे नहीं रह गई है । बालक और बालिकाओं के साथ राहजनी, हत्या, लूट आदि तो आम बातें हो गई हैं । कानपुर शहर में 10 दिन के अन्दर 21 हत्यायें हुई । वहां पर ला ऐन्ड आर्डर नाममात्र को रह नहीं गया है । लखनऊ में भी हर सातवें दिन कोई न कोई हत्या होती रहती है । मैनपुरी में 7 लाशें एक दिन में पोस्टमार्टम के लिये लाई गई । क्या यह हमारा ला ऐन्ड आर्डर है ? यह तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और पुलिस इस तरह से एकदम गाफिल है ।

पुलिस का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है । वह स्वयं गुन्डे और डकैतों के साथ मिल कर ऐसे काम करवा रही है । इस प्रकार से जनता की जान माल कैसे सुरक्षित रह सकता है । बुलन्दशहर में तस्करी में एक आदमी की मृत्यु हो गई । रनिंग ट्रेन 89 या 86 अप जो दिल्ली एक्सप्रेस जाती है उसमें वह सब इन्सपेक्टर कौन था, दोनों कान्सटेबुल कौन थे ? क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करवाया था या राबर्स से उनका परिचय था । मान्यवर, आपको इस पर भी विचार करना है कि क्या स्थिति हो रही है और इस तरफ किसी प्रकार की कोई

देखरेख नहीं हो रही है । यह तो पुलिस की स्थिति है । कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि पुलिस ने गुन्डों के साथ मिलकर लूट पाट की । यह उनकी भाषा मैंने पढ़ी और अगर इसमें कोई कान्ट्री-डिक्शन हो तो बतायें । बनारस का रायट सेल्फ कान्डेमनेशन है । हिन्दू और मुसलमानों ने यह नहीं कहा कि उन्होंने साम्प्रदायिक झगड़ा किया बल्कि यह पुलिस अधिकारियों के कारण ही हुआ । तीसरा पहलू जो मान्यवर, है वह सदस्यगण स्वयं हैं । पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है कि जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने बयान दिया कि इन राजनीतिज्ञों के कारण पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है । अगर कोई सब इन्सपेक्टर उनके होंने से काम नहीं करे तो उसका ट्रांसफर यहां से वहां हो जाता है ।

आज हमारी पुलिस या एस०पी० इस दृष्टि से मुकर्रर किये जाते हैं कि इस जगह जाओं क्योंकि तुम्हारा जाना आवश्यक है। क्योंकि तुम इनडाइरेक्टली हमसे कमिटेड हो। मैंने एक पुलिस मैन के हाथ में एक पत्र पढ़ा था उसमें लिखा था कि जनसंघ के गुन्डे उस जिले में बहुत बढ़ रहे हैं । उनको दबाना आवश्यक है, इसलिये तुम्हारी मुकुर्ररी वहां की जा रही है, सावधान रहना । ऐसी बातें हो रही हैं । इसको उस सदर्भ में सोचें जबकि पी० डी० टंडन साहब ने वह बात कही थी जिसको चौधरी साहब ने ब्याख्या की थी कि अपोजीशन को कहते हैं कि ये अपने को समाप्त कर दें या इनको समाप्त कर दिया जायगा और माननीय मुख्य मन्त्री न उनको डिफेंड किया था । यह उस सरकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिम्ब है। तो ऐसे आदेश जाते हैं कांग्रेस बेंचेज से तो क्या स्थिति रहेगी? हमारी पुलिस का और इनका ताल-मेल है ।

एक व्यक्ति हैं शाहजहांपुर के गणेश शंकर खन्ना उनको जेल विजिटर मुकर्रर किया गया है । उनका 4 मर्तबा का कंविक्शन है, यह पुलिस ने रिपोर्ट किया है और यह जेल विजिटर हैं और पुलिस ने यह भी बताया कि वह मोस्ट डेंजरस आदमी है, लेकिन जेल विजिटर मुकर्रर किये गये हैं । यह क्या स्थिति है? अगर यह सही नहीं तो यह कहेंगे कि यह बात गलत है, लेकिन पुलिस का प्रशासन किधर जा रहा है? ला एंड-आर्डर की पोजीशन किधर जा रही है? आई० जी० डी० फैक्टरो और आई० जी० डी० जूरे दोनों में अन्तर है । बही नहीं आफिसर डी-फैक्टो और आफिसर डी–जूरे दोनों में अन्तर है । बहुत से विभागीय सेक्रेटरी हैं जो चिट पर और टेलीफोन पर काम करते हैं । उनमें कोई अपना डिसीशन नहीं रह गया कि उसको वह इंडीपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकें । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन की स्थिति क्या है । गार्जियन्स आफ ला की यह हालत है जो साठ-गांठ रखते हैं पुलिस से ।

एक बात और कह दूं । पुलिस की स्थिति यह हो गयी है कि अपनी रक्षा के लिये पुलिस गुन्डों से सांठ-गांठ करने लगी है यह खबर बिलकुल सही है । एक व्यक्ति ने आई० जी० से कहा कि अमुक गुन्डा हमको सताता है, बहुत खराब आदमी है, उससे समाज की रक्षा करनी चाहिये । उन्होंने रूटीन वे में एस० एस० पी० से मिलने के लिये कहा । वह एस० एस० पी० से मिले । एस० एस० पी० ने क्या कहा, पता नहीं । लेकिन दूसरा होटल वाला विधायक से मिला और उसी गुन्डे के बारे में कहा कि आप उससे नाराज क्यों हैं, मैं आपकी क्या खिदमत करूं ? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं इलेक्शन लड़ा था । लेकिन उसको छोड़ दें । इस वक्त जो लखनऊ की घटना बतलाई कि इस तरह से ला-एंड-आर्डर की सिचुएशन एक्सप्लोड कर गयी और यह चीज एस० एस० पी० के भाइयों से लीक आउट हो गयी , यह सीक्रेट आउट हो गया कि 50 विधायकों के पास शैडो लगे हुए हैं । 50 से ज्यादा लोग हैं । क्या कारण है ? क्या यह इंटरफियरेंस नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस के काम में? प्रदेश लुट गया, कुछ रह नहीं गया । जब जी चाहा, चीफ मिनिस्टर लिखेंगे कि इनको परसनल शैडो मिलना चाहिये । ला एंड आर्डर की सिचुएशन के बारे में रोज आप अखबारों में पढ़ लीजिये, कहीं हत्या, कहीं किडनैपिंग, कहीं रेप है । इनके रोज के जन-जीवन से भ्रष्ट होकर कितने लोग रोज आत्महत्या करते हैं, उनकी तो कुछ कहिये मत ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अब है प्रशासन में स्वच्छता लाने की बात। मैं इस समय वही नजीर कोट करूंगा कि जो ऐसी गवर्नमेन्ट बनी है वह कैसे स्वच्छता प्रशासन में ला सकती है? वह असमर्थ है उसको दरकार नहीं है स्वच्छता लाने की। वह प्रशासन की स्वच्छता में विश्वास नहीं करती। उसका तो विश्वास है कि आने वाले समय में जो कुछ बना सको बना लो। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि "मेक हे व्हाइल सन शाइंस"!

सतर्कता आयोग की स्थिति क्या है? जो पहले के डायरेक्टर और अध्यक्ष थे उनकी ख्याति आज बतायी गयी कि एक श्यामनारायण मेहरोत्रा थे। उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिस वक्त उनको सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मेरी सूचना में उस वक्त विजिलेंस से उनकी इंक्वायरी हो रही थी, लेकिन जब अध्यक्ष हो गये तो इंक्वायरी ठप हो गयी। दूसरी बात, सतर्कता विभाग के निदेशक, निदेशक होने के पूर्व उनकी भी जांच चल रही थी और अब वह भी ड्राप कर दी गयी। क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं कि कोई आदमी भी हो उसका कैसे सतर्कता आयोग में विश्वास रह सकता है। आप कहते हैं कि हम सब इसी पब्लिक से चुने हुए नुमाइन्दे हैं, लेकिन आप पब्लिक में अपना विश्वास खो चुके हैं क्योंकि आप 90 प्रतिशत अपनी सीटों से हट कर उधर चले गये हैं। दिस गवर्नमेन्ट इज डिफीटेड। क्या सतर्कता आयोग म किसी का विश्वास रह जायगा? नहीं रह सकता। मन्त्रियों के विरुद्ध कोई जांच नहीं हुई।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है और इधर शासक दल के लोगों में खेल हो रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक और उदाहरण आपको दे दूं कि सतर्कता आयोग या स्वच्छ प्रशासन रखने वाली यह सरकार क्या कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था तो बहुत सी बातें ऐसी रही होंगी पर मैं कुछ कर न सका। लेकिन एक पालिटीशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस सरकार को दरख्वास्त दी कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के कुछ लोगों ने कालपी रोड पर एक फैक्टरी कायम कर ली है। पहले अपने नाम की थी फिर पिताजी के नाम कर दी और उसके बाद जब पता चला तो किसी और के नाम कर दी। आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि उसने इस सम्बन्ध में क्या किया। आज नया बाजार अपने यहां है। एक रामेश्वर सहाय हैं जो पहले डिप्टी रजिस्ट्रार थे। 20 हजार रुपये प्रति मास का उसमें घाटा था। जांच हुई। उन्हें फिर हेडक्वार्टर्स पर रखा गया। उनको हटाया इसलिये नहीं गया कि अगर वह कहीं दूसरी जगह जायेंगे तो कौन जाने जांच पूरी हो जाय। इसलिये उसको रफा दफा किया गया क्योंकि उसमें पालिटीशियन्स इन्वाल्वड थे, मन्त्री लोग इंटरेस्टेड थे। एक अमर सिंह डिप्टी डायरेक्टर ऐग्रीकल्चर है। उनके खिलाफ विजिलेन्स में रिपोर्ट हुई। जांच चल रही थी। विजिलेन्स के लोगों ने कहा कि इनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाय। मगर भूतपूर्व मन्त्री जी बड़े कृपालु हैं, क्यों? यह तो वही समझे लेकिन उन्होंने यह आर्डर दे दिया कि वह यहीं रहें। क्या इससे भी बढ़ कर कोई चीज हो सकती है? यह स्वच्छता के दो एक नमूने हैं।

एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं राजनीतिक हस्तक्षेप की। कुछ ऐसे विभाग हैं जो बहुत बदनाम विभाग है। अनेक बार आपके और हमारे सामने ऐसे उदाहरण आये। इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट, पी० डब्लू० डी०, मेडिकल, एक्साइज, पुलिस डिपार्टमेन्ट, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट। कौन डिपार्टमेन्ट बच गया। हर जगह भ्रष्टाचार है। इर्रीगेशन के बारे में तो मुझे ऐसी सूचना है कि दो अधिकारी करीब-करीब डिस मिसल प्वाइंट पर पहुंच गये थे लेकिन देवता पर पुष्प, फल चढ़ाने के बाद वह साफ बच गये।

पी० डब्लू० डी० में पोस्टिंग, अप्वाइंटमेन्ट और ट्रांसफर का सेल होता है खुली बात है। सेल के दो तरीके हैं। या तो व्यक्ति खुद ले या उसके घर वालों के पास पहुंचा दिया जाय।

मुझे शर्म लगती है बहुत से मन्त्रियों के बारे में कहते हुए कि आज उनके घर की स्थिति क्या है। एक व्यक्ति मेरे पास आया ट्रांसफर के लिये। मैंने कहा कि मन्त्री लोग मेरी बात नहीं मानेंगे चूंकि मैं विपक्ष का हूं। उन्होंने कहा आप टालमटोल कर रहे हैं, वह मान जायेंगे। जब मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं दूसरा तरीका अख्तियार करता हूं, आपको आदाबअर्ज आठ रोज बाद वह मेरे पास आये और कहा कि आर्डर्स के लिये चला गया, काम हो जायगा। मैं नाम लेकर उसकी जिन्दगी क्यों बरबाद करूं लेकिन कलेजे पर हाथ रखकर कोई मन्त्री कह सकता है कि हमारी सरकार में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है? मन्त्री जी कह सकते हैं कि भगवान की कसम मैंने एक पैसा नहीं लिया।

मान्यवर, कलेक्टर का एक पेशकार था वह कहता था कि मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया और कहता था कि कसम से उसने कभी पैसा नहीं लिया। वह करता क्या था कि हाथ से पैसा नहीं लेता था, जेब आगे कर देता था। देने वाले जेब में धर देते थे या और दूसरी तरह से लेता था। तो यह हो सकता है माननीय मन्त्री जी हाथ से पैसा न छूते हों भगवान की कसम भी खा सकते हों कि उन्होंने पसा नहीं लिया, मगर किस किस सोर्सेज़ से वह पहुंचता है आज उसकी चर्चा काफी समाज में है। आप जांच करा लीजिये, आपको पता चल जायेगा।

दूसरी बात इन्टरफीएरेन्स की कहना चाहता हूं। मैं विभाग का नाम नहीं लेना चाहता, यद्यपि अपनी ड्युटी करते समय हिचक नहीं होना चाहिये। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुख्य सचिव ने एक आदेश निकाला कि जितने अनुभाग अधिकारी 5 वर्ष से अपने एक स्थान पर काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाय। एक वरिष्ठ मन्त्री ने उसको रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी महोदय अपनी प्रेस्टीज समझ कर छुट्टी चले गये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह पोलीटिकल इन्टरफीएरेन्स नहीं है तो और क्या है? जस्टिस के लिये यदि आप इन्टरफीयर करें तो समझ में आ सकता है, लेकिन यदि कोई अधिकारी सही काम करता है तो उसमें दखल क्यों देते हैं। आज एक जगह नहीं हर जगह, कदम-कदम पर इन्टरफीएरेन्स देखने को मिल रहा है।

इस तरह से क्या यह सरकार निष्पक्ष प्रशासन दे सकती है। यही नहीं, एक मिस्टर पांडेय जो अन्डर सेक्रेटरी थे, उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फाइनेन्शियल एडवाइजर बना दिया गया जबकि फाइनेन्स सेक्रेटरी ने उसको बहुत अपोज किया। एक मिस्टर आर० एस० गुप्ता हैं, वे सप्लायी में थे, उनका ट्रांसफर कानपुर किया गया, बाद में उन्हें लखनऊ ही रहने दिया गया, ट्रांसफर कैन्सिल कर दिया गया। पिछले फाइनेन्स सेक्रेटरी भी छुट्टी चले गये इसी इन्टरफीएरेन्स के कारण। आज सेक्रेटरीज और मन्त्रियों में इतना खिचांव है कि कहा नहीं जा सकता। सारा प्रशासन भ्रष्ट होता जा रहा है। रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड इविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत देखिये तो मालूम होगा कि कई-कई वर्षों से कितनी ही फाइलें पड़ी हुई हैं।

पालिटिकल इन्टरफिएरेन्स का एक और नमूना देखिये, जौनपुर के एक डी० एम० ओ० हैं, 20 हजार रुपया देकर वे आज भी अपने स्थान पर हैं। कितना रुपया दिया यह छोड़ दीजिये, मगर यह सच है या नहीं कि 25 जून को आर्डर गया उनके ट्रांसफर का, उसके बाद एक सज्जन वहां चार्ज लेने भी गये, मगर उनको चार्ज नहीं दिया उन्होंने। डा० के० सानियाल और डा० तिवारी करीब 25 दिन तक दोनों ही रहे। 28-7-72 को फिर उनका ट्रांसफर कैन्सिल कर दिया गया। अब दोनों अधिकारी वहां पर अभी मौजूद हैं। क्या यह फैक्ट नहीं है? यह कितनी घृणित बात है कि दो-दो अधिकारी एक जगह पर मौजूद रहें। सीतापुर के डी० एम० का मामला रखा गया, कई और जगह का मामला यहां बताया गया, बस्ती में दो सप्लाई आफिसर अभी वहां पड़े हुए हैं।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। नो कान्फीडेंस मोशन इस गवर्नमेन्ट के खिलाफ हम लोगों ने दिया था। उस पर विवाद के समय कल तो मुख्य मन्त्री जी यहां मौजूद थे, किन्तु आज नहीं हैं। आखिर आज जो पार्टीज के लीडर कहेंगे, उसके लिये प्रोपरायटी का तकाजा है उनको यहां रहना चाहिये। यही नहीं कि वह यहां नहीं है, कैबिनेट के 16 मन्त्रियों में से केवल दो मन्त्री ही यहां मौजूद हैं। यह बात इतनी अन्इम्पार्टेंट समझी गई कि 16 में से 2 हैं और चीफ मिनिस्टर भी यहां नहीं हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि आप उनसे कहें कि वह तशरीफ ले आयें और बातों को सुनकर उनको जवाब दें।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह बात सही है। लेकिन सूखे के बारे में कुछ आवश्यक बैठकें विभागों में हो रही हैं, उन्हीं में वे व्यस्त हैं। अब जल्दी आते होंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मालम पड़ता है यह उनके राजनैतिक वकील मुकर्रर किये गये हैं। तो मैं अपनी पूर्व बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर ने 23-7-72 को उन्हें टेलीग्राम दिया कि चार्ज दे दो, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े अधिकारी की भी आज्ञा की अवहेलना की। अब उन्होंने यह दुस्साहस करने का साहस किसके बल पर किया है, यह अध्यक्ष महोदय, आप ही अनुमान लगाएं। शायद मिनिस्टर से कम तो नहीं होगा। दूसरी बात जौनपुर में एक कोतवाल थे, जिनका राबर्टसगंज में ट्रांसफर हो गया। इसपर उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा। और वह वहां नहीं गये बल्कि अपनी मर्जी से बनारस पहुंच गये।

एक बात मान्यवर, पोलिटिकल इन्टरफियेरेंस की यह है, जिसे भी मैं बता दूं। भूतपूर्व जिलाधीश, एटा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अन्तरिम जिला परिषद् के हेड होने के जमाने में काफी घपला किया था, जिसकी शिकायत सरकार के सामने भी आई थी, लेकिन सरकार ने इतने गम्भीर मसले पर कोई कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं उनके खिलाफ एक वकील ने एफ० आई० आर० दर्ज कराई थी एक मामले में, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। क्यों? इसलिये कि वह किसी राजनतिक एजेन्ट के सम्बन्धी हैं।

श्रीमन्, अनेक शिकायतें हैं, जो मेरे पास हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय से तथा मिर्जापुर के चुनाव के बारे में आई हैं, समय मिलेगा तो कहूंगा। तो मैं कह रहा था आज राजनतिक पहलू ऐसा चल रहा है, इतना इन्टरफेयरेंश प्रशासन में चल रहा है, जिसके तमाम नमूने हमने दिये हैं। एक बात कहूं—इन्हीं कारणों से आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० की सर्विसेज का प्राविंशियलाइजेशन आप कर रहे हैं। यह लोग अपने भ्रष्ट कारनामों के कारण पहले से ही बहुत बदनाम थे। इन लोगों को अब आप एक्जीक्यूटिव में ला रहे हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि इससे पूरी सर्विस गंदी हो जायगी। आप अपने अन्तःकरण पर हाथ रख कर बताएं कि जो बातें मैंने कहीं हैं, क्या वे गलत हैं? एक दो के बारे में निकल जाइये यह कहकर कि ये गलत हैं, लेकिन जनता के हृदय से यह बात नहीं निकल सकती है जो कराह रही है आपके कुप्रशासन से।

अब मैं एफीशिएंशी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप के राज्य में अधिकारियों के मेरिट का मापदण्ड बदल गया है। एक अधिकारी कह रहे थे दिन भर में 60 ट्रांसफर आर्डस आते हैं, बहुत ट्रांसफर हो गये हैं। ऊब गया हूं, सोचता हूं कि इस ट्रांसफर के जमाने में यहां न रहूं तो अच्छा है। तो इस तरह से एफीशिएंसी कैसे रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एफीशिएंशी तो आपने इनकी अखबारों में पढ़ी होगी। इनके लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट ने एक आदमी का इलाहाबाद कारपोरेशन से बनारस को ट्रांसफर कर दिया और एक आदमी का वहां से कानपुर को कर दिया। लेकिन ये दोनों

आदमी एक मर गये और एक रिटायर्ड कर गये हैं। तो क्या आपको प्रशासन की इससे भी बड़ी इन्एफीशिएंशी का कहीं नमूना देखने को मिल सकता है।

आज फ्लड का अनुदान गया मकान बनाने के लिये और उसमें फैजाबाद, बस्ती और गोंडा से अनेक अनुदान वापस चले आए। यहां तो सरकार ने ऐलान कर दिया लेकिन वहां लोगों को मिला नहीं। वापस आ गया। तो क्या गरीबी और तंगी का अन्त हो गया? यहां के अफसरों को एक चौथाई नहीं मिलता इस लिये? यह इनइफीशिएंसी है। दो सौ फाइलें एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर को अदालत से चोरी हो गयीं, डिप्टी डाइरेक्टर कंसालिडेशन के यहां से चोरी हो गयीं। यहां से भी फाइलें चोरी हो जाती होंगी। पता नहीं। आज यह सरकार की इफीशेंसी है।

अब दूसरा नमूना दिखाने के लिये न्याय प्रशासन की ओर ले जाता हूं। दस मिनट चौधरी साहब और उनके वादविवाद में लगे ह, याद रखियेगा। न्याय प्रशासन में 70 हजार केसेज अनिर्णीत पड़े हैं। आपने देखा कि सेन्ट्रल मिनिस्टर की पायस विशेज हैं, उन्होंने अपने पवित्र विचारों का प्रकटीकरण किया, ला कमीशन की बातों पर विचार करेंगे कि न्याय सस्ता किया जाय। आज तक न्याय सस्ता नहीं किया। गरीब के लिये न न्याय है, न दवा है, न पुलिस है। यही होता है। आमरण 'अंशन पर हरिजन बैठे हैं लेकिन जूं नहीं रेंगी। दस जजेज कम हैं। क्यों नहीं जजेज मुकर्रर किये? खींचातानी क्यों है। यह तो बड़ा केमिकल चेंज आ जाता है, हरा पीला मिल कर लाल हो जाय या क्या हो जाय। कहा जाता है कि इन चार व्यक्तियों को जज मुकर्रर कर दिया जाय, अमुक दो व्यक्तियों को मुकर्रर कर दिया जाय, चीफ जस्टिस देखते हैं कि इन दो व्यक्तियों का स्थान ही नहीं है लीगल प्रोफेशन में।

बांसी में एक साल से मुंसिफ नहीं है, बस्ती में सिविल जज नहीं है। अनेक बार मांग की गयी कि जजों को मुकर्रर किया जाय। वहीं के वकीलों को वहीं जज न बना दिया जाय। वकीलों को जज बनाया जाय लेकिन निश्चित रूप से दूसरी जगह से किया जाय। यह मैं कह रहा था न्याय प्रशासन के बारे में।

मैं दूसरी बात पर आता हूं। लूट आफ दि किसान। किसानों की बड़ी दुहाई देने वाले दूसरे पक्ष के व्यक्ति बैठे हुए हैं। माननीय भानु प्रताप जी बार-बार कहा करते हैं कि प्राइस सपोर्ट नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से ठीक कहते हैं कि प्राइस सपोर्ट देना चाहिये। लेकिन वह इधर से देते हैं उधर से लेते हैं। एक रिपोर्ट निकली है। जिस अधिकारी ने निरीक्षण किया था उसकी रिपोर्ट है। अछनेरा में एस० एम० आई० ने अढ़तिये के जरिये 65 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदा और वहां दर्ज किया 76 रुपये में खचेड़ू भगेड़ के नाम से। सैंगल डिप्टी फूड कमिश्नर ने पकड़ा। 20 लाख रुपया किसान का लूट लिया गया, प्राइस सपोर्ट पालिसी में।

बुलन्दशहर की मण्डी में एस० एम० आई० प्रति बोरा जो लेता है उसम आधा किलो कम कर देता है। जब डेलिवरी दी जायगी तो उसमें भी कम कर देते हैं। दोनों मिला कर एक से तीन किलो प्रति बोरा बच जाता है। यह किस का बच जाता है? किसान का बच जाता है। हमारे पास मान्यवर, रिपोर्ट मौजूद है। पढ़ूं तो काफी समय लग जायगा। लेकिन उस रिपोट की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। तो आज यह खुली लूट किसान की डायरेक्टली हो रही है।

माननीय सदस्य ने कहा कि न जाने कितना कलेजा दुखता है किसानों को देख कर? पता नहीं दुख से दुखता है अथवा खुशी से? एक मिसाल मैं दिये देता हूं। जो उसके साधन हैं उनको सस्ता करना चाहिये था लेकिन उन्होंने एक्साइज लगा कर खाद के दाम बढ़ा दिये। चाहे भारत सरकार हो अथवा प्रान्तीय सरकार दोनों में एक रूपता है। स्टेबिलिटी सरकार में आ गयी लेकिन जरा परिणाम पर गौर कीजिये। दूसरी चीज बिजली का रेट बढ़ा दिया गया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कही जाती है लेकिन छोटा किसान उससे कभी मुस्तफीद नहीं हुआ। बढ़ी हुई कीमतों से उसको लाभ नहीं हुआ। वह कराह रहा है। उसकी प्रति दिन की कमाई 35 पैसे है।

आपने बिरला को चीप पावर दी यह सर्वविदित तथ्य है लेकिन इधर जो रेट बढ़ाया 9 पैसे से 15 प्रैसे प्रति यूनिट किसान का कर दिया लेकिन उद्योगपति का 9 से 11 पैसे ही किया कोई रेट बढ़ाया जाता है, पेइंग कैपेसिटी देखकर बढ़ाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो पेइंग क़ैपेसिटी देख कर लगाई जाती है। क्या उस उद्योगपति से किसान की पेइंग क़ैपेसिटी ज्यादा बढ़ गयी? सच तो यह है कि किसान की खुली लूट की गयी, किसान को बरबाद कर दिया। उसके इस्तेमाल की चीजें जैसे लोहा, खाद, कपड़ा, सुई, डोरा हर चीज की कीमत बढ़ी है लेकिन उसके गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी हालांकि मिल मालिकों ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। 60 परसेन्ट उन्होंने कहा फ्री कर दीजिये, आपने कर दी क्योंकि आप उनको नाराज नहीं कर सकते थे। वह दुधारू गाय हैं।

एक तरफ आप कहते हैं कि नेशनलाइज करेंगे लेकिन दूसरी तरफ आपने आज तक नेशनलाइज नहीं किया। अगर नहीं करने की नियत थी तो क्यों कहा? इसमें बदबू आती है आपके इंटेंशांस में। आप उद्योगपतियों को कभी नाराज नहीं कर सकते। हम कहते थे समाजीकरण करो वह भी आपने नहीं किया।

आपमें अपनी कही नीतियों का पालन करने का साहस क्यों नहीं हुआ? नतीजा क्या हुआ? गन्ने का उत्पादन गिरा और कीमत भी गिरी। दूसरा सीजन आ गया लेकिन कीमत नहीं बढ़ी, इससे बढ़ कर किसान के ऊपर क्रुएल्टी और क्या हो सकती है? आपने शुगर कारपोरेशन कायम किया नतीजा वही हुआ जहां-जहां पड़े चरण संत के तहां तहां बंटाधार। 5 चीनी मिलों का संचालन यह निगम कर रहा है लेकिन चीनी का उत्पादन बराबर घटता चला गया जब कि गन्ने की कीमत भी कम दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने चीनी निगम को कायम किया लेकिन उसमें भी आप असफल रहे और हर तरह से आपने किसान को पीसा।

अब आप अपनी लैंड पालिसी को भी देख लें। उस पर से भी जनता का विश्वास हिल चुका है। उसका कहना है कि आपके मुख्य मन्त्री और सरकार के कौल व फेल का क्या एतबार? पब्लिक के मन में आज आपके कौल व फेल का एतबार नहीं रहा। तामिलनाडु में चावल के भाव को लेकर तथा इंगलैण्ड में स्टील के नेशनलाइजेशन पर सरकार गिर गयी थी वही हालत इस प्रदेश की सरकार की होने वाली है क्योंकि इस प्रदेश की सरकार तथा उसके मुख्य मन्त्री की बात का कोई ठिकाना नहीं। रिफ्यूजी टैक्स लगाते समय कहा गया था कि बांगला देश के रिफ्यूजी जब तक यहां रहेंगे तब तक ही यह टैक्स लगेगा। वापस चले गये फिर भी लगा हुआ है। कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स अभी समाप्त नहीं हुए हैं।

आज भी लोगों से यह टैक्स जारी है। लैंड पालिसी के बारे में आपने मुजफ्फरनगर में उसकी माफी की घोषणा की। चौधरी चरण सिंह के जमाने में आपने इसको खत्म करने के लिये कहा, एस० वी० डी० सरकार जब थी तब भी आपने इसकी माफी के बारे में ऐसे ही कहा था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह आज तक जारी है। आपकी कांग्रेस इक्जीक्यूटिव कमेटी भी कहती है कि नहीं होना चाहिये। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस अखबार में भूमि भवन कर के सम्बन्ध में जो हमारी माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी हैं, उनके विचार पढ़ देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामन्त्री श्री राजेन्द्र वर्मा ने आज यहां कहा है कि कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यह अपेक्षा प्रकट की है कि सरकार इस कर को लगाने के औचित्य पर पुनर्विचार करेगी।

श्रीमती बाजपेयी का कहना था कि कर एक बार स्थगित हो चुका है इसलिये उसे पुनः लगाये जाने पर जनता में रोष व्याप्त होना स्वभाविक है। कांग्रेस पदाधिकारियों के इस कथन की ओर पत्रकारों ने जब मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने कहा कि इस समय विधान मण्डल की बैठक चल रही है इसलिये मैं कोई टीका नहीं करना चाहता। श्रीमती बाजपेयी ने यह भी अपेक्षा प्रकट की है कि "भूमि विकास शुल्क को सूखे की स्थिति के कारण सरकार स्थगित कर देगी।" तो मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि आज उनके ही दल में इतनी विचार धारायें हैं। क्या विश्वास मुख्य मन्त्री जी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर जनता का रह सकेगा, यह सोचने की बात है।

टैक्स पालिसी के बारे में कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

कितनी देर तक आप और बोलेंगे?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, एक-आध चीज मुझे और बतानी है। मैं जानता हूं कि आप रीजेनेबुल हैं और मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, म कह रहा था कि इन्होंने मल्टी-प्वाइन्ट टैक्स लगा दिया। यानी जब-जब खरीद होगी गल्ले की, तब-तब उस पर टैक्स लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा किस पर यह सारा बोझ पड़ेगा? कन्ज्यूमर पर पड़ेगा। गरीबों के साथ इस सरकार ने कोई न्याय नहीं किया।

एक चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज सरकार का कोई महकमा बाकी नहीं है जिसमें अधिकारियों के पास कोई चीज न पहुंचती हो। सबके पास पहूंचती है, यह म नहीं कह सकता। जैसे कोआपरेटिव ही ले लीजिये। इस विभाग की जितनी सोसाइटीज चल रही हैं चाहे वह घी की हों या तेल की हों, इनको खुली छूट एडल्टरेशन की दी जा रही है। अभी हाल हों में कानपुर में एक तेल का टिन बरामद किया गया। मैं पूछता हूं कि उसमें एडल्टरेशन करने का मौका किसने दिया। यह सरकार की शिथिलता है। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें एडल्टरेशन न हो रहा हो। आज किसानों को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं दी जा रही है वह हर चीज को एडल्टरेटेड ही पाता है। क्या सुविधा आप उसको देते हैं। जो टैक्स लगाया जाता है उसका कोई सिद्धांत होता है। किन्तु यह सब कुछ नहीं है।

मान्यवर, स्वास्थ्य से सम्बन्धित मैंने एक बात भी नहीं कही। इस वर्ष यह एनाउन्स किया गया है कि यह सरकार 250 अस्पताल और खोलने जा रही है लेकिन आज तक एक भी अस्पताल नहीं खोला गया है। आल इंडिया मेडिकल एशोसियेशन के सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है कि आज सरकार का ध्यान ज्यादातर शहरों की तरफ है। एक शहर में 2 हजार व्यक्तियों पर एक डाक्टर आज है लेकिन देहातों में 50 से 80 हजार व्यक्तियों पर एक डाक्टर है। यह स्थिति देहात की है जिसके बारे में यह कहते हैं कि उनको बड़ी सुविधायें दी हैं। आखिर आपने कौन सी ऐसी स्थिति पैदा की जिससे किसान राहत पावे और आप में विश्वास करे कि आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं।

250 अस्पतालों के स्थापित करने की घोषणा आपने कर दी लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि आज भी देहातों में और पहाड़ों पर ऐसे अस्पताल पड़े हुए हैं जहां जाने के लिये कोई डाक्टर तैयार नहीं हैं? मुझे सूचना मिली है कि एग्रीकल्चर विभाग के कई प्लांट प्रोटेक्शन आफिसर भी पहाड़ पर इसलिये नहीं जाते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप से उनका स्थानान्तरण रुक जाता है। जब आपका बजट 45 करोड़ रुपये का था उस समय आदमी अपने को सुखी महसूस करता था लेकिन इस वक्त जब आपका बजट 650 करोड़ रुपये का है जिसको आप जनता से टैक्स के रूप में ले रहे हैं, उसे सुख का अनुभव नहीं हो पाता है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

एजुकेशन पालिसी के बारे में कहने का बहुत अवसर नहीं है लेकिन आज 25 वर्ष के बाद भी एजुकेशन में आपने कोई सुधार किया ? किसी प्रकार का सुधार एजूकेशन में नहीं हुआ है । बड़ी बुरी तरह से एजुकेशन विभाग में प्रबन्धकों द्वारा पक्षपात चल रहे हैं । एजुकेशन को तीन विभागों में बांट दिया गया है और टेक्निकल एजूकेशन को इसमें शामिल कर लिया जाय तो इस विभाग को 4 मन्त्रियों के जिम्मे कर दिया गया है । आज एक विशेष जगह पर एक ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर ने मुकर्रर कर दिया है मैंने सुना है कि इसकी वजह से एजुकेशन डाइरेक्टर इस्तीफा देकर यहां से चले जाने वाले हैं ।

मान्यवर, इतनी जल्दी में मैं सब पढ़ तो नहीं पाऊंगा, यदि आप अनुमति दें तो इसको मैं पढ़कर सुना दूं । एक अखबार का पोर्शन है जिसके द्वारा आज की परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है । 5 मिनट के अन्दर मैं पढ़ता हूं । 1—"आबकारी विभाग के एक सहायक आयुक्त ने अलीगढ़ जिले के सिकन्दराराऊ कस्बे में एक स्प्रिट की लाइसेन्स प्राप्त फर्म को नकली शराब बनाते पकड़ा । स्वयं आबकारी उप मन्त्री घटनास्थल पर गये, उनकी मौजूदगी में माल बरामद हुआ । उप मन्त्री ने इस पर कड़ी कार्यवाही का सुझाव दिया । और मुख्य मन्त्री ने कड़ी कायवाही कर दिया, उक्त सहायक आयुक्त को अलीगढ़ से हटा कर देहरादून भेज दिया गया और उप मन्त्री द्वारा मामले की जांच के आदेश की फाइल दाखिल दफ्तर कर दी गयी ।"

अलीगढ़ के सत्तारूढ़ दल के ही विधायकों ने यह मामला दोनों सदनों में उठाया । मुख्य मन्त्री को पत्र लिखे, मिले । पर सब बेकार । क्योंकि उक्त फार्म ने लखनऊ में एक ऐसे व्यक्ति को दो हजार रुपये प्रतिमाह पर अपना सम्पर्क कायम करने वाला रख छोड़ा है जिसका मुख्य मन्त्री पर असर और सत्ता कांग्रेस के केन्द्रीय महामन्त्री से याराना है । ईमानदारी से काम करने वाले हरदोई के पुलिस अधीक्षक को पी० ए० सी० में भेजने का पुण्य तो मुख्य मन्त्री जी बहुत पहले ही कर चुके हैं ।

दूसरी बात मैं एक्साइज डिपार्टमेन्ट के बारे में और कहना चाहता हूं । सरकार की आज कोई भी निश्चित पालिसी नहीं है । देहातों में शराब की छोटी-छोटी दूकानें कायम कर रखी हैं और यहां शराब पीने वालों की जानें जा रही हैं । कितने आदमियों की इससे मृत्यु हो गयी, इस पर कभी विचार नहीं किया । उससे तो अच्छा यह होता कि जिस समय तक आप पूर्ण प्रोहीबिशन नहीं कर पाते उस समय तक इस तरह की फैक्टरियों का नेशनलाइजेशन कर देते । जैसे मोहन मिकिन को हर वर्ष लाखों रुपये की छूट मिलती है मुख्य मन्त्री जी की कृपा से और वे प्रधान मन्त्री के गुड बुक्स में जाने जाते हैं । एक और उदाहरण मैं इनकी लूट का दे दूं ।

अध्यादेशों में भी लूट । "अब तो मुख्य मन्त्री की ओर से यह पुण्य काम अध्यादेशों में भी किया जा रहा है । लखनऊ और कानपुर में दूध के भारी अभाव के कारण दूध से बनने वाली मिठाई,खोया, क्रीम आदि के निर्माण पर 15 जुलाई तक रोक लगाने का अध्यादेश जारी किया गया ।" लेकिन बाद में कुल्फी को बरी कर दिया गया ।...

इसका मान्यवर, बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा और इसके बारे में क्या गड़बड़ियां हुई मैं कहना नहीं चाहता हूं मैंने जो प्वाइंट इसमें माननीय सदन के सामने रखे हैं उससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस प्रशासन से देश की सारी जनता त्रस्त है । मन्त्री जी यदि दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि इस सरकार की अकुशलता से जनता दुखी हैं, सरकार में फैले हुए भ्रष्टाचार से जनता दुखी है इस शासन में फैले हुए भाई बिरादरीवाद से जनता दुखी है, इस सरकार के टैक्सों की नीति से जनता दुखी है और ला एंड आर्डर की अव्यवस्था से जनता दुखी है और इतनी दुखी है कि आज इसके पास कोई चारा नहीं है कि उसको भावना को व्यक्त करने के लिये हम लोग उसके प्रतिनिधि बन कर इस अविश्वास के प्रस्ताव को पास करें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह अविश्वस का प्रस्ताव हमारे सामने है तो इसमें जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

पहले बड़े राजनीतिक दलों के नेता बोल लें ।

श्री हबीब अहमद---

बड़े दलों में संसोपा को छोड़ कर बाकी सब लोग बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने माननीय जायसवाल जी को बुला लिया है ।

श्री हबीब अहमद---

अविश्वास के प्रस्ताव में छोटे राजनीतिक दलों को बोलने का कोई हक नहीं है । छोटे राजनीतिक दलों को भी समय दें ।

श्री अध्यक्ष---

अभी आप बैठिये । मैं जायसवाल जी को बुला चुका हूं ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, अध्यक्ष जी, इस सरकार को हटाने का जो प्रस्ताव जेरे बहस है उसी के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । इस सरकार को कायम हुए मुश्किल से सवा साल गुजर होगा कि इसी अवधि में आज हालत यह है कि कांग्रेस के साधारण विधायक से लेकर प्रधान मन्त्री तक अविश्वास की एक श्रंखला बिछ गई है । प्रधान मन्त्री का मुख्य मन्त्री पर, मुख्य मन्त्री का मन्त्रिमण्डल के सदस्यों पर, मन्त्रियों का राज मन्त्री और उप मन्त्रियों पर विश्वास नहीं है और विधायकों का न इस सरकार में विश्वास है न इसकी नीतियों में । सरकार का यह सिलसिला दिल्ली से लखनऊ तक और विधायक तक फैला हुआ है । प्रधान मन्त्री की लाबी समय 2 पर इस असंतोष को उभारती रहती है ।

और अविश्वास बराबर बढ़ता रहता है । याद दिलाना पड़ेगा कि अखबारों में आये दिन यह खबरें छपा करती हैं या मुंह दर मुंह चर्चा हुआ करती हैं कि मुख्य मन्त्री जी के परिवार के जो सदस्य हैं या उनके निकट के जो आदमी हैं उनके खिलाफ सी० बी० आई० जांच कर रहा है। कभी अफवाह फैलती है कि मुख्य मन्त्री जी जाने वाले हैं और उनकी जगह श्री उमाशंकर दीक्षित

(इसे समय 1 बजकर 14 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

जी आने वाले हैं, कभी अफवाह फैलती है कि श्री के०सी० पंत आने वाले हैं और कभी और किसी का नाम लिया जाता है कि यह लोग आने वाले हैं ।

इसी तरह से आप को याद होगा कि जब यहां पर मंत्रियों के विभाग बदले गये तो मंत्रिपरिषद् के सदस्यों में कुछ असंतोष हुआ और उस को उभारने के लिये आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री चन्द्र जीत यादव लखनऊ पधारे थे और उनके जरिये से पूरी कोशिश की गई । इस तरह से जो विभिन्न हित उधर हैं उनमें आपस में बराबर संघर्ष चल रहा है और इस तरह से जो यह विभागों का वितरण हुआ है उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई है उसको यहां अधिक पेश करने की आवश्यकता नहीं है ।

कल इस प्रस्ताव पर बोलते हुए चौधरी साहब ने प्रकाश डाला था कि किस तरह से मुख्य मंत्री अपने पास ज्यादा से ज्यादा महकमे रखे हुए हैं और जो बड़े और महत्वपूर्ण महकमे हैं वे उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

खास-खास विश्वासपात्रों के पास हैं और उधर बैठने वाले लोगों का गुट भी यह बात फैलाता है कि अपने चहेतों के द्वारा खूब पैसा बटोरा जा रहा है। यह सारी चीज इधर बैठे हुए लोग नहीं कहते हैं

बल्कि उधर बैठे हुये लोग ही कह रहे हैं।

यहां तक कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिये भी रिश्वत दी गयी। यह सब चर्चा उधर से हो रही है और जहां तक साधारण विधायक का सवाल है अभी पहली तारीख के अखबार में आपने देखा होगा कि उस तरफ बैठने वाले विधायकों के करीब 90 की संख्या थी जिस ने अपना एक ज्वाइंट वक्तव्य नेशनल हेराल्ड में छपवाया है, उसमें प्रमुख हैं श्री रामकृष्ण द्विवेदी, श्री रियासत हुसेन, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री सुखपाल पान्डेय, श्री माखन लाल मिश्र और श्रीमती सिया दुलारी। वह खबर यह थी कि सन्निकट सूखे के प्रति सरकार बिलकुल लापरवाह है। यह चौधरी साहब, माधव प्रसाद जी त्रिपाठी, कल्पनाथ सिंह या अनन्तराम जायसवाल का कहना नहीं है बल्कि आपके पास जो बैठे हैं शर्मा जी उन लोगों का कहना है कि सरकार सूखे के प्रति बिलकुल लापरवाह है और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको बिजली न देकर सरकार बिड़ला के हिन्डालको के साथ खास रियायत कर रही है। उन्होंने पुरजोर अलफाज में मांग की है कि सिटीजन्स की लाइट और हिन्डालको की बिजली काट कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नलकूपों को दी जाय। यह हालत है।

इसी तरह से कांग्रेस विधायक दल की जो बैठकें होती हैं उनमें जब भूमि विकास कर का कानून आया जिस पर अभी चर्चा नहीं हो सकी है, मुझे मोतबिर जरायों से मालूम हुआ है कि उस विधायकों की बठक में 90 प्रतिशत लोगों ने उस विधेयक के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है।

इसी तरह से जैसा कि अभी श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने जिक्र किया कि कांग्रेस विधायकों के ही करीब 30 के जत्थे ने मई में प्रधान मंत्री से मुलाकात की। और प्रधान मन्त्री से मिलकर शिकायतें की कि श्री सीताराम, उदति नारायण शर्मा, राम लखन, लक्ष्मी शंकर यादव और बल रामसिंह यादव जो मंत्री परिषद् के सदस्य हैं, ये भ्रष्ट ह और अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि जहां 30 लोगों का जत्था मिला था, इसी महीने की 20 तारीख के बाद या इसके आसपास, इस सदन की बैठक के समाप्त होनेके बाद फिर प्रधान मन्त्री से अपनी शिकायतें दुहराने जा रहे हैं। तो आज असली हालत यह है। असलियत में अविश्वास का प्रस्ताव जो आया है उसके पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। तो ऐसा न समझें कि यह खाली सरकार की नुक्ताचीनी करने के लिए ही पेश किया गया है बल्कि सरकार को हटाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है। अगर माननीय सदस्यों की अन्तर-आत्मा कहीं जाग गयी, तो आज शाम तक इस का फैसला हो सकता है और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आप आशावान हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, आशा न होती तो अपने घर बैठते जाकर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप लोग अपने दल की बैठक में सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सार्वजनिक रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए वक्तव्य देते ह। तो आप के मन के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं तो फिर क्या वजह है कि अपनी जबान सी कर इस सदन में बैठ जाते हैं। पुरानी कहावत है हमारे नेता ने बताया है कि अकेले स्वार्थ का बंधन या धागा, इस सरकार को टिकाये हुये है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अन्तर आत्मा की आवाज को सुनें। अपने निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ से देश के स्वार्थ और प्रदेश के स्वार्थ को बड़ा मान कर इस स्वार्थ के धागे को आज तोड़ डालें और जब इस प्रस्ताव पर विभाजन या वोटिंग हो तो आप हमारा साथ दें।

यह सरकार कैसी है इस का दूसरा नमूना मैं बताता हूं। मन्त्री मण्डल के सदस्यों में क्या-क्या चलता है, जरा उसकी ओर भी देखें। इस में हर सदस्य को यह फिक्र रहती है कि किसी तरह से अखबार के जरिये से या और किसी अन्य साधन के जरिये से प्रचार किया जाय कि हम तो बहुत नेक हैं, पाक साफ हैं लेकिन मुख्य मन्त्री या कोई दूसरे सदस्य गन्दे, नापाक, बेईमान और भ्रष्ट हैं, यह इनकी बराबर कोशिश चलती है। और अगर आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। आप का ध्यान 22 जुलाई, के ब्लिट्ज अखबार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पृष्ठ 6 पर एक खबर छपी है। उसका यह छोटा सा अंश है जो इस प्रकार है :

The rum worth Rs. 5,00,000/was declared unfit and a fine of Rs. 20,000/ was imposed. but because of pressure from top, the crse was hushed up

इस का अर्थ यह है कि 5 लाख की लागत की रम शराब बेकार गयी जो पीने के लायक नहीं रह गयी थी। जिस फैक्टरी से यह सम्बन्धित थी उस पर 20,000 रुपये कातावान लादा गया, लेकिन ऊपर के दबाव के कारण वह मामला बिल्कुल खामोश कर दिया गया। इसका साफ मतलब यह निकलता है कि आबकारी मन्त्री जी तो कुछ करना चाहते थे, लेकिन मुख्य मन्त्री जो टाप पर हैं या हमारी इन्दिरा गांधी जी जो उन से भी ऊपर हैं, के दबाव पड़ने से सारा मामला दबा दिया गया। कोई अच्छा भला आदमी होता तो तुरन्त मन्त्रिमण्डल के प्रति इस बात को छपवाने के बजाय कि वह इस दबाव में आयेगा, घुटने न टेके और अपने स्थान को रखने के लिए मंत्रिमण्डल से ही हट जाय। लेकिन ऐसे सम्मानजनक बर्ताव की आप लोगों से आशा नहीं रह गयी है। इस तरह से यह बयान छपता। लेकिन मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं मान्यवर, कि मन्त्री जी ने खुद क्या किया।

माननीय चरण सिंह जी के जिले में सिम्भौली की डिस्टिलरी है। उसमें मन्त्री जी ने खुद रेड देकर जो अनियमिततायें या भ्रष्टाचार पकड़ा उसकी मिसाल शायद देश में पहली हो। पूरे ड्रम के ड्रम शीरे से शराब डिस्टील की जाती, उनका हिसाब-किताब नहीं था। उससे खींची जाने वाली शराब का तो फिर कोई हिसाब-किताब हो ही नहीं सकता। अगर आप जानना चाहें तो दिल्ली से जो सप्लाई होती है उत्तर प्रदेश को वह इसी सिम्भौली से ही होती है इसको सभी लोग जानते हैं। इसमें लेकिन कार्यवाही क्या हुई। मान्यवर, न तो किसी सुरपावइजिंग स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही हुई और न लाइसेंस जिस के तहत फैक्टरी चलायी जा रही है न उसके खिलाफ कार्यवाही हुई। बल्कि यह किया गया कि वहां के खाली इन्स्पेक्टर की गर्दन पतली समझी गई उसी को पकड़ लिया गया। अच्छा किया। लेकिन उसके साथ क्या किया ? उसको कुछ दिन मुअत्तल रक्खा गया। उसके बाद उसको हापुड़ की जो प्राइज्ड पोस्ट है वह दे दी गयी। इतना बड़ा ऐतिहासिक केस जो पहले कभी नहीं पकड़ा गया, फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही नहीं, सुपरवाइजिंग स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही नहीं, इन्स्पेक्टर को केवल पकड़ा गया। ट्रांस्फर मन्त्री जी ने खुद किया। उस आदमी को वहां पोस्ट कर दिया जो पश्चिम की प्राइज्ड पोस्ट समझी जाती है हापुड़ सर्किल में।

इसी तरह से अन्य अनियमितताओं में कानपुर गोदाम के एस० एन० चौरसिया साहब पकड़े गये। उनको सजा भी दी गयी। उन के इन्क्रीमेंट रिडयूस कर दिये गये। लेकिन बाद में उनको भी प्राइज्ड पोस्ट मिली है। बरेली गोदाम यानी कि गोदाम में उनके खिलाफ चार्ज था कि ये नाजायज तरीके से शराब को बाहर भेज देते थे। अगर मुअत्तल खुद करते तो साल दो साल देख लेते कि यहां भेजने लायक हैं या नहीं। लेकिन मन्त्री जी ने खुद ट्रांस्फर किये हैं और भेज दिया है उस को बरेली के गोदाम में।

इसी तरह से मान्यवर, एक रामरूप पटेल हैं। यह भी इक्साइज इन्स्पेक्टर हैं। जब यहां पर मौतें हुई हैं जहर से तो उस सिलसिले में मुअत्तिल किये गये और मुअत्तिल करने के बाद उनको फिर प्लेस कर दिया गया बुलन्दशहर सिटी में। मैं इसलिये इनको गिना रहा हूं कि दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं कि आपस में लड़ते हैं लेकिन खुद क्या-क्या कर रहे हैं उस

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान जाना चाहिये। उस तरफ बैठे हुये लोगों का भी ध्यान जाना चाहिये। इस तरफ बैठे हुये लोगों का भी ध्यान जाना चाहिये।

इसी तरह से एक और फैक्टरी है यहां बस्ती में उसका नाम है वाल्टरगंज डिस्टिलरी। ये नाजायज तरीके से शीरा बेच देते हैं वैगन का वैगन। इन्स्पेक्टर ने उसको पकड़ा। उसका नाम जटा शंकर है। अदालत की कार्यवाही शुरू नहीं हुई और प्रेशर पड़ने पर उसको भेज दिया है वहां से। मुकदमा खारिज हो गया है।

मान्यवर, वहीं के किसी कर्मचारी और अधिकारी ने नहीं पकड़ा, बल्कि पकड़ा है उस हैसियत के आदमी ने जो मिनिस्टर कहलाता है। उसके बाद भी इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया होता या उसे ब्लेक लिस्ट कर दिया होता कहीं कुछ नहीं है। बल्कि जो चीज है वह यह है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया जो दोषी पाये गये और इसमें भी सुपरवाइजिंग स्टाफ पर जैसे ए० सी० हैं या सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह मामला सारा चल रहा है और अखबार में खबर छपी है कि डिस्टीलरी के खिलाफ 20 हजार रुपया जुर्माना करना चाहते थे लेकिन ऊपर के दबाव के कारण यह जुर्माना न कर सके। लेकिन यह सारी चीजें अगर एक साथ पढ़ी जायं तो सारी स्थिति का पता चल जाता है और मुझे यह भी पता चला है कि उन्हीं के सम्बन्ध में, उनके दोस्त माननीय शर्मा जी यहां बैठे हुये हैं, कोई दस्तखत अभियान चल चुका है या चलने वाला है। शायद उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो इस तरह का मंत्रिमंडल और उसके सदस्य इस तरह से लड़ रहे हैं कि पहले कभी नहीं दिखाई देता था—एक दूसरे की एक बुराई कर रहे हैं अलग-अलग।

मान्यवर, एक ही पार्टी है, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग लोग लाये गये हों। तो ऐसे मंत्रिमंडल को यह प्रदेश और सदन क्यों बर्दाश्त करे—सवाल यह है। और सारा मामला इसी पर आधारित है। इसी तरह से दूसरे विभागों का हाल अच्छा नहीं है। अभी पुलिस के बारे में माननीय माधव प्रसाद जी और दूसरे लोगों ने मिसाल दी कि ऐसा लगता है जैसे यहां पर फासिस्ट कायम हो गया है। आज जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो कांग्रेसी हैं या ओहदेदार हैं, या इस माननीय सदन का सदस्य है, तो उनका छोटे स्तर के पुलिस कर्मचारियों के साथ ऐसा गठबन्धन हो गया है, ऐसा गठबन्धन हो गया है कि जो चाहें करवाते रहते हैं। अगर विभाग के बड़े-बड़े उसमें इन्टरफीयरेंस करें, तब उन बेचारों की, क्या बताऊं, चल नहीं पाती। अभी तक यह नहीं हुआ होगा कि मंत्री इस तरह के आर्डर पास करें। अगर कभी इन्टरफीयरेंस होता भी था तो आई० जी० या डी० आई० जी० जो सर्किल का होता था उससे कह दिया जाता था कि ऐसा करो और ऐसा न करो। लेकिन अब इस मंत्रि-परिषद् द्वारा, जो उसके सदस्य हैं, रोज-ब-रोज इस तरह का दखल हो रहा है जिससे लगता है कि उनकी मर्जी के लोग जब चाहें जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें रहें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

उसी तरह से जैसा अभी माननीय विधायक जो बस्ती के हैं, वह कह रहे थे कि हर विभाग का यही हाल है और आपका ध्यान खींच रहे थे कि इस तरह के ट्रान्सफर किये गये हैं कि एक दफा नहीं 4—4 और 5—5 बार उसमें तब्दीली हुई। नतीजा यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों की यहां पर भीड़ लगी रहती है और उन को काम नहीं करने देता है। यह खाली उनकी शिकायत नहीं है, बल्कि सभी शिकायत कर रहे हैं।

यह काम करने का ढंग है। इतना पक्षपात, इतना नेपोटिज्म है और इतना भ्रष्टाचार है कि मान्यवर, यहां कोई करे या न करे लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधान सभी के सभी माननीय सदस्य, आपके अधिकारी जानते हैं कि अब यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ भी शको-शुबहा के ऊपर है। यह जो दफ्तर है सेक्रेटिरिएट यहां भी कचहरी की बुराई आ गई है। ये सारी बातें हैं इस सवा-साल पुरानी सरकार की। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके पहले पर्सनल स्टाफ के बारे में, या यहां के विभागों

के बारे में इस तरह के गलत आक्षेप नहीं लगा करते थे। लेकिन आज हर वक्त लोगों की जबान पर यह चीज है। उस तरफ वाले भले ही यह न बोलें—मान्यवर, कोई तरीका यदि होता कि इनके मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता है, या इनकी आंखें देख कर बताया जा सकता है—तो इनके चेहरे बोल देते कि जो मैं कह रहा हूं वह शत-प्रतिशत सत्य है।

दूसरा इल्जाम जो हमारा सरकार के खिलाफ है, वह यह है कि आज यह सरकार जाति, मजहब और सम्प्रदाय के नाम पर सारे समाज को छिन्न-भिन्न किये दे रही है—केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर। यह सरकार को अक्यूज्ड है। इसके बारे में थोड़ा तफसील में निवेदन करना चाहूंगा। लोक सभा के चुनाव होने वाले थे। दिसम्बर के आखिरी माह में दिल्ली से चन्द्रजीत यादव और केदारनाथ सिंह सुल्तानपुरी यहां डा० फरीदी के पास आते हैं काहे के लिये? कि मुसलमानों के थोक के थोक वोटों का कांग्रेस के हक में सौदा हो जाय।

डा० फरीदी को इस सिलसिले में दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली के अखबार "पैट्रियाट" के सैय्यद साहब के साथ ये दिल्ली आये। वहां डा0 फरीदी को डी० पी० मिश्रा के जरिये फरमान मिलता है कि चन्द्रजीत यादव और केदारनाथ सिंह के साथ शर्तें तय कर लें जिनके आधार पर मुसलमानों के थोक के थोक वोट कांग्रेस को मिल सकें। चुनांचे एक प्रोग्राम ड्रा किया गया जिसकी कापियां तैयार की गयीं। एक प्रधान मन्त्री को भेजी गयी और एक डी0 पी0 मिश्रा को भेज दी गई। डा0 साहब 31 तारीख को फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद 3 जनवरी को सैय्यद साहब फिर तशरीफ ले आये और कहा कि प्रधान मन्त्री बाहर से आ गयी हैं, चलकर मुलाकात कर लें और आखिरी बात तय हो जाय। डा0 साहब की प्रधान मंत्री से दिल्ली में मुलाकात होती है। वह प्रोग्राम निकाला जाता है और उस पर प्वाइन्टवाइज डिस्कशन होने के बाद तय हो जाता है कि उनको (प्रधान मंत्री) को कोई एतराज नहीं है। लेकिन डा0 फरीदी ने तय किया कि वह जबानी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि वह सब जब तक घोषणा-पत्र में शामिल नहीं होंगे, ये फंसने वाले नहीं हैं। चुनांचे घोषणा-पत्र तैयार किया गया और उसमें उन चीजों को शामिल किया गया।

15 जनवरी, 1971 को युन्सिसलीम आदि, कांग्रेस द्वारा जो घोषणा-पत्र तैयार किया गया था, उसको लेकर डा0 फरीदी साहब की रजामंदी लेने के लिये लखनऊ आये। डा० फरीदी ने उसको देखकर इन्कार कर दिया कि चूंकि उसमें ये सभी चीजें शामिल नहीं हैं, इसलिये ये तैयार नहीं हैं। चुनांचे ये लोग फिर वापस गये और प्रधान मन्त्री को रिपोर्ट दिया। 22 जनवरी, 1971 को डा0 फरीदी साहब फिर तशरीफ ले जाते हैं। वहां पर सैय्यद साहब की मौजूदगी में उनकी प्रधान मन्त्री से बातें होती हैं। एक-एक प्वाइन्ट पर डिसकशन होता है और सभी बातें तय हो जाती हैं। तब प्रधान मन्त्री जी कहती हैं कि यह बहुगुना जी को बता दें जो कमरे के बाहर दीक्षित जी के साथ बैठे हुये हैं।

डा0 फरीदी ने वही किया। उसके बाद लौटकर आए जहां ठहरे थे। वह स्थान सरदार जोगेन्द्र सिंह जी का आवास था। वहां पर मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद थे। हमको डा० फरीदी ने बताया है और उनकी पार्टी के सालाना जलसे में उन्होंने कहा है और एक चिट्ठी में लिख-कर डी0 पी0 मिश्रा और प्रधान मंत्री को भी भेजा है। तो श्रीमन्, डा0 फरीदी ने पंडित जी से पूछा कि क्या आप को मालूम है क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा हां, मुझे सब मालूम है। तब उन्होंने कहा करना तो आपको ही पड़ेगा। इस पर पंडित जी ने कहा—दिस इज जैन्टिल-मैन्स एग्रीमेंट। यह वह चीज है जो डा० फरीदी साहब कहते हैं और बराबर अखबारों में आ रही है। अब घोषणा-पत्र तैयार होता है। उसको सार्वजनिक ऐलान के पहले फरीदी साहब के पास मंजूरी के लिये लाया जाता है और जब वह देख लेते हैं कि सब चीजें उसमें आ गयी हैं तब उसे पब्लिश किया जाता है।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह कौन सी चीजें थीं जिन पर यह समझौता हुआ था। 6 मई, 1972 को मुस्लिम मजलिस की जो सालाना कांफ्रेंस हुई थी उसमें जो डा०

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

फरीदी का अध्यक्षीय भाषण हुआ उसमें से कोट करना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है। बाद में हिन्दुस्तानी में बता दूंगा—

"At this juncture I would like to inform, ladies and gentlemen, that we extended the support to the Congress (R) after Smt. Indira Gandhi and her top most advisers like D. P. Mishra of Madhya Pradesh, Sri Chandra Jit Yadav, M. P., Secy. of Congress (R), Sri Bahuguna, M. P. and our present Chief Minister Pt. Kamlapati Tripathi had categorically promised the following : "

उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों का समर्थन इसलिये कांग्रेस को दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगियों के साथ, जिसमें मुख्य मन्त्री जी भी शामिल हैं, हमारा मुहायदा हुआ था जो निम्नलिखित है।

श्रीमन्, इसमें कई बातें हैं। दो-तीन मुख्य-मुख्य मैं बताना चाहता हूं—

" A Urdu University would be established at Rampur.

Inadequate representation of Muslims in Central and State Services especially in Police, was to be looked into and the deficiency, if found, was to be made-up.

The autonomy and the minority Character of Aligarh University as defined in Article 30 of the Constitution would be preserved. "

यानी रामपुर में उर्दू यूनीवर्सिटी कायम की जायेगी। अलीगढ़ यूनीवर्सिटी का अक्लियती किरदार बनाये रखा जायेगा, और सरकारी मुलाजिमत में, मरकजी और सूबाई दोनों में और खास तौर से पुलिस में मुसलमानों की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ-साथ यह भी था कि उर्दू को इस प्रदेश की दूसरी जुबान बनाया जाएगा। लेकिन कितने चालाक हैं ये लोग ? क्या कहा उस वक्त ? कहा कि यहां पर चूंकि त्रिभुवन नारायण सिंह का मंत्रिमण्डल है और अगर हम मान भी लें तो भी वह मंजूर नहीं करेंगे, उर्दू को दूसरी जुबान नहीं बनायेंगे, इसलिये केवल इतना ही रखा जाय कि उर्दू को उसका मुनासिब दर्जा दिया जाएगा। तो यह मुहायदा हुआ था और इसको कांग्रेस घोषणा-पत्र में भी इस तरह से लिखा गया है। घोषणा-पत्र का पैरा 53, 54, 55, 56 है। मैं संक्षेप में पढ़ देता हूं—

"विधान के अनुसार राज्य और स्थानीय अधिकारियों की ओर से भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिलाने की उचित सुविधा दी जानी चाहिए"

इसे अमल में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। (54) धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बुनियादी उसूल है। इस संवैधानिक आदेश के अनसार कांग्रेस कोशिश करेगी कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थायें और अन्य संस्थायें बनाने, उनका इन्तजाम करने और उन्हें चलाने की पूरी आजादी मिले।

बिलकुल वही अल्फाज उनसे मिलते-जुलते हैं जो डाक्टर फरीदी साहब ने अपने खुत्बे में कहे थे यानी माइनारिटी करेक्टर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं का रहेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 55वें आइटम पर क्या कहा गया है श्रीमन्, उससे मिला लीजिये:—

"(55) कांग्रेस शिक्षा संस्थाओं के लोकतंत्रीय संचालन तथा उनके स्वायत्त स्वरूप को सुरक्षित बनाये रखेगी। इनमें वे शिक्षा संस्थायें भी शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों के कहने पर और उनके लाभ के लिये बनाई गई हैं।"

इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्पेसीफिकली नाम इसलिये नहीं लिया गया कि फिर और जगह झगड़े हो जायेंगे और पंजाबी लोग गुरुमखी के लिये और दूसरी अक्लियतें अपनी-अपनी जबानों के लिये मांग करेंगी। इससे मतलब का साफ पता चल जाता है।

"(56) कांग्रेस विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक कार्य को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है। इस संदर्भ में उर्दू को उसका अपना उचित स्थान दिया जायगा जिससे वह अभी तक वंचित रही है।"

तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता था कि यह सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों गद्दी या इक्तिदार को हासिल करने के लिये साम्प्रदायिकता से समझौता करने की अपराधी हैं और दोषी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उस इतिहास को नहीं भूलें होंगे जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और भारत के नाम से। उस वक्त भी मान्यवर, समझौता किया गया था मुसलिम लीग से कि हम लोग मिल-जुल कर चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी मिलने पर मखलूत विजारत बनायेंगे। लेकिन चुन जाने के बाद उस वादे को पूरा नहीं किया गया था और तब सन 1947 में इस देश का बटवारा हुआ।

मेरा इस गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज है कि इस गवर्नमेंट ने इस मुल्क को फिर से छिन्न-भिन्न करने का बीज डाल दिया है। और उस तरफ बैठे हुये माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि देश का बटबारा मुस्लिम लीग के तुरन्त बनने के बाद नहीं हुआ था, 20 साल का वक्फा लगा था और तब जाकर देश का बटवारा हुआ और इसी तरह पर आज आपने जो बीज डाल दिया है वह भी रंग लायेगा। इसमें शक हो सकता है कि कितने दिनों में वह होगा लेकिन देश को फिर से छिन्न-भिन्न करेगा, इसमें कोई शुबहा नहीं है। अभी आज जब हम आ रहे थे तब मान्यवर, एक कागज हमको मिला था। आपने जो कुकर्म किया है उसका नतीजा निकलने वाला है। यह पर्चा यहां के विधायकों में बांटा गया है। इसको बांटने वाले हैं, शब्बीर अहमद राही, सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ। जरा देखिये कि किस तरह से शुरूआत हो रही है, हो सकता है कि 20 साल भी न लगें, इस मुल्क को छिन्न-भिन्न होने में। यह एक तरह से एक्सलूसिवली सम्बोधित है एक सम्प्रदाय के विधायकों के नाम और इसमें क्या है:—

"मोहतरिम जनाब साहब, तसलीम,

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला और उससे पैदा होने वाले हालात जो अलीगढ़, वाराणसी और फिरोजाबाद में रूनुमा हुये उन सब की जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर है। अगर यह हालात ऐसे ही रहे तो इसका इमकान है कि मुल्क में आमतौर पर और मुसलमानों में खास तौर पर शदीद हैजान पैदा हो। यह मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है अगर आप 36 मुसलिम मेम्बरान असेम्बली एलान कर दें कि आप हजरात आज गवर्नमेंट के खिलाफ और अदम एतमाद की मवाफिकत में वोट देंगे तो गवर्नमेंट फौरन आपकी बात मानने के लिये तैयार हो जायेगी। आप 36 मेम्बरान की जरा सी कुरबानी से यह मसला आज ही हल हो सकता है और आप मुल्क व मिल्लत दोनों को एक अजीम बुहरान से बचा सकते हैं, बजाय इसके कि तमाम मिल्लत और हमदर्दानि मिल्लत इस इम्तिहान में एड़ी-चोटी का जोर लगायें और अगर आप सिर्फ 36 मेम्बरान असेम्बली यू0 पी0 थोड़ी सी कुर्बानी के लिये तैयार हो जायें तो सारे मुल्क को एक बुहरान से बचा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यह हरगिज बरदाश्त नहीं करेगी कि तमाम मुसलिम मेम्बरान असेम्बली उससे अलग हो जायें और वह सिर्फ एक फिरके की जमाअत रह जाये।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

असेम्बली की सीट पर आप कायम रह सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस आपसे महासिबा कर सकती है। इस मामले में बी० के० डी०, एस० एस० पी०, कांग्रेस (ओ) और अपोजीशन के तमाम मेम्बरान से मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आपका साथ देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे और यह मसला बखैर व बाखुशी हल हो जायेगी।

एक बार फिर आपसे मोअद्दिबाना इल्तिजा करता हूं कि आप मेरी इस नेक ख्वाहिश की तामील करेंगे।"

फकत—

कौम व मुल्क का एक खादिम,
शब्बीर अहमद राही,
सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील,
लखनऊ।

कांग्रेस पार्टी हरगिज बरदाश्त नहीं करेगी कि तमाम मुसलमान मेम्बर एसेम्बली से हट जायें। वह उसमें रह जायें। कांग्रेस आपके स्पष्टीकरण मांग सकती है। इस मामले में बी० के० डी०, कांग्रेस और अपोजीशन के तमाम मेम्बरानों से उम्मीद है कि आप पूरी-पूरी मदद करेंगे। बाद में उसमें यह भी कहा है कि आपकी पूरी इम्दाद इसमें हासिल होगी। इस को लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद राही, तकिया पीर, लखनऊ।

मान्यवर, जनवरी, 1971 में उसने अंकुर लाने शुरू कर दिये। कब उसका फल पक जायगा और कब फिर से देश भिन्न-भिन्न होगा इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा लें। यह ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये कुछ भी कर सकती है और इसकी भी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। बस्तर के राजा का कत्ल किया गया। इन्होंने एस० बी० डी० की सरकार के विरुद्ध कौन सा ऐसा हर्बा है जिसका उपयोग नहीं किया। गन्दे से गन्दे हर्बों का उपयोग इन्होंने किया।

नारायणदत्त जी तिवारी इसी पेशकश में रहते थे और उन्होंने उन सारे गन्दे हर्बों का इस्तेमाल किया। इस मुल्क में जम्हूरियत का गला घोंटा गया है केवल उसकी ऊपरी शक्ल रह गई है लेकिन सचमुच जम्हूरियत नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। इन्होंने तय कर लिया है कि कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े लेकिन अपने हाथ से ताकत को नहीं जाने देंगे। पुलिस का इस्तेमाल यह खुलेआम ऐसे कामों में करवाते हैं। कितनी जालिम यह सरकार है।

जब चुनाव चल रहे थे क्या-क्या हथकन्डे इन्होंने इस्तेमाल किये हैं? इन्होंने सी० पी० आई० (एम०) के खिलाफ क्या जालसाजी नहीं की और अन्त में उससे उनको छुट्टी मिल गई। चारू मजूमदार को पुलिस ने मार डाला। सारी दुनिया और यह देश भी इसको जानता है। यह किस तरह से जम्हूरियत को मिटाने पर लगे हुये हैं, अब यह किसी से छिपा नहीं है।

24वां संविधान में संशोधन किया गया, चाहे तो पूरे संविधान को ही खतम कर दें। जब यह संशोधन हुआ उसी दिन मुल्क से जम्हूरियत खतम हो गई। क्या कहते हैं कि प्रगति के नाम पर इसको कर रहे हैं। हर गन्दे काम पर प्रगति का कोहरा डाल दिया। उसके अन्दर क्या है यह तो वह बखूबी जानते हैं।

मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट जो है वह उनकी निगाह में प्रगतिशील है। मुसलमानों का जो रीऐक्शन है, तथाकथित प्रगतिशील लोग जो कहते हैं कि देखो अब खाली मजहब की तालीम नहीं दी जा सकेगी और सभी धर्मों और सभ्यताओं की तालीम दी जा सकती है। यह नहीं

बतायेंगे कि उस बिल के जरिये से उसकी आटोनोमी को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया है। अब आपके अधिकारी और आफिसरों को उन्हीं का स्थान मिलेगा जिसको कि सरकार चाहती है। जब ऐक्ट आया और मुसलमान चिल्लाने लगे तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई। उसके परिणामस्वरूप क्या क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। 5 तारीख को अलीगढ़ में, 16 से 19 तारीख तक बनारस और फिरोजाबाद में जो कुछ हुआ और हमारे अधिकारियों ने उनके साथ जो कुछ ज्यादती की वह इस बात को नहीं बताती कि हमारे देश में जम्हूरियत नाम की कोई चीज है। कोई डेमोक्रेट ऐसा नहीं कर सकता है। वह अपने को कभी भी डेमोक्रेट साबित नहीं कर सकते।

जिस तरह से करफ्यू के दौरान जुल्म ढाया गया, उसमें करफ्यू के समय जब कोई घर से नहीं निकल सकता था, मुसलमानों को पीटा गया है, उनको कत्ल किया गया है, उनके घर जलाये गये, उनको लूटा गया है और चौकियों और थानों में पानी की जगह पर उनको पेशाब दिया गया है। यह आपने किया है। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि क्या आप में जोर है कि इन्कार कर सके इन चीजों से? आपके ओहदेदार क्या कह रहे हैं? खाली उनको यह याद दिला रहा हूं कि यह हमारा ही इलजाम नहीं है, बल्कि इस इलजाम की ताईद कांग्रेस संगठन की सभापति, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी कर रही हैं। जो सेक्रेटरी है, आगा जैदी साहब, वह कर रहे हैं। उनके सारे बयानों की नकलें हमने की हैं। उसको संक्षेप में पढ़ देता हूं।

"इससे पहले डाक्टर बाजपेयी ने कांग्रेस के उर्दू हफ्तेवार में एक बयान शाया करवाया था जिसमें उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया था कि पी० ए० सी० ने खुल्लम-खुल्ला मुस्लिम इलाकों में गुन्डा-गर्दियों में हिस्सा लिया था। मुबैयना तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस वक्त एक तरफ चन्द हिन्दू गुन्डे मुस्लिम मुहल्लों में आग लगा रहे थे उसी वक्त दूसरी तरफ बनारस में पी० ए० सी० के सिपाही मुसलमानों के घरों को लूट रहे थे।

एक दूसरे इंटरव्यू में डा० बाजपेयी ने कहा कि करफ्यू आर्डर में, देखते ही गोली मार देने के हुक्म के बावजूद फीरोजाबाद की जामा मस्जिद और इस्लामियां कालेज को राख का ढेर बना दिया गया।

फीरोजाबाद और बनारस के फसादजदा इलाकों के दौरे के बाद "ब्लिट्ज" को अपने तास्सुरात बताते हुए डा० बाजपेयी ने कहा कि पुलिस ने एक मस्जिद से मलवा हटाने में बड़ी मुस्तैदी दिखाई। इसके बावजूद उन्होंने मस्जिद में इनसानों की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई देखी थीं।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने इस बात पर भी इजहार अफसोस किया कि फसाद के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सात मुसलमान मेम्बरान को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें से एक की उम्र 80 साल की थी और जो 1930 से जंगे आजादी में हिस्सा ले रहे थे।"

ये हैं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी। और आगा जैदी साहब को देखिये—18 जुलाई के "सियासत जदीद" में स्टेटमेंट छपा है—

"श्री आगा जैदी, सेक्रेटरी, सूबा कांग्रेस कमेटी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले को एक ऐसा मसला बताया जिसमें हुकूमत ने राये आम्मा को हमवार करने में कोताही बरती। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम जिला मैजिस्ट्रेटों की सख्त मजम्मत की जिन्होंने एहतिजाज करने पर ऐसी पाबंदियां भी लगा दी थीं जिसके तहत काले बिल्ले और काले झंडे न लगाये जायं। श्री आगा जैदी ने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं और सरकार की जानिब से जो कोताहियां हुई उनके लिए बहैसियत जनरल सेक्रेटरी, रियासती कांग्रेस, माफी मांगता हूं।"

तो यह सारा बयान है। यह अनन्त राम जायसवाल दूसरे रूप में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मंत्रिमंडल के एक एक सदस्य के खिलाफ प्रधान मंत्री

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

से लेकर विधायक तक और तनजीम जो आपका संगठन है उसके ओहदेदार और मेम्बर बराबर नफरत और अविश्वास का इजहार कर रहे हैं। यह है कहानी आपकी।

मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि जब पं० कमलापति अपोजीशन में थे तब "किसान परवर" का रूप उनका था। जब कांग्रेस के सदर थे 1966 में तब "कांग्रेस परवर" का रूप था, लेकिन गद्दी बदल गयी, पुराने विचार बदल गये, वादे बदल गये और अब "किसान विरोधी" रूप जो उनका है, वह सामने आ गया है। क्या यह सही नहीं है कि 1965 में पाकिस्तान की जंग के आस-पास जब यहां पर सवाया लगान हुआ था तो पंडित जी ने कांग्रेस के अन्दर ही एक मुहिम चलायी थी कि यह लगान सवाया वापस कराया जाय? क्या यह भी सही नहीं है कि मुजफ्फरनगर सूबाई कांग्रेस के जलसे में सवा छः एकड़ के प्रस्ताव को पास किया गया था कि गैर-मुनाफा-बख्श खेती और जोतों पर लगान नहीं लेना चाहिये। और मान्यवर, इत्तफाक से जब वह सौभाग्य का दिन आया, तत्कालीन राजस्व मंत्री मा० प्रभुनारायण सिंह ने उस बिल को पेश किया 15 दिसम्बर, 1970 को, तब माननीय मुख्य मंत्री के भाषण मान्यवर, बहुत थोड़े में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 15 दिसम्बर, 1970, पेज 624 से पढ़ देता हूं। माननीय पंडित जी ने अपना भाषण शुरू करते हुये कहा :

"अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है और आज ही इसे स्वीकार कर लेना सर्वथा उचित होगा।"

इतना उतावलापन कि आज ही, अभी पास किया जाय। उन्होंने एक पद भी पढ़ा है :

काल करै सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होयगा बहुरि करैगा कब॥

और फिर आगे कहा है कि "लगान माफी खरीफ में ही कर दी जाय", रबी का भी इन्तजार न किया जाय। लेकिन कुर्सी बदलते ही क्या हो गया? पुराने विचार बदल गये, पुराने विश्वास बदल गये, पुराने वायदे बदल गये, पुराना रूप बदल गया, भरत और राम का प्रेम बदल गया और अब लगान को दूसरे बहाने से लाद दिया।

जो शुरू में बिल था उसके हिसाब से? एक एकड़ तक वालों को छूट थी। उसके ऊपर सवा ६ एकड़ वालों तक का आधा और उसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी जोत का काश्तकार हो, सब का लगान दूना। कौन सा हिसाब किताब इसमें था? मैं जिस घोषणा-पत्र को पढ़ रहा था उसी में यह दिया हुआ है, हमारी बात न मानिये क्योंकि थोड़ी देर के लिये यह हो सकता है कि सवा 6 एकड़ की जमीन आज के हालात में मुनाफाबख्श है या नहीं, लेकिन यह बात कायम रहेगी चूंकि आपकी जुबान से निकली है, जब तक यह बात मुजतरबा न हो जाय दूसरी कमेटी के जरिये कि सवा 6 एकड़ की जमीन बिला मुनाफे की नहीं रही, लेकिन आपने अपने घोषणा-पत्र में यह मान लिया है कि 5 एकड़ तक के जितने काश्तकार हैं, उनको भूमि-व्यवस्था या सुधार का कोई भी फायदा आज तक नहीं मिला, चाहे बिजली की बात हो चाहे पानी की बात हो या और दूसरी चीजें हों। तब फिर इन पर लगान क्यों? और फिर सवा 6 एकड़ से ऊपर चाहे 7 एकड़ हो, चाहे 8 एकड़ हो, चाहे 100 एकड़ हो, सब का लगान दूना कर देने में क्या लाजिक है। आपने खुद माना है कि जहां तक काश्कारों का संबंध है वह साढ़े 12 एकड़ तक जमीन रख सकते हैं। भानु बाबू का यह कन्टेन्शन है कि 15 एकड़ तक के किसानों पर लगान नहीं बढ़ना चाहिये। हो सकता है कि उनकी राय सही हो लेकिन जो कानून में है कि साढ़े 12 एकड़ तक काश्तकार जमीन रख सकता है तो कोई भी कह सकता है कि सवा 6 एकड़ और साढ़े 12 एकड़ के बीच लगान नहीं बढ़ेगा और इसके ऊपर आमदनी के हिसाब से टैक्स घटेगा-बढ़ेगा, लेकिन जो आप

लाये हैं उनमें न कोई राइट है न कोई रीजन । जैसा चाहा वैसा कर दिया चूंकि आपको पैसे की जरूरत है और वह भी डेवलपमेंट के नाम से ।

डेवलपमेंट के नाम पर तो अब तक न मालूम कितना लेते रहे हैं । क्या सचमुच डेवलपमेंट हो गया, अगर आपका ध्यान गया होता कि दिल्ली से लेकरल खनऊ तक और यहां के जो बड़े हर साल 50 लाख लोग हैं उनकी फजूल खर्ची बंद की जाय । तो उससे 15–20 अरब रुपया हर साल तक बचेगा, लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं । आपने लगान फिर से लाद दिया और क्या यह सही नहीं कि कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक में उस तरफ बैठने वाले 90 प्रतिशत लोगों ने सरकार की जो नीति इस बिल के रूप में प्रकट हुई है, उसके विरोध में भाषण किया, तो मान्यवर, यह हालत है उसी तरह से यह मानी हुई बात है कि मंहगाई हद पार कर गई है । (लाल बत्ती होने पर) मुझे मान्यवर, आधा घंटा और दे दिया जाय । जब बात हो रही थी इस विषय पर चर्चा के लिये तो माननीय नेता सदन ने कहा कि समय की कमी होगी तो और दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

और भी तो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । आप 15 तक (सवा दो तक) बोल लें ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज मंहगायी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 प्रतिशत इधर बढ़ी है । इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी 'नेशनल हेराल्ड' में पढ़ा होगा कि मंहगायी में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है । आज साधारण आदमी के लिये जीना मुश्किल हो गया है । मैं यह मान सकता हूं कि इसका कारण केवल आप ही नहीं हैं, इसका संबंध दिल्ली से भी है । जब तक दिल्ली की सरकार नहीं चाहेगी, कुछ नहीं होगा । लेकिन उसके साथ साथ जो बेकारी बढ़ रही है उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । चौथी योजना के शुरू में 24 लाख बेकार थे । चौथी योजना काल में 37 लाख और बढ़ेंगे । इस योजना काल में 29 लाख लोगों को नयी सेवा का अवसर आप देंगे ।

24 और 37 कुल हुये 61 लाख बेकार, और 29 लाख को अगर आपने रोजगार दिया, तब भी कई लाख बच रहेंगे जो बेकार रहेंगे । फिर यह रोजगार तब दे सकेंगे जब आप 28 अरब रुपया खर्च करेंगे । इस 28 अरब में भी 9 अरब प्राइवेट सेक्टर, 8 अरब दिल्ली की सरकार और 11 अरब आप खर्च करेंगे । यह आपकी योजना है । प्राइवेट सेक्टर का 9 अरब रुपया खर्च होगा हमें उम्मीद नहीं है—दो अरब मुश्किल से होगा । दिल्ली का रुख देखते हुये यह जाहिर है कि वह भी 8 अरब रुपया खर्च करेगी नहीं, मुश्किल से 2 अरब खर्च हो पायेगा । इस प्रकार 15 अरब रुपया कुल खर्च कर पायेंगे और करीब 30–35 लाख बेकार फिर भी बच रहेंगे उनके लिये सरकार ने क्या सोचा है ।

इनके अतिरिक्त मान्यवर, सीजनल बेकार अलग हैं । उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रदेश में 50 लाख खेतिहर मजदूर हैं । इनमें करीब आधा लाख तो बेकार ही रहते हैं पूरे समय में । 20 लाख ऐसे हैं जिनको आधा समय काम मिलता है । जो छोटा काश्तकार है एक एकड़ वाला उसकी संख्या करीब 50 लाख है । इसके अलावा शहर में भी बेकारों की संख्या 10 लाख के करीब होगी । इस प्रकार 9 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में करीब सवा करोड़ लोग बेकार है । इनका इन्तजाम सरकार को करना है । इतना रुपया चौथी योजना में खर्च करने के बाद सरकार करीब 15 लाख लोगों के लिये काम निकाल पायेगी । 30 लाख बेकारों की पलटन हर साल तैयार हो रही है । यह हमारा कहना नहीं है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के श्रम मंत्री का कहना है, उनका बयान माननीय सदस्यों ने अखबार में पढ़ा होगा ।

उन्होंने कहा है कि नयी सेवा के अवसर बन रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बेकारी बढ़ रही है, उस रफ्तार से हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं । तो बराबर यह मामला बढ़ रहा है । एक तरफ मंहगाई, दूसरी तरफ बेकारी । दोनों को जोड़िये तो उसका अर्थ होगा, घोर गरीबी । इसका और कोई अर्थ नहीं है ।

[*श्री अनन्त राम जायसवाल]

चुनाव के वक्त वायदा किया था कि गरीबी हटायेंगे, लेकिन टैक्स, मंहगाई और फिजूलखर्ची सबसे मिल कर गरीबी और घनी होती जा रही है, बेकारी और घनी होती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में किसी सरकार को यहां रहने का अधिकार है? भ्रष्टाचार आप रोक नहीं पायेंगे, गरीबी दूर नहीं कर पायेंगे, बेकारी मिटा नहीं पायेंगे तो आप हैं किस लिये। आपको रहने का प्रशासन में क्या अधिकार है?

हम लोगों के बारे में तो यह कहा जाता था कि ये मिली जुली अस्थायी सरकारें हैं। अब आपने तो स्थायी अपनी सरकार बना ली और प्रधान मंत्री ने कहा था कि संविधान ऐसा है जिसमें बहुत से कार्य सूबे की सरकारों को करने पड़ते हैं, इसलिए दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें होनी चाहिये। अब तो कांग्रेस ने सब जगह अपनी सरकारें बना ली हैं।

अब देश को आप जन्नत बना दें। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि आप न किसी चीज को दूर कर पा रहे हैं और न दिल्ली की सरकार दूर कर पा रही है और हो क्या रहा है, बेरुनीदखल बढ़ रहा है।

इन्हीं परिस्थितियों में इसी प्रकार कभी दिल्ली की सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था और उसको सुनना पड़ा है कि श्री कृष्णामेनन को न रखा जाये। किन्तु आज भी कुछ लोग शासन में इस मंत्रिमंडल में हैं जो आपको कहां से कहां ले जा रहे हैं। वे एक तरफ तो गरीबी, और बेकारी से जनता के असन्तोष को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जनता के जो बुनियादी अधिकार हैं, उनका कटाव हो रहा है। दोनों का सिलसिला चल रहा है और जनता गरीबी और बेकारी से ऐसा परेशान है कि उसकी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। तो मैं यह कहना चाहता हूं, साफ बात यह है, आज कल, जिनका कभी स्वतंत्रता संग्राम से संबंध था, इनकी उनसे मोहब्बत हो गई है, कुछ मोह हो गया है। मैंने जो तश्वीर सामने रखी कि किस तरह से यहां पर डेमोक्रेसी हुई है।

चारू मजूमदार के चुनाव को भी देखें, दरभंगा में किस तरह बूथ्स कैप्चर करके मोहर लगाई गयी, ज्योति बसु जो स्वयं गृह मंत्री रहे थे, वे अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और काश्मीर में आज हालत यह है कि रिटर्निंग अफसर अपने कमरे में बैठा रहता है और लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, वह बाहर तब होता है, जब समय समाप्त हो जाता है। लाखों पर्चों को खारिज कर दिया जाता है। इस चुनाव में क्या हुआ काले धन का उपयोग, सरकारी मशीनरी का भी खूब उपयोग हुआ है।

मुख्य मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए। क्या मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं, खास कर मिर्जापुर का चुनाव कि उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है? जिन पर इतनी कृपा रही है, वे सारे अफसर और मंत्री वहां पहुंच गये थे। जिसने, जनता ने जो मांगा वही दिया गया। यदि किसी ने सड़क मांगी तो उसका ऐलान हो गया, किसी ने अस्पताल मांगा, तो उसका ऐलान हो गया। इस तरह से कल्पवृक्ष की तरह सबको मुंहमांगा बरदान दे दिया गया और पैसे का जो खर्च हुआ, लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपया खर्च हुआ है। जो भी हो, इसमें कोई शक की गुंजायश नहीं है कि राज्य सत्ता का वहां पर अच्छा दुरुपयोग किया गया।

आज सब तरफ हालत यह है—जनतंत्र का कटाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि पुराने लोगों से मोह बढ़ जाता है। इस आशा के साथ कि कभी जनतन्त्र के लिये इन्होंने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के हाथ तकलीफ सही है। यह भी हो सकता है कि जो सोशलिस्ट पार्टी है, जनता को उठाने की हर तरह से जिसकी नीति रही है, जनतन्त्र जिसकी जड़ में रहा है, उसके मन में है।

लेकिन मैं आप से कबूल करूंगा, पूरे सदन में कि सारी हालत को देखते हुए, जिस तरह से लोग गर सियासी, भ्रष्ट, शराबी, औरतबाज राजनीति में आ रहे हैं, उनको देखकर पुराने लोगों से जिन से मन बहुत उखड़ा था, उनसे फिर से मोह हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, विनम्रता से

कि इस प्रदेश के तीन बड़े नेता हैं---माननीय चन्द्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह और माननीय कमला पति त्रिपाठी, क्या देश की खातिर अपना सर जोड़ कर नहीं बैठ सकते हैं ? आज जो हिन्दुस्तान में एक आफत है, चाहे जिससे बात कीजिये, सब के सामने यही चीज आती है, जिन आदर्शों के लिये लड़े थे, सारे आदर्श देखते-देखते जा रहे हैं, और बात यहां तक आ पहुंची है कि जिस तरह से कम्युनिस्ट देशों में डिक्टेटरशिप में होता है, जिसकी गर्दन लेनी होती है उसको पहले बदनाम किया जाता ह, यह हमेशा से दस्तूर रहा है डिक्टेटरशिप का ।

मान लो कि हमारी गर्दन लेनी है तो हमारे खिलाफ हो गये जो कल तक हमारे साथ थे, और आज प्रचार हो जायगा कि भ्रष्ट हो गया । मारो गोली, हटाओ । क्या इस तरह का तानाबाना आपके खिलाफ नहीं तैयार किया जा रहा है ? सी० बी० आई० की जांच हो रही है । कौन जांच कर रहा है, जो सुप्रीम करप्ट है । कौन नहीं जानता कि दिल्ली की सरकार से टाटा बिड़ला का रिश्ता है । क्या टाटा बिड़ला के ईमां पर उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में मैंगनीज के एक्सप्लायटेशन का ज्वाइंट सेक्टर के नाम पर मौका नहीं मिल रहा है ? क्या बांदा और मिर्जापुर मे बाक्साइट के एक्सप्लयटेशन का बिड़ला को मौका नहीं दिया जा रहा है ?

मैंने सुना है कि इस गवर्नमेंट ने एक आर्डर जारी किया है कि अस्पतालों में जो बर्तन खरीदे जायं वह हिंडालको के खरीदे जायं । हो सकता है कि यह सूचना गलत हो । सूचना न भी सच हो तब भी पैटरियट और ब्लिट्ज और दूसरे अखबार जिनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है, सब आपके खिलाफ बोल रहे हैं । क्या यह मामला बचने वाला है ?

पहले जिन लोगो के सर गये हैं क्या वह इस तरह से बदनाम नहीं किये गये हैं । आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह तरीका है, चाहे जिस देश का इतिहास उठा कर देख लीजिये, चाहे जर्मनी हो, चाहे रूस हो, ऐसे साथी जो आज तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, कल वही डिक्टेटरशिप अपने को सुरक्षित रखने के लिये कह देती हैं कि ये पददलित हो गये हैं, पथभ्रष्ट हो गये हैं जाओ ।

सी० बी०आई० की जांच आपके खिलाफ, आपके सदस्यों के खिलाफ न भी हो तब भी चर्चा है । आपके खिलाफ यह भी कहा जाता है कि खूब पैसा बटोरा जा रहा है । क्या बिल्कुल डूब जायगा तब आप लोग चेतेंगे यह तीन बड़े नेता इस प्रदेश के सर जोड़ कर बैठ जायं, जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ अकड़ कर खड़े हो जायं, हिम्मत के साथ खड़े हो जायं, कहीं यह प्रदेश अगुवाई कर दे तब कल इस मुल्क की हवा बदल सकती है । हंस रहे हैं । यह दर्द दुख की बात है । यह इतिहास है, दिशा है, जो दीवार पर लिख गया है वह मैं पढ़ रहा हूं । आप न पढ़ पाएं तो दूसरी बात है ।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

यह दिल की बात है या राजनीति की ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

राजनीति की बात मैं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

तीनों नेता एक हो जायेंगे तो हम आप कहां होंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम और आप मिर्च वाला युग ले आयेंगे, इनको गर्म रखेंगे ताकि यह हिम्मत न हारने पायें । उस तरफ के भाइयों से जो कभी बिछड़ गये थे, चाहे कोई लालच अथवा मोह रहा हो, उनसे अपील करता हूं कि अब छोड़ो सारी चीजों को । आदमी से दल, दल से समाज, समाज से प्रदेश और प्रदेश से देश बड़ा होता है । आज वहां भी आपकी क्या दशा है हम उसे देख रहे हैं । फितरत के खिलाफ उनका आचरण हो रहा है । काहे का मोह है ? छोड़ो उसे । अब मौका आ गया है कि आकर इधर अपने पुराने साथियों के साथ बैठो

[श्री अनन्तराम जायसवाल]
और पुरानी जवामर्दी के साथ जब इस प्रस्ताव पर वोट हो, इस सरकार को हटाने का तो उसके पक्ष में अपना वोट कर दीजियें। यह सरकार हट जाती है तो किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, इससे प्रदेश का भला ही होगा और दूसरों का भला होगा। इन शब्दों के साथ में पुनः आपसे अपील करता हूं कि इस सरकार को आप काफी भोग चुके हैं। अब इस सरकार के हटाने का जो प्रस्ताव है उसके पक्ष में आप वोट करें।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल चौधरी चरण सिंह जी ने अविश्वास के प्रस्ताव पर आरम्भ करते हुये आरम्भ में ही यह मान लिया कि यह प्रस्ताव सरकार को गिराने का नहीं है लेकिन अगर वह इस प्रस्ताव को न लाते तो वह अपने कर्तव्य का पालन न कर पाते। अभी अनन्तराम जी कह रहे थे कि उनको भरोसा है कि इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिराई जा सकती है। मैं समझती हूं कि अनन्तराम जी को चौधरी साहब से अभी काफी सीखना बाकी है क्योंकि जो चौधरी साहब ने कहा वह अपनी जगह पर सही बात कही। इसके बावजूद भी मैं यह सोच रही थी कि आखिर इस प्रस्ताव को लाकर कि विरोधी दल अथवा उसके नेता अपने किस कर्तव्य का निर्वहन करने जा रहे हैं ?

कल और आज मैंने विभिन्न दलों के नेताओं के भाषण सुने जिनमें काफी समय लिया गया, प्रशासन से संबंधित बातों को कहने में। और भी बहुत सी बातें, जिनका इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं था, कही गयी। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि बहुत दिनों से जो यह कहा जाता था कि यह तो बड़ा टेम्ड अपोजीशन, दब्बू विरोधी दल बैठा हुआ है, विधान सभा में कोई ऐसी बात नहीं की जाती जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो जिसके कारण यहां पर सीटें खाली रहती थीं, गैलरीज खाली रहती थीं तो किस तरह से गैलरीज को अट्रेक्ट किया जाय, शायद उसी के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है और सारी बातों को सुनने के बाद मैंने पहले जो अपनी धारणा बनाई थी वही धारणा सही है। कल चौधरी साहब 45 मिनट तक दिल्ली की सरकार पर बोलते रहे कि वह अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, खास खास अवसरों पर बढ़ा देती है, उसका क्या असर पड़ता है उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों पर और फिर यह भी बता रहे थे कि उन्होंने अपने समय में क्या किया, किस तरह से बिजली की हड़ताल रुकवाई थी लेकिन इधर बैठने वालों ने फिर से बढ़ावा दिया। चौधरी साहब की पूरी तकरीर सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंची कि आज भी वह सन् 1967 में बैठे हुए हैं। सन् 71 के बाद इस देश और प्रदेश में जो क्रांति हुई उसकी छाया उनके ऊपर नहीं गई है। वह जा भी नहीं सकती है क्योंकि उनके सोचने का और विचारने का जो तरीका है वह दूसरा ही है। उन्होंने महंगाई के सिलसिले में जो बातें कहीं हैं और किस तरह से उन्होंने दोषारोपण केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के ऊपर किया है, इस संबंध में बोलते हुये उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बोल रहा हूं वह इसलिये ताकि इसका व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में भी पड़ सके। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि यह बात सही है कि हमारे यहां आज जो महंगाई बढ़ रही है उससे हम सब चिन्तित हैं, हमारी केन्द्री सरकार चिन्तित है, हमारी नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा जी भी चिन्तित हैं और हमारा दल भी चिन्तित है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। वह केवल केन्द्र में ही नहीं' केवल एक प्रदेश को छोड़कर बाकी सारे देश में हमारी सरकारें हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सरकार के बारे में जो राय आप बाहर जाहिर करती हैं उसे यहां करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं जाहिर कर रही हूं। अभी तो मैंने बोलना आरम्भ किया है। आप बैठें। तो मैं कह रही थी कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है और इसलिये जब हम प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं और जैसे कि अभी हमारे माननीय जायसवाल जी कह रहे थे कि हम डिक्टेटरशिप की ओर बढ़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहे हैं तो उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि प्रजातंत्र का यही तरीका होता है कि जनमत जिस बात को कहे उसको सरकार तुरन्त पकड़ कर करे।

जब भी महंगाई बढ़ती है तो फौरन ही हमारी पार्टी में इस बात पर बहस होती है, दिल्ली में बहस होती है, मंत्रि-परिषद् में विचार किया जाता है और उसके ऊपर हमारे केन्द्रीय मंत्रिगण विचार करते हैं कि किस तरह से इसका हल ढूंढ़ा जाय और कैसे बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर रोक लगाई जाय। आज भी इन चीजों पर विचार हो रहा है और उसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

चौधरी साहब ने कहा कि कुछ इस तरह की बात करनी चाहिये जिससे लोगों को एक वर्ष के लिये या किसी निश्चित समय के लिये तनख्वाह के ऊपर फीज कर देना चाहिये उसको बढ़ने नहीं देना चाहिये, जमाव कर देना चाहिये। एक ओर तो आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लोगों की तनख्वाह और महंगाई बढ़ाओ। यह हम, आप और सभी जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने एक नार्म बना रखा है और जब कीमतें एक सीमा के ऊपर बढ़ जाती हैं तो उसी के अनुसार महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी एक वेतन आयोग बैठा हुआ है और हमारी सरकार इस बात से चिन्तित है कि किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों को राहत दे सकें। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है।

कल चौधरी साहब ने जो आंकड़े पेश किये उसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन के ऊपर करीब-करीब 1 अरब 37 करोड़ रुपया खर्च होता है जबकि उन्होंने आय की मद में केवल 1 अरब 27 करोड़ रुपया ही दिखाया। इस प्रकार खुद आंकड़े उपस्थित करने के बाद कैसे वे समझते हैं कि बेरोजगारी दूर होगी, कैसे किसानों की उन्नति हो सकेगी, कैसे अस्पताल खोले जा सकेंगे, शायद उनका आशय यह था कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह समझती हूं, इस राय से सारा सदन सहमत नहीं होगा। क्योंकि जहां पर कर्मचारियों का सवाल है वह अपनी जगह पर है। साथ ही साथ प्रदेश का विकास कैसे हो, हमारी पंचवर्षीय योजनायें कैसे सफल हो सकें, किस तरह से गांवों को सड़कों से मिलाया जाय, कैसे गांवों का विद्युतीकरण हो और कैसे किसानों की राहत मिल सके यह हमारी पंचवर्षीय योजना के अंग हैं। और उस तरफ हमारी सरकार बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ-साथ अगली पंचवर्षीय योजना के तैयार करने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। जब गरीबी हटाओं के नारे के साथ चुनाव घोषणा-पत्र जारी हुआ तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य यही रहा कि हम जितनी जल्दी अपने देश और प्रदेश से इस गरीबी को दूर कर सकते हैं करें और इस दिशा में कदम बढ़ाये जा रहे हैं और आगे भी बढ़ाये जायेंगे। आज उत्तर प्रदेश ऐसी बातों में पीछे नहीं है।

आपने देखा है कि अभी हाल ही में तीन बड़ी-बड़ी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को दी गयी हैं। इनमें से एक योजना तो टेहरी की है जिसके द्वारा अतिरिक्त बिजली मिलेगी पहाड़ों में, गांवों में और मैदानी हिस्से में भी। उससे काफी दूर तक बिजली फैल सकेगी। हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पहाड़ों पर जो हमारे हरिजन गांव हैं, इस रजत जयन्ती वर्ष में, आजादी के 25वें वर्ष में प्रति दिन एक हरिजन गांव का विद्युतीकरण किया जायेगा। हमने यह भी घोषणा की है कि हमारी जो बड़ी सड़कें हैं उनसे गांवों को जोड़ा जायेगा। लींक रोड्स का बड़ा काम है। कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत अनइम्पलायमेन्ट दूर करने की दिशा में देहाती क्षेत्रों में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसकी सराहना सभी करेंगे यदि गांवों की शक्ल बदलने में हम समर्थ हो सके। साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी देंगे। ये सारे काम अपनी जगह पर चल रहे हैं।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

इसके साथ-साथ दो-तीन बातें जो कि चौधरी साहब ने कहीं, हमारे मंत्रियों के लिये और मुझे तो और भी आश्चर्य हुआ कि उनके जैसे संसदीय अनुभवी आदमी से यह सुनकर जब उन्होंने हमारे एक मंत्री का नाम लेकर कहा और अभी-अभी श्री अनन्तराम जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने 4 मंत्रियों का नाम लेकर कहा था कि ये गलत मंत्री हैं । चौधरी साहब ने कुछ हाई कोर्ट की बातों को लेकर कहा था कि गलत आदमी रखे जाते हैं । किसी मंत्री या किसी आदमी पर कोई एलिगेशन लगा देना बहुत आसान होता है कि किसने किस तरह की गलती की, यह बेईमान है आदि-आदि ।

ईमानदार से ईमानदार आदमी के लिये अगर आप बाहर जाकर सुनें तो उसके लिये भी कुछ न कुछ कहा जा सकता है । तो यह बात तो ऐसी चीज है जिसको अगर यह कहूं—चौधरी साहब सदन में हैं नहीं, लेकिन कल जब वे इस तरह की बातें बोल रहे थे, मैं नहीं जानती कहां तक इसमें सच्चाई है लेकिन मेरे ही पीछे बैठने वाले एक सदस्य ने धीरे से यह कहा—"बी० के० डी० के चेयरमैन की हैसियत से 12 लाख रुपया जो पार्टी फंड के लिये इकट्ठा हुआ था उसको चौधरी साहब ने अपने पर्सनल एकाउन्ट में जमा कर लिया ।" मैं नहीं जानती, यह कहां तक सच है लेकिन मैं केवल यही कह रही थी कि ईमानदार से ईमानदार आदमी के लिये भी कुछ न कुछ कहा जा सकता है ।

मान लिया जाय कि चौधरी साहब ईमानदार हैं और उन्होंने कोई काम अच्छी नीयत से किया लेकिन ऐसी चीज किस लिये हुई, किसके लिये हुई, इस तरह की कोई न कोई बात कही जा सकती है । किसी के लिये भी कोई बात कही जा सकती है । जब ऐसी कोई बात कही जाय तो उसके साथ-साथ यह भी सोचना चाहिये कि किसकी तरफ से किसके लिये बात कही गयी है । जब कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ एलिगेशन तो लगायेगा ही । एक छोटा-सा उदाहरण मैं अपने ही बारे में देती हूं ।

जब मैं स्वास्थ्य मंत्री थी तो शिकायत हुई कि ट्रांसफर में तरह-तरह की चीजें होती हैं और ट्रांसफर रोक दिया जाता है । एक डाक्टर जो काफी दिनों से एक स्थान पर था, मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया । ट्रांसफर के बाद छुट्टी लेने के लिये उसने बड़ी सिफारिश की । मैं चाहती थी कि जो भी ट्रांसफर कर दिया जाय वह रुकने न पावे । लेकिन वह छुट्टी लेकर बैठ गया । जब मैं मंत्रि-पद से हट गयी, उसको मालूम हो गया था कि मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाली हूं और अध्यक्ष होने के नाते दो पदों पर नहीं रह सकूंगी। मेरे मंत्रि-पद से हटने के फौरन ही बाद वे सज्जन आ गये और उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवाने की बात की । और जब वह छुट्टी लेकर बठ गये . . .

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

जब वह छुट्टी लेकर बैठ गये तो उनकी छुट्टी मंजूर की गई होगी। इसमें गलती किसकी थी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हां वह गलती विभाग की थी और किस तरह से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और उनसे मंत्रियों को दिक्कत होती है । मैंने कई लोगों को सस्पेन्ड किया और उनको भी सस्पेन्ड किया तो उन्होंने ज्वाइन करने की बात सोची । लेकिन जब मैं मंत्रि-पद से हटी तो उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश की और किसी तरह से वह रुक गया । जब हमारे नोटिस में यह चीज आई तो हमने कहा कि यह गलत बात है । इस पर उनका ट्रांसफर किया गया और वे हाईकोर्ट में चले गये और तीन साल के स्टे की बात कही और वे स्टे लेकर चले आये । उन्होंने जो एफीडेटिव हाई कोर्ट में दाखिल किया था उसमें लिखा कि उन्होंने मेरा ट्रांसफर इसलिये

किया था कि मैं किसी अपने रिश्तेदार को वहां रखना चाहती थी। मैं समझती हूं कि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसका मैंने वहां पोस्टिंग किया था। लेकिन यह आरोप गलत तरीके से लगाया गया और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि कोई जातपांति की इस तरह की चीज हमारे सामने नहीं है और न हमने ऐसा किया है। लेकिन उनको कोर्ट में जाना था इसलिये उसको कोई प्वाइन्ट ढूंढ निकालना था और उसने यह प्वाइंट ढूंढ़ निकाला। अगर कोई कोर्ट में जाता है तो इस तरह के एलीगेशन्स लगाकर ही अपनी चीज साबित करना चाहता है। अभी तो कोर्ट में सारी चीज है तो उसको सदन के सामने रखें और कहें कि एक सज्जन ने इस तरह से किया। यह क्या चीज बताती है ?

कल माननीय चौधरी साहब कास्टिज्म की बात कह रहे थे और उन्होंने मुख्य मंत्री के लिये कहा कि किसी ने कविता को पढ़ते हुए उनको ब्राह्मण कुल का सिरमौर्य कहा। यह उनके दिमाग की बात है। मैं कहना चाहती हूं कि यह जातपांति की बात उठाने वाला व्यक्ति क्या जातपांति की बात नहीं कर रहा है ? उनके मन में यह बन गया है, उनके दिमाग में यह बन गया है कि ऊंची जाति के लोगों जैसे ब्राह्मण इत्यादि के खिलाफ वातावरण पैदा करके क्या वे देश में या प्रदेश में अच्छी सेवा कर सकते हैं। हर स्पीच में और हर जगह वे ऐसी बात कहते हैं तो उनके दिमाग की खिड़की में क्या हवा जाती है, यह इससे पता चलता है। कास्टिज्म की बात कहने से, किसी के आरोप लगाने से वह बतायें कि क्या कोई समाज तरक्की कर सकता है। अगर कोई बैकवर्ड है, उसकी बात कही जाती है। हम जातपांति की बात नहीं करते हैं लेकिन गरीबों की बात करते हैं चाहे वह कोई भी हो उसकी बात करते हैं।

कांग्रेस पार्टी का यही उसूल रहा कि हम जातपांति की विषमता से लड़ते रहे हैं और सदैव लड़ते रहेंगे। अभी मैंने उस दिन कहा था कि हरिजनों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इसलिये नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई बात मैंने कही। हमारे मुख्य मंत्री को भी दुख होता है और यह हमारे समाज का फोड़ा है। महात्मा गांधी जी ने इसको समाज का कलंक कहा था। हमने हरिजनों को अधिकार दिये हैं और हम उनको बराबरी पर लाना चाहते हैं। लेकिन समाज कानून से नहीं बदला जाता है, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को उसमें प्रवेश करना पड़ेगा और एक वातावरण बनाना पड़ेगा। इसलिये राजनीतिक दल की प्रेसीडेंट की हैसियत से मैंने यह प्रश्न उठाया है, जनमत के सामने लाने की कोशिश की है कि सब लोग मिल कर इस काम को करें क्योंकि आज समय है और समय रहते हमें इस चीज को देखना चाहिये। जैसे आर्थिक विषमता से हम लड़ रहे हैं उसी तरह से सामाजिक विषमता से भी हमें लड़ना है और हरिजनों का सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है।

कल एक बात माननीय चौधरी साहब ने कही कि हमारे जो यह अखबार वाले या जरनलिस्ट हैं जिनको कि फोर्थ स्टेट कहा जाता है उनके लिये इस सरकार ने जो दवा वगैरह की व्यवस्था कर दी है यह बड़ा अनुचित कार्य किया है और ऐसा नहीं होना चाहिये था। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहते थे कि जैसे सरकार ने इन जरनलिस्ट्स को दवा की सुविधा देकर खरीद लिया है और इससे अब उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जायेगी, उनके विचारों की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। मैं कहना चाहती हूं कि यह अब सरकार ने नहीं किया बल्कि मैं जिस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी और उस वक्त मैं जहां भी जाती थी जरनलिस्ट्स एसोशियेशन की ओर से और अखबार वालों के नुमाइन्दे हमें जहां भी मिलते थे वे यह प्रश्न उठाते थे कि हमें भी इस प्रकार की सुविधा मिलना चाहिये और हमने उनके एसोसियेशन की मांग को स्वीकार किया। सरकार ने उनको खरीदने के लिये ऐसा नहीं किया। यह एक जेस्चर सरकार की ओर से था कि अखबार वालों को भी हम यह सुविधा दे सकें। केवल इतनी सी बात थी लेकिन यह जो अटैक किया गया और उसके पीछे हमारे प्रति जो भावना व्यक्त की गई मैं समझती हूं कि वह काफी अन्यायपूर्ण थी और वह अनुचित आक्षेप और आरोप सरकार के ऊपर था जबकि उसके पीछे हमारी कभी ऐसी भावना नहीं थी और न कभी हो सकती है। हम जानते हैं कि

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

हमने जब प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है और विचारो की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है तो यह सवाल ही नहीं उठ सकता है कि इस तरह से देश के अखबार वालों को जनरलिस्ट्स को जिनकी हाई ट्रेडीशन्स रही है, उनके द्वारा जो परम्पराएं यहां कायम हुई हैं, यह वह देश और वह प्रदेश है जहां पर आजादी की लड़ाई के लिये अखबारों के सम्पादक बार-बार जेल गये और जिन्होंने आजीवन कारावास की सजायें काटीं और तब आज हमारे यहां अखबारों की स्वतंत्रता की और जरनलिज्म की परम्पराएं कायम हुई हैं। उनके लिये कहा जाय कि छोटी सी दवा की सुविधा देने से उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। मैं समझती हूं कि यह उनके सोचने का एक नया तरीका है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा।

एक बात मैं और कह देना जरूरी समझती हूं कि अभी जब यहां माननीय अनन्तराम जायसवाल बोल रहे थे तो उन्होंने तो तीन बातें बड़े विस्तार से कहीं। खासतौर से उन्होंने डाक्टर फरीदी की बड़ी हिमायत की और उन्होंने कहा किस तरह से सारे नेगोशिएशन्स चले, सन् 71 के चुनावों के अवसर पर और उसके बाद कैसे केन्द्रीय सरकार उस वायदे से मुकर गई। जिस समय उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का उल्लेख किया और कहा कि यह सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर सकी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनारिटी यूनिवर्सिटी की घोषणा न करके। जिन लोगों ने बातचीत की थी और जो उस वार्तालाप में शामिल हुए थे उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, ऐसा उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। मुझे पूरी जानकारी है कि किस तरह से कहा पर यह सारी चीजें हुई थीं, क्या बातें उस वक्त हुई थीं और कितनी बातें हुई थीं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगी कि जितनी बातें हुई थीं उतनी ही बातें हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में रखी थीं, जितनी बातें हुई थीं वे सब अक्षरसः हमने चुनाव घोषणा-पत्र में रख दी थीं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में और (2) में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, उनके जो सुरक्षित अधिकार हैं उनको हम स्वीकार करते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको मानकर ही चुनाव म उतरी थी। पहली बार हमने खासतौर से संविधान के इस आर्टिकिल को अपने घोषणा-पत्र में रखा था और उसके साथ उर्दू की पढ़ाई के लिये, उसकी स्कूलों में व्यवस्था के लिये आगे हमारी सरकार क्या करेगी, किस तरह से उनकी हिफाजत का इन्तजाम करेगी यह सब बातें उसमें रखी गई थीं। आज जब कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून के द्वारा उस वादे को पूरा नहीं किया गया तो मैं उसका जोरदार तरीके से यहां पर खण्डन करना चाहती हूं। क्योंकि अलीगढ़ युनिवर्सिटी उस आर्टिकिल 30, 29 और 31 के अन्तर्गत आती ही नहीं।

आज सवेरे मैं एक बहुत पुरानी किताब पढ़वा रही थी। वह उर्दू में है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक, सर सैय्यद साहब ने जो 1876 में अपनी स्पीच दी थी, उसको मैंने अपने भाई द्वारा पढ़वाकर सुना। उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था, यह उस समय की बात है जब यूनिवर्सिटी बनी थी, कि इसमें हमारी मुसलमान भाइयों से ज्यादा हिन्दू भाइयों की ज्यादा मदद हुई है और जहां-जहां "कौम" शब्द का प्रयोग किया है वह राष्ट्र के लिये प्रयोग किया है। उनका कहना था कि इसमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों, पढ़ेंगे। बड़े भावुक होकर उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं अपने लिये हिन्दू और मुसलमान के लिये जैसे दो आंख होती हैं, उनको इस्तेमाल करूं तो यह भी शायद गलत होगा क्योंकि फिर मुझे उसमें दाहिनी और बायीं कहना पड़ेगा। अगर मेरे सिर में केवल एक आंख होती तो ये एक आंख की तरह है। इसमें इस तरह की शिक्षा होगी, इस तरह से पढ़कर लोग निकलेंगे जो पूरी राष्ट्रीय भावना से भरे हुए काम करने वाले लोग होंगे।

सैयद साहब ने यह भावना व्यक्त की और यह भी कहा कि अभी-अभी मद्रास में एक सभा हुई थी और उसमें हिन्दू भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि किस तरह से अलीगढ़

यूनिवर्सिटी के लिये चन्दा किया जाय । उस समय अलीगढ़ का यह एक छोटा सा विद्यालय था । सर सैयद साहब ने यह भी कहा कि उस सभा में एक मुसलमान शामिल था और वही एक मुसलमान का चन्दा आया बाकी जितने लोग हिन्दू थे, उन्होंने उसके लिये चन्दा दिया और हम बड़े शुक्रगुजार हैं । इस प्रकार से मिल कर देश को बनाने के लिये हमारे मुसलमान भाई जो शिक्षा में पीछे हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिये और उनको आगे बढ़ाने के लिये हिन्दू भाइयों ने मदद की है । इसलिये, उनका कहना था, कि हम शुक्रगुजार हैं ।

इस प्रकार की उनकी भावना थी । और भी जो सफे मैंने पढ़वाकर सुने, उनसे मुझे स्पष्ट हुआ कि जिस समय यह विद्यालय कायम किया गया उनके संस्थापक की यह भावना नहीं थी कि यह कोई माइनारिटी संस्था है या माइनारिटी के लिये ही यह इन्स्टीट्यूशन है बल्कि किस प्रकार से मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ायी जा सके, ये पढ़ाई में पीछे न रह सकें, मोडर्न साइन्स और टेक्नोलाजी में आगे आ सकें, इस दृष्टिकोण को रखकर अलीगढ़ का छोटा सा विद्यालय बनाया गया था । उनके लिये एसोशियेशन कायम किया गया और सन् 1920 में केन्द्रीय सरकार ने इसे ऐक्ट के अन्तगत लिया । उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से एक नेशनल दर्जा दे दिया गया ।

जो भी संस्था ऐक्ट के अन्तर्गत पार्लियामेन्ट द्वारा ली जाती है वह संविधान की धारा के अन्तर्गत नहीं आयेगी जो धारा 30 कहती है । लेकिन उसके दूसरे हिस्से का मतलब यह है कि माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन को बनायी जायेगी, उसकी मदद देने में कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा । इसमें हमें दो चीजों का अन्तर समझना चाहिये । एक होते हैं एडेड इन्स्टीट्यूशन्स और एक होते हैं मेन्टेन्ड इन्स्टीट्यूशन्स । मेन्टेन्ड के माने यह होते हैं कि जिसका पूरी तरह से सरकार मेन्टीनेन्सी करती है जिसका रख-रखाव उसकी खर्चा की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होती है । आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और सरकार उसका करीब-करीब 99 परसेन्ट खर्चा कर रही है । लेकिन जो एडेड इन्स्टीट्यूशन्स होते हैं उनको केवल ग्रान्ट्स दी जाती हैं ।

अनन्तराम जायसवाल जी ने बड़ी हमदर्दी दिखलाई । डा० फरीदी तथा और मुस्लिम भाइयों के साथ जिसको उभाड़ना वे ज्यादा अच्छा समझते हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम ऐक्ट के द्वारा कितने ज्यादा अल्प संख्यकों का भविष्य उज्ज्वल बनाया गया है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर रक्खा गया और इसमें जनसंघ का भी जवाब दिया गया है कि मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है । हम जो हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और जहां पर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें मुसलमानों के साथ हम कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं । साथ ही साथ हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में रक्खा है कि अल्प संख्यकों के इन्स्टीट्यूशन्स की हम मदद करेंगे । वह हम कर रहे हैं । क्या केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही मुसलमानों को रिप्रेजेन्ट करती है । भारतवर्ष में ऐसे सैंकड़ों विद्यालय और ट्रस्ट और इन्स्टीट्यूशन्स नहीं है जहां पर कि मुसलमानों की संस्थायें हैं, उनके ट्रस्ट काम करते हैं और जिनको कि गवर्नमेन्ट ऐड दे रही है । क्या सरकार ने किसी संस्था की ऐड बन्द की है । क्या सरकार प्रतिवर्ष ऐड नहीं दे रही है । तो हमने कैसे उस चुनाव घोषणा-पत्र के वायदे को पूरा नहीं किया है ।

हमने निश्चित तौर पर उस वायदे को पूरा किया है । हमारी नेता वे हैं इन्दिरा गान्धी जो कहती हैं वे करती हैं । अगर इन्दिरा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया होता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिये ही घोषणा-पत्र में क्लाज जोड़ गया है तो उसमें यह जोड़ दिया जाता । उसमें कोई चिन्ता करने की बात नहीं थी । लेकिन मैं जानती हूं कि जिस सेन्स में यह कह रहे हैं, उस सेन्स में गलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट में उसके द्वारा कोई चीज नहीं लाई गई है जिससे ऐतिहासिक रूप को बदला गया था । उसका जो प्रिएम्बुल था या जो लक्ष्य था जो 1920 के ऐक्ट को लेकर रक्खा गया था, उसको नहीं बदला गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि माननीया बाजपेयी जी एक चीज के बारे में स्पष्टीकरण कर दें कि जो हमारे मुलमान कहते कि इतना वायदा किया वह पूरा नहीं किया उन्होंने। तो क्या कारण है कि इनको स्पष्टीकरण करना पड़ा। उन्होंने ही उसका जवाब दिया प्रधान मंत्री ने उसका प्रतिवाद नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने कहा है तथा सदन में इस चीज को उठाया गया है तो मैं उस प्रश्न का जवाब दे रही हूं। प्रधान मंत्री को जवाब देना होगा तो वे जवाब दे लेंगी। प्रधान मंत्री को अपनी बात कहने में हिचकिचाहट नही है। सदन में जिस प्रश्न को उठाया गया है मैं उसका जवाब दे रही हूं।

अनन्तराम जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी को खत्म किया गया। अगर अनन्तराम जी ने पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के ऐक्ट को पढ़ा हो तो मैं समझती हूं कि वे ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस तरह से फन्कशन करती है जिस तरह से काम करती है जिसकी जानकारी हमारी है, हम यह जानते हैं कि वह आटोनामी जो है वह उसी रूप में सुरक्षित है बल्कि ज्यादा है। ज्यादा इस माने में कि

(व्यवधान)

तो मैं यह कह रही थी कि यूनिवर्सिटी की जो आटोनामी की बात कही जा रही है जो पहले थी कि कोर्ट थे, जो डोनर्स बने हुए थे, और कोर्ट को कुछ खास पावर दिये हुए थे अगर आज उस पावर को लेकर हमने एक्जीक्यूटिव वाइस-चान्सलर को दे दिया तो उसकी आटोनामी कहां खतम हो गई। जिनको यह पावर दी गई है वह स्टेट्यूट बना सकती है, आर्डिनेन्स जारी कर सकती है और उसमें कुछ डीन, कुछ हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स को रखा गया है जो बाई-रोटेशन आयेंगे। उसके अन्दर कुछ यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित व्यक्ति भी होंगे। यह एकेडेमिक कांउसिल कुछ मामलों में अपना निर्णय लेगी।

आज जो यह कहा जा रहा है कि 75 प्रतिशत नामीनेटेड हैं वह भी एक गलत मैथेड है क्योंकि केस 124 की कोर्ट में केवल 20 लोग नामीनेटेड होते हैं, बाकी लोग जो आयेंगे वह हैं यनीवर्सिटी की फैकल्टीज का बाई-रोटेशन रिप्रेजेन्टेशन होगा। साथ ही साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब उसके अन्दर 15 ओल्ड बाइज और 15 जो वहां पर पढ़ रहे हैं विद्यार्थी होंगे। उसके अतिरिक्त जो उसमें लोग रखे गये हैं वह हैं पब्लिक अन्डरटेकिंग के बड़े-बड़े डाइरेक्टर्स, टेक्नीसियन्स, बड़े-बड़े इन्जीनियर्स, तथा बड़े-बड़े उद्योगपती जो उसमें रहकर यूनिवर्सिटी के मामले में वहां के विद्यार्थियों के लिये उनकी शिक्षा और पढ़ाई में अपनी राय दे सकें जिससे वहां का शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके।

जिस प्रकार से हमने महाराजाओं और राजाओं के अधिकारों और प्रीवी पर्सेस को समाप्त किया है, उनके प्रिविलेजेज को समाप्त किया है और एक समानता का वातावरण पैदा किया है, ठीक उसी प्रकार से हमने यहां ताल्लुकेदारों का और जो पैसे वाले हैं, जो डोनर्स है, जिन्होंने कभी किसी जामने में डोनेशन दिया होगा, हमने जरूर उनके अधिकारों को समाप्त किया है और उसको मन-मेन के हाथ में दिया है। हमने जन-साधारण को दिया है और उनको दिया है जो यूनीवर्सिटी से सम्बन्धित हैं, जो शिक्षाविद् हैं, जो शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं, उनको दिया है। कोई सड़क चलते हुए लोगों को नहीं दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आगा खां सिसली के टापू में बैठे हुए है और उनका वीटो यहां इस्तेमाल हो सकेगा। केवल यही एक तरीका था जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो गरीब मुसलमान के बच्चे जिनकी सिफारिश नहीं हो सकती थी, अब उनका एडमीशन मेरिट के आधार पर हो सकता है जिससे स्तर ऊंचा हो सके।

पहले होता यह था कि अगर कोई थर्ड डिवीजन बच्चा है, लेकिन अगर उसकी सिफारिश है तो उसकी भर्ती हो जाया करती थी और बाद में इन्जीनियर, डाक्टर हो जाने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती थी तो उसका दोषी कौन है। उस स्थिति को समाप्त किया गया है, लेकिन जो उनके सेन्टीमेन्ट्स थे, जो मस्जिद की बात है, नमाज की बात है, कब्रिस्तान की बात है, कफन की बात है उसको उसी तरह से रखा है। यूनिवर्सिटी में जो शिया-मैथोलाजी है, सुन्नी मैथोलाजी है उसको वह पढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ जो चीजें और पहले से चली आ रही हैं, वे वैसी की वैसी हैं। यह बात कहना कि उनके साथ ज्यादती हुई है, आटोनामी खतम की गई है, गलत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल जी की अध्यक्षता में लखनऊ में गंगाशरण हाल में एक मीटिंग हुई जिसमें सभी अपोजीशन के लोग थे। उससे दो-चार दिन पहले डा० फरीदी मुझसे अपाइन्टमेन्ट लेकर मिलने आये। मैंने डाक्टर साहब से पूछा कि आप क्यों इस प्रदेश को साम्प्रदायिक के झगड़े में झोंक रहे हैं। आप इस प्रदेश को इससे अलग रखें। मैंने कहा कि यह जो आपने इन्दिरा हटाओ नारा दिया है, यह कहां तक उपयुक्त है। इस पर भी आपने सोचा कि डा० फरीदी ने क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि मेरी समझ में दो ही रास्ते थे एक था--बिल हटाओ और दूसरा था इन्दिरा हटाओ। अगर बिल हटाओ का नारा देते तो वह बात ठीक नहीं थी। इसलिये इन्दिरा हटाओ का नारा दिया। उसके बाद यह बात याद आई जब अनन्तराम जायसवाल की अध्यक्षता में सभा हुई और जिसमें अपोजीशन के लोग उसमें सम्मिलित हुए और बोले।

उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि हम जो आगे प्रोग्राम निश्चित करने जा रहे हैं। उसमें हम मिलकर करेंगे। हमने कहा कि आपके ऐक्शन का स्वरूप क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर पता चलेगा। 2 तारीख और 15 तारीख की बात कही उन्होंने। हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अवसर पर ऐसी चीज करने की क्यों सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख को नहीं करेंगे और दिन उसके साथ सोचेंगे।

तो कहने का मतलब यह कि इस देश में कई बार चौखटा समझौता हुआ। चारों दलों ने मिलकर समझौता किया और एक नारा दिया था कि इन्दिरा को हटाओ। कांग्रेस को हटाओ। लेकिन भारत की जनता ने उसका जवाब दिया पार्लियामेन्ट में 350 सदस्य भेजकर भारत की जनता ने इसका जवाब दिया इस असेम्बली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजकर और फलस्वरूप कांग्रेस ने सरकार बनाया और आज हमारी सरकार बैठी हुई है सन 71 के चुनाव के बाद। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, आज उन्होंने समझ लिया है कि अगर आज देश का कोई नेतृत्व कर सकता है तो वह केवल इन्दिरा गांधी कर सकती है और मैं भाई माधव प्रसाद त्रिपाठी से कहना चाहती हूं कि उनके नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने भी, जब बंगला देश की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त कहा था---एक देश, एक नेता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं इस बात का विरोध करता हूं। मेरी अटल बिहारी बाजपेयी जी से इस सम्बन्ध में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा: प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें। यह तो प्रचार मात्र है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो कहा...

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जब कामराज ने इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री चुना था, तो उस वक्त इन्दिरा जी ने यही कहा था कि कामराज जी देश के एकमात्र नेता हैं। अगर अखबारों में छप गया--"देश संकट में है, प्रधान मंत्री देश की नेता हैं"---तो उस बात को तोड़-मरोड़ क्यों रहे हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, तोड़-मरोड़ नहीं रही हूं। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने बात को दूसरे ढंग से कहा है और सण्ड जी ने कहा है कि हो सकता है कि अखबारों में प्रचार के लिये गलत छप गया हो, यह उनके कहने का मतलब है। मान्यवर, आप देखें तो उनकी बातों से ही किसी न किसी रूप में इस बात की पुष्टि हो जाती है। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी उस गलती को नहीं मानते हैं लेकिन सण्ड साहब उस गलती को मानते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस बात को बिलकुल नहीं कहा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिये मैं दिल्ली गया और उन्होंने पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग्स मंगाकर मेरे सामने रख दिया।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

तो फिर बाजपेयी जी ने अखबारों में उस बात का खण्डन क्यों नहीं किया। कमरे के अन्दर आपके सामने खण्डन कर देने से ही नहीं हो जाता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो फिर डा० फरीदी ने जब इल्जाम लगाया कि उनके साथ हुई सुलह से प्रधान मंत्री पीछे हट गयीं, उसका खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

नेता शब्द कहा होता तो आपके साथ होते और वह प्रधान मंत्री सबकी हैं। नेता तो कांग्रेस की हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं प्रोसीडिंग्स लाकर त्रिपाठी जी के सामने पढ़ दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जनसंघ का जो सम्मेलन हुआ उसमें बाजपेयी जी की बड़ी लानत-भलामत की गयी कि ऐसी बात क्यों कही। यह भी अखबारों मे निकला था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

तो अटल बिहारी जी ने उस वक्त वह बात कही। अगर मैं यह मान भी लूं कि माधव प्रसाद जी जो कह रहे हैं वही सही है, तो बंगला देश की जब बिजय हुयी तो उसके बाद इन्दिरा जी के लिये बाजपेयी जी ने जो शब्द कहे थे, जो ऊंची भावना व्यक्त की थी, उसको तो स्वीकार करेंगे ही। वह तो प्रोसीडिंग्स की चीज है। उसके बाद लगातार उनकी सफलताएं बढ़ती जा रही हैं। आज उन्हीं के दल के लोग ऐसी नेता को डिनाई करे और कहे कि वह झूठ बोलती है या वादा पूरा नहीं करती है, या अनन्तराम जायवसवाल जी की तरह बात कहें, तो वह जनतंत्र में जमती नहीं है। बात यह है कि आज अपोजीशन के पास कोई नारा नहीं रह गया है। सोशलिस्ट पार्टी जो कहती है कि हम विभाजित हैं, हमारे और मुख्य मंत्री जी के बीच में कोई बात है, वह बिल्कुल गलत बात है। उनके दल में खुद चार-चार दल हैं। कल इलाहाबाद में तीन बड़े नेता मिले जो कोशिश कर रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी फिर एक हो जाय, क्योंकि निकलने का कहीं गलियारा नहीं मिल रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जितनी यूनाइटेड है उतनी पहले कभी नहीं थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हमारे सबसे अनुभवी और बुजुर्ग नेता हैं। हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है। इस प्रदेश का उनका अनुभव है, हर विभाग का अनुभव है। यह बड़े गर्व की बात है कि आज उनके द्वारा इस प्रदेश का इंतजाम हो रहा है।

एक बात बड़े जोर से माधव प्रसाद जी ने कही कि क्यों नहीं इंक्वायरी बिठायी जाती मंत्रियों के खिलाफ। मान्यवर, जिस वक्त एस० बी० डी० की मिनिस्ट्री थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, संसदीय प्रणाली में यह उचित नहीं है कि मिनिस्टरों का नाम लिया जाय, लेकिन मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि उनके ही दल के एक नहीं दो-दो मिनिस्टर्स के खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेज थे। अब भी म्यूनिसिपैलिटीज के रेकर्ड्स इसको बता देंगे। अब भी अगर इंक्वायरी होती है तो वह चीज खुल सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर ऐसा भ्रम है तो इंक्वायरी करानी चाहिये। हमें आपकी कृपा नहीं चाहिये। आपकी कृपा इन मंत्रियों को चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हमारी कृपा के आप आकांक्षी नहीं हैं। मैं आप सबकी कृपा का आकांक्षी हूं...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो आपकी भाषा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

भाषा में सरस्वती निवास करती है। सरस्वती को छोड़कर जो बात करता है वह बुद्धि की बात नहीं करता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

तो मैं यह कह रही थी कि विरोधी दल के सामने कोई दूसरा नारा नहीं रह गया है...

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

एस० बी० डी० के समय मिनिस्टरों के खिलाफ जांच नहीं करायी गयी तो उसी आधार पर क्या आप भी अपने मिनिस्टरों के खिलाफ जांच नहीं कराना चाहती हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब विरोधी दल के सामने कोई नारा नहीं रह गया तो उनको मुस्लिम मजलिस के नाम पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल मिल गया। सोशलिस्ट पार्टी को लैन्ड लेवी का नारा मिल गया, और जनसंघ को शिमला पैक्ट का नारा मिल गया और जरा विचार करें कि वह कह किसके लिये रहे हैं, जिसका जीवन खुला हुआ पन्ना हो, खुली हुयी तस्वीर हो, अगर आप उसके लिये इस बात को कह सकते हैं तो आपके दिमाग के अन्दर के कीड़े को मैं समझ सकती हूं।

मैं यह कह रही थी कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है और उसके साथ जो बातें कही गयी है वह यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की तरक्की के लिये कुछ नहीं कर रही है। उसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि आज हमारी यह सरकार योजना-बद्ध तरीके से चल रही है और उस योजना के साथ-साथ आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और उसके द्वारा हमें पूरी आशा है कि वह इस प्रदेश की सेवा में सफल होगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

श्रीमती राजेंद्र कुमारी जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि फिरोजाबाद, वाराणासी को लेकर जो वहां दंगे हुये हैं उनके संबंध में उनको लेकर माननीय अनन्तराम जी ने बहुत सी बातें कही हैं, उनके बारे में वे कुछ बतलावें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं यह कह रही थी कि अभी जनसंघ के नेता माधव प्रसाद जी बड़े जोरों से कह रहे हैं कि उन्होंने बिहारी मुसलमानों की बात नहीं कही। लेकिन उन दिनों अखबारों में बड़ी चर्चा थी और पटना में जो जनसंघ की मीटिंग हुई थी....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पटना की मीटिंग में तो मैं मौजूद था उससे दस गज की दूरी पर और मुझे वहां इसके लिये भेजा गया था ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

तब हमारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इस तरह की बात के लिये तैयार नहीं हूं । जितनी बातें उन्होंने उस समय कहीं या लड़ाई के वक्त में कहीं उस पर वह आज भी कायम हैं ।

आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो झगड़े हुये हैं, वाराणसी या फिरोजाबाद में, वह दुखद हैं । और हमारे और सबके लिये तकलीफ देह है । जो जानें वहां गई हैं उसके लिये भी हमें काफी तकलीफ है । हमें इस बात की भी तकलीफ है कि वहां पर मस्जिदें टूटी, मंदिरों की क्षति हुई और यह एक ऐसी चीज है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है । जो भी उससे संबंधित आन्दोलन की बात थी वह तो बैठकर ऐकेडेमिक तरीके से हल करने की बात थी, जिस पर बहस की जा सकती थी लेकिन उस मामले को सड़कों पर ले आना और लोगों में गुस्से के जजबात को फैलाना और इस प्रदेश के लोगों में आबोहवा को खराब करने की कोशिश करना, कहां तक उचित है और उसी का नतीजा यह हुआ था कि हमारे कुछ बेगुनाह भाइयों की जानें गयीं । और कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि ऐसे जो दंगे होते हैं उससे लोगों के दिलों पर घाव पैदा होते हैं और वह घाव बहुत दिनों तक रहते हैं । तो हमेशा उनसे बचाने की कोशिश करनी चाहिये और विरोधी दल के भाइयों को भी उनको उभाड़ने की बजाय दबाने और सहृदयतापूर्ण वातावरण बनाने में मदद करनी चाहिये ।

आज जो हो गया वह तो हो गया लेकिन आगे के लिये क्या हो, काफी तनावपूर्ण स्थिति थी और केवल दो जगह अशांति हुई और बाकी जगह अशांति नहीं हुई और स्थिति पर काबू रखा जा सका तो इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है लेकिन जिन दो जगहों पर भी हुआ है उसके कारणों पर हमारी सरकार को जाना पड़ेगा । उसके कारणों को जानने से स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे के लिये कैसा प्रबन्ध होना चाहिये और किस तरह से आगे ऐसे दंगे बचाये जा सकते हैं या ऐसी घटनायें बचाई जा सकती है जिससे जनता को तकलीफ न हो । यह सारी बातें सरकार के इंटेरेस्ट में होंगी, हमारे दल के इंटरेस्ट में होंगी कि हम उनके अन्दर जायं कि क्यों ऐसी बात हो गयी । बहुत सी बातें कही जा सकती है और उनमें से बहुत सी सच भी हो सकती है लेकिन चीजों को पूरी तरह से समझकर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है । बहुत सी बात मुझसे भी कहीं गयी है, दूसरों से भी कही गयी है लेकिन सबके पीछे यह जरूरी है कि जो साम्प्रदायिकता की भावना फैलाई जायं और एक दूसरे से धार्मिक स्थानों पर हमले किये जावें तो उनकी हमेशा निन्दा होनी चाहिये ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

इंदिरा जी ने सारे देश में समाजवाद का नारा पूरा कर लिया और आप उसको चला रही है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इंदिरा हटाओं का आप स्वप्न देख रहे हैं । सारे भारत की जनता उनके पीछे चल रही है उनको अपना महान नेता मान रही है । और मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि यह उनका दिवास्वप्न है । वे इसको न देखें वह कभी सत्य होने वाला नहीं है । और न साकार होने वाला है । इंदिरा जी अपने कामों की तेजी से और प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही हैं और सारी जनता उनके पीछे चल रही है । वह बैठकर कोई काम करने वाली नहीं है । आज उनको डिक्टेटर कहा जाता है जिससे असत्य और कोई

बात हो ही नहीं सकती है । जिस महान् व्यक्तित्व ने जब कि प्रीवी पर्स का सवाल सुप्रीम कोर्ट से आया उसने उसके विपरीत फैसला दिया तो उसने 14 महीने पहले ही लोक सभा के चुनाव करवा दिये और अपने उसी फैसले को आधार मानकर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की । जितने बड़े बहुमत के साथ वे आईं वह अभूतपूर्व है ।

जब बंगला देश का प्रश्न उठा था तो जनसंघ के नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी कहते थे इसका यथार्थ होना यकीन नहीं आता । बंगला देश से आये हुये रिफ्यूजीज के बारे में भी वह कहते थे कि वे लोग यहां से वापस नहीं जायेंगे । इंदिरा जी आरम्भ से ही कहती थीं कि यहां आया हुआ एक-एक रिफ्यूजी बंगला देश जायेगा और बंगला देश बन कर रहेगा । इन प्रश्नों के बारे में आपके नेता को यकीन ही नहीं आता था परन्तु इंदिरा जी की कही हुई एक-एक बात सत्य हुई । बंगला देश बना और यहां आया हुआ एक-एक रिफ्यूजी बंगला देश को वापस चला गया ।

इंदिरा जी ने तीन तीन वायदे किये थे कि बंगला देश आजाद होगा, एक-एक रिफ्यूजी यहां से वापस जायेगा और हम पाकिस्तान की कोई टेरीटोरी लेना नहीं चाहते हैं केवल हम उसूलों के लिये लड़ रहे हैं । हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि कश्मीर में युद्ध विराम रेखा बदल जायेगी और वह पुरानी रेखा नहीं रहेगी । तीनों ही बातें सत्य हो गई हैं हमने कहीं पर भी अपने वायदों को नहीं तोड़ा है । माननीय इंदिरा जी ने यह भी कहा था कि हम कश्मीर की एक इंच भूमि भी वापस नहीं करेंगे । आज भी वह वैसी ही है । कश्मीर में सीमा रेखा बदल गई है ।

श्री बांके लाल---

आपने जीती हुई 5,000 स्क्वायर माइल जमीन तो वापस कर दी ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

आज भी कश्मीर में 1/3 भाग पाकिस्तान के कब्जे में है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि कश्मीर के संबंध में एक दिन की चर्चा हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं, यह नहीं हो सकती ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, मैं इसलिये इस बात को कह रही हूं कि बार-बार इस सदन में विरोधी दल की तरफ से इंदिरा जी का नाम लिया जाता रहा है । हमारे दूसरे भाई कह रहे थे कि इंदिरा जी ने यह वायदा नहीं पूरा किया ।

श्री बांके लाल---

आप जब स्वास्थ्य मंत्री थीं तब आप मंत्री की और प्रिंसिपल दोनों जगहों से तनख्वाह लेती थीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने कभी भी दोनों स्थानों से तनख्वाह नहीं ली । इस बार तो मैंने वहां से रिजाइन भी कर दिया है । आपका कहना पूर्ण रूप से निराधार है । इसकी हमेशा निन्दा होनी चाहिये और भर्त्सना होनी चाहिये । बड़े कठोर शब्दों में और मजबूत तरीके से इसकी भर्त्सना होनी चाहिये और हमें कोशिश करनी चाहिये कि ऐसी चीजें फिर से हमारे प्रदेश में होने न पावें ।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

अब फिर जो आगे के लिये आन्दोलन की शक्ल देने की बात कही जा रही है, उसमें मैं आशा करती हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग फिर इस बात को सोचें कि इकट्ठे हो रहे हैं एक नारे के पीछे कि एक होकर इंदिरा जी को या कांग्रेस को हटा देंगे इस तरह की गलत-फहमी में न आयें । वास्तविकता को समझें । पहले अपना रास्ता ढूंढें कि वह किस तरफ जा रहे हैं, क्या उनकी आर्थिक नीति है, क्या उनकी सामाजिक नीति है, क्या उद्देश्य है। उसके बाद हमारी तरफ आयें और हमारे परिवर्तन करने की बात कहें । हम तो प्रजातंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं । हमें विरोधी दल से कोई घबराहट नहीं है । जब जवाहर लाल जी जो इस देश के मजबूत नेता थे उन्होंने हर 5 साल के बाद चुनाव कराया, इंदिरा जी तो और आगे बढ़ गयीं । उन्होंने समय से 14 महीने पहले इलेक्शन करा के एक मिसाल कायम कर दी । तो हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो विरोधी दल को मानकर के चलते हैं और उनका आदर करके चलते हैं कि विरोधी दल तो रहेगा ही । जिस पार्लियामेंट के सिस्टम आफ गवर्नमेंट पर हम यकीन करते हैं उसमें विरोधी दल भी उसी तरह से आवश्यक है जैसे कि ट्रेजरी बेंचेज हैं । इसलिये हम आपका आदर करते हैं । कोई डर नहीं, परेशानी नहीं ।

अब हमारे माननीय टंडन जी ने किस संदर्भ में क्या-क्या बातचीत की है, किसी पब्लिक स्पीच (व्यवधान) बंगला देश के संदर्भ में उन्होंने अपनी एक भावना व्यक्त की । उसको यह रूप नहीं देना चाहिये । उसके मतलब यह नहीं कि वह विरोधी दल ही नहीं चाहते ।

तो इस प्रकार से जो बातें अब तक हुई उनसे स्पष्ट हो गया कि चौधरी साहब ने क्या कर्त्तव्य अपना पूरा किया । कर्त्तव्य उनका यह पूरा हुआ कि किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा प्वाइंटेडली यहां के मंत्रि-परिषद् के ऊपर आक्षेप लगायें । वह उन्होंने लगाये। इतना उनका मकसद पूरा हुआ और इस तरह से उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया कि हम कुछ सीख सकें, सबक ले सकें और अपने को अच्छा बना सकें । तो यह तो हमेशा होता है जनतंत्र में और इस काम को उन्होंने किया । इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां के लोग बैठते हैं तो एक बात बोलते हैं और जब उधर बैठते हैं तो दूसरी बात बोलते हैं। हम जब इधर केवल कुछ मुट्ठी भर आदमी हैं जो पहले भी वही कहते थे और आज भी वही कहते हैं । 1970 से लगातार कोई दल ऐसा नहीं है जो सरकार में न बैठा हो ।

श्री रामगोपाल संड—

यह जरा बतला दें कि वह प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में ?

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

ढूंढने की कोशिश कीजिये तो मालूम हो जायगा । तो निवेदन यह है कि 1970 के अन्दर यहां एक सरकार बनी संविद सरकार बनी । कांग्रेस के खिलाफ जनता के अन्दर व्यापक असंतोष था । इस प्रदेश की जनता को संविद सरकार से आशायें हुई लेकिन जैसे परस्पर विरोध में सरकार बनी वह कुछ नहीं कर सकती थी । उसके बाद चुनाव हुआ, गुप्ता जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी । वह भी इस प्रदेश की मौलिक समस्याओं को हल नहीं कर सकी । उसके बाद माननीय चौधरी चरण सिंह ने अनेक दलों के साथ एक नयी सरकार बनायी । वह भी प्रदेश की मौलिक समस्याओं को नहीं हल कर सकी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके बाद जो समान विरोधी दल आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर आये हैं उनकी भी सरकार बनी और वह सरकार भी जो इस प्रदेश के सामने समस्यायें थीं उनको हल नहीं कर सकी।

हुआ क्या है ? यह सही है कि आज प्रदेश के अन्दर तबाही मची हुयी है । यह सत्य है कि प्रदेश की मेहनतकश जनता कराह रही है । कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं । एक मध्यम परिवार के लोगों को मध्यम वर्ग के कर्मचारी, किसान और मजदूर को जिन्दगी काटना मुश्किल हो रहा है । ऐसे समय में जब प्रदेश का छोटा वेतनभोगी कर्मचारी आवाज उठाता है, बिजली के मजदूर अपने को संगठित करते हैं और अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय को शिकायत होती है कि नहीं, इनकी मांगों को नहीं मानना चाहिये, हड़ताल की नोटिस नहीं देनी चाहिये। उनको केन्द्रीय सरकार से शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार क्योंकि अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाती हैं तो प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को मौका मिलता है अपनी आवाज उठाने का। अगर यह नीति इस प्रस्ताव के पीछे है तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता।

महंगाई का प्रश्न बहुत व्यापक है, अखिल भारतीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के अन्दर महंगाई तब तक नहीं खत्म हो सकती है ..... (श्री रामबिलास पांडेय ने खड़े होकर कुछ कहा जो श्री गोविन्द सिंह नेगी के बोलते रहने के कारण सुनाई नहीं पड़ा ) । इस देश और प्रदेश के अन्दर महंगाई तब तक नहीं रुक सकती, बेकारी तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक आप मानोपली के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर साढ़े 4 रुपये किलो चीनी मिल रही है और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां 7 रुपये किलो चीनी मिल रही है। क्यों ? आपकी घोषित नीति थी कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। जब गुप्ता जी वहां बैठते थे तो यह बहाना करते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिये सक्षम नहीं है, केन्द्र की सरकार को करना पड़ेगा। आपका कहना था और आपने कानूनी राय ली थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम हैं। आज आप इस स्थिति में हैं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें। कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते ? अगर आप समाजवाद की बात करते हैं, महंगाई को खत्म करने की बात करते तो अगर चीनी मिलों को हाथ में नहीं लेते हैं तो समाजवाद नहीं आयेगा ।

अभी कुछ दिन पहले इस सदन की दो कमेटयों की संस्तुतियां पेश की गयीं। मेरे मित्र माननीय शिवराज सिंह नहीं हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की, लोक लेखा समिति की तरफ से सिफारिश आयी कि बिड़ला के, हिंडालको के साथ जो ऐग्रीमेंट किया गया है वह सरासर गलत है। ढाई करोड़ रुपया प्रतिवर्ष यह सरकार बिड़ला के खजाने में जमा कर रही है। 30 करोड़ का घाटा सरकार को इससे हो चुका है। सदन की दोनों कमेटियां कहती हैं और केवल कमेटियां ही नहीं बल्कि शासन दल के 82 लोगों ने लिखकर दिया। अगर आप वास्तव में जनता को राहत देने की बात करते हैं, अगर आप वास्तव में उन नीतियों को प्रति-पादित करना चाहते हैं जिनके लिये जनता ने आपको समर्थन दिया तो बिड़ला के लिये यह हमदर्दी क्यों हो रही है ?

कहा जाता है कि हम पर्वतीय क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। वहां हम कारखाने खोलेंगे। हकीकत क्या है कि जो बिड़ला और टाटा की पूंजी अब तक पर्वतीय अंचल में नहीं पहुंची थी आज वह वहां पहुंच गयी है। मैंगनेसाइट के कारखाने की बात कही गयी। आप समाजवाद की बात करते हैं, मानोपालीज पर लगाम लगाने की बात करते हैं। हो क्या रहा है ? आज अल्मोड़ा के अन्दर मैंगनेसाइट का कारखाना लगता है किसके कोलैबोरेशन से ? टाटा और बिड़ला के कोलैबोरेशन से। यह किस काम के लिये पैदा होगा, केवल टाटा का जो कारखाना लगा है उसको फीड करने के लिये। 51 प्रतिशत शेयर सरकार के हैं और 49

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]
प्रतिशत शेयर टाटा के होंगे। जब टाटा के डायरेक्टर और हमारी सरकार के डायरेक्टर पास-पास बैठेंगे तो आपके डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होगी कि वह कुछ कर सके, वह तो उनके डायरेक्टर के इशारे पर ही नाचेगा। आखिर हाइडिल के अन्दर बिड़ला जी के मैनेजर के सामने आपके आफिसर्स कुछ कर नहीं पाते। आपके इन्जीनियरों आदि को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे वे सरकार के वेतनभोगी अधिकारी न हों, बल्कि बिड़ला जी के वेतनभोगी कर्मचारी हों।

माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने टिहरी के बांध के बारे में कहा। वह अच्छा काम हो रहा है। पहाड़ पानी के साथ-साथ अब बिजली भी दे सकेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने उसको बनाने का ठेका किसको दिया है? देश के 75 इजारेदारों में से एक इजारेदार को आपने इतने बड़े बांध का ठेका दिया जिस पर कि करोड़ों रुपया खर्च होने जा रहा है।

कहते हैं कि पर्वतों का औद्योगीकरण होगा। नैनीताल में कागज का कारखाना खोलने जा रहे हैं। लुगदी का कारखाना खुलेगा। लेकिन वह कारखाना भी आप ज्वाइन्ट सेक्टर में खोलने जा रहे हैं। उसमें भी बिड़ला साहब की पूंजी लगी है। यही नहीं मान्यवर, पहाड़ के पूरे इक्वीलिपट्स का ठेका बिड़ला साहब को दिया जा रहा है।

भूमि सुधार की बात भी कही गयी। इस मसले पर नागपुर में बहस हुई, बंगलोर में विचार हुआ, फरीदाबाद में हुआ, बम्बई में हुआ, पार्टी के अन्दर हुआ, आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा, कई कमेटियों में भी इसको भेजकर रिपोर्ट प्राप्त की, अंत में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन करके उसमें भी पास करा दिया, मगर फिर भी आपकी हिम्मत नहीं हुई उस संबंध में कोई कदम उठाने की। आप फिर भी उस संबंध में कानून नहीं लाये। 10 फरवरी को आपने विधेयक पेश भी कर दिया, हमने उस वक्त भी यह प्रस्ताव किया कि आप इसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो इसे शीघ्र पास कीजिये, वरना जमीन बट जायेगी, आपने उसे नहीं माना और हकीकत यह है कि जमीन बंट गयी। आपने उनको मौका दिया बांटने का। आज भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि सीलिंग के कानून को पास करें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--
एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--
वे बैठ नहीं रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
अगर आप जमीन का बटवारा करना चाहते थे, शहरों में सम्पत्ति की हदबन्दी करना चाहते थे, तो क्यों कानून को आपने तुरन्त पास नहीं किया? उसमें किस बात की देरी हो रही है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--
माननीय सदस्य ने कहा कि वे प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर भाषण सरकार के विरोध में कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--
स्पष्टीकरण मांगने का मान्य सिद्धान्त यह है कि जब माननीय सदस्य बैठ जायें, तभी आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं इनको स्पष्टीकरण दे दूं। मेरे मित्र ने पूछा कि आप इसके हक में हैं या खिलाफ हैं। मैं उनको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ऐसी सम्भावना होती कि यह सरकार चली जाएगी और इसके मुकाबले में और अच्छी सरकार आएगी, जो और प्रगतिशील सरकार होगी तथा समाजवाद की तरफ और मजबूती से कदम बढ़ायेगी तो मैं इसका अवश्य साथ देता, लेकिन प्रस्ताव की मंशा यदि यह है कि यह सरकार चली जाए और इसकी जगह पर वही सरकार कायम की जाये, जो श्री टी० एन० सिंह ने की थी, तो मैं ऐसे प्रस्ताव के साथ नहीं रह सकता।

मैं निवेदन कर रहा था मौलिक प्रश्न जब सरकार के सामने आते हैं, चाहे हिन्डालको का प्रश्न हो, चाहे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हो, चाहे जमीन के बंटवारे का प्रश्न हो, तो हकीकत यह है कि आज सरकार के कदम लड़खड़ा रहे हैं। कारण यह है कि इन्द्रिरा गांधी की विजय हुई और पूरे देश की जनता ने उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में हुआ क्या? उस समय जो गुप्ता जी के पीछे बैठे थे वह भी वहां पहुंच गये, जो जनसंघ में शामिल थे, वे भी वहां पहुंच गये। तो इसी तरह और भी पार्टियों से लोग पहुंच गये जो प्रतिक्रियावादी और सामन्तशाही ताकतें थीं। लेकिन देश की जनता जानती है, देश का किसान और मजदूर जानता है, इन्द्रिरा गांधी के कार्यक्रम को चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही वे आपके यहां पहुंच गये हैं।

मैं तो अपने मित्र को बधाई देता हूं, अपनी पार्टी के अकेले आदमी भानुप्रताप सिंह हैं लेकिन आप की पार्टी के 70 आदमी आपके पीछे चल रहे हैं। जो कि जब उनकी समझ में आता है समय-समय पर पंडित जी गला दबा देते हैं और वे कहते हैं कि हम जमींन नहीं बंटने देंगे। तब नेतृत्व डगमगा जाता होगा। लेकिन मैं कहता हूं आज सरकार को हिम्मत करनी पड़ेगी, आप उसे उसी ढीले तरीके से चलाते रहेंगे, तो जैसा आज तक प्रशासन चलता आया है, आप इस तरह से उसको बदल नहीं सकते। यही नहीं बिड़ला साहब के ऊपर आप को लगान लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती।

इस देश में 26 करोड़ रुपया बड़े-बड़े कारखानेदारों पर सेल्स टैक्स का सरकार का बाकी है, उसको वसूल करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। अब आप कृषि भूमि के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, भूमि भवन पर टैक्स लगा रहे हैं। तो एक तरफ आप बिड़ला जी को लगातार सुविधाएं दिये जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बिजली पैदा करने वाले मजदूर हैं, वे जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, बोनस की प्राप्ति के लिए मांग करते हैं तो आप की सरकार समाजवाद के नाम पर उनके आन्दोलन को गैर-कानूनी ठहराती है। कानपुर के कपड़ा मिल मजदूर जब अपने वेतन को बढ़वाने की बात करते हैं, आप का सहारा चाहते हैं तो आप उनकी मदद न करके पूंजीपतियों का साथ देते हैं। अगर आप मजदूर का साथ नहीं देंगे, उसकी लड़ाई का साथ नहीं देंगे, बल्कि मजदूर के ऊपर डंडे लेकर खड़े होंगे और बिड़ला को तमाम सुविधाएं देंगे, टाटा जी को पेपर पल्प की इंडस्ट्री ले जाने देंगे, तो इस देश से निश्चित जानिये गरीबी, बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज प्रदेश के राजनैतिक नेतृत्व पर राजनैतिक नेता हावी नहीं हैं, बल्कि आज की नौकरशाही हावी है। मैं व्यक्तिगत ढंग से जानता हूं एक मामले में। मुख्य मन्त्री जी की नीति सम्बन्धी एक विषय में आदेश हुए, लेकिन मुख्य मन्त्री की जो नौकरशाही इस सचिवालय में बैठी हुई है, उसने उन आदेशों का पालन नहीं होने दिया। यह निश्चय हो चुका है सीमान्त जिलों को जैसे एक विशेष शाखा में रखा गया है, उसी तरह से आठों पर्वतीय जिलों को एक विशेष सीमान्त शाखा में रखा जाएगा, लेकिन प्रदेश की नौकरशाही नहीं चाहती, इसलिए वह कार्यान्वित नहीं हो सका। क्योंकि हर डिपार्टमेंट के हेड को पहाड़ों पर घूमने जाना है, गंगोत्री, जमुनोत्री तथा अन्य पहाड़ों की सैर करनी

[श्री गोबिन्द सिंह नेगी]
आवश्यक है। मुख्य मन्त्री जी के आदेश और घोषणायें एक जगह हैं, किन्तु वे उसको नहीं होने देंगे।

सीलिंग भी बना दीजिये, लेकिन अगर नौकरशाही के हाथ में छोड़ दिया तो एक इंच जमीन भूमिहीन किसानों को नहीं मिलेगी, हरिजनों को नहीं मिलेगी। यह हकीकत है। आप समाजवाद की बात करते हैं। देहातों के अन्दर चले जाइये, जिलों में चले जाइये हरिजनों पर मार पड़ रही है। तमाम जमींदार, धनी किसान योजनाबद्ध तरीके से हरिजनों पर टूट रहे हैं, चाहे बांदा हो, आजमगढ़ हो या बलिया हो या उत्तर प्रदेश में कोई गांव हो। पुलिस उनका साथ देती है। बड़े-बड़े जमींदारों, बड़े-बड़े किसानों से मिल कर पूरे तरह से हरिजनों की पिटाई कर रही है। फिर क्यों आप समाजवाद की बात करते हैं? मुरादाबाद में दस हरिजन जला दिये गये। आजादी के 25 साल के बाद आज वर्ष गांठ मना रहे हैं, जबकि आजादी के लड़ने वालों का सम्मान करने जा रहे हैं। महात्मा जी के नाम पर दुहाई देने जा रहे हैं। आज मरादाबाद में 10 हरिजनों को जलाया जाता है। कहां आप का प्रशासन है। आप नौकरशाही के हाथ में खेलते हैं। अन्त में मैं फिर दोहराता हूं कि न मैं इनके साथ हूं और न मैं उनके साथ हूं। मैं नीतियों पर चलता हूं, और आगे भी चलता रहूंगा।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—
उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु विषय पर बोलने के पहले माननीय नेगी जी को, जो उन्होंने मुझको बधाई दी है, उसके लिये धन्यवाद दे देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं अपने दल का अकेला हूं लेकिन मेरा प्रभाव कम से कम 70 उधर के बैठने वाले विधायकों पर है। मुझे नहीं मालूम है, अगर यह बात सही है, तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इस विषय में एक बात स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहता हूं। मैं किसी दल का नहीं हूं। यदि कागजात में स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य के रूप में मेरा नाम दर्ज हो तो काट दीजिये। मैं निर्दलीय हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
आप लिखकर दे दें।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—
मैं लिख कर भेज दूंगा। लेकिन मैं अपनी स्पष्ट घोषणा करता हूं कि म किसी दल से सम्बद्ध नहीं हूं। मैं निर्दलीय विधायक के रूप में कार्य कर रहा हूं।

दूसरे, बधाई उन्होंने मुझे दी, वह बधाई मैं उनको भी दे दूं। यद्यपि इस हाउस में सी० पी० आई० का प्रभाव करीब-करीब नगण्य है फिर भी ये लोग इतने चतुर हैं, पता नहीं कहां से ज्ञान पाते हैं, भारत सरकार आज इनके चंगुल में है। नेगी जी और इनका दल वास्तव में बधाई के पात्र हैं, जनता में कोई भी प्रभाव न होते हुए भी आज इन्होंने इन्द्रिरा गांधी और उनकी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।

अब मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव पर आता हूं। मैं मंत्रि-परिषद् और प्रशासन की अयोग्यता, शिथिलता, वादाखिलाफियों, बेरोजगारी, महंगाई, कुनबापरस्ती, वगैरह-वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और उसकी वजह यह है कि आप मुझे पूरा समय नहीं देंगे। वैसे इन बातों को कहने के लिये मेरे पास भी काफी खजाना है। लेकिन इस वक्त अपने आपको केवल एक विषय तक ही सीमित रखूंगा। वह यह है कि इस सरकार का किसानों के प्रति कैसा व्यवहार है। मैं तो यह मानता हूं कि सारे गुनाह, सारी गलतियां, सारी त्रुटियां माफ की जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती हैं। लेकिन आज इस सूखे के समय इस सरकार ने उदासीनता का जो रवैया अख्तियार किया है वह अकेले ही काफी है इस सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये जिसके कारण प्रदेश की 8 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पर खड़ी हुई है।

मुझे दुख के साथ अपने साथियों से कहना पड़ता है कि उन्होंने यह अवसर निकाला है कीचड़ उछालने के लिये, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की चर्चा करने के लिये लेकिन आज जो एक ऐसी विकट परिस्थिति इस देश तथा प्रदेश के सामने आने वाली है उसका या तो उनको आभास नहीं है, उनका उससे सम्पर्क नहीं है अथवा वह इतने उदासीन हैं उसके प्रति। यह सच है कि लाखों आदमी मर जायंगे और उनको कोई उसकी चिन्ता नहीं है। यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर यह तो दैवी प्रकोप है, इसमें सरकार क्या करे? मैं चौधरी चरण सिंह जी और इधर के अन्य नेतागण मुमकिन हैं उनको इसके लिये माफ कर दें यह कर कि यह जो सूखे की स्थिति और अकाल पड़ने वाला है इसके लिये सरकार उत्तरदायी नहीं है लेकिन मैं नहीं माफ कर सकता। मैं जानता हूं कि सूखे में भी बहुत कुछ सरकार कर सकती है। यदि सरकार की नीतियां सही होतीं तो किसान स्वयं बहुत कुछ कर सकता था और यह जो भीषण अकाल आने वाला है इसका बहुत कुछ कष्ट निवारण हो सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूखे और बाढ़ में अन्तर होता है। बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता। वह आयेगी और नष्ट कर के चली जायगी। लेकिन सूखा क्या है—पानी का न बरसना। अगर पानी उपलब्ध हो तो गर्मी के दिनों में जब एक बूंद बरसा नहीं होती तब भी फसल पैदा की जा सकती है तो फिर क्या हो गया अगर तीन सप्ताह पानी न बरसे तो इसको दैवी प्रकोप कहा जाता है। संसार का कौन सा ऐसा देश है जहांकि जलवायु इतनी अनुकूल हो, जहां तीन-चार हफ्ते पानी रुकता न हो? संसार के सभी देशों में ऐसे मौसम आते हैं लेकिन हिन्दुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां पानी तीन-चार हफ्ते न बरसे तो करोड़ों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। अगर पानी उपलब्ध हो तो फसल पैदा की जा सकती है। इसका प्रमाण मैं स्वयं अपने फार्म का देता हूं कि वहां धान की फसल कट रही है। मैंने उसे पैदा किया जब कि केवल एक बारिश हुई है।

यह मैं जरूर मानता हूं कि उस फसल को पैदा करने में जितना खर्चा हुआ वह मुझे मिलने वाला नहीं है लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि मौसम खराब था। उसका कारण यह है कि बिजली की दर तथा अन्य चीजें जो उसमें लगी वे बहुत महंगी हो गयी हैं। अगर बिजली की दर आधी कर दी जाय और बिजली उपलब्ध हो और नलकूप से पानी उपलब्ध हो तो अप्रैल, मई में जब फसल पैदा हो सकती है तो जुलाई, अगस्त में भी पैदा की जा सकती है। बिजली की दर आधी करने की कौन कहे, बिजली की दर दूनी कर दी गयी है। जुलाई, 68 तक अगर कोई छोटा किसान 5 हार्स पावर का मोटर चलाता था साल भर तो 450 रुपये उसको अदा करने पड़ते थे लेकिन जनवरी, 72 से उसी मोटर को साल भर चलाने के लिए उसको 855 रुपए अदा करने पड़ेंगे, दूने से थोड़ा कम। इसका परिणाम क्या हुआ? आज के समाचार पत्र पायनियर का उद्धरण मैं देता हूं, उसमें लिखा है:—

"In Azamgarh two thousand pumping sets are lying disconnected for non payment of minimum guarantees."

केवल आजमगढ़ में दो हजार ट्यूबवेल डिसकनेक्ट कर दिये गये हैं क्योंकि किसान मिनिमम गारन्टी अदा नहीं कर पाये।

उसी समाचार पत्र ने दूसरे हेडिंग के अन्तर्गत यह खबर दी है:—

In reply to the main question the Minister for Power said that the HINDALCO owed over Rs. 2.62 crores to the State Electricity Board till October 31, 1972 as dues of power consumption by the factory.

[श्री भानुप्रताप सिंह ]

दो करोड़ 62 लाख रुपया हिन्डालको पर बकाया है क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है और रिट में आ चुका है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर कुल मिलाकर 2 करोड़ 62 लाख रुपया बकाया नहीं होगा।

इस सूखे के समय में बिजली काट देना, इस समाजवादी सरकार का काम है तब आप कहते हैं कि सूखे में सरकार उत्तरदायी नहीं है? मैं इस सम्बन्ध में कई बार पहले भी ध्यान दिला चुका हूं किन्तु दुर्भाग्य से इस समय वित्त मन्त्री जी नहीं हैं, यह पालिसी भी गलत है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत हिन्डालको को बिजली की पड़ती है। मैं कहता हूं कि जब सूखा पड़ता है, बिजली का काम बन्द हो जाता तो फिर सारी खेती-बाड़ी का काम बन्द हो जाता है। इसको आम सिद्धान्त रूप से मानते हैं। होता यह है कि फिर भी हिन्डालको का काम चलता है क्योंकि उसमें वेस्टेड इन्टेरेस्ट होता है।

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि विकास के जितने भी बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें वेस्टेड इन्टेरेस्ट होता है क्योंकि यदि बड़े-बड़े हाइडिल नहीं बनेंगे तो वेस्टेड इन्टेरेस्ट वालों को कुछ नहीं मिल सकता है। आज की चार पंचवर्षीय योजनाओं में यही देखा गया है। आज 720 मेघावाट बिजली हाईडिल से और 510 थरमल से ली जा रही है।

मान्यवर, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हिन्डालको ने 70-71 में 61 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी जबकि इसकी तुलना में सभी किसानों को मिलाकर केवल 43 करोड़ यूनिट बिजली दी गई। मान्यवर, यदि एक महीने के लिए भी हिन्डालको को बिजली देना बन्द कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि और पानी की कमी नहीं पड़ सकती है। यदि मैं सरकार में होता और मेरा प्रभाव वहां पर होता तो मैं कहता कि बन्द कर दीजिए इस विधान सभा को और इसको एक कंट्रोल रूम बनाकर गांवों में देखो कि वहां पर ट्यूबवेल चल रहे हैं या नहीं, उनको बिजली दी जा रही है या नहीं, पानी उन्हें मिल रहा है या नहीं।

मान्यवर, कल के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है जो ट्रांसफारमर चोरी हो गये हैं उनके स्थान पर फिर से दूसरे लगा दिये जायं। यह आदेश अभी हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कहीं से पूंजी लगाये तो कहां से लगाये? मैं इसकी चर्चा नहीं करता कि खुले बाजार में क्या भाव है और सरकार क्या चाहती है।

सन् 67-68 में गेहूं का भाव 81 रुपये निश्चित किया गया था वह घटते-घटते 76 रुपए पर आ गया। चावल का भाव 90 रुपये निश्चित किया गया था वह घटते-घटते 80 रुपए पर निश्चित किया गया। इसके मुकाबले में गन्ने का भाव 13.06 रु० प्रति क्विंटल था और 70-71 में वह 7.07 रह गया। फर्टिलाइजर यूरिया के बारे में यह है कि उसका दाम 680 रुपए था जो बढ़कर 959 रुपया हो गया है।

यानी में 41 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी। जेटर ट्रैक्टर जो पहले 13,500 रुपए में मिलता था अब 23,500 रुपए में मिलता है, यानी 74 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी।

श्रीमन, अब यह देखा जाय कि कितना गेहूं बेचकर ये सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। श्रीमन्, 1967-68 में एक जेटर ट्रैक्टर 119 बोरी गेहूं बेच कर खरीदा जाता था और अब 300 बोरी गेहूं बेच कर खरीदा जा सकता है। पहले यूरिया एक टन--5.9 क्विंटल गेहूं बेचकर खरीदा जा सकता था लेकिन अब वह करीब 13 क्विंटल गेहूं बेचकर खरीदा जा सकता है। पहले एक हजार यूनिट बिजली एक क्विंटल गेहूं बेचकर खरीदी जा सकती थी लेकिन अब 3 क्विंटल गेहूं बेच कर उतनी बिजली खरीदी जा सकती है।

कांग्रेस की तरफ से पहले हरित क्रान्ति की बहुत बात कही जाती थी और आज भी मेरे पड़ोस में बैठने वाले एक सदस्य ने कहा कि उधर के बैठने वालों को हर जगह हरित क्रांति

ही दिखलायी देती है। श्रीमन्, एक जानवर होता है जिसको हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखलायी देती है। वास्तव में हरित क्रांति नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की कोई घटना इस देश में नहीं घटी है। अगर हरित क्रांति की बात कही जाती है तो वह सर्वथा मिथ्या है और एक प्रचार मात्र है। किसी दूसरे अवसर पर मैं इस बात को लूंगा। इस समय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज बिजली की सप्लाई की हालत बहुत खराब है।

अब मैं करारोपण पर आता हूं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कर उसी पर लगाया जाता है जो उसको अदा कर सकता है। सीधे कर में ऐसी व्यवस्था है कि जब तक किसी की आमदनी 5 हजार रुपए से अधिक नहीं होती तब तक उस पर कर नहीं लगता। जितने काम करने वाले हैं उन पर यही नियम लागू है। जब 5 हजार रुपए से ज्यादा आमदनी होगी तभी उन पर कर लगेगा। लेकिन एक बदकिस्मत किसान है जिसके लिये पहले तो आपने 1 एकड़ को ही काफी सोचा था, और उस पर टैक्स लगाना चाहते थे लेकिन जब उधर से जरा ज्यादा शोर गुल हुआ तो सवा 3 एकड़ पर आ गये।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे मन्त्रिगण क्या सोचते हैं कि कितनी आमदनी एक किसान अपने सवा 3 एकड़ में कर सकेगा जिससे वह अपने परिवार को खिला भी सके, अपने बच्चों को पढ़ा भी सके और उनकी दवादारू भी कर सके? अगर आप में से एक को भी उस दशा में रहना पड़े तो जिन्दा नहीं रह सकते और फिर भी उन पर टैक्स लगाने की बात करते हैं।

जमीन से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है इसका अनुमान करा देना आवश्यक होगा, यदि आपकी इजाजत हो। इस तरह से जितने स्टेट फार्म्स हैं, जितना हो सका है उन सब से मैंने इस तरह के आंकड़े हासिल करने की कोशिश की है। 1969-70 में राजकीय फार्म सूरतगढ़—124 रुपया प्रति एकड़, 70–71 में 42 रुपया प्रति एकड़। केन्द्रीय राजकीय फार्म हिसार—1969-70 में 110 रुपया, प्रति एकड़, 70–71 में 140 रुपया प्रति एकड़, दिल्ली राजकीय फार्म—1970 में 179 रुपए प्रति एकड़, अगले साल घटकर 23.45 रु० प्रति एकड़ हो गया। करनाल फार्म—404 रुपए प्रति एकड़, अगले साल घटकर 154 रुपया प्रति एकड़ हो गया। तामिलनाडु फार्म—160 रुपए प्रति एकड़, अगले साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का जो फार्म है उसमें 102 रुपए 88 पैसे प्रति एकड़, ये वे फार्म्स हैं जिनको सारी सुविधायें उपलब्ध हैं, जिनका संचालन करने वाले योग्य से योग्य कृषि के पढ़े हुए पंडित लोग हैं।

आप कह सकते हैं कि सरकारी फार्म्स में बेइमानी होती है वगैरह-वगैरह। लेकिन हमारे माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने एक अनुमान किया। मैंने उनसे पूछा था कि एक किसान 18 एकड़ खेती से कितना कमा सकता है तो उन्होंने कहा था कि 300 रुपये से 500 रुपये प्रति मास एक परिवार की आमदनी हो सकती है। श्रीमन्, मैं ज्यादा विवाद में न जाकर उन्हीं की बात को मान लेता हूं कि उनका अनुमान सही है। हालांकि इन आंकड़ों की तुलना में दुगने से ज्यादा है। वह करीब 333 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष आता है। इस हिसाब से 3 एकड़ वाले किसान की आमदनी 1,000 रुपए प्रति वर्ष होगी। अगर पांच व्यक्तियों का एक परिवार माना जाये तो प्रति व्यक्ति 200 रुपए वार्षिक आमदनी होगी। यह सरकार उन लोगों पर टैक्स लगाने की सोच रही है जहां प्रति व्यक्ति आय साल भर में 200 रुपये हैं। मैं नहीं कहता कि आप खेती करने वालों पर टैक्स न लगायें। मैं जानता हूं कि आप तरह-तरह के बहाने लगाकर उसको टैक्स के बोझ से लाद देना चाहते हैं। आप उनके ऊपर भी उसी तरह से टैक्स लगाइए जैसे अन्य धन्धा करने वालों पर लगाते हैं। इनके ऊपर भी आप इनकम टैक्स और सुपर टैक्स लगाइए। माननीय उदित नारायण शर्मा जी के अनुसार तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं।

[श्री भानुप्रताप सिंह ]

अब मैं थोड़ी सामाजिक और गरीब अमीर की खाई पाटने वाली बात कहना चाहता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं इस बात का हामी हूं कि समाज के अन्दर गरीब और अमीर का अन्तर मिटना चाहिए। समाज जितना सम होता है उतनी ही वह उन्नति कर सकता है। लेकिन इनका इसमें विश्वास नहीं है। अगर होता तो यह एक कमीशन बिठाते और यह धारणा स्थापित करते कि आखिर अधिक से अधिक आमदनी किसी व्यक्ति की कितनी होनी चाहिये। महात्मा गांधी ने कहा है कि 500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उससे ज्यादा आमदनी करता है तो वह चोरी करता है। कल चौधरी साहब ने बताया कि एल०आई०सी० के चपरासी की तनख्वाह 450 रुपए महावार होती है। बैंकों में इससे भी ज्यादा है। कल को हमारे भाई यादवेन्द्र सिंह जी की अगर नौकरी छूट जाये और वे घर जाकर खेती करना चाहें तो वे क्यों नहीं चपरासी से ज्यादा कमाने की इजाजत पा सकते हैं।

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जब नौकरी छूट जायेगी तो फिर चपरासी की नौकरी में आयेंगे क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

आप चपरासी के बराबर भी नहीं कमा पायेंगे ऐसा कानून आप बना जायेंगे। आप एक स्टैंडर्ड बनाइए कि एक भारतीय नागरिक की जो औसत आय है उससे 10, 20, 40 गुनी से ज्यादा कोई नहीं पायेगा। लेकिन जब तक आप खेती करने वाले को एक निम्न कोटि का प्राणी समझकर, बड़े से बड़े किसान की हैसियत को चपरासी के तुल्य बनाना चाहते हैं तो यह सामाजिक न्याय नहीं है बल्कि समाजिक अन्याय है।

मैं केवल इन 500 रुपए की बात नहीं करता बल्कि मैं ने तुलना की है इसकी आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले यहां दो विधेयक ग्रामीण सीमा और शहरी सम्पत्ति की सीमा के उपस्थित हुये थे। आप देखें कि शहरी सीमा लगाने की बात तो केवल एक जालसाजी है, जनता को मूर्ख बनाने का एक उपाय मात्र है। शहरी सम्पत्ति ने केवल मकानों की सीमा लगाने की बात है, ट्रक्स, बसें, कारखाने बैंकों के हिस्से और वहां पर उन के बेलैन्स यह सब शहरी सम्पत्ति में शामिल नहीं है। उनका चाहे जिस सीमा तक उपभोग करें कोई रोक-टोक नहीं होगी। उद्यौगिक, व्यापारिक सिनेमा और कोल्ड स्टोरेज आदि की इमारतों की भी इस की सीमा से बरी कर दिया गया है। इसके बावजूद मैंने एक तुलना की है वह मैं आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा 18 एकड़ की रखी गई है उसका मूल्य हुआ 54 हजार और इधर 3 लाख, बालिग बेटे के लिए 5 एकड़ मूल्य उस का 15 हजार, इधर बालिग बेटे के लिए 1 लाख रुपए। अतिरिक्त सम्पत्ति जो ली जायगी उसका मुआवजा जो सीमा आरोपण है 5–6 साढ़े 6, 7 प्रतिशत, 100 की सम्पत्ति का 8–7 रुपया बैठेगा। अब शहरी सम्पत्ति जो ली जायगी उस का मुआवजा 75 प्रतिशत दिया जायगा। मुआवजे के बांड्स की अवधि गांव वालों के लिए 20 साल की होगी, शहर वालों के लिए वह अवधि 12 साल की होगी। बान्डों पर ब्याज शहर वालों को पौने 6 प्रतिशत गांव वालों को केवल साढ़े 3 प्रतिशत देना मुनासिब समझा गया। अब तो इन्होंने आर्डिनेंस जारी करके बैनामें सब रोक दिये लेकिन बिल में जो इनकी नीयत थी वह यह थी कि 5 फरवरी, 70 के बाद से सब हस्तांतरण और बटवारे शून्य माने जायेंगे ग्रामीण सम्पत्ति के लेकिन शहरी सम्पत्ति के कानून में कहा गया कि जो नेकनियती से बैनामे किये गये होंगे वे सब मान्य होंगे।

शहरी सम्पत्ति विधेयक में एक व्यवस्था यह भी की गई है कि वह उस समय लागू होगा जब से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगा। ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा सन् 70 से रख दी गई है। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में माननीय शिवराज सिंह ने हवाला दिया था कि

कोई कानून पास किया गया लेकिन 105 साल हो गये उस पर अमल नहीं हो सका। तो यह डर शहरी सीमा के विषय में भी है कि वह यहां पास भी हो जाय और 105 साल तक लागू ही न हो। उस पर अमल ही न हो।

अब मैं ज्यादा समय न लेकर हरित क्रांति के विषय में दो-चार शब्द और कहना चाहता हूं। मैं उनके एक भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सन् 71-72 में इनका उत्पादन बढ़ने के बजाय और गिरा है। इसी प्रसंग में मैं इतना और बतला दूं कि जिन प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी की गरीबी हटाओ नीति की इतनी प्रशंसा है उनके शासन के प्रथम वर्ष में ही राष्ट्रीय आय गिरी है और गरीबी और बढ़ी है। यह प्रथम वर्ष का ही उनके एकमात्र प्रमाण है। इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन डेढ़ प्रतिशत बढ़ा है और कृषि उत्पादन गिरा है जबकि आबादी ढाई प्रतिशत बढ़ी है। इससे यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय घटी ही है और वह बढ़ी नहीं है। यह पहले साल का नतीजा है।

दूसरी एक बात मैं यह और कहूंगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न का उत्पादन 12 करोड़ 90 लाख टन होना था जो केवल साढ़े दस लाख टन तक पहुंचा सका है और उसके पूरे होने की कोई आशा अब नहीं है। 51-52 से लेकर 53-54 तक और 60-61 से 63-64 तक दस सालों में खाद्यान्न का उत्पादन जबकि हरित क्रान्ति भी नहीं थी तो उस समय 51 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा था जबकि पिछले 5 साल में जब से हरित क्रान्ति आई है वह केवल 11.4 प्रतिशत ही बढ़ा है।

आप विचार करें कि 5 साल में तो उत्पादन हुआ 11.4 प्रतिशत और 10 वर्षों में होता है 51 प्रतिशत। तो आप देखें कि उत्पादन कब अधिक हुआ? उन्होंने अपने आपको भ्रम में रखा है। जितना प्रति व्यक्ति अनाज पहले मिलता था उससे ज्यादा अपने उत्पादन से नहीं मिलेगा। पहले विदेशों से अन्न इसलिए मंगाया जाता था कि भारत को डेढ़ दो सौ करोड़ पी० एल० 480 में मिल जाता था। आज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अनाज की उपलब्धता पर जीवन निर्वाह हो रहा है, बड़ी खुशियां मनायी जा रही हैं लेकिन पहले जब ज्यादा अनाज होता था तो कहा जाता था कि अकाल है। अकाल अब भी आयेगा और निक्सन साहब को जिन्हें आप अब आंखें दिखाते हैं, उन्हीं के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ेगा।

अब मैं यहां की नीतियों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़ी-बड़ी योजनाओं से क्या लाभ होता है, यह बात बहुत दिनों से कही जाती है। सभी मुख्य मन्त्रियों ने माना भी है कि निजी ट्यूबवेल छोटे बनाये जाते हैं तो उनसे कहीं अधिक लाभ होता है, बजाय इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के। सरकारी ट्यूबवेल एक लाख रुपए में बनाया जाता है लेकिन उसमें मुश्किल से ढाई सौ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। अगर उस रुपए से छोटे किसानों के खेतों में बोरिंग आदि कराकर नल लगवा दें तो ढाई हजार प्रति ट्यूबवेल के हिसाब से 40 आराजियों को पानी मिल सकेगा और 800 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी लेकिन उससे इन्हें कोई पैसा मिलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो जैसा मैंने जिक्र किया इसमें वेस्टेड इन्टेरेस्टस हैं, बड़े-बड़े कमीशन्स उसमें मिल सकते हैं लेकिन इसमें इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है।

भ्रष्टाचार आदि के बारे में मेरा निवेदन है कि सदन में कहा गया कि माननीय कमलापति त्रिपाठी और उनके सहयोगी मन्त्री बहुत भ्रष्ट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, सरकार नहीं है और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों की सरकार भी सूबेदारी बन गयी दिल्ली की हुकूमत की। क्या पंडित कमलापति त्रिपाठी में यह साहस है कि उन मन्त्रियों को जो वहां से नामजद हुए हैं, उनको हटा सकें। बड़ी हिम्मत की थी, थोड़े से पोर्टफोलियो बदले थे, तो एक साहब नाराज हो गये। इससे आगे करते तो कुछ और होता।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

आज हमारे मुख्य मन्त्री कठपुतली बने हुए हैं और दया के पात्र हैं। आज उन्होंने अपनी सूझबूझ अपने विवेक और अपने विचारों को तिलांजली दे दी है। भ्रष्ट मन्त्रियों में भी एक वेस्टेड इन्टेरेस्ट बना हुआ है। सोवियत यूनियन के बारे में मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम "चाइल्ड आफ रेवोल्यूशन" है। उसमें यह लिखा है कि उनकी जो सरकारी सर्विसेज हैं, उनका एक काम यह भी है कि जो उच्च पदों पर मन्त्रीगण या बड़े पदाधिकारी हैं, बनने वाले हैं, यदि वे भ्रष्ट नहीं हैं तो उनके रास्ते में जानबूझकर एक माहौल क्रिएट किया जाता है और उनके जो लूप होल्स होते हैं वे नोट होते हैं और फिर वे फाइल्स काम आते हैं उनको दबाने के लिए।

आज हिन्दुस्तान देश में कोई मन्त्री मुख्य मन्त्री नहीं हो सकता जब तक कि उसकी 2 क्वालिफिकेशन्स न हों। एक तो उसे भ्रष्ट होना चाहिये। और दूसरे अगर भ्रष्ट नहीं हैं तो बिना जड़ बुनियाद के होने चाहिए। कहीं उसके पास अपनी ताकत नहीं है। अगर सब मन्त्रीगण ईमानदार होते तो इनमें कुछ बगावत करते। इनकी आत्मा बोलती। बेईमान आदमी सब कुछ बरदाश्त कर सकता है।

तो मैं यह कहता हूं कि सोवियत यूनियन का कितना प्रभाव है इन्दिरा गांधी पर यह तो इतिहासकार बतायेंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने वे टैक्टिक्स भी सीख ली हैं कि जो अच्छे लोग हों उनको रक्खा ही न जाय। अगर इन्दिरा गांधी नाराज हो जायं तो पांच-सात लोगों को जिनकी जड़ बुनियाद थीं, अलग कर सकती हैं। यह तो नीति है, बेईमानी का अस्त्र है। अपने सिंहासन को हर एक राजनैतिक बेईमानी का सहारा लेकर मजबूत करता है अपनी जड़ मजबूत करने के लिए।

मेरे एक कांग्रेस आर० सत्तारूढ़ दल के मित्र हैं। यद्यपि वे उस दल में बैठते हैं तथापि मेरी व्यक्तिगत मित्रता है। कल इसी सदन में मेरी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने मुझसे कहा भान बाबू, आप यह तो मानेंगे कि इस सरकार ने जितने थोड़े समय में निर्णय लिये हैं उतने किसी सरकार ने नहीं लिये। लेकिन मैंने कहा कि उन निर्णयों का इम्पलीमेंटेशन जितने गलत ढंग से किया है इस सरकार ने उतना किसी सरकार ने नहीं किया। वह ईमानदार आदमी नहीं करता। उन्होंने कहा यह बात भी सही हो सकती है आपकी। फिर उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या है कि माना सरकार इतनी अकर्मण्य भी है, करप्ट थी है योग्यता भी इतनी नहीं है फिर भी जनता क्यों उनकी ओर झुकी हुई है। क्या कारण है कि उसको जनता का समर्थन प्राप्त है। उस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न पूछ कर देता हूं। अगर यही इम्पलीमेंटेशन होता रहा तो भी क्या जनमत की सपोर्ट मिलती रहेगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं भी इसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उन्होंने प्रश्न यह पूछा कि अच्छा साहब, अगर यह सरकार बिल्कुल ही निकम्मी साबित हो जाय और जनता इससे रुष्ट हो जाय तो भी किसको वोट देगी किसकी तरफ झुकेगी। उनका उत्तर था कि वह भारतीय क्रांति दल की ओर जायेगी, जनसंघ की ओर झुकेगी, कांग्रेस की ओर झुकेगी या हमारे समाजवादी भाइयों की ओर जायेगी। इन सबके बिल्कुल कार्यक्रम-विहीन ग्रान्ट एलायेंस के पक्ष में जायेगी। मैं उनका उत्तर नहीं दे सका। मैं इधर के नेताओं से आग्रह करता हूं कि जिनके पास उत्तर हो वे यहां न दें। लेकिन बाहर की जनता के सामने ये उत्तर देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय न्याय मंत्री बोलेंगे। समय नहीं है। जवाब भी होना है। ऐसा है जिनको समय मिल सकेगा उनको देंगे लेकिन प्रश्न यह है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव आता है इसके बारे में सम्बन्धित है कि जवाब अन्तिम किस का हो। म आपके सामने अपनी राय रखकर जाहिर कर दूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के कार्य वृत्त 3 अगस्त, 1964 को देखने से ऐसा

लगता है कि अविश्वास का प्रस्ताव आया था माननीय शारदा भक्त सिंह ने उत्तर दिया। उसके बाद मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया। दूसरा कार्य वृत्त 1965 की तृतीय विधान सभा का है। इसमें माननीय शारदा भक्त सिंह और मुख्य मंत्री ने अन्त में जवाब दिया। तीसरा 28 जुलाई 1967 का है जिसमें माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने उत्तर भाषण दिया तथा मुख्य मंत्री ने विवाद का उत्तर दिया। 27 जुलाई, 1967 को माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने उत्तर भाषण दिया और मुख्य मंत्री ने मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद का उत्तर दिया।

दूसरी राय यह है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की 24 दिसम्बर, 1957 की बैठक में मुख्य मंत्री ने भाषण दिया और श्री राजनारायण ने विवाद का उत्तर दिया। 4 मार्च, 1965 को माननीया सुचेता कृपालानी ने उत्तर भाषण दिया और माननीय शारदा भक्त सिंह ने अंतिम उत्तर दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं समझता हूं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इतना काफी है।

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा सुन लें। लोक सभा में भी एक निन्दा के प्रस्ताव पर प्रस्तावक महोदय ने अन्तिम जवाब दिया और प्रधान मंत्री ने बाद में 20 मार्च, 1967 को श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अन्तिम जवाब दिया। सचिव की भी राय है कि प्रस्तुत कर्त्ता अन्तिम भाषण दें।

अगर इसमें संशोधन होता तो संशोधन पर जो प्रश्न उठते उसका जवाब प्रस्तावक महोदय को देना होता और बाद में मुख्य मंत्री जवाब देते, लेकिन अगर संशोधन नहीं होता है तो मुख्य मंत्री का जवाब पहले होगा और अन्त में जो प्रस्तावक महोदय हैं श्री चरण सिंह उनका जवाब होगा।

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने आज मुझे इस बहस में बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बहस में मंत्री होने के नाते भाग लेने की मंशा नहीं थी क्योंकि इसका जवाब हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्री ही देते, मगर माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से मेरे लिये यह आवश्यक है कि मैं भी कुछ कहूं।

मान्यवर, चौधरी साहब ने कल जो कुछ भी कहा उससे न केवल इस सदन में बैठने वालों को निराशा हुई, बल्कि मान्यवर सदन के बाहर भी घोर निराशा जागृत हुई। जो स्तर माननीय चरण सिंह जी ने अपने भाषण में प्रस्तुत किया, मान्यवर, ऐसे उच्चकोटि के नेता को यह निश्चित रूप से शोभा नहीं देता था। मैं तो एक छोटा सा उनके सामने कार्यकर्त्ता हूं, मंत्री अवश्य हूं, उनसे उम्र में भी छोटा हूं। जो भी बातें कहीं सम्भवतः अगर पहले ही मुझसे उन बातों के बारे में बुलाकर पूछ लेते, स्पष्टीकरण कर लेते, तो शायद उन्हें इन बातों को कहने की आवश्यकता ही न होती, लेकिन क्योंकि विरोध पक्ष से बोल रहे थे, उनको कुछ न कुछ कहना था और अगर स्पष्टीकरण पहले कर लेते तो सम्भवतः वह उतना खुलकर कह न पाते, इसका बड़ा दुख है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मुझे बड़ा दुःख इस बात का भी है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ की श्री आर० वी० सक्सेना, आई०ए०एस० की, जिनके बारे में आज किसी की दो राय नहीं है कि वह कैसे हैं। मैं सारे फैक्ट्स सदन में इस मामले में रख देना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो राम बहादुर सक्सेना है, उनके खिलाफ शिकायत उसी समय आयी थी, जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी उनके साथ शायद उप गृह मंत्री थे या राज्य मंत्री थे जिनको चौधरी साहब ने निर्दिष्ट किया था कि....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यावस्था का प्रश्न यह है कि अगर कोई अफसर जो इस विधान सभा में आकर उत्तर नहीं दे सकता है, तो क्या उसकी गैरहाजिरी में उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया जा सकता है? और खासकर गवर्नमेंट की तरफ से?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप कह चुके न? वह नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं यह भी बिना कहे नहीं रह सकता कि इस नियम का पालन उल्लंघन में अधिक और अनुपालन में कम होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह सिद्धांत से संबंध रखता है। आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने रख दिया विरोधी पक्ष पर लांछन लगाते हुये। क्या इसमें ज्यादा उल्लंघन इधर के लोगों का है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा। यह कैसे कह सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो गालिबन आप यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिये। यह प्रश्न उठाया अनन्त राम जायसवाल जी ने। इसलिये गालिबन आपने कहा इधर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं। मैं अपनी बात को फिर दोहराये देता हूं—लेकिन यह नियम अधिक उल्लंघन में और कम अनुपालन में प्रयुक्त किया जाता है . . . "दिस रूल इस आबजर्ड मोर इन फ्रीज बैन इन आबजर्वेन्स" वह इसका अनुवाद है।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जनता को ये पूरी बातें तभी क्लियर हो सकती है और सदन को हम तभी कन्विन्स कर सकते है, जब ह म पूरी बातों पर प्रकाश डालें। किसी को दोषारोपण करने के लिये ऐसा नहीं करना चाहता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, जो माननीय चौ० चरण सिंह ने मामला बताया, वह सब जुडिस भी है। इस सब जुडिस मामले को क्या इस सदन में रखा जा सकता है? अगर इस तरह के केस को चौधरी साहब ने कहा था तो आपको उसी वक्त रोकना चाहिये था। लेकिन यह गलती हो गयी। जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो, उसके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप इस सदन में डिसकस हों, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला बाराणसी)—

मान्यवर, यह बहुत भारी व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह मिनिस्टर लोग जो हैं, ये तो इन सरकारी कर्मचारियों के हाकिम है। चार्ज तो इसी तरफ के लोगों को लगाने का अधिकार है। सरकारी आफिसर तो उनके मातहत है। वे रिप्रेजेन्ट करते है उनके लिये। अगर सरकारी, कर्मचारी के खिलाफ मंत्री वहां चार्ज लगाने लगे तो इसका मतलब यह हुआ कि मन्त्रि-मण्डल सक्षम नहीं है। उनको इस सदन के बाहर भी एक्जीक्युटिव पावर्स है। वे ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। अगर वे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि यह मन्त्रि-मण्डल निकम्मा है और मंत्री बिल्कुल निकम्मे है।

(सदन में शोर)

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं। हमारे पांडे जी ने यह कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेन्ट करती है और इसलिये उसे उनके बारे में कहने का अधिकार नहीं है। यह बात गलत है। यह सरकार सरकारी कर्मचारियों के सही कार्य का प्रतिनिधित्व करती है, गलत कर्मों का नहीं करती है। इसलिये अगर किसी अधिकारी के बारे में अगर चौधरी साहब ने कहा कि वह ईमानदार है और मंत्री गलत है तो मंत्री को यह कहने का अधिकार है कि वह अधिकारी ठीक नहीं है जिसकी निन्दा सदन में होनी चाहिये। यह उस चीज का जवाब है जो कि माननीय चौधरी साहब ने कही कि अफसर अच्छा और ईमानदार है, सारा दोष मिनिस्टर का है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय आचार्य जी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यदि स्पष्टीकरण के लिये यह आवश्यक हो कि कुछ तथ्य सदन के सामने रखे जाय तो क्या उनको न रखना अनुचित न होगा? (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, सरकार को तीन-चार तरीके से सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में बात करने का अधिकार है। एक तो प्रश्नों के समय जबकि पूछा जाता है कि क्या फलां कर्मचारी भ्रष्ट है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। फिर नियम 51, नियम 49, नियम 52 की चर्चा के अन्तर्गत। मंत्रियों को तो एक्जीक्यूटिव पावर इस सदन के बाहर दी हुई है कि अगर कर्मचारी भ्रष्ट है, गलत है तो उसको सजा दे, डिसमिसल करे, लेकिन बिना उसके खिलाफ कोई कार्यवाही किये हुए यदि मंत्री अपने भाषण में इस सदन में कुछ कहते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि सरकार निकम्मी है और मंत्री बिल्कुल भ्रष्ट हैं।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने कल मंत्रि-मंडल के भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिवाय बलरामसिंह जी के नाम आम बात कही और बलराम सिंह जी के मुताल्लिक यह कहा कि चूंकि हाईकोर्ट में यह रिट पेटीशन फाइल हो चुकी है और अखबारों में शाया हो चुकी है, इसलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहा कि उन्होंने कोई तहकीकात की या नहीं।

मान लो यह मामला चार वर्ष तक वहां पैंडिंग रहे, जैसा कि हाईकोर्ट में होता है, क्योंकि जुडीशल प्रोसीजर ऐसा है कि फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले, तो क्या इतने सालों तक मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह के इल्जाम खुलकर लगते हों तो क्या मुख्य मंत्री का यह फर्ज नहीं है कि अपनी तहकीकात करे। हाईकोर्ट में कोई चीज पैंडिंग होने से मुख्य मंत्री के सामने बाधा नहीं होनी चाहिये कि अपनी तहकीकात न कर सके।

मान्यवर, न तो मैं जे० पी० अग्रवाल को जानता हूं और न शुक्ला जी को जानता हूं। न मैंने उनको अच्छा कहा। बीच में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जिक्र आया था कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अग्रवाल को देहरादून टेलीफोन किया और कहा कि ऐसा सुना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तुमसे कहा है पैसा इकट्ठा करने के लिये, तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा है कि पैसा इकट्ठा मत करना। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का केवल यह जिक्र आया था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताल्लिक मैंने यह जरूर कहा, न कि जिन लोगों ने इल्जामात लगाए है उनके बारे में। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बारे में मेरा ख्याल था कि वह अच्छे और ईमानदार आदमी हैं और आपने उनका 24 घंटे के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

अन्दर ट्रांस फर कर दिया । मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की बदनामी होती रहे, स्टेट की बदनामी होती रहे, अगर हाईकोर्ट में कोई चीज पैंडिंग है तो कोई बार नहीं है कि चीफ मिनिस्टर निजी तरीके से अपनी तहकीकात न कर सके ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मुझे एक मिनट कृपा करके दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मुझे एक मिनट सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा । चूंकि एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, मैं इस वक्त उस पर अपनी रूलिंग को रिजर्व रखता हूं ।

श्री बलरामसिंह यादव—

चूंकि चौधरी साहब ने यहा यह रखा था कि सक्सेना, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एक ईमानदार आदमी है, और अच्छा आदमी है इसलिये मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि इस माननीय सदन के सामने यह साबित किया जाय कि वह ईमानदार है या बेईमान, अच्छा है या बुरा । उसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब माननीय ओम्प्रकाश सिंह जी उनके साथ डिप्टी मिनिस्टर थे ....

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी व्यवस्था सुन लें और उसके ऊपर अपना आदेश दें । और अगर वह न बनती हो तो इन्कार कर दीजिये । मान्यवर, हम सभी सदस्य इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं और हम यहां आने पर शपथ ग्रहण करते हैं जो मंत्री हैं वह तो शपथ ग्रहण करते ही हैं लेकिन जब वह मंत्री होते हैं तब सीक्रेसी की शपथ ग्रहण करते है । अब मंत्री जी जब इन्क्वायरी वगैरह के बारे में बतायेंगे और जो गोपनीयता की शपथ उन्होंने ग्रहण की है उसका वह भंग होगा । यहां प्रेस गैलरी है उसके सामने सब चीजें जावेंगी । इसलिये आप व्यवस्था दें कि क्या यहां इस गोपनीयता को भंग करके विभागीय सचिवों या आई० सी० एस० का दोष खोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई बात आप यहां कह देते हैं उसके बाद हर किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी है । जैसे आपको है वैसे ही मंत्री को भी है । अब प्रश्न यह है कि अगर मंत्री कोई ऐसी बात कहते है जो नियमानुसार नहीं है तो आपके लिये अधिकार रहता है कि आप उसके बारें में नियमानुसार यह सवाल उठावें लेकिन अब जैसे कोई उत्तर दिया जा रहा है तो उसमें चारे वह राज्य कर्मचारी यहां हो या न हों उनके बारे में आपको सुनना चाहिये । जैसी भी बात हो उसको पहले गौर से सुने । अब समय नहीं है, बहुत थोड़ा है, इसलिये आप (मंत्री से) जल्दी कहें और समाप्त करें ।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय चौधरी साहब ने मान्यवर, उस समय माननीय ओम् प्रकाश सिंह को खुद आदेश दिया था । यह रामबहादुर सक्सेना उनके चौधरी साहब के मकान के बगल में रहते थे और उनके खिलाफ आदेश दिया कि जांच करो वे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं । ओम् प्रकाश सिंह जी ने वहां पुलिस भेजा लेकिन इससे पहले उस अधिकारी को सूचना हो गयी और वह वहां से भाग गये । चौधरी साहब आज उसको ईमानदार कहते हैं ।

मान्यवर,मैं इसी सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने मेरे पास उनके बारें में पत्र भेजे हैं और जिनमें इनकी जांच के बारें में कहा गया है। मान्यवर, एक पत्र है श्री उमाशंकर, एम० ए० एल० एल-बी० आजमगढ़ का है, दूसरा माननीय गौरी शंकर राय, एम० ए० एल०एल०बी० का और एक पत्र माननीय वंशीधर जी पांडेय का भी है। मांन्यवर, एक पत्र हमारे पास माननीय अनन्तराम जायसवाल का भी है। अगर आवश्यकता होगी तो मैं इन सारी बातों को दिखला भी दूंगा। ये सारी शिकायतें मेरे पास आई है। ऐसी सूरत में मेरा क्या फर्ज था ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं और अन्य दूसरें सदस्यगण यह मांग कर रहे हैं कि मेरा पत्र पढ़ दिया जाय। मैं भी चाहता हूं कि वह पत्र पढ़ दिया जाय।

श्री बलराम सिंह यादव—

अगर आप चाहते हैं तो मैं श्री अनन्तराम जायसवाल का जो पत्र मेरे पास आया है उसको पढ़े देता हूं।

"73–बी, विधान भवन,

लखनऊ,

6–4–1972

माननीय मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ।

महोदय,

परिवहन आयुक्त श्री आर० बी सक्सेना के विरुद्ध श्री नवीनचन्द्र पन्त, हुसैनगंज, लखनऊ का संलग्न लम्बा प्रार्थना-पत्र, जो आपके नाम सम्बोधित है,उस कार्यालय में आज प्राप्त हुआ। श्री पन्त के निम्नांकित आरोप हैं :—

1—श्री आर० बी० सक्सेना सुरा-सुन्दरी की चारित्रिक कमजोरी के ारण जिलाधीश की हैसियत से वाराणसी के अपने कार्यकाल में धारा 366/376 के एक साबिक सजायाफ्ता, धनेश्वर गुप्त उर्फ दीपबाबू व उनके गरोह के निकट आये और, उनकी सेवाओं के बदले जिलाधीश के पद का दुरुपयोग कर दीपबाबू को पर्यटन विभाग, वाराणसी में उनके एन्टेसीडेन्ट्स और आयु सीमा को नजर अन्दाज करके रिसेप्सनिस्ट नियुक्त करवा दिया। दीपबाबू के परिवार के एक सदस्य के नाम सस्ते गल्ले की दुकान करवाई और बहैसियत डाइरेक्टर, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी दीपबाबू के परिवार के एक अन्य सदस्य को सीमेन्ट की एजेन्सी दी।

2—दीपबाबू और उनके उपर्युक्त 366/376 के मुकदमे के सह-अभिकर्ता से सम्बन्धित कागजात कैन्ट थाने से गायब करवाये। श्री सक्सेना के ही प्रोत्साहन और बल पर दीपबाबू और उनके गरोह ने जज श्री यशोदापाल सिंह, जिनके हाथों उन्हें अपहरण और बलात्कार के मुकदमे में सजा मिली थी, के लड़के अनिलकुमार सिंह को लखनऊ विश्वविद्यालय से गायब किया, जिसकी जांच सी० आई० डी०, क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। श्री सक्सेना दीपबाबू के पक्ष में जांच को समाप्त कराने के लिये प्रयत्नशील हैं।

3—बनारस पर्यटन विभाग के अपने एक और कृपापात्र श्री शर्मा, जिनका स्थानान्तरण लिखित आरोपों के कारण किया गया था, के स्थानान्तरण के आदेश को आपके नाम पर श्री आर० बी० सक्सेना ने निरस्त किया।

4—लखनऊ में श्री आर० बी० सक्सेना के सुरा-सुन्दरी के शौक को पूरा करने में श्री एस० पी० चतुर्वेदी, इन्वेस्टीगेटर, अर्थ संख्या विभाग, लखनऊ; श्री शशिकान्त त्रिपाठी, लैन्डडिवेलुएशन अफसर और राजा मकरही सहायक हैं। बदले में शशिकान्त त्रिपाठी की नव विवाहिता पत्नी को एम्बेसेडर गाड़ी मिल गई है और श्री चतुर्वेदी और उनके पिता को क्रमशः स्कूटर व फिएट कार मिले हैं।

कृपया तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनन्तराम जायसवाल।"

श्री अनन्त राम जायसवाल—

एक आदमी का पत्र आया था उसके बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी के यहां जांच करवाने के लिये भी भेजा। यह पत्र भी एक दूसरे आदमी का आया था और दूसरा जो पत्र आया है वह किसी दूसरे के हस्ताक्षरों से आया है। इस बारें में मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि इस प्रकार का पत्र आया है। ऐसा मालूम होता है कि कोई इन्ट्रेस्टेड आदमी इस प्रकार से कार्य कर रहा है बल्कि यह समझिये कि वह अभियान चला रहा है। यहीं तक नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्यों को भी इसमें नहीं बक्शा गया है। मैं मान्यवर, यह प्रार्थना करूंगा कि वह दूसरा पत्र भी पढ़वा दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि वह सरकारी कर्मचारी जो यहां न हो उसके विषय में कल यहां कहना और कोई बात पेश करना यह उचित बात नहीं होती। तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी अपनी बात कहें और जो सरकारी कर्मचारी की बात है, जिसके लिए कि चौधरी साहब ने कह दिया कि वह ईमानदार था, वह मुनासिब कार्य कर रहा था, लेकिन चूंकि आपकी बात नहीं मानी और पैसा इकट्ठा नहीं किया इसलिये उससे नराज हो गये, तो यह भी कहना उचित नहीं था। पर उसको कह दिया तो अब इस विषय को बन्द किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, अनतराम जी ने जैसा कहा, अच्छा तो यह होता कि ये सारे पत्र पढ़े जाते कि क्या लिखा गया था और उस पर हमारी बातें भी सुनी जातीं, और इस प्रकार मौका दिया अपनी बात कहने का। क्योंकि एक परिपाटी बन गयी है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी जानते है पत्र जनसाधारण से आते हैं। अगर उनको 400 पत्र लिखते होंगे लोग तो 10 मेरे पास आते होंगे और मैं भी भेजता हूंगा। हर कार्यालय में यही होता है। या तो मुख्यमंत्री कह दें कि कांग्रेस(आर) का कोई एम०पी० किसी मंत्री को कुछ नहीं लिखेगा, तो मैं पहला आदमी हूंगा उसको फालो करने का। अगर एक चिट्ठी आ गयी है हम लोगों की तो क्या है? मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं और कल इनके खिलाफ विशेषाधिकार लाऊंगा।

श्री बांके लाल—

मेरा कहना यह है मंत्री जी से कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट था तो तत्काल क्यों नहीं निकाल दिया उसे सर्विस से?

श्री बलराम सिंह यादव—

उसके खिलाफ विजिलेंस में इंक्वायरी हो रही है । मान्यवर, जो दो बातें चौधरी साहब ने कहीं, अब चूंकि हमारे नेता जी का आदेश हो गया है, लिहाजा अधिक तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे पास टेप रेकार्डर भी था इसमें भी कुछ मामला मौजूद था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह टेप है । (व्यवधान)—

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी, यह किस बारें में है, उसको बता द ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन है, यह प्रदर्शन के लिये नहीं है । माननीय मंत्री जी कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री बलरामसिंह यादव—

मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा.... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

चूंकि मन्त्री जी ने यह टेप रेकार्ड इस हाउस के सामने प्रदर्शित कर दिया है इसलिये यह सदन की प्रापर्टी हो गयी और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कब्जे में रखें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको टोका । यह नहीं हो सकता ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं अनुरोध करूंगा कि अब यह बाहर नहीं जा सकता मार्शल को हुकुम होना चाहिये कि लेकर रख दे, सदन की प्रापर्टी हो गयी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी जब माननीय मन्त्री जी ने एक अधिकारी की बात कहनी शुरू की और माननीय सदस्यों के पत्र की भी चर्चा की, अनन्तराम जी ने मांग भी की कि उस विषय में उनका एक पत्र या दो पत्र सब पढ़ा जाय सदन में और उसके बाद मन्त्री जी ने एक टेप रेकार्ड आपके सामने दिखाया सदन में । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब एक चीज सदन के सामने आ गयी और स्पष्ट मांग हो गयी तो वह सदन की प्रापर्टी हो गयी या नहीं ? और जब सदन की प्रापर्टी हो गयी है तो हम सब सदस्यों का यह अधिकार है कि हम लोग उस टेपरेकार्ड को सुने कि क्या है ? दूसरे, हम को यह भी अधिकार है कि मन्त्री जी ने जिन पत्रों की बात की और अनन्तराम जी ने जिसको पढ़ने की मांग की वह पत्र भी सदन के सामने रखे जाएं और पढ़े जायं ताकि हम लोग जानें कि वह हैं क्या क्योंकि यह विषय ऐसा है कि चौधरी साहब के आरोप अब गुल खिला रहे हैं और वह गुल खिलना चाहिये । सदन के अन्दर लीपा-पोती का अवसर अब समाप्त हो गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जब प्रोफ्यूमो कांड हुआ था तो जो उसने चिट्ठी लिखी थी कीलर की वह चिट्ठी भी पकड़ी गयी थी । इनका कांड प्रोफ्यूमो जैसा है इसलिये उसकी चिट्ठी भी रखी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरी चीज है । एक मन्त्री ने कोई चीज यहां प्रदर्शित करनी चाही और मैंने उनको प्रदर्शन करने से रोका । (श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर । )यह कौन परम्परा है कि मैं खड़ा हूं और बोल रहा हूं और आप लोग बीच में बोलने लगे ? सवाल यह है कि क्या और दूसरा तरीका नहीं है आपके पास कोई चीज जो मन्त्री यहां रखना चाहते हैं और मैं इजाजत नहीं देता हूं तो और भी उपाय आपके पास है । ठंडे दिमाग से सोचिये, उसका समय दूसरा है । अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आता है । उसके बीच में मैं दूसरे किसी चीज की इजाजत नहीं देता । अब जैसा कि दूबे जी ने सवाल उठाया कि यह सदन की सम्पत्ति हो गयी तो जब तक मैं नहीं कहता कि हम स्वीकार करते हैं तब तक सदन की सम्पत्ति नहीं बनती । फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जो किसी मन्त्री की नैतिकता से संबंधित किसी पहलू को प्रदर्शित और खोलने की दिशा में है तो मैं बाधक नहीं होऊंगा लेकिन यह समय नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

व्यवस्था पर कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी इजाजत नहीं है । बहुत व्यवस्थित चल रहा है, अव्यवस्था न पैदा कीजिये । मन्त्री जी, अब समय नहीं है आप कृपा कर के आसन ग्रहण करें । माननीय मुख्य मन्त्री जी उत्तर दें ।

श्री छांगुर राम---

आपने मुख्य मन्त्री जी को जवाब देने के लिये बुला लिया है । अभी हम लोग बोलने के लिये बाकी हैं । (व्यवधान) आप बात तो सुन लीजिये । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दो दिन से इस प्रस्ताव पर बहस चल रही है । मैं एक पार्टी का अकेला सदस्य हूं जो पार्लियामेन्ट में दूसरे नम्बर की पार्टी है । मेरी पार्टी के निश्चित विचार हैं । मेरी पार्टी का इस सरकार में क्या विश्वास है क्या नहीं है इस सम्बन्ध में हम अपने विचार प्रकट करते लेकिन आप हमारे विचारों को प्रकट करने में बाधा डाल रहे हैं । हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा कर आसन ग्रहण करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री छांगुर राम---

मुझे चूंकि आपने बोलने नहीं दिया, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री छांगुर राम सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल से अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में वाद-विवाद हो रहा है । मान्यवर, विरोधी दलों का यह सर्व सम्मत संवैधानिक अधिकार है कि वे किसी सरकार के प्रति जिसके विरोध में वे बैठे हों, अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें और यदि सम्भव हो तो उसे स्वीकृत कराकर, अपनी सरकार बनावें । यह उनका अधिकार है जिसे सारी दुनिया मानती है । इसी अधिकार का प्रयोग कर उन्होंने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, इसमें किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को किसी प्रकार से उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यह उनका अधिकार है और उसकी सफलता के लिये वे पूरा-पूरा प्रयास भी कर सकते हैं। प्रस्ताव पर जो बहस हुई उसमें कुछ गरमी आ गयी और मैं समझता हूं कि उससे उसका स्तर कुछ नीचा हो गया जिसके लिये मुझे खेद है और उसके लिये मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं समझता हूं कि जब ऐसा प्रस्ताव आये तो उस पर उच्च स्तर पर विचार करना चाहिये। विवाद का स्तर नीचे नहीं जाना चाहिये।

मान्यवर, यह सरकार जो आपके सामने कार्य कर रही है यह 15-16 महीने से काम कर रही है। माननीय विरोधी दलों को पूरा अधिकार है कि वे सरकार की नीति और उसके कार्यकलापों के बारे में टीका करें। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ऐसे समय आक्षेप करना अनुचित समझता हूं, कभी जीवन पर्यन्त किया नहीं है। मैं जिक्र करूंगा उन नीतियों के सम्बन्ध में जिनका उल्लेख यहां इस आदरणीय सदन में बार-बार किया गया है।

मान्यवर, 1967 में आम निर्वाचन के बाद माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में एक सरकार बनी। हमारे चौधरी साहब उस समय कांग्रेस दल में थे। वह सरकार 18 दिन चली 19वें दिन उसे पद त्याग करना पड़ा। उसका कारण था, चौधरी साहब ने एक दिन पहले 16–17 आदमियों के साथ उस दल से परित्याग किया, उस दल से वे अलग हो गये।

जहां तक मैं जानता हूं कि डिफेक्शन का यह श्री गणेश था। जैसे हर चीज में उत्तर प्रदेश लीड लेता है, वैसे ही इसमें भी उसने नेतृत्व लिया था। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में चन्द्र-भानु की सरकार गिरी और चौधरी साहब की सरकार कायम हुई। अकेले तो वह बना नहीं सकते थे, क्योंकि 17 ही आदमी थे, इसलिये वह सरकार संविद की सरकार बनी। परिस्थि-तियां के वशीभूत होकर कैसे विचार बदलते हैं उसे श्रीमान्, देखें। मैं किसी को दोष नही देता हूं। परिस्थितिवश जैसी आवश्यकता महसूस होती है, लोगों के विचार बदलते रहते हैं और विचारों का बदलना यहां हमने भी देखा है और मैं समझता हूं आपने भी देखा है, जब न्याय बुद्धि से बात करेंगे तो उसको आप स्वीकार करेंगे कि विचार बदलते ह। म नहीं कहता कि उन्होंने अनुचित किया या उचित किया, लेकिन यह सही है कि उनके विचार बदले और उन्होंने 31 को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।

उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा—आई लेफ्ट दि कांग्रेस एन्ड फार्मड एनअदर पार्टी आउट साइड दि कांग्रेस। मैं उस समय विधान सभा का सदस्य भी नहीं था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अवश्य था। वह सरकार गिरी, और 18 दिन बाद संविद की सरकार बनी। सरकार बनी, उसमें उस समय के कांग्रेस दल को छोड़कर सभी दल सम्मिलित हुए। जायसवाल जी का भी दल सम्मिलित हुआ, स्वतंत्र पार्टी भी सम्मिलित हुई—भानु जी का दल। जनसंघ भी सम्मिलित हुआ, नेगी जी का भी दल सम्मिलित हुआ और बी0 के0 डी0 बन गई थी चरणसिंह जी के नेतृत्व में सो उनके भी 17 आदमी सम्मिलित हुए और संयुत विधायक जो दल था उसमें उसका विलीनीकरण हुआ। सरकार स्थापित हो गई। सरकार चली शायद 8 या 9 महीने और 9 महीनों के बाद, चौधरी साहब का कुंडली पर बड़ा विश्वास है, संविद की भी कुंडली बिगड़ी और उन्होंने स्वयं यह लिखा है– यह जो संविद सरकार है, यह कैंसर फार दि स्टट पालिसी है।

अब आप देखें यह कैसे विचार बदलते हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि यह संविद सरकार भंग कर दी जाये और नया निर्वाचन हो। वह नया निर्वाचन हुआ। यह दूसरी सरकार टूटी श्रीमन्, और वही संविद जिसको सन्होंने कैंसर कहा था भंग हुई और प्रदेश में गवर्नर का शासन हुआ। एक साल के लिये करीब-करीब गवर्नर का शासन रहा। यह तीसरी सरकार रही। 67 से आपने देखा 69 में फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में जीतकर हम लोग आये। बी0 के0 डी0 एक बड़ी संख्या में आई—करीब 95–96 हम लोग भी आये। जनसंघ का कुछ

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

ह्रास हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का कुछ ह्रास हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी ह्रास हुआ। फलस्वरूप इन लोगों की धारणा यह हुई कि संविद में शामिल होने के कारण हम लोगों को हानि हो गई और यह तथ्य अखबारों में भी आया क्योंकि संविद में जो साथी थे, उनके परस्पर आरोप थे।

मान्यवर, चौथी सरकार 69 में बनी। यह गुप्ता जी के नेतृत्व में चौथी सरकार बनी, उसने भी 9–10 महीने काम किया। फिर स्प्लिट हुआ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। उस राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक दल ने महामहिम गिरि जी को समर्थन देने का निश्चय किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे ऊपर पड़ा। क्योंकि मैं कांग्रेस मार्प समिति का सदस्य भी था। मैं जानता था वहां का स्वरूप, किसी स्प्लिट निश्चित होने वाला है और उसमें इंदिरा जी का जो पथ है वही कांग्रेस को बना सकता है, उसमें इतनी शक्ति का प्रादुर्भाव कर सकता है। मैं उनके साथ था। स्प्लिट हुई।

गिरि जी के चुनाव का समारम्भ हुआ और गिरि जी चुने गये। उनके चुनाव के बाद मान्यवर मैंने इस्तीफा दिया। वह इस्तीफा की प्रेरणा भी चौधरी साहब से प्राप्त हुई। उनको स्मरण हो या न हो। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अपना बड़ा भाई मानता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे जहां गलतियां होती हों, वह चाहे किसी दल में हों, बहुत दिन तक हम लोग साथ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि जो सरकार में हो उसको भूलें बताये, और ठीक न कर सके तो हटाये। वह बड़े हैं। उनका सम्मान करता हूं उन्होंने मुझे राय दी 19 नवम्बर 1970 को। वर्किंग कमेटी की मीटिंग से यह धारणा और विश्वास लेकर मैं वापस आ रहा था कि अब चल कर हमें पद त्याग करना पड़ेगा और इंदिरा जी के नये कार्य-क्रम के लिये निकल कर के बाहर कार्य करना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे अच्छी तरह स्मरण है। हमारे बड़े मित्र, उन्होंने मुझे सूचना दी कि जिस प्लेन से आप वापस लखनऊ जा रहे हैं उसी से चौधरी साहब आ रहे हैं। अच्छा हो उनकी और आप की बात पालम एयरपोर्ट पर हो जाय। मैं बैठा। वह प्लेन आया। चौधरी साहब उतरे। उनसे बातचीत हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इंदिरा जी और उनके साथ कुछ और लोगों को, फखरूद्दीन अली अहमद साहब को, जगजीवनराम बाबू को निकाल दिया गया था, इनडिस्पिलन के आधार पर निष्काषित कर चुकी थीं। चौधरी साहब ने मुझसे कहा कि इंदिरा जी को निकाल दिया आपकी वर्किंग कमेटी ने, आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिये। यह नहीं कहा कि इस्तीफा देने जा रहा हूं। बोले, इस सरकार को तोड़ो हम लोग तुम्हारे साथ हैं।

यहां आकर के मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इस कारण दिया यद्यपि बहुतों की राय थी कि इस्तीफा देने की बात जरूरत नहीं है। स्वयं हमारे गुप्ता जी मुझसे कह रहे थे कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक विचार था वह विचार तुमने गिरि जी के एलेक्शन में प्रकट किया। अब गवर्नमेंट से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं समझता। मैंने उनसे यह कहा कि लोकतंत्रीय पद्धति में ऐसा समझता हूं कि अगर मुख्य मंत्री की नीतियों से विरोध हो गया हो तो मैं मंत्रिमंडल में बैठ कर आपके पीछे कुचक्र रचूं अत्यन्त अनुचित बात होगी। मुझे बाहर जाना चाहिये। आपका अभी बहुमत है। यह घातक परम्परा होगा कि हम मंत्रिमंडल में बैठ कर और आपके विरोध में अपनी राय चलायें और सदस्यों में वह विरोध पैदा करें, जो विरोध मुझे पैदा करना है। अगर वह करना है तो मुझे बाहर जाना चाहिये।

मान्यवर, मैंने इस्तीफा दिया। विचार कैसे बदलते हैं। इसे देखिये आप विचार परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार बदलते हैं, किसी का दोष नहीं है, लेकिन बदलते हैं। हमने इस्तीफा दे दिया उसके बाद 10–12 दिन के बाद, क्यों कांग्रेस पार्टी उस वक्त

कुछ ऐसा लगा कि अल्पमत में हो गयी है। और उस वक्त कांग्रेस दल के नेता चन्द्रभानु गुप्त जी थे जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं उन्होंने यह मुनासिब समझा कि वह अपना त्याग-पत्र दे दें और उन्होंने उसे दे दिया। अब हमको उम्मीद थी अपनी सरकार बनाने की। चौधरी साहब ने पहले ही कहा था कि वह हमारा साथ देंगे। कोई शर्त उन्होंने नहीं लगाई थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जायगा तो वह हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उन्होने यह संभावना होते ही कि इस्तीफा दिया जा रहा है एक नया समझौता गुप्ता जी सेकर लिया जिसमें कि उन्होंने गवर्नर को यह लिखा कि अब चौधरी चरण सिंह को चाहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाय और उस पत्र को लेकर चार दल के लोग गये जिसमें जायसवाल जी भी थे।

चार कंधों पर वह पत्र चला। उसमें कांग्रेस (ओ) के लोग थे, जनसंघ के थे और शायद बी० के० डी० के थे। चार व्यक्ति गवर्नर के यहां गये और वह पत्र दाखिल कर दिया और चौधरी साहब का यह विचार हो गया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनको यह भी ख्याल हुआ कि हमारी और से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि उनको मुख्य मंत्री बनाया जायगा बल्कि उनको यह शिकायत हुई कि इन्दिरा जी ने यह बयान दे दिया कि किसी के दबाव में आ कर हम कार्य नहीं कर सकते। उनका संकेत हमारी ओर गया और उन्होंने उनसे समझौता कर लिया और मुख्य मंत्री बनने को तैयार हो गये। हमने देखा कि अगर उनको मुख्य मंत्री मान लिया जाय तो उनका सहयोग हमको प्राप्त हो जायगा लिहाजा हमने उनको मुख्य मंत्री मान लिया समझौता करके। अब कल तक जो गठबंधन उनका गुप्ता जी के साथ हो रहा था दो तीन दिन के बाद वह गठबंधन हमारे साथ हो गया और वह मुख्य मंत्री बन गये छठी सरकार के।

इसके बाद तीन चार महीने बी० के० डी० की सरकार चली। इसके बाद आप देखें कैसे विचार बदलते हैं। विचारों के बदलने पर आक्षेप किया जाता है लेकिन विचार कैसे बदलते हैं इसके संदभ में मैं यह सब बतला रहा हूं। सांतवा सरकार बनी जब हमारा उनका कोलीशन हुआ। वह कोलीशन स्मूथली चला। कल चौधरी साहब ने कहा कि बहुत स्मूथ वह सरकार चली क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक मर्यादा है।

हम जब अपोजीशन में बैठे तब भी हमने अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया। अगर आप अपनी न्याय बुद्धि से विचार करेंगे तो यह मानेंगे कि हमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। इसी सदन में स्पीकर के ऊपर जूते फेंके गये हैं विरोधी पक्ष की और से, इसी सदन में आपका पहुंचा पकड़ कर आपको कुर्सी से गिराने की कोशिश की गयी है लेकिन विरोधी दल में बैठ कर भी हमने अपनी मर्यादा का सदैव पालन किया है। कभी ऐसे कार्य हमने किये नहीं हैं। हम विरोधी दल में भी बैठे और सरकार में भी बैठे और विरोधी दल में भी बैठ कर हमने कभी अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जूते फेंकने वाले आपके पीछे बैठे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आप तो मर्यादा की जीवित प्रतिभूति हैं। मान्यवर, मुझे याद है कि 1969 में जब मैं विरोधी दल में बैठा हुआ था और विरोधी दल का नेता था शायद बहुगुणा जी ने किसी अवसर पर कह दिया कि हम आज सदन को चलने नहीं देंगे। किसी प्रश्न को लेकर उन्होंने कह दिया था। मैं बैठा हुआ था, तुरन्त खड़ा हो गया और मैं क्षमा मांग ली कि ऐसा करना हमारे लिये उचित नहीं है। इस तरह से हमने विरोध पक्ष में बैठ कर भी इस सदन की मर्यादा की रक्षा की। कोलीशन गवर्नमेंट में जब हमारे साथी शरीक हुये तो उस समय भी जिस प्रकार मर्यादा की जानी चाहिये वह की गई हमारे दल की तरफ से। इस तरह से हम लोग ले ले। मान्यवर,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

भले ही दल के सदस्यों मे आपस में विरोध रहा हो और कुछ बातें उन्होंने कही भी हों, कुछ लोग यह भी सोचते रहे हों क्योंकि जब मंत्रि-परिषद् बनती है तो उससे लोगों में नाराजगी भी होने लगती है किन्तु सबकी भावना यही थी कि जब कि वे मंत्री-परिषद्में रहेंगे तबतक मर्यादा स्थापित रखेंगे और जिस दिन यह मालूम पड़ेगा कि हमें उस मर्यादा का उल्लंघन करना है तो फौरन उस दिन मुनासिब होगा कि हम बाहर चले जायं। इस प्रकार हमने हमेशा मर्यादा का पालन किया। इसी कारण वह सरकार स्मूथली चली।

मान्यवर, टूटी क्यों ? पार्लियामेंट में राजाओं के प्रिवीपर्सेज को समाप्त करनेका एक बड़ा भारी प्रश्न उठा था। लोकसभा से वह पास होचुका था। राज्य सभा में 1/3 से डिफीट हुआ था। उसमें बी०के०डी० के कुछ माननीय सदस्यों ने जो कि कोलीश के साथ चल रहे थे, उन्होंने प्रिवीपर्सेज के खिलाफ कहा कि इसको समाप्त न किया जाय यानी राजाओं के पक्ष मे उन्होंने अपना वोट दिया। मान्यवर, वह हमारे लिये एक मौलिक प्रश्न था, हमारे नेताओं में था और उसे हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। उसमें यह आदेश हुआ कि सभी कांग्रेस-जन वोट करें। उसमें नीति का प्रश्न था। उस मौलिक नीति के प्रश्न में जो मतभेद हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। इसलिये यह हमारे लिये सम्भव न हो सका कि हम उस कोलीशन में रहें। यह आदेश हुआ कि जितने हमारे जितने प्रतिनिधि थे उनको बरखास्त करने के लिये चौधरी साहब ने गवर्नर को लिख दिया। उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मान्यवर, इस्तीफा मंजूर हो गया।

यह 7वीं गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद मेरा जहां तक ख्याल है कि सिर्फ 14 दिन के लिये गवर्नर की हुकूमत हुई और वह गवर्नर की हुकूमत जिसमें यह शोर हुआ कि हम उसे नहीं रहने देंगे। वह 8वीं सरकार थी। 1968–69 में संविद के इस्तीफा देने के कारण गवर्नर की हुकूमत जब हुई थी जिसे चौधरी साहब ने तुड़वाया था और जिसे कि ये संविद का कैंसर कहते थे।

1970 में इस कोलीशन के टूटने के बाद तत्काल यह भय पैदा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस पार्टी बना ली जाय इसलिये गवर्नर का शासन हो गया और उसमें यह हुआ कि गवर्नर का शासन एक दिन भी न चलने देना चाहिये।

लीडर के चुनाव में बड़ा झगड़ा रहा वहां और उसकी कहानियां बहुत सुनने में आयीं। सबसे ज्यादा सोशलिस्ट पार्टीके लोग विरोधी थे कि अगर संविद की सरकार में हम शरीक होंगे तो चौधरी साहब को लीडर नहीं मानेंगे। इस पर बीच का रास्ता निकला और श्री त्रिभुवन नारायण सिंह नेता बनाये गये। फिर संविद की सरकार बनी। और वही संविद की सरकार बनी जिसे डेढ़ वर्ष पहले ही चौधरी साहब कैंसर कह चुके थे और वह कैंसर फिर इस प्रदेश पर लाद दिया गया और उसमें वे भी हिस्सेदार हुए। यह नवीं सरकार बनी। वह टूटी मान्यवर, 6 महीने में। सन् 67 से 72 के बीच में अब यह दसवीं सरकार है।

हमारे भाई जायसवाल जी ने कहा—जिनको बड़ी मुहब्बत है पुराने आदमियों से और मैं समझता हूं मेरे लिये भी उनके हृदय में मुहब्बत हो गयी है कि कहीं इस बेचारे का गला न काट दिया जाय, कहीं उसे बलिदान न चढ़ा दिया जाय। उन्होंने कहा कि पंडित जी जरा सावधान रहना, इन्दिरा गांधी जी कहीं आपको निकाल न दें और उन्होंने अपील की कि इधर से उठ कर इधर चले आओ और हमारे साथ बैठ जाओ ताकि इस सरकार को गिरा दिया जाय। ऐसे लोगों की मुहब्बत लेकर मैं क्या करूंगा जो मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं और आकर हमारा गला ही काट दें। जब उन्होंने इधर से उठ कर उधर बैठने की अपील की तब तो मैं आसमान से ही गिर पड़ा कि भगवान यह मुहब्बत और प्रेम जो मिला यह तो बहुत मुश्किल बात है।

जब कोलिशन गवर्नमेंट बनने की बात चल रही थी तब मैंने माननीय चरण सिंह जी से कहा था कि इस प्रदेश का मुख्य मंत्री होने का मुझे भी अधिकार है या नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा था कि आपका अधिकार ओवर ड्यू है और जब ओवर ड्यू है तब उन्होंने यह मुहब्बत प्रदर्शित की और कहा कि आप तशरीफ ले जाइये । माननीय जायसवाल जी का यह कहना कि इन्दिरा जी कोई कुचक्र रच रही हैं यह मैं सोच भी नहीं सकता । वे हमारी नेता है और मेरा उनके ऊपर एकनिष्ठ विश्वास है । साथ ही जहां तक मैं जानता हूं मेरे ऊपर जो भार उन्होंने डाला है, वह एकनिष्ठ परम विश्वास करके ही डाला है ।

यहां आने में मुझे कुछ देर होती थी । जब जब आने का मुझे मौका मिला तब तक आने में देरी हो चुकी है लेकिन यहां से जाने में मुझे कभी भी देर नहीं लगी । मिनटों में मैं यहा से चला गया—3, 4, 5 बार । उसके लिये मैं कहता हूं जायसवाल जी, आप परेशान न हों । कोई मेरा शिरच्छेदन होने वाला नहीं है । जिस दिन भी इस देश और प्रदेश के लिये आवश्यक होगा कि मुझे यहां से हट जाना चाहिये, आप देखेंगे कि मुझे यहां से हटने में जरा भी देर नहीं लगेगी प्रदेश का हित मेरे लिये सबसे ऊपर है । इस प्रदेश की सेवा करने का मुझे 51 वर्ष अवसर मिला है, कांग्रेस के सेवक की हैसियत से । मैं बहुत ही सीनियर कांग्रेस सेवक हूं । बहुत से नेता हैं जो सन् 30 में जेल गये होंगे लेकिन मैं पहले सन् 1920 में ही जेल गया था । आज से 51 वर्ष पहले और काफी दिनों तक जेल में रहा हूं । विधान सभा में भी 35 वर्ष से हो गये काम करते । कोई बड़ा मोह या बड़ा भारी लालच नहीं है कि हम यहां बने रहें । प्रदेश की सेवा हम यहां से करते हैं और बाहर रह कर भी कर सकते हैं । प्रदेश की सेवा करने का दूसरों को भी अधिकार है और वे यहां आ सकते हैं । अगर मैं यहां से न हटना चाहूं तो मुझे धकेल कर भी हटाया जा सकता है । मैं तो जनता की सेवा करने में विश्वास करता हूं । आप इसकी चिन्ता न करें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से विचार बदलते हैं । संविद बनी और मैं माननीय जायसवाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसे ही बगल में बैठे थे जैसे कि वीरेन्द्र जी बैठे हुये हैं । उस समय हमारी मिली जुली सरकार चल रही थी, उस समय उन्होंने कहा कि कहां बैठें हैं उनके साथ, आपकी जगह तो वहां है । लेकिन आज मुझे दिखाई पड़ा कि उनके मन में मुझे बाहर निकालने की है क्योंकि मुझ से बहुत मुहब्बत है । विचार बदलते हैं परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार । मैं यह कह रहा था कि विचार इस तरह से बदलते हैं ।

मान्यवर, यह दसवीं सरकार है जो इस समय काम कर रही है । पिछले साल भर का इसके कार्य को देखें । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह निर्दोष सरकार है । आज तक कोई निर्दोष नहीं हुआ । लेकिन कुछ लोगों को मुगालता होता है कि ये निर्दोष हैं । सारी अक्ल उनके ही पास है, चाहे ये कितनी बेअकली की बात करें, सब लोगों को उसे मानना चाहिये । कल चौधरी साहब ने एक वाक्य कहा था कि "वन हू डज नोट एग्री विद मी ही इज आइदर ए फूल आर नेव" और उस पर अपनी मुहर लगा दी कि कम्यूनिस्ट पार्टी भी वही बात कहती है । कम्यूनिस्ट पार्टी कहती होगी, मैं नही जानता लेकिन चौधरी साहब जरूर इसमें विश्वास है । अगर आदमी बहुत विद्वान हैं और बुद्धि की बात न कहे तो उससे काम नहीं चलता है । बुद्धि की बात कहे तो मानें । उनको शिकायत रहती है कि मैं कहता रहता हूं लेकिन कोई सुनता नहीं है । अगर अक्ल की बात नहीं कहेंगे तो कैसे सुनेंगे । साल भर की इसकी प्रक्रिया को देखें । यह निर्दोष है, यह मैं नहीं कहता और गल्ती मुझ से भी होती होगी, विधान सभा के सदस्यों से भी होती अगर कोई ऐसा दावा करें तो वह गलत होगा । उसने कुछ काम किये प्रदेश में और उसने उन कामों को किया है जो वर्षों से रुके पड़े रहे हैं और किसी ने उनको किया नहीं ।

मान्यवर, अभी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने मांग की कि हमें अधिक सहायता दी जाये । हम इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं । इसका भी चौधरी साहब

[श्री कपलापति त्रिपाठी]

ने मजाक उड़ाना उचित समझा । मुझे आशा है इस शब्द से कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड है । स्वाधीनता संग्राम में जिस प्रदेश ने बड़ी भूमिका अदा की, जिसके लाखों व्यक्तियों ने इसे आंदोलन में आहुति डाली है, उसके न जाने कितने ही विद्रोहियों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ कर भारत माता की जय पुकारी है, जिसके न जाने कितने बड़े बड़े विचारक रहे हैं, वह बैकवर्ड कैसे हो सकता है ।

हमारी आर्थिक आवश्यकतायें पूरी नही हो रही है । आर्थिक दृष्टि से हम अवश्य पीछे हैं । इसको आर्थिक दृष्टि से छुड़ाना होगा । हमारी मांग थी कि अत्यधिक योजनायें हमें मिलनी चाहिये । हमारे वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री ने कहा कि यह पहला मौका है जब प्रदेश से यह मांग हो रही है कि हमारी योजनायें बढ़ी हों । अब तक जो योजनायें आप बनाते हैं, उन्हें चला नही पाते, उन्हें छोटा कीजिये । हम ने मांग की और सहायता मिलने के लिये एक निश्चित और निर्धारित सिद्धांत स्वीकार हुआ कि आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुये क्षेत्र को विशेष सहायता प्रदान की जाय ।

उपाध्यक्ष जी, मुझे समय पूरा दे दें, 2 दिन की बहस का उत्तर दे सकने का समय दे दें । आप देखें कि उत्तर प्रदेश में यह सरकार जो निकम्मी समझी जाती है वह क्या कुछ करने में समर्थ हुई है । मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने प्रदेश में ऐसी योजनाओं को ला सके जो कभी यहां आती नहीं, जिनकी मांग बहुत दिनों से होती रही थी । इतनी बड़ी रिफाइनरी की योजना जिसके लिये तीन चार प्रदेशों के जोर लग रहे थे कि वह उनके यहां चली जाय और जो पिछले 7–8 माह से लटकी हुई थी और जो 200 करोड़ के ऊपर की थी और शायद वह भारत की सब से बड़ी नयी टेकनालाजी वाली माडर्न रिफाइनरी होगी जिस के साथ अन्य सहायक उद्योग इतने ज्यादा लग सकेंगे । उसके साथ में एक बड़ा कारखाना केमिको पेट्रोसलयम का स्थापित होगा और वह भी शायद 200 करोड़ के करीब ही लागत का होगा । यह रिफाइनरी हम ने मथुरा के लिये स्वीकार करायी है और हम कृतज्ञ है, सारा प्रदेश कृतज्ञ होना चाहिये, हम अपनी प्रधान मंत्री के कृतज्ञ है कि उन्होंने इस विषय में हमारी पूरी सहायता की और कहा कि यह कारखाना उत्तर प्रदेश में जाना चाहिये । इस तरह से यह 200 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार कराई गई और किसी तरह से प्रयत्न करने पर यह केमिको पेट्रोलियम का कारखाना मंजूर हुआ वह भी 100 डेढ़ सौ करोड़ का होगा । यह सारी चीजें हम अपने प्रदेश में मथुरा के लिये लाये ।

इसी तरह से नरौरा के एटामिक स्टेशन के लिये कितने सवालात यहां किये गये, माननीय वीरेंद्र वर्मा बैठे है वह शायद प्रश्न किया करते थे कि एटामिक पावर एनर्जी के संस्थान को यहां लाने के लिये क्या हो रहा है । मैं नहीं जानता कि हम से पहले कभी इस का प्रयास हुआ या नहीं लेकिन इस सरकार ने पद ग्रहण करते ही इस दिशा में चेष्टा आरम्भ की कि तीन चार एटामिक स्टेशन्स में से एक एटामिक पावर स्टेशन हमें भी मिलना चाहिये । हमने एक साल इस का प्रयास किया ।

प्लानिंग कमीशन से, एटामिक पावर कमीशन से, केंद्र के नियोजन मंत्री से, वहां के वित्त मंत्री से, पावर मंत्री से और सब से बढ़कर अपनी प्राइम मिनिस्टर से बार बार हम चिट्ठी पत्री करते रहे और जब भी मैं दिल्ली जाता था तो मैं सब से कहता था कि उत्तर प्रदेश के विकास में जो बाधा है वह बिजली की कमी की ही है और उस कमी को यदि दूर करना है तो हमें अधिक से अधिक पावर के साधन मिलने चाहिये वर्ना यह 9 लाख की आबादी का प्रदेश है वह कभी भी उत्थान नहीं कर सकता, न खेती में न उद्योग में और न किसी दिशा में ही उसका विकास बिना पावर के हो सकता है और यदि उस के साथ इस दिशा में न्याय न किया गया तो गरीबी मिटाओ का स्लोगन स्लोगन ही रह जायगा । वह एक रास्ता होगा उद्योग लगाने का, एक साधन होगा, एक रास्ता होगा यहां के गरीब लोगों को काम देने का । किसी तरह से वह नरौरा का पावर स्टेशन मिला ।

हम बहुत कृतज्ञ हैं प्रधान मंत्री के और उन सभी लोगों के जिन्होंने हमें इसे दिलाने में सहयोग दिया और हमारी सहायता की । यह 200 करोड़ की योजना हमें मिली है और एटामिक स्टेशन के यहां लगने से हमारे लिये विकास का एक पथ प्रशस्त हुआ है । डा० सेठन से पहले डा० साराभाई चेयरमैन कमीशन के थे जिनका कि देहांत हो गया, उनसे भी मैंने पहले बातचीत की थी और वह आधे से ज्यादा राजी से थे लेकिन कहते थे कि शायद ठीक स्थान आपके प्रदेश में नहीं मिल सकेगा । नरौरा के लिये वह कहते थे कि वह दुनिया की उस बेल्ट में है कि जहां पर भूचाल बहुत आते है लेकिन हमारे आग्रह पर आदमी भेजकर इटली और जापान से रिपोर्ट मंगाई गई कि वहां भूकम्प आते हैं तो किस तरह से वहां पर एटोमिक पावर स्टेशन सफलता से, किस टेकनीक से लगाये गये हैं । वहां से रिपोर्ट आई और अब यह तय हुआ कि वह यहां बन सकता है । वह अब करीब-करीब मंजूर हो गया है, नये चेयरमैन के सामने नये सिरे से नई कथा शुरू हुयी है । नरौरा का पावर स्टेशन हमें मिला । बड़ी भारी योजना है । हमारे विकास के पथ को प्रशस्त करेगा । हम जिन्दा रहेंगे या मर जायेंगे, कौन सरकार रहेगी, नहीं मालूम, लेकिन यह एटोमिक पावर स्टेशन आने वाली पीढी के पथ को प्रशस्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग विस्तृत होगा ।

श्रीमन्, टिहरी की योजना को देखें । यह 37 करोड़ की है । हमारे भाई नेगी जी महाराज यहां पर बैठे है । वे जानते होंगे कि कब से पुरानी सरकारों के जमाने से पड़ी हुयी थी । कितना संघर्ष हुआ है, उसके लिये और किस प्रकार की यह योजना है । इससे लाखों किलोवाट बिजली बनेगी और गंगा के जल से लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जिससे इस प्रदेश की बिजली के अभाव को बहुत बड़ी सीमा तक हम मिटा सकेंगे । हमने बहुत लिखा-पढ़ी की और मैं तो सराहना करता हूं अपने वित्त मंत्री जी का, उनसे मेरी बात हुयी कि धर्ना दो । वे प्लानिंग कमीशन में गये और उन्होंने धर्ना दिया और कहा कि जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम यहां से नहीं जा सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्य मंत्री भी रुके हुये है और हम स्वीकार करा कर ही जायेंगे । आप देखें कि साल भर में कितनी योजनायें पब्लिक सेक्टर में आयीं । हमने बुन्देलखंड में 440 मेगावाट का एक थर्मल स्टेशन मंजूर करवाया । ओबरा के लिये हमने प्रार्थना की कि इसे 1 हजार मेगावाट वाला स्टेशन कर दिया जाय । वह भी वहां के लिये मंजूर हो गया है । हमने केंद्र से यह भी प्रार्थना की कि जब तक हमको हैवी इलेक्ट्रिकल्स से मशीन्स आदि नहीं मिलती है, बाहर से मशीन मंगाने की इजाजत दे दी जाय ।

गोरखपुर में 440 किलोवाट की एक योजना मंजूर करवाली है हमारी सरकार के प्रदेश के विकास के लिये कुछ प्रयास किये है और सफलता भी मिली है ।

आज पब्लिक सेक्टर में कितने कारखाने हमें मिले है । चौधरी साहब का यह कहना ठीक है कि बड़े-बड़े कारखानों से तुम अपने यहां पर बेकारी को समाप्त नहीं कर सकते हो । मैं उनके इस सिद्धांत से सोलह आने सहमत हूं कि बड़े-बड़े कारखानों से बेकारी दूर नहीं हो जायगी । प्रदेश की 9 करोड़ की आबादी है, इसकी बेकारी दूर होगी, यह संभव नहीं है । इसके लिये छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज गांव-गांव में फैलें । गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है कि आमदनी बढ़े और आमदनी बढाने का एक ही रास्ता है कि उत्पादन बढ़े और जब आमदनी बढ़ती है तभी पूंजी बढती है, सेविंग होती है । सरकार के टैक्सों से पूंजी नहीं बनती है । जब जनता की सेविंग होती है तभी बनती है। डेवलपिंग एकोनोमी की डैफिनिशन दी हुयी है ।

मैं काटेज इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हूं । अगर इस मिक्सड एकोनोमी को समाप्त करना है तो पब्लिक सेक्टर का कार्य क्षेत्र बढ़ना चाहिये । पब्लिक सेक्टर के 4-6 कारखाने हम यहां पर ले आये हैं । यहां पर हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स का कारखाना बनने जा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]
रहा है। हमने अपने यहां पर 10 शुगर फैक्टरी की मांग की है और स्वीकृति भी आ गयी है। हमने स्कूटर की फैक्टरी, जिसके बारे में यहां पर प्रश्न हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में लेने की चेष्टा की है, लगाने के लिये स्वीकृति भी मिल गयी है और यह लगेगी।

हमने अपने यहां पर लाइट वैहिकिल्स बनाने की फैक्ट्री की भी मांग की है। उसके लगाने की मांग की है। मांग की है फर्टीलाइजर की। कई तो हमें मिल गये हैं। कई हमें मिलने वाले हैं। इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी की मांग की है। आखिर यह पूंजी का विनियोजन होगा या नहीं होगा। इनके लगाने से काटेज इंडस्ट्रीज के फैलाने में बाधा कहां पड़ती है। ध्यान उधर न जाना यह अनिश्चित है।

चौधरी साहब कहते हैं कि इतने विभाग रक्खे हुये हैं। काटेज इन्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज की तरफ हमारा ध्यान है। मैं मानता हूं कि गांधी जी के सारे विचारों में उनका चरखा जो है वह विकेंद्रीकरण का राष्ट्रीय प्रणाली का प्रतीक रहा है। वे कहते थे कि चरखे से स्वराज्य हो जायेगा। वह तो एक प्रतीक रहा इस बात का कि गांधी जी की आर्थिक प्रणाली इस बात को स्वीकार करती है कि अधिक उत्पादन जो हो वह विकेंद्रित ढंग से हो जिससे जनता का श्रम भी लगे, कलात्मक प्रवृत्तियां भी उभरें। साथ ही साथ उत्पादन से जो मिलता था वह उसका हो सके। जवाहर लाल जी ने किसी वक्त कहा था कि हैवी इन्डस्ट्रीज लगनी चाहिये। इसके माने यह नहीं थे कि वे खिलाफ थे लघु इन्डस्ट्रीज के। काटेज इन्डस्ट्रीज लगनी चाहिये।

काटेज इन्डस्ट्रीज के सैल्स हैं उस तरफ ध्यान देना चाहिये। सरकार काटेज इन्डस्ट्रीज नहीं लगा सकती, नीचे से भी लगाने वालों की आवश्यकता है, वह वातावरण बनाना चाहिये। बड़ी इन्डस्ट्रीज के लिये जाने से चौधरी साहब ने कह दिया कि बन्द कर दीजिये टैक्स टाइल मिल्स को कानून बनाकर। भला बताइये, यह कैसे हो सकता है। एक कानपुर में चालीस हजार मजदूर टैक्स्टाइल में काम करते हैं। आप प्रबन्ध कर दीजिये। कैसे काम चल सकता है। अब तो सप्लीमेंट करने की बात है। उसे भी लगाते चलिये, इसे भी लगाते चलिये। खांडसारी और शुगर फैक्टरीज भी लगाते चलिये। कितनी आवश्यकता है।

टैक्स्टाइल इंडस्ट्रीज कितने दिनों से चली आ रही हैं। आप भी चीफ मिनिस्टर थे। आपने कानून बनाकर उसे बैन नहीं किया। आप कहते हैं कि मैं सुझाव देता हूं कि बन्द कर दीजिये। चालीस हजार आदमी लगे हुये हैं, और सारे देश में लाखों की तादाद है अच्छा वेतन वे पा रहे हैं। रोज उनके बोनस की मांग होती रहती है। इसी असेम्बली में उठती है। वे काम करते रहे हैं और आप कहते हैं कि बन्द कर दीजिये। इतने आदमियों को बेकार कर दीजिये ताकि लाखों जो बेकार हैं उनमें ये भी प्लस हो जायं। हमारे अनन्तराम जायसवाल कह रहे थे कि इतने बेकार पैदा हो जायेंगे, अरे, बेकार हो जायेंगे तो उपाय भी होना चाहिये। उपाय क्या है। सरकार को यहां जली कटी ही सुनाना। कहते हैं कि फाइव इयर्स प्लांस की एप्रोच को बढ़ा दो। आपकी समझ में आया उसकी अप्रोच क्या है। उसकी अप्रोच सीधी यह है कि सिद्धांत के आधार पर एक तरफ हमारी प्लानिंग जितनी हुई है वह प्रोडक्शन ओरिएन्टेड थी, प्रोड्यूस मोर ऐंड मोर। चाहे मिक्स्ड एकानामी रखिये, चाहे पब्लिक सेक्टर बनाइये जो कुछ भी कीजिये, थोड़ी अधिक से अधिक पैदावार देश की बढ़ाइये।

जहां जिस देश में सब चीज का उपाय था उस देश में पैदावार उत्पादन न बढे तो काम कैसे चले। हर चीज का उत्पादन कीजिये। साथ ही साथ इस दृष्टि से भी बढ़ाइये कि लोगों के जीवन का स्तर भी ऊंचा हो और इसलिये भी बढ़ाया जाय कि वह हमें स्वावलम्बी बनाने में सहायता करें। कल हमें देखने का मौका दूसरे की तरफ न रहे।

भारत-पाक युद्ध हुआ। दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इंकार कर दिया कि डिफेंस के लिये कोई चीज नहीं देंगे। यह युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था। हम कब चाहते थे कि युद्ध हो लेकिन लोगों ने उभारा। पाकिस्तान को मदद देने की बात की गई। हमारे यहां भी सारे डिफेंस के जितने वायदे थे कैंसिल कर दिये गये। जो कमिटमेंट थे वे भी समाप्त कर दिये गये। यह देश डिफेंस प्रोडक्शन के फलस्वरूप ललकारता रहा दुनिया भर के देशों को, हम मुकाबले को तैयार हैं। मान्यवर, सेवेंथ फ्लीट भी आया तो लोग घबरा रहे थे और हुआ यह कि हम सामना करने को तैयार हो गये, हिम्मत दिखाई, केवल अपने साधनों के बल पर।

मान्यवर, यही हाल गल्ले के मामले में, हमें स्वावलम्बी होना चाहिए। यह मांग होती रही कि भिक्षा बन्द करे, और वह बन्द हो गई। अब आप कहते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज न लगाओ। एक ओर यह सप्लीमेंट करती है दूसरी ओर नो-हाऊ पैदा होता है। मैं हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना गया। वहां जनरल मैनेजर रस्तोगी जी हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहां आस-पास के जिन लड़कों को ट्रेन किया है वह बहुत बड़े-बड़े इंजीनियरों से अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक टेक्नीकल नो-हाऊ पैदा करते हैं, आखिर यह जमाना मैकेनाइजेशन का है और आप इस साइन्टिफिक जमाने में अपने को अलग नहीं रख सकते।

मान्यवर, यह शिकायत थी कि आप मशीन बनाने के लिये मशीन-बनाने के क्यों कारखाने लगा रहे हैं। अगर न लगायें तो क्या हम मशीन बाहर से मंगाते रहें और अगर मशीन न मिले तो बिजली का उत्पादन समाप्त। मान्यवर, यह कहना कहां तक तर्क-संगत है मैं नहीं समझ पाता और सोच सकता। हम काटेज-इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का प्रयास करें और यह भी प्रयास करें कि यह अधिक से अधिक बढे और गांव-गांव में यह काटेज इन्डस्ट्रीज पहुंच जाय कुटियों में। मैंने तो उद्योग लगाने वालों से बातचीत की थी कि भाई एक ही जगह क्यों सेंट्रलाइज कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को। एक-एक ब्लाक्स में 10-10 और 5-5 लाख की इंडस्ट्रीज लगाओ ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके कि कैसे इन्डस्ट्रीज लगाई जा सकती है।

मान्यवर, पता नहीं एकदम से टीका करने के लिये कैसे कह देते हैं जब आप बैठेंगे तो आपको भी मालूम होगा। कह दिया कि खर्चा बढ़ाते चले जाते हैं। मान्यवर बढ़ेगा। दुनिया के तमाम राजनीति विशारद ने कहा है कि डेमोक्रेसी एक्सपेंसिव होती ही है। माना कि हम खर्चा बढ़ाते चले जाते हैं? अगर डेवलपमेंट करना है तो खर्चा बढ़ेगा ही। हम डेवलपमेंट करते हैं जाब्स क्रिएट करने के लिये हमने 60 हजार प्राइमरी स्कूल खोले हैं संविधान में कह रखा है कि प्राइमरी शिक्षा को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और वह भी निःशुल्क और कम्पलसरी प्राइमरी शिक्षा देनी है 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों के लिये यह आपने स्वीकार किया है। जब आपने 60 हजार स्कूल खोले हैं तो 60 हजार मास्टर रखोगे कि नहीं।

सन् 1947 और उससे पूर्व के जमाने में अंग्रेजों की एक नीति थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करे तथा ला एंड आर्डर मेंटेन करे और आनन्द से हुकूमत करते रहे। आपने अपनी अर्थनीति एक डेवलपमेंट ओरिएन्टेड बनाई है। बिजली को आपको फैलाना है और इसके लिये आपको आदमी चाहिये कि नहीं। आप सड़क बना रहे हैं, लिंक रोड्स भी बनेंगी, आप आदमी रखेंगे कि नहीं। कह दिया कि सड़कें तो अनोत्पादक व्यय है। ठीक है क्योंकि यह कोई कार्मशियल आर्गेनाइजेशन तो है नहीं। इसी तरह से सारी सोशल सर्विस अनुत्पादक है। आपका 100 करोड़ रुपये का शिक्षा का बजट है आप समाप्त कर दीजिये उससे तो कोई उत्पादन होता नहीं। रोज-रोज आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाती है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, खाली सरकार चलाने का हमारा लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि सरकार एक माध्यम हो गई है लक्ष्य की पूर्ति के लिये । एक मीन्स है एक ऐंड के लिये 'और एण्ड है अपने देश में ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सभी समान हों, जिसमें सभी आर्थिक विषमतायें दूर हों और जो अन्याय समाज में हो रहा है, उसको भी दूर करें और इस दृष्टिकोण से आप सरकार चलाते हैं और उस दृष्टिकोण से सरकार चलाते हैं तो डेवलपमेंट का प्रासेस लेना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेंगी, स्कूल खोलने पड़ेंगे, बिजली का प्रबन्ध करना पड़ेगा, उद्योग-धन्धों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । सरकार का यह धर्म है कि अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करे और लोगों की अधिक से अधिक सहायता करे ।

डेवलपमेन्ट हम करना चाहते हैं तो उसके लिये स्कीमें बनेगी और उनमें काम करने वाले आदमी बढ़ेंगे । आप देख लीजिये, क्या डेवलपमेन्ट के ऊपर हमारा खर्च कम हो रहा है? हमारी योजना जाब-ओरियन्टेड नहीं, डेवलपमेन्ट ओरियन्टेड है । जब हम वह करेंगे तो जाब क्रियेट होंगे । अब आप कहते हैं कि स्टाफ को कट करके 1/3 कर दी । तो यथा-संभव इस सम्बन्ध में कोशिश की जाती है लेकिन जब विकास का कार्य बढ़ेगा तो आदमी बढ़ते हैं । अभी कहा गया कि सिविल इन्जीनियर बहुत बेकार हैं, इसलिये इन्जीनियरिंग कालेज बन्द कर दें । नतीजा क्या हुआ ? यह हुआ कि हमारी प्लान के लिये सिविल इन्जीनियर मिल नही सकते । अस्पताल खोलिये । जो डाक्टर निकल रहे हैं उनको काम मिले और लोगों को भी सुविधा मिले । अब सब चीजों को एक व्यवसायिक व्यू-प्वाइन्ट से तो लिया नहीं जा सकता । अब यह सोचने की बात होती है । कैसे उन चीजों को मान लिया जाय ।

आज हजारों की बिजली देनी है । हमारे सामने प्रश्न यह है कि कैसे अधिक से अधिक हमारी योजनाओं की पूर्ति हो । उसके लिये धन की आवश्यकता होगी । जिस तरह से होगा, उस तरह से धन एकत्रित करने की कोशिश की जायगी । 6 एकड़ की बात को लेकर बहुत टीका-टिप्पणी हुई । यह कहा गया कि आपने विचार बदल दिया, कुर्सी मिलते ही । लेकिन यह बात नही है । हम कहते हैं कि चौथी योजना 970 करोड़ की थी । पांचवीं योजना के 2 हजार करोड़ का इरादा है । यह जो 400 करोड़ का गैप है, इसे कैसे पूरा किया जाय । हमारा यह प्रयास है कि इसको कैसे पूरा किया जाय ।

सवा-छ एकड़ में जो चार्ज लगाये, उसके बारे में, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैं यह कहता हूं कि सवा-छ एकड़ अलाभकर है । अभी 3 1/8 के बारे में कोलीशन गवर्नमेन्ट थी, तो वहीं से स्वीकार किया था । मान्यवर, यदि विकास करना है, गांवों में बिजली पहुंचाना है, ट्यूबवेल लगवाने हैं, स्कूल खोलने हैं और अन्यान्य विकास के कार्य करने हैं तो उसके लिये जिनके लिये ये विकास के काम करने हैं, उनसे थोड़ा-बहुत ले लिया जाय तो यह कह दिया जाय कि हम किसान विरोधी हैं, हमारे विचार कुर्सी पाते ही बदल गये, हमारी प्रतिमा बदल गयी, यह बात ठीक नहीं है । तो हम बढ़ेंगे, मान्यवर कैसे अगर हम ये विकास के कार्य नहीं करेंगे । लेकिन हम किसान विरोधी प्रतिमा हो गये हैं इसलिये क्योंकि हम चाहते हैं किसानों के खेत-खेत में पानी पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव-गांव में बिजली पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा के लिये अधिक से अधिक स्कूल खुलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की चिकित्सा के लिये अधिक से अधिक अस्पताल हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सड़कें बनावें और हरेक गांव को बड़ी सड़कों से लिंक कर दें ।

आज कहा जाता है कि देश में 50 फीसदी आबादी का जीवन-स्तर नीचा है। मान्यवर, इसमें संदेह नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे लोग गरीब हैं। लेकिन उसी गरीबी से लड़ने के लिये तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसी गरीबी को दूर करने के लिये तो हमें थोड़ा कष्ट उठाना है अगर हम थोड़ा कष्ट नहीं उठायेंगे तो कैसे हम गरीबी दूर कर सकते हैं। हमें कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। अगर किसानों के उत्थान के लिये कुछ मार्ग निकालें तो कहते हैं कि हम किसान विरोधी प्रतिमा हैं। तो यह बात ठीक नहीं है। वैसे आप राजनीतिक दृष्टि से प्रचार के लिये भले कह लें, लेकिन इससे देश और प्रदेश की गरीबी दूर नहीं होने वाली। जहां तक इन करों का सम्बन्ध है उस मिनिस्ट्री का लगा हुआ कर है जिसमें शायद मैं भी मिनिस्टर था और चौधरी साहब भी थे। गुप्ता जी के जमाने का लगा हुआ है। बीच में वह रुक गया। स्थगित किया गया। ऐक्ट रिपील नहीं हुआ। पांच साल स्थगित रहा सन् 67 से। पासिटीकल प्रेशर था। मैं जानता हूं चौधरी साहब उसके खिलाफ नहीं थे और न हो सकते हैं। लेकिन वह हुआ। पांच वर्ष स्थगित रहा। तीन करोड़ साल की आमदनी थी। 15 करोड़ की आमदनी होती। अब हमने पुनर्जीवित किया तो यह कहा कि पुरानी रकम वसूल न की जाय। अब इस बात की भी चेष्टा कर रहे हैं कि उसका कुछ ऐसा स्वरूप बनाया जाय कि नीचे के तबके पर उसका भार न पड़े। अगर देहात में हम डेवलपमेन्ट लेवी लगा रहे हैं तो शहरों को भी छोड़ नहीं सकते। सड़कों की भी हमारे सामने समस्या है। अभी वर्ल्ड बैंक की टीम आयी। उन्हें बताया गया कि पीने के पानी का कितना अभाव है। उन्होंने और देशों और प्रदेशों को पैसा दे रखा है। हमने भी मांग की कि हमें भी दें। उन्हें योजना भी दी गयी है। कितनी ही टाउन एरिया और म्यूनिसिपैलिटीज हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गांवों में व्यवस्था नहीं है। आखिर उस तरफ बढ़ना है या नहीं? अगर बढ़ना है तो बोझा उठाना पड़ेगा। यह मैं मानता हूं कि एक स्तर के नीचे बिल्कुल ही बोझा नहीं पड़ना चाहिये, छोटे पर कम-से कम बोझा पड़ना चाहिये और बड़े पर बढ़ता हुआ पड़ना चाहिये। अब आप चाहे इसे किसान विरोधी कह लें, चाहे शहर विरोधी कह लें। अगर प्रदेश की जनता यह समझती है कि हमने गलत काम किया तो जब मौका आयेगा उसे अधिकार होगा कि हमें यहां से रवाना करे और आपको सरकार दे दे। हम जब तक यहां है, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की चेष्टा करेंगे और आपसे सहयोग की मांग करेंगे।

अब सीलिंग की बात हुई। सीलिंग के बिल आपके सामने आयेंगे। हमने कहा है कि अरबन प्रापर्टी की भी सीलिंग हम करेंगे। कहा जाता है कि क्या सीलिंग करने से सबको जमीन मिल जाएगी? यह बात नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहां लोगों की। लेकिन एक जो विषमता है उसको दूर करने का इरादा है। हम सेटिलमेन्ट करने का भी इरादा कर चुके हैं। मालगुजारी में बड़ी विषमता है। एक ही तरह की भूमि पर कहीं चार आना, कहीं आठ आना लगान है। एक ही तरह की भूमिपर कहीं 20 रु० और कहीं 10 रुपया लगाया है। आपने भी एस० वी० डी० के जमाने में स्वीकार किया था कि सेटिलमेन्ट कर दिया जाय। तो प्रतिमा जैसी आप चाहें बनाने की चेष्ठा कीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजनैतिक दृष्टि से आपको प्रचार करना है, आप करें। आप हमें क्षमा करेंगे, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है उसको हम निभायेंगे, जनता अवसर देगी तो उसकी सेवा करते रहेंगे, नहीं अवसर देगी, जिसको उचित समझेगी उसको सेवा करने का अवसर देगी सरकार के रूप में, तब भी हम सेवा करते रहेंगे और समझेंगे और समझायेंगे कि हमारी नीति गलत रही है, अब सही नीति वाले आये हैं।

मान्यवर, दो इंस्टीट्यूट्स बनने हैं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के। एक बिजनेस मैनेजमेन्ट का है। लड़कर उसको लखनऊ के लिये हम लाए। आज सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि हम अपनी किसी व्यावसायिक संस्था में डिप्टी कलेक्टर को लगा दें। तो लड़कों को उसमें शिक्षा मिलेगी। किसी ऐसी संस्था को गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से लाना कितना

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मुश्किल होता है? लेकिन लड़कर हम लाए उसको लखनऊ के लिये। सोशल साइंसेज का भी एक इंस्टीट्यूट, जैसा कि बम्बई में है जहां यहां के भी लड़के पढ़ने के लिये जाते हैं और आते भी हैं। वह इन्स्टीट्यूट भी आ रहा है। इसको भी मंजूर किया है कि यू० पी० को देंगे।

एक हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी फैजाबाद में खोलने का फैसला हो गया है। वह भी लग जायगी। यह वह स्थान है जो कि मध्य के स्थान में है और इसका निर्णय हो गया है कि फैजाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाय। मान्यवर, इस प्रकार से कुछ काम करने की चेष्टा यह सरकार कर रही है। हम इस प्रकार की चेष्टा करते रहना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद इसमें चाहते हैं।

गलतियां होंगी और उनका सुधार भी होगा और वह होती ही हैं। छोटी से छोटी बातों के लेकर जैसे कि मकान में एयर कन्डीशनिंग करवा ली है। आपने मुझको मुख्य मन्त्री बना दिया। सैकड़ों लोग मिलने के लिये आते हैं अब उनको कहां बैठायें। सचिवालय में भी जो कमरा है उसमें भी एयर कन्डीशनिंग लगा है और आपका इससे आचरण विभिन्न हो गया। मान्यवर, आप देखें कि ये मामूली चीजें हैं और इनसे आचरण का सम्बन्ध नहीं है।

बनारस के सर्किट हाउस के बारे में सैकड़ों शिकायतें रही हैं। यह कहा गया कि उसको तुड़वा दें। बनारस ऐसा स्थान है जहां पर हजारों देशी और विदेशी आया करते हैं। न जान कितनी टीम्स आती रहती हैं हमारे लैंड प्रोजेक्ट्स को देखने के लिये। यह कहा गया कि इसको तुड़वा कर फिर से बनवाया जाय। उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता है। अगर आवश्यकता होगी तो दूसरा बनवा लेंगे। यह कहा गया कि नया बनवा कर अपने नाम का पत्थर लगवा लें। आपकी कृपा से मुख्य मन्त्री हुआ हूं सैकड़ों जगहों पर पत्थर लगेंगे। बनारस में भी लग जायगा तो क्या हो जायगा। इससे हमारे बापदादा तो तर नहीं जायेंगे। इन बातों का उत्तर देना बहुत अच्छा नहीं लगता। एयर कन्डीशन के बारे में शिकायत है तो पी० डब्लू० डी० वालों से कह दूंगा कि उसको निकाल लें जायें।

यह कहा जाता है कि मुख्य मन्त्री तो आप हो गये लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं। शायद मैं मूर्ख हूं कि इनको मैं जानता ही नहीं। मान्यवर, इस धरती में मैं 51 वर्षों से काम कर रहा हूं। स्वयंसेवक से लेकर आज मुख्य मन्त्री भी हो गया हूं तब भी इस धरती की सेवा करता रहा हूं और करता रहूंगा। इस धरती में लोटते-पोटते मुझे इतने वर्ष व्यतीत हो गये हैं। देश में रहूंगा प्रदेश में रहूंगा, कहीं भी रहूंगा तावरो ही रहूंगा। बचपन से ही देश और प्रदेश की सेवा में जुट गया था। उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष की थी और आज 67 वर्ष का हो गया हूं और एक महीने के बाद 68 वर्ष का हो जाऊंगा। मैं माननीय चौधरी साहब से साल, दो साल ही छोटा हूं और अपने को चौधरी साहब का छोटा भाई ही समझता हूं।

आरम्भ से ही लेकर अब तक देश और प्रदेश की सेवा करता रहा हूं और अन्त तक सेवा करता ही रहूंगा। जो कुछ थोड़ा-बहुत ज्ञान है और जो कुछ प्रदेश की सेवा की है उसके अनुसार अपनी शक्ति भर आज भी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, बड़े-बड़े त्यागी और बलिदानी हमारे प्रदेश में हुए हैं और उनका संक्षिप्त-सा अनुकरण करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है गांधी जी के चरणों को छूने का सौभाग्य किसी को हुआ हो या न हुआ, लेकिन मुझे हुआ है, बात करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं। चौधरी साहब बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। मैं जानता हूं कि उनके पास आंकड़ों को इकट्ठा करने की बड़ी अच्छी कला है।

श्री बांकेलाल--

आप भी बड़े कलाकार हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है । बात यह है कि बनारस तो सदा से कला और संस्कृति का केन्द्र रहा है । पडरौना में कभी कुछ नहीं रहा है खास तौर से और यह स्पष्ट है कि वाराणसी ने कमलापति को उत्पन्न किया और पडरौना ने बांकेलाल जी को ।

मान्यवर, चौधरी साहब कहीं बैठें, मुझे तो ज्ञान का प्रकाश उनसे मिलता रहेगा और जो मिलेगा मैं उसके लिये कृतज्ञ हूंगा और अपना अधिकार समझूंगा कि उनसे प्राप्त हुआ । आखिर इस प्रदेश के सेवकों में खाली हम ही एक नहीं हैं । लाखों व्यक्तियों ने इस प्रदेश की सेवा की है । हमसे कहीं बढ़कर के त्याग किया है । प्रदेश की परिस्थितियों की उनको समझ-बूझ भी है । सारी बुद्धि का ठेका मैंने नहीं लिया, यद्यपि मुझे खेद है कि जवाहरलाल जी से लेकर कमलापति तक सब की बुद्धि की हीनता का तर्क चौधरी साहब पेश करते हैं । क्षमा करेंगे, बड़ा मुगालता है उनको अपने बारे में । सारी अक्ल और बुद्धिमानी वह अपने लिये ही मखसूस करते हैं--"वन हू डज नाट अग्री विद् मी इज आइदर ए फूल आर ए नेव ।" वैसे मुझे इतना अज्ञान भी नहीं है, कुछ तो जानता हूं । भले ही वह ज्यादा दिनों तक काम करने के कारण ही ज्ञान है, उसे ही निर्वाह करने की चेष्टा करता हूं ।

यह स्पीच जैसी कल हुई चौधरी साहब की और माधव साहब से भी कहना चाहता हूं, कि यह बहुत दिन से सुन रहा हूं । 1969 में जब कांग्रेस की गवर्नमेन्ट यहां थी, गुप्ता जी बैठे थे तो जो विरोधी दल के नेता के रूप में चौधरी साहब ने भाषण दिया, वह यही था । इधर बजट के वक्त भी यही स्पीच दी । गवर्नर का ऐड्रेस हुआ तब भी वही स्पीच । आज अविश्वास के प्रस्ताव पर बोले तो वही स्पीच । तुमने सरकारी कर्मचारियों का नेता बढ़ा दिया । तुमने उनको फिर से नौकरी में रख लिया । सबसे बड़ी इस प्रदेश की कुसेवा यही की । इनका वेतन बढ़ना नहीं चाहिये ।

अब एक और नया मसाला मिल गया कि हमारे पत्रकार जिन्हें फैसिलिटी मिल गयी दवा-दारू की तो यह करप्ट प्रैक्टिस है, तुम उन पर कब्जा करना चाहते हो । जो पत्रकार बेचारे आज भी हमारी धज्जियां ही उड़ाते रहते हैं, चाहे कितनी ही फैसिलिटी दी जाय वह मानने वाले नहीं हैं । उनको तुमने फैसिलिटी दे दी । इनकी तनख्वाह तुमने बढ़ा दी । लाठी इनपर हमने नहीं चलवायी । एक मानवता की दृष्टि से देखा कि सरकारी कर्मचारी हैं, 10-15 वर्ष सेवा हो चुकी है । मांग रहे ये कुछ वेतन की वृद्धि । प्राइसेज बढ़ गयीं, इसमें कोई संदेह नहीं । मूल कारण उसका यही समझा जाय कि अनुत्पादक व्यय हो रहा है, यह हो सकता है कि सही हो । लेकिन अनेक दूसरे कारण भी हैं जिनके कारण बढ़ रही हैं । जब कहीं प्लानिंग चलता है तो मैं समझता हूं उसके कारण थोड़ा बहुत इनफ्लेशन हो जाता है और बढ़ी हैं कीमतें । उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिये । कंट्रोल करने की चेष्टा हो रही है--केन्द्र में भी हो रही है, अपने यहां भी ।

होर्डिंग से भी प्राइसेज बढ़ जाती हैं । सूखा देख कर भी लोगों ने प्राइसेज बढ़ाने की चेष्टा कर ली । आज लाखों आदमी काम कर रहा है । डंडे के जोर से हम उनको दबा दें इससे समाजवाद नहीं आ जायगा । न समाजवाद खाली पब्लिक सेक्टर बढ़ाने से आ जायगा । समाजवाद तो तब आता है जब सारी उत्पादन प्रक्रिया का समाजीकरण हो । वह एक दिन में नहीं होगा । एक लम्बी यात्रा का लक्ष्य बना कर हमें उधर चलना होगा । आज हम यह दावा करें कि समाजवाद आ गया है तो मैं समझता हूं कि हमें अपने सम्बन्ध में बड़ी भारी भ्रांति होगी । उसके लिये आप पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ायेंगे । उसका यह रास्ता भी है कि आप लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये उत्पादन के साधनों को उनके हाथों में देते चलिये ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारे यहां डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सिद्धांत स्वीकार किया है । लाठी सोंटे से जो सोशलिज्म स्थापित करते हैं, और देशों में कहीं-कहीं वह रास्ता अपनाया गया, वह रास्ता आपने नहीं पकड़ा । वहां लाठी सोंटे से योजनायें संचालित की गयीं, आपने डेमोक्रेटिक प्लानिंग का रास्ता पकड़ा । इस ढंग से चलने में समय लगेगा । लोगों की तनख्वाह बढ़ा देने से समाजवाद नहीं आ जायगा । प्राइसेज के कंटेक्स्ट में जो उनकी मांग होती है उसे आपको ध्यानपूर्वक देखना ही पड़ता है । कमीशन बिठाते हैं । संविद की सरकार खुद भी कमीशन बिठा गयी थी । और जब प्लान बनते हैं तो जाब मिलता है । तो तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है । जो हमारी अर्थ नीति है उसमें यह करना ही पड़ेगा । अगर हम सौ वर्ष पीछे वाली विचारधारा को पकड़ कर चलें और इस सारे देश को लाठी के शासन से सुदृढ़ करना चाहें तो मैं समझता हूं कि उसमें भी विरोध हो जायगा और वह चला नहीं सकेंगे । इस दृष्टि से आपको विचार करना है इन प्रश्नों पर ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो तय हो गया था कि जितना समय लगेगा उतना समय बढ़ा दिया जायगा । यह कार्यमन्त्रणा समिति में तय हो गया था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

7 बजे तक बढ़ा दें तो ठीक हो जायगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि कोई आदमी चिट्ठी लिख कर दे जाय उसकी बिना जांच किये हुए इस सदन में, इम्यूनिटी है, आप पढ़ दें और ऐसी चिट्ठियां न जाने कितनी लिखायी जा सकती हैं, जिसके बारे में चाहिये लिखवा लीजिये, हाई कोर्ट में कोई रिट दाखिल है, उसे आप पढ़ दें, स्वयं हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री चरण सिंह जी के खिलाफ न जाने कितनी रिटें दाखिल हुईं, वह तो जिसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे रिट दाखिल कर देगा, और रिट वह पढ़ें आप इसलिये कि प्रमाण उपस्थित करें यह न्यायोचित नहीं है और न उचित है, यह सौजन्य के भी परे है । जांच कर लीजिये, यहां कुछ भी कहा जा सकता है पर हम एक ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं उसी ढंग से बात होनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं अधिक उसमें जाना नहीं चाहता । उसमें जाने से फिर यहां का वातावरण नीचे गिरेगा । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिये थी । मुझे माननीय चौधरी साहब से निवेदन करना है, माननीय माधव प्रसाद जी से निवेदन करना है, क्या आप के जमाने में ट्रान्सफर नहीं हुये ? मेरे सामने उनकी भी तालिका है, मगर मैं पेश नहीं करूंगा क्योंकि वह छोटे स्तर की बात हो जायेगी । पंडित पंत के समय में भी यह था, उस समय यह आक्षेप उनके ऊपर था कि पहाड़ी राज्य है, जब गुप्ता सरकार थी तो यह कहा गया कि बनियों का राज्य है, जब सम्पूर्णानन्द जी की सरकार बनी तो यह कहा गया कि लाला व कायस्थों का राज्य हो गया, चौधरी साहब के राज्यमें जाटों का राज्य हो गया, अब कमलापति आ गये तो ब्राह्मणों का राज्य हो गया ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

केन्द्र में काश्मीरी राज्य हो गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—]

आपको भी क्या शिकायत है कि ब्राह्मण राज्य हो गया ? (हंसी) मान्यवर, कितने आई० ए० एस० आफिसरों तथा अन्य अधिकारियों के तबादले किये गये पिछले मुख्य मंत्रियों के काल में, अगर मैं उसकी तालिका रखूंगा तो सदन का समय नष्ट होगा, मैं उसे उचित भी नहीं समझता।

मान्यवर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही गयी। हमारी माननीया राजेन्द्र कुमारी ने उस सम्बन्ध में काफी बातें बतला दी हैं। उस बिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक माइनरिटी शब्द का प्रयोग किये बगैर इसे माइनारिटी करेक्टर दिया गया है ताकि इसका कम्युनल करेक्टर न होने पाये, क्योंकि अगर इसका कम्युनल करेक्टर हो गया तो इससे यहां की शिक्षा-दीक्षा को एक बड़ी भारी हानि हो जायेगी।

अब यह कहा गया कि हमने आटोनामी छीन ली। मैं वह जमाना नहीं भूला हूं जब चौधरी साहब ने इस बात को कहा था कि आटोनामी के यह मानी नहीं हैं कि सरकार उसमें हस्तक्षेप ही न करे। यह उस समय की बात है जब यूनिवर्सिटी में एक-एक वर्ष तक पी० ए० सी० रही थी, यूनियन के संबंध में लड़कों ने कोई आन्दोलन चलाया था और उसमें गोली आदि तक चली थी। अब एक कानून संसद ने पास किया। मैं समझता हूं कि उनको इस समय भी वही बात कहनी चाहिये थी जो उस समय कही थी कि यह मामला ऐसा है जिसे बहस द्वारा बात चीत करके हल किया सकता है। उस जमाने में आपने यही बात तो कही थी।

मान्यवर, बंगला देश के विद्रोह ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल भी एक बहाना मिल गया है। मेरे सामने आज एक सर्कुलर पेश हुआ था, जिसकी मैं अभी जांच करा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि इस आन्दोलन को हमें चलाना है, इस वक्त हम इस प्रदेश की मुस्लिम जनता को एन्टी कांग्रेस बना सकते हैं और इसके लिए हमें सारे दलों से सहायता लेनी चाहिये, प्रदेश भर में जो आन्दोलन चले उसमें मास-सपोर्ट लेना चाहिये स्टूडेन्ट्स का, ब्रेक करना चाहिये ला, अपने को अरेस्ट कराने की कोशिश करनी चाहिए, पोस्टर्स और लीफलेट्स से सारे प्रदेश को भर देना चाहिए, उन लोगों पर ढेले डालने चाहिए जो आज विधान सभाओं और पार्लियामेंट के मुस्लिम मेम्बर्स हैं, इस आन्दोलन को इस ढंग से चलाएं कि यह एन्टी कांग्रेस आन्दोलन हो जाए। जांच इन सब की करा रहा हूं, श्रीमन्।

जो बड़ी बात उसमें कह दी गई, उसका भी जिक्र करना चाहता हूं वह यह कह दिया कि अन्ततः यह करना है कि इस आन्दोलन की कम्युनल शकल हो जाए, ताकि सरकार को उसको दबाने का मौका मिले, जिससे कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों की भावनायें बनें। इस सब को हमें सतर्कता से देखना पड़ेगा। हमने उस दिन भी कहा था—फिरोजाबाद और वाराणसी में जो कुछ हुआ, जो किया गया, उसके लिए हमें खेद है, हमने क्षमा मांगी, जिन लोगों को कष्ट पहुंचा या क्षति झेलनी पड़ी। हमने यह कहा कि जिस समय पुलिस का प्रयोग होता है, तो उस समय आप नहीं कह सकते कि एक्सेस नहीं हुई, एक्सेस नहीं होगी, वह हो सकती है। मैंने कहा उसकी जांच कराऊंगा। हमने मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और आई० जी० से जांच कराई।

अभी चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि वह जाकर जांच करें। सी० आई० डी० दोनों जगह पूरी जांच कर रही है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतना ही नहीं मैंने सेन्टर से भी इस जांच हेतु होम डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी मांगा है, ताकि दोनों मिलकर हमारी जांच करें। एक्सेस की जा सकती है, किन्तु यदि हुआ है तो हम जिम्मेदार लोगों को अवश्य पनिश करेंगे। स्पेशिफिक इंस्टांसेस भी आए हैं, तो उसकी जांच अलग से करा रहा हूं। उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। किसी के लिए चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

यदि उसकी गलती होती है, तो यह शर्म और लज्जा की बात है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम राजनैतिक दलों से और अपने मुस्लिम मजलिश के भाई लोगों से कि किसी छोटे मसले को लेकर, किसी गुस्से के वश हो कर, किसी ऐतिहासिक कारणों से आप इसे एक आइटम बनाएं कि सारे प्रदेश में आपकी ये हरकत होंगी कि कम्युनल दंगे कराए जाएं, शान्ति व्यवस्था को भंग किया जाए, कांग्रेस के खिलाफ यहां की मुस्लिम जनता के मस्तिष्क में जहर घोल दिया जाए क्योंकि वर्तमान गवर्नमेन्ट इसे बरदाश्त नहीं करेगी---तो यह राजनैतिक नहीं है, यह बहुत बड़ी दुर्नीति है। यह कमजोर और गरीब प्रदेश की 9 करोड़ जनता के खिलाफ ऐसा दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं इस प्रदेश में शान्ति बनायरखने के लिये सभी सहयोगी हों, हमारी गलतियों के लिये झापड़ मारें---मैं तैयार हूं, लेकिन प्रदेश की 9 करोड़ जनता को आग में झोंकने की चेष्टा आप न करें। यह प्रदेश के लिये बड़ा भारी अनर्थ होगा और जनता के लिए भयंकर अभिशाप होगा, जिसका असर पूरे देश में पड़े बिना नहीं रहेगा।

मान्यवर, यह प्रस्ताव आया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि हमारी विरोधी दल के साथियों, भाइयों ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला, जिनसे हम लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। शुरू में ही मैंने कहा भूल हुई होंगी, भूल हो सकती हैं, और भूल हुई है। मैं जानता हूं कि भूल हुई होंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हम चाहेंगे यदि जानबूझ कर हमने बेईमानी नहीं की हैं, तो हम क्षमा के पात्र हैं और भविष्य में और अच्छी बुद्धि का प्रयोग करने में सफल हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं और इसके पीछे प्रेरक रहे हैं चौधरी साहब, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस लें और हमें सहायता प्रदान करें कि हम कुछ इस कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय त्रिपाठी जी ने अपना भाषण ---जो प्रारम्भ किया वह मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप से शुरू किया। मैं कल जो ढाई घंटे बोला हूं, मैंने इस गवर्नमेंट के करप्शन का जिक्र किया है जोरदार शब्दों में, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कोई बात नहीं की सिवाय बलरामसिंह यादव, के क्योंकि हाईकोर्ट में जो रिट हुई उसमें उनका नाम आ चुका था और यू० पी० के सब अखबारों में वह बात छप चुकी थी। मैं उसका जिक्र न भी करूं तो सारी जनता उसको जानती थी। बाकी जो कुछ मैंने कहा इम्परसनल और सारी मिनिस्टरी को एक इकाई मान कर मैंने बात कही।

जो मैंने कल कहा है---माननीय त्रिपाठी जी ने जो आज कहा है उससे उस पर असर नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने उन बातों का जवाब नहीं दिया। जो नीतिपरक बातो का जवाब दिया है वह भी जवाब कम्प्लीट नहीं है, गलत है। मैंने कोई परसनल बात नहीं कही। लेकिन अच्छा हुआ कि माननीय त्रिपाठी जी ने जिस प्रकार जिक्र किया कि किस तरह से मैंने राय बदली, किस तरह से मेरी उनसे बातें हुई, वह उन्होंने बड़ी तफसील और आयोरनी से उन्होंने कहा है। मैं इसका स्वागत करता है क्योंकि मुझ पर जबरदस्त आरोप लगाया है कि मैं डिफेक्शन का बानी मुबानी हूं, सारे देश में। मुझको आज जवाब देने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ के साथ मुझे कुछ परसनल बातों के जिक्र करने का हक देंगे क्योंकि परसनल बातें उन्होंने कही हैं लगभग शुरू के आध घंटे।

1952 में माननीय गोविन्द बल्लभ पंत ने जब माननीय त्रिपाठी जी को मिनिस्टर बनाया तो मुझे भी बुलाया क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। मुझ से उन्होंने पूछा चाहे जान्ते के लिए पूछा हो, क्योंकि सोच विचार करके कोई राय कायम की थी। मुझ से जिक्र किया। मुझसे भी राय लिया। मैंने जो कुछ कहा, राय दी वह मैं नहीं बता सकता। मैंने उनसे यह

कहा कि आप सब कुछ जानते हैं,। लेकिन इसकी बहस में न जाकर---कांग्रेस के कुछ कनवेंशंस रहे हैं, जिनका जिक्र उन्होंने किया, वह कनवेंशंस तफसील से बताऊंगा। उनके कहने का लब्बे-लवाब यह था कि बात तुम सही कहते हो मुझे सारी बातें मालूम हैं लेकिन मंशा उनका कहने का यह था कि इन सब बातों का प्राइवेट लाइफ तथा पब्लिक लाइफ से कोई सम्बन्ध नहीं है। पूरी बात भी नहीं कही और सब कुछ कह भी दिया।

मैं अपना एक मुसल्लिमा विचार रखता हूं कि प्राइवेट लाइफ तथा पब्लिक लाइफ दो कम्पार्टमेंट्स नहीं हैं। जो आदमी व्यक्तिगत जीवन में पवित्र नहीं है, जो व्यक्ति जीवन में अपने पार्टनर के साथ वफादारी नहीं बरत सकता है, सुन्दरता के लालच में फंस सकता है तो जब उसको पब्लिक लाइफ में मौका मिलेगा तो कभी वह उस कमजोरी में फंस जायगा और क्योंकि पब्लिक लाइफ की जिम्मेदारी उसके कन्धों पर होगी काम करने के ढंग का असर जनता पर पड़ेगा। माननीय पंत जी मेरे बुजुर्ग थे। मैं उनका कृपा पात्र था। उस वक्त तीन मिनिस्टर बनाये गये थे। उन्होंने मश्विरा किया। मैंने कहा जसी आप की इच्छा हो कीजिये। मैं बीच-बीच में कांग्रेस की परम्पराओं का भी जिक्र करता चलूंगा।

अब मैं केवल अपने डिफेक्शन पर आता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी मजबूर हो कर छोड़ी थी। सन् 1967 में कांग्रेस की वही दशा थी पब्लिक में कि वह निहायत बदनाम थी। जनता उसकी भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी थी। कांग्रेस के मिनिस्टरों के अमल से लोग तंग आ चुके थे और नतीजा यह हुआ कि सन् 1967 में कांग्रेस के 198 सदस्य चुन कर आये और विरोधी दलों के 227। उस वक्त विरोधी दलों की तरफ कोशिश की गयी कि वे अपना चीफ मिनिस्टर बना लें लेकिन नहीं बना सकीं। अब कांग्रेस पार्टी ने विरोधी दल के लोगों को तोड़ने की कोशिश की अपनी सरकार बनाने के लिये। मैं पार्टी की लीडरशिप के लिये एक कैंडिडेट था। मैं खड़ा हो गया और मैंने यह देखा उस वक्त कि जो लोग कांग्रेस के अन्दर मेरे हम खयाल थे या मैं जिनका हम ख्याल था और जिनके लिये सन् 1963 में चीफ मिनिस्टर-शिप के लिये पूरी कोशिश की जा चुकी थी लेकिन वह सन् 1967 में हार चुके थे जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और वह गुप्ता जी के तरीकों से, उनके कारनामों से नाखुश थे और यह मानते थे कि कांग्रेस अगर हारी है तो गुप्ता जी की वजह से हारी है लेकिन मैं जब खड़ा हो गया तो उन सब की राय बदलते हुए मैंने देखा। एक एक की राय बदलते हुए देखा।

मैं अपने बल पर खड़ा हो गया। लेकिन उसी वक्त दो सज्जन दिल्ली से आते हैं। माननीया इन्द्रिरा जी स्वयं पार्टी की लीडरशिप के लिये उम्मीदवार थीं और दूसरी तरफ मान-नीय देसाई थे। सब से ज्यादा वोटों की तादाद यू० पी० के एम० पीज की थी जिन पर गुप्ता जी का असर था और इस कारण वह यू० पी० का चीफ मिनिस्टर गुप्ता जी को ही बनाना चाहती थीं और यह भी चाहती थीं कि अनअपोज्ड उनके लीडर बनाया जाय। लिहाजा दो सज्जन दिल्ली से आते हैं और मुझ से बात करते हैं कि आप बैठ जाइये। मैंने कहा मैं स्वयं यह नहीं चाहता हूं बल्कि इतना जरूर चाहता कि जो लीडरशिप अब तक कांग्रेस की स्टेट में रही है उसको बदलना चाहिये। पुराने जो मिनिस्टर्स हैं उनकी शक्ल से, उनके नाम से लोग आजिज आ चुके हैं। अगर उन सब को नहीं बदला जा सकता है तो आधे, एक तिहाई अथवा एक चौथाई जरूर बदल जायंगे। मैंने नाम सजेस्ट किया कि ठाकुर फूलसिंह को एक कैंडिडेट बना दिया जाय तो मैं नाम वापस लिये लेता हूं लेकिन इस पर वह राजी नहीं हुए।

मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बात लम्बी हो जायगी। माननीय त्रिपाठी जी मौजूद थे। 10, 11 आदमी और मेरे कमरे में मौजूद थे। मुझ से कहा गया कि मैं अपना नाम वापस ले लूं और बिना शर्त गुता जी को चुनने के लिये उनका नाम पेश करूं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट मेरे मशविरे से बनेगी। कुछ मिनिस्टर्स निकाले जायेंगे और कुछ नयी शकलें आयेंगी।

[श्री चरण सिंह]
मैंने अपना नाम वापस ले लिया गुप्ता जी ने कहा था। उधर देशाई जी और इन्दिरा जी में फैसला हो गया। एक लीडर बन गया और दूसरा डिप्टी लीडर बन गया। ये लोग 12 13 मार्च को लीडर चुने गये।

मैंने जिन लोगों के बारे में कहा था कि ये वर्षों से गिरे हुये आदमी हैं उनमें 2–4 लोगों को ड्राप कर दिया जाय लेकिन मेरी एक बात भी नहीं मानी गई। लिस्ट गवर्नर के पास भेज दी और जब मेरे पास उनका इन्वीटेशन आया तो मैंने ओथ लेने से इन्कार कर दिया। ये गवर्नमेंट 14 मार्च को बन गई। 14 मार्च को दीक्षित जी मेरे पास आते ह क्योंकि मेरा नाम शामिल था। ये बोले अब क्या किया जाय। 22 मार्च को गुप्ता जी दिल्ली जाते हैं और वहां से मेरे लिये फोन आता है कि ये आप से बात करेंगे। मैंने कहा कि वे मुझसे क्या बात करेंगे। मेरा दृष्टिकोण अलग है उनका दृष्टिकोण अलग है। वह मेल नहीं खाता। 30 मार्च को दीक्षित जी का फोन फिर आता है। डेढ़ घन्टे उनसे बात होती है। उन्होंने कहा कि मैं गुप्ता जी से बात करने वाला हूं ये आपको फोन करने वाले हैं। 31 मार्च की शाम तक दीक्षित जी चार्टेट प्लेन से यहां आने वाले हैं, फिर फोन आता है क्योंकि इस समय क्वेश्चन आवर चल रहा है इसलिये शाम तक आऊंगा। चार्टेड प्लेन से भी ये नहीं आ सके। 31 तारीख को शाम तक ये न आ सके। रात के ग्यारह बजे मेरे पास फोन आता है कि वे नहीं आ पाये हैं इसलिये वे मुझ से टेलीफोन पर ही बात कर लें। एक मेरे मित्र थे उनसे उन्होंने ऐसा कहा। साढ़े ग्यारह बज गये थे। उन्होंने कहा कि ऐसा भी टेलीफोन पर कहा गया कि चूंकि यहां से टेलीफोन खराब है इसलिये वे ही मुझे टेलीफोन कर लें। ठीक है। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आप ने वायदा किया था क्यों नहीं आये। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आना चाहता था लेकिन गुप्ता जी ने आने नहीं दिया। मैंने कहा कि 7 मार्च को आप कैसे आये थे? खैर, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाय। उन्होंने कहा कि जो आपकी मरजी हो वह करो। कोई असमर्थता देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा होगा।

उस वक्त एक न्यूज ऐजेन्सी के आदमी हैं और आज भी वह है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने मुझसे कहा कि आप को मालूम है कि गुप्ता जी का एक बयान निकला है। मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा है, कल देखूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि गुप्ता जी ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी के डिसीडेन्ट्स के लिये कोई स्थान नहीं होगा। मैं गुप्ता जी का मतलब समझ गया कि इसका क्या अर्थ है। मैंने 1 अप्रैल को यह तय किया कि अब कोई तरीका नहीं रह गया है सिवाय इसके कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। मैंने सोचा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और पब्लिक इन्टेरेस्ट का तकाजा है कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। लिहाजा मैं 16 साथियों के साथ साथ अलग हो गया..

(व्यवधान)

मैं सभाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये माननीय राम कुमार शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ये मेरी बात को ध्यान से सुनें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—
मैं तो तरसता ही रह गया, आप लोगों ने बांट दिया।

श्री चरण सिंह—
कहा यह जाता है कि 16 आदमियों को लेकर मैंने डिफेक्शन शुरू किया। मैंने पिछले साल ही बयान दिया था कि इस इज्जत का मैं मुस्तहक नहीं हूं। कांग्रेस और उसके बड़े-बड़े आदमी हैं। दूसरे दल से डिफेक्शन करा चुके हैं, नान-कांग्रेस मैन को कांग्रेस के अन्दर लाये हैं और उन को मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया।

अब मैं तफसील में बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नान डिफेक्शन ला बनाने के लिये एक कमेटी बनायी थी जिसमें श्री भूपेशगुप्त का 8 सफे का डिसेंटिंग नोट लगा हुआ है। उसकी तीन चार बातें मैं बतलाना चाहता हूं। सन् 1952 में मद्रास में 375 सदस्यों वाली असेम्बली में कांग्रेस के केवल 152 सदस्य चुन कर आये। मेजारिटी के लिये कम से कम 190 की जरूरत थी। 50–60 आदमियों का डिफेक्शन कराया गया कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से और उनको मिनिस्टर बनाया गया और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टरी हासिल की जाती है। श्री शिवकुमार पांडेय व दूसरे माननीय सदस्य को इस तरह की बात करते हैं। उस वक्त उन्होंने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठायी।

उड़ीसा में राजा साहब को गवर्नर बनाया गया और उसके बाद डिफेक्शन के बल पर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सन् 1954 में एलेक्शन होता है आंध्र में मद्रास से सेपरेशन और कांग्रेस माइनरिटी पार्टी पी० एस० पी० के श्री टी० प्रकाशम् को अपनी पार्टी में मिला लेती है। उनके बल पर वहां मेजारिटी बनती है और फिर टी० प्रकाशम् को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है वहां का। तीसरा उदाहरण है श्री थानू पिल्लई का जो पी० एस० पी० के लीडर थे। उनसे उनकी पार्टी को छोड़ाया जाता है। वहां कांग्रेस की मेजारिटी नहीं थी। फिर उनके बल पर कांग्रेस की मेजारिटी बनायी जाती है और उन को चीफ मिनिस्ट बनाया जाता है। मालूम नहीं उस समय श्री शिवकुमार जी एम० एल० ए० थे या नहीं थे। अगर यहां नहीं होंगे तो सुल्तानपुर में कांग्रेस वर्कर जरूर रहे होंगे। न मालूम उस समय उनकी जबान क्यों बन्द रही।

चौथी मिसाल है पंजाब की। इसी तरह से पंजाब के मास्टर तारा सिंह के अकाली दल के दो प्रामिनेंट आदमियों को तोड़ा जाता है। जिसमें से एक उनका चीफ लेफ्टिनेंट था, उसको तोड़ कर उसे रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर लखनऊ की बात लीजिये। सन् 1965 में पी० एस० पी० के कुछ लोग टूटकर कांग्रेस में जाते हैं। कुछ एम० एल० एज० और कुछ एम० पीज०। उनमें से श्री अशोक मेहता को सेंटर में मिनिस्टर और यहां श्री गेंदा सिंह को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये सब बातें आपने की। यह सब केस दल बदलने का है। मैं और मेरे साथी दल बदलू नहीं थे। हम एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में नहीं शामिल हुए थे, हमने तो अपना एक नया ही दल बनाया उन्हीं उसूलों के ऊपर जिनके लिये कांग्रेस कहती है तो बहुत है लेकिन उन पर अमल नहीं करती। फिर दल बदलू मैं या मेरे साथी कैसे हुए।

मैंने वह दल छोड़ा कब, विश्वासघात के बाद। मुझे बचन दिया गया था और दो मिनिस्टरों की मौजूदगी में वचन दिया गया था। उनमें से एक मिनिस्टर अभी मौजूद भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और मेरा एक भी लफ्ज गलत हो तो मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। एक जर्नालिस्ट हूं और एक एम० एल० ए० थे, बड़े ही रेस्पेक्टिबिल हैं, मेरे दोस्त हैं पहली की रात को मेरे पास आदमी भेजते हैं कि चौधरी साहब गलती हो गयी, आप कांग्रेस की लीडरशिप के लिये तैयार हो जायं और फिर कांग्रेस में आ जाइये। मैंने कहा—नहीं, अब वह किस्ती वापस नहीं हो सकती। जो कुछ भी मैंने जवाब दिया हो। मैंने जवाब दिया कि नहीं होगा। उस समय कोशिश हुई तो दलबदलू कैसे।

फिर सोचना यह है कि जनता ने कैसे उसको सराहा। हर पब्लिक मैन के काम का आर्बीट्रेटर जनता है। कांग्रेस गवर्नमेंट के गिरने से जितनी खुशी पब्लिक ने मनाई है वह 1947 के बाद पहली बार मनाई है। (व्यवधान) त्रिपाठी जी के बोलते समय मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे बहुत जूनियर हैं, इसलिये खामोशी से सुनिये। इसके अलावा जनता ने इस सदन को कैसा पसन्द किया। इसका दूसरा सबूत यह हमारी पार्टी, जिसको हमने कायम

[श्री चरण सिंह]

किया जिसके पास वरकर्स तक नहीं थे लेकिन जनता की सहानुभूति उसको प्राप्त थी इसलिये उसने 98 मेम्बर चुन कर भेजे। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस के कारनामे से जनता तंग आ चुकी थी। यही मैं डिफेक्शन की बात बताना चाहता हूं।

एन्टी डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट जिसके चेयरमैन माननीय चाव्हान साहब थे, में है कि एक आदमी छोड़े, दो आदमी छोड़े तो डिफेक्शन होगा लेकिन अगर ग्रुप छोड़ता है तो यह डिफेक्शन की तारीफ में नहीं आता है। जहां तक मेरी बात है लोग कहते हैं वैसे आदमी अच्छा है लेकिन दल बदलू है और जातिवादा का आदमी है। दो खराबियां हैं। मैं जानता हूं कि मैं कैसे दल बदलू हूं। कांग्रेस पार्टी वाले भी इसको बुरा नहीं समझते हैं। जब तक उनका मतलब पूरा होता है और वन वे ट्रैफिक रहा तब तो डिफेक्शन पाप नहीं था। 1967 में लोग कांग्रेस से जाने लगे तो पाप हो गया। इसके कुछ दिन बाद इंदिरा जी बरसरे इक्तदार हुई तो अन्य दलों को छोड़कर लोग कांग्रेस में जाने लगे तो एन्टी डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट जो जनवरी में ही तैयार हो गई थी लेकिन उस पर अमल करना मुनासिब नहीं समझा गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बाद क्या नहीं किया और आज क्या नहीं कर रही है। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक सज्जन दिल्ली से यहां आते हैं और वे हजरतगंज में एक होटल में ठहरते हैं और वह सब पार्टियों के लोगों को बुला कर डिफेक्शन कराने का काम करते हैं और अनेक प्रलोभन देकर लोगों को तोड़ा। डिफेक्शन के बल पर ही यह सरकार तोड़ी गई, क्या बिहार गवर्नमेंट इसके बल पर नहीं तोड़ी गई और क्या गुजरात की गवर्नमेंट और मैसूर की गवर्नमेंट इसी तरह से नहीं तोड़ी गई। यही नहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन है कि दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट को कांग्रेस द्वारा गिराने की कोशिश की जाये। आज उड़ीसा में क्या नहीं हुआ, डी० एम० के० में क्या नहीं करने जा रहे हैं। वहां टैक्स लगाया गया, मैं मैरिट्स पर जाना नहीं चाहता हूं, सब पार्टीज उनके खिलाफ हैं और कांग्रेस (आर) ने विशेष रूप से उनके खिलाफ बीड़ा उठाया है। लेकिन इन्दिरा जी ने नहीं कहा कि यह गलत है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूं कैसे कहें, वे स्वयं उसको चाहती हैं। आपकी गवर्नमेंट किस के बल पर बनी हुई है? क्या आप दल बदलुओं के बल पर यहां नहीं बैठे हुये हैं? यह गवर्नमेंट क्यों बनी है इनके बल पर? फिर आप किसी को कैसे उलहना दे सकते हैं कि वह आदमी दल बदलू है जब कि मैं दल बदलू नहीं था?

हमारे मित्र ने यह कहा खेर साहब को एड्रेस करते हुये या मालूम नहीं उस वक्त आप थे कि नहीं, चेयर पर जूता फेंका गया। कहा गया कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते अपोजीशन पार्टीज के लोग ऐसा करते रहते हैं। यह ठीक है कि जूता फेंका गया लेकिन हमने पार्टी में उस नौजवान मित्र को इस काम के लिये कनडेम किया और उससे इसके लिये माफी भी मंगवायी, यह बात सब को मालूम है। इस सब की तफसील में तो मैं फिर कभी बाद में आऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट गिरी और किस तरह से गिरवायी गयी लेकिन आप ने तो उसी व्यक्ति को स्टेट मिनिस्टर बना दिया।

एक मेरे और दूसरे साथी हैं जो ठीक यहां मेरे सामने बैठे हैं। मैंने किन्हीं कारणों से सन् 67 में 2 अपने मित्रों के नाम सजेस्ट किये थे उनमें वह मित्र भी शामिल थे, जिनको अपने मन में लेकर मैंने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन जमाना बदलता है, उसको मिनिस्टर भी बनाया लेकिन जो भी वाक्यात नोटिस में आये मुझसे गलती हुई हो लेकिन मेरी राय बन चुकी थी कि अगर उनको दोबारा मिनिस्टर बनाते हैं तो उनसे कोई कैबिनेट की शोभा नहीं बढ़ेगी, उनकी

अपनी शोभा भले ही बढ़ जाय। मैं तो उस वक्त उनको शामिल नहीं कर सका। मैं आप से जानना चाहता हूं कि जो 2 बयान अपने लीडर के खिलाफ दे, जिसके खिलाफ पार्टी का डिसिप्लिनरी ऐक्शन होता है, पार्टी से जिसका डिसमिसल होता है, उस को आप मिनिस्टर बनाते हैं। यह कौन सा कांग्रेस आर० का कनवेन्शन है जिन कनवेन्शन पर आप गर्व करते हैं?

मैं थोड़ी देर के लिये सदन से बाहर गया हुआ था तो हमारी बहिन न राजेन्द्र कुमारी जी ने मेरे बारे में कुछ कहा। मुझे कांग्रेस ओ० के मित्र, श्री राजेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि आप को राजेन्द्र कुमारी जी ने तो बहुत बड़ा उत्तर दे दिया। मैंने कहा कि मैं तो चूक गया, नहीं सुन सका, उन्होंने मुझे केवल 2–3 बातें ही बतायीं, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि उनके यहां भी एक मिनिस्टर करप्ट थे। लेकिन मैं बहिन जी से यह पूछूंगा कि आप की शरण में वह आ गये तो अच्छे हो गये, हमारे यहां तो करप्ट थे? वह ऐसे थे तो आप ने उनको क्यों लिया? आप क्या स्टेन्डर्ड पब्लिक लाइफ का कायम करना चाहती हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों को जिनको गलत या सही, मुझ से उम्र में छोटे हैं लेकिन उन के बारे में मेरी राय थी कि उनको दोबारा मिनिस्ट्री में न लिया जाय, वह इस योग्य नहीं हैं कि वह जनता की सेवा अभी करें, अभी वह कुछ दिन और जनता की बाहर सेवा करें लेकिन आप के इस बड़े दल ने जिस को इन्दिरा जी की लासानी लीडरी प्राप्त है, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। आप यही कनवेन्शन कायम कर रहे हैं?

हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने कितनी बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर की कि वह मुझे 19–20 नवम्बर, सन् 69 को पालम एरोड्रोम पर मिले। मैं वहां सर्विस प्लेन से गया हुआ था। मेरी आप से या आप की सरकार से क्या मोहब्बत थी, मैं गुप्ता जी की सरकार का भी समर्थक नहीं था और मैं कोई मारली भी बाउण्ड नहीं था अगर मैंने मशवरा दे दिया कि छोड़ दीजिये तो उसका उलाहना कैसा? आप की सरकार जनता के हितों के खिलाफ चल रही थी लेकिन मैं सूचना विभाग से अखबार मंगा कर कल को दिखा दूंगा, कि राष्ट्रपति गिरि साहब के चुनाव में क्या हुआ। पहले रोज कह रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने संजीवैया रेड्डी जी को खड़ा किया है हम उनके साथ हैं। और ठीक पहले दिन जब दिल्ली से इशारा आता है तो रुख बदल लेते हैं, 12 घंटे के अन्दर, कैसे राय बदल गयी? क्या हुआ, क्या जादू हो गया? कैसे राय बदली? आप यह कहते हैं कि गुप्ता जी से फैसला कर लिया, उनसे कोई फैसला नहीं हुआ।

डाक्टर राम सुभग सिंह और डाक्टर कुम्भाराम आर्य जी यहां आये। उन्होंने कोशिश की, मेरी मुलाकात हुयी। इसके बाद 10 फरवरी को एक बयान दे दिया। मैंने एक चिट्ठी लिखी कि आपने बयान क्यों दिया, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मेरे और उनके बीच में जो चिट्ठी आयी और गयी 4 चिट्ठियों को मैंने 16 फरवरी को रिलीज कर दिया। मेरा और उनका कोई फैसला हुआ या, नहीं, वह इनसे जाहिर हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से माननीया इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का लीडर ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं आपसे सहमत हूं लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं कांग्रेस के किसी आदमी के नीचे सेकिंड तरीके से सर्व करने के लिए तैयार नहीं हूं। सन् 1963 में माननीय त्रिपाठी जी ने पूरी कोशिश की थी लेकिन हार गये। आप जाने, आपकी कुंडली जाने। मैंने कहा कि कोएलिशन गवर्नमेंट बना लें, मैं बाहर रहूंगा तो फिर क्या हालत होती है। 24 दिसम्बर को जो दस्तखत हुए थे, वे 60 आदमियों के और 22 नवम्बर को दिल्ली में जो मीटिंग हुयी थी उसमें 81 थे। मेरा बयान था कि दोनों ही कांग्रेस गिर जायें। उसमें

[श्री चरण सिंह]

यह भी था कि जो उनके काम करने का ढंग है गुप्ता जी का, मेरा और मेरे दोस्तों का मतभेद रहा है लेकिन हमारे लिए दोनों ही गुट बराबर थे। 24 दिसम्बर को मेरा बयान निकला कि कांग्रेस (ओ), जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी से हम कोएलिशन नहीं करेंगे और हमने सारे अंडे आपकी बास्किट में रख दिए। 6 दिसम्बर से आपकी तादाद बढ़नी शुरू हुयी है, तब जाकर यह 132 हुयी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मेरी पार्टी यह चाहती थी कि उनका नुमाइन्दा चीफ मिनिस्टर हो तो कौन सा पाप किया? हर पौलिटिकल पार्टी पावर हासिल करना चाहती है ताकि अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके। आप या और चीफ मिनिस्टर होना चाहते थे बट नौट एट आल कौस्ट्स, हर कीमत पर नहीं। कुछ ही कीमत दी जा सकती है। हर कीमत पर मैं तैयार नहीं था। जब मैंने माननीय जग जीवनराम को चिट्ठी लिखी कि यह आपका कौल है और यह आप की चाल है तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी को गिराना है। आप अपोजिशन में बैठें। फैसला गुप्ता जी से नहीं हुआ, आप से होगा। माननीय त्रिपाठी, जी आपको यकीन नहीं आयेगा कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बाकी आइडियल हैं।

मैं अपने साथी, सब से बड़े हैं साथी जयराम वर्मा हैं, पुराने हैं, इनके मुंह पर कह रहा हूं, मुझे माफ करेंगे। मैं बात खोल देता हूं। मैंने उनसे यह कहा कहो, दोनों में आपको गुप्ता जी खराब लगते थे, दोनों का तजुर्बा हो गया। तो बताइये, त्रिपाठी जी लेड गवर्नमेंट या गुप्ता जी लेड गवर्नमेंट। नहीं है इनके पास जवाब। गवर्नमेंट आप को बनानी पड़ी। लेकिन आप के दिल में एक रोज नहीं था कि ईमानदारी से चलायें। इन्दिरा गांधी जी ने कहा—आइ हैव बीन आउट-बिटेड—उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बनाई जायेगी। मुझे असेम्बली में गालियां मिलती रहीं हैं। जब पहली बार 11 जून को इन्दिरा जी बुलाती हैं दिल्ली और मुझे कहती हैं कि 23 जून को एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है। अगर आपने मर्जर उससे पहले नहीं किया तो गवर्नमेंट गिर जायेगी। मैंने पहले उनसे कहा था कि मर्जर हो जायेगा, कैसे मैं करूंगा, लेकिन मैं बचन नहीं दे सकता। आप समझिये वर्व्वली हो जायेगा लेकिन कमिटमैन्ट कोई नहीं। लेकिन 9 फरवरी की बात ठीक करो। वह कमिटमेंट, कमिटमेंट था। कमिटमेंट वह फिर नहीं रहा। उसके बाद नई सूरत, नई हालत बनती है।

आपका एग्रीमेंट तहरीरी है, मौजूद है। चार सूरतें हैं। उसमें कहीं यह शर्त नहीं है कि बी० के० डी० का कांग्रेस के साथ मर्जर होगा। फिर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट गिरा देंगे। 41 आदमी हैं, एम० एल० एज० वे नाराज हैं, दस्तखत करके भिजवा दिये होंगे और कहा कि वे नाराज होंगे। वे कहते हैं कि बी० के० डी० से प्रेसीडेंट का रूल बैटर होगा। मैंने कहा इन्दिरा जी यह आपके खिलाफ शिकायत है। आप जिस ढंग से कह रही हैं कि गवर्नमेंट गिर जायेगी—आई विल हैव टु थिन्क एफ्रेश—आई विल हैव टु गिव यू रिप्लाई आन माई रिटर्न टु लखनऊ—मैंने कहा कि फिर जवाब दूंगा। मैंने कहा इन्दिरा जी बहुत शिकायत भिजवा चुकी थीं कि चरणसिंह ने दो करोड़ रुपये ले लिये हैं फैक्टरी वालों से। आपने तो रुपये लिये नहीं हैं। मैंने ही सारे रुपये ले लिये हैं। मैंने पूछा इन्दिरा जी की शिकायत आई काहे के लिये? लेने के लिये? चुप। मैंने कहा इलेक्शन के लिये लिया होगा या अपने लिये। मैंने कहा इलेक्शन के लिये लिया तो कौन सा पाप कर लिया। फिर चुप। मैंने कहा—पैसे लेते हैं इलेक्शन के लिये फैक्टरी वालों से। मैंने इन्दिरा जी से कहा था कि इन्दिरा जी जिन लोगों ने शिकायत की है उन लोगों की और मेरी जांच कराइये—आई विल रिटायर फ्राम पब्लिक लाइफ आल टुगेदर। फिर मैंने अध्यक्ष महोदय को खत लिखा चार सफे का, मेरे पास मौजूद है। आप दबकर करना चाहते हैं मर्जर, मैंने वह खत दिखला दिया।

चतुर्भुज शर्मा, जगनप्रसाद रावत, नारायण दत्त तिवारी ने ये बातें कहीं कि उनकी बातें यह हुई। मैंने कहा कि मैं यह खत भेज रहा हूं। कहा गया कि चौधरी साहब यह खत न भेजें...

(व्यवधान)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि गलतफहमी हो गई है। यह मेरे पास खबर आई कि हरगिज यह मंशा नहीं थी। ठीक है। 12 जून को, आप को याद होगा कि वहां खबर उड़ी कि दिनेशसिंह कैबिनेट से निकाले जाने वाले हैं।

(व्यवधान)

मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बातें ध्यान से सुनें, जो लोग वहां बैठे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि शायद वह गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। यह 12 तारीख के बाद हुआ। लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरी। डिवीजन चैलेन्ज हुआ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं गिरी। 23 तारीख की सुबह एक लीडर अपोजीशन पार्टी के मेरे पास आते हैं। मुझसे कहते हैं कि चौधरी साहब, 12 तारीख को हमारे पास खबर आई थी कांग्रेस बेंचेज की ओर से आप डिवीजन डिमाण्ड करें, हम गवर्नमेंट गिरायेंगे। लेकिन डिवीजन डिमाण्ड नहीं हुआ। उसके बाद फिर दूसरे लीडर मुझे मिलते हैं अपोजीशन के, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। मुझ से कहा कि 12 तारीख को हमारे पास खबर आई थी कि हम डिवीजन डिमाण्ड करें और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग अपोजीशन के साथ राय देंगे।

मिनिस्ट्री चल रही थी कोलीश न गवर्नमेंट थी। उसमें जितने भी फैसले होते थे सब यूनानीमस होते थे। जितने भी दोस्त इस वक्त मौजूद हैं सभी कैबेनिट में शामिल थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैंने कभी कोई गलत तरीके से, किसी दबाव में कोई फैसला लेने के लिये कहा हो। सभी फैसले यूनानीमस होते थे। अब 28 जून को मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अधिकतर सदस्य मर्जर के खिलाफ थे। वह मुझ पर छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि फिर स्टडी कर लो अगली मीटिंग में फैसला लेना। 6 जुलाई से सितम्बर के आखिरी महीने तक आप अखबार उठा कर देख लीजिये, रोजाना कुछ न कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ निकलना शुरू हो गया। इट इज अन्डर-स्टुड...एण्ड सच एण्ड सच। लखनऊ में भी यही और दिल्ली में भी यही। आर० के० सिन्हा ने भी बयान दिया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने भी बयान दे दिया कि यू० पी० की सरकार निकम्मी है।

इधर प्रीवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट पास कर दिया है उस पर कहा गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट के उसूल के खिलाफ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुद सन् 52 से 70 तक यह ऐक्ट एक्सटेण्ड करती रही। उधर राजस्थान में बिल पेश था, उड़ीसा में बिल पास हो गया, और अगर यहां आर्डीनेंस जारी हो गया तो कांग्रेस के उसूल के खिलाफ हो गया। आप लोगों ने यह पहले ही तय कर लिया था कि गवर्नमेंट गिरानी है और आपने यह भी निश्चय कर लिया था कि मेम्बरों को तोड़ना है। एक बहुत बड़े आदमी जो दिल्ली में रहते थे, यू० पी० के आदमी हैं और उन्होंने ओम प्रकाश जी को बुलाया और कहा कि आपको मिनिस्टर होना चाहिये और आप डिप्टी मिनिस्टर हैं, 5 मेम्बर तुड़वाओं, मैं तुम्हारी इन्दिरा जी से बात करवा दूंगा और तुमको मिनिस्टर होना चाहिये। उन्होंने कोड नम्बर दिया कि बात कर लेना। दूसरी सितम्बर को 5 आदमी तोड़े जाते हैं। उसके बाद 4 तारीख को या 5 तारीख को राज्य सभा में वोट होने वाला था प्रीवीपर्स के ऊपर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी यह जाहिर करना चाहते ह कि हमने प्रीवीपर्सेज को समाप्त किये जाने का विरोध किया...

(शोर)

एक सदस्य--

इन बातों को कहकर समय बरबाद करने से क्या फायदा।...

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस सिलसिले में मई 69 में एक रेजोलूशन पास कर दिया था। इस पर बहुत बहस हुई और कहा गया कि ये लोग इसके हकदार नहीं हैं। सवाल इसका नहीं उठता, सवाल केवल यह उठता है कि उनके साथ मोरल कन्ट्रेक्ट हमने किया और लीगल कन्ट्रेक्ट किया और फिर कान्स्टीटिचूशनल कन्ट्रेक्ट किया। 800 वर्षों की पुरानी वे रियासतें हैं। उनका एक इतिहास था। वे इण्डिया इंडिपेंडेंट ऐक्ट के मातहत आजाद हो चुकी थीं। वे चाहते तो पाकिस्तान से मिल सकते थे, चाहते तो इंडिपेंडेंट रह सकते थे।

कुल 562 रियासतें थीं। उनको सरदार पटेल ने समझा-बुझाकर अपने साथ मिलाया। उनके लिये मुआवजा मिलाजुला कर तीन पीढ़ियों के लिये दिया गया। केवल 5 करोड़ रुपया पहले होता था। यह बाद में 4 करोड़ हो गया कुछ के मरने आदि के कारण। 78 करोड़ गवर्नमेंट खजाने में दाखिल कर दिया। उसमें 5 करोड़ तो सूद आता है। उनको कान्स्टीट्यूशन में एक दर्जा दिया गया। माननीय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सभी ने यह बात मानी--इनको प्रीवीपर्स दिया जाय। इसको खतम करना जवाहर लाल नेहरू ने मुनासिब नहीं समझा, लाल बहादुर शास्त्री ने मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब कब समझा गया? 1967 में। उस पर महरानी सिन्धिया जो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आयी थीं, इन्दिरा गांधी से मिलीं और इस विषय में अपने मत प्रकट किये। जब उनकी बात नहीं मानी गयी, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपने क्षेत्र से 34 एम० एल० ए० चुना कर लाईं। माननीय डी० पी० मिश्रा को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद प्रस्ताव आता है कि वर्किंग कमेटी में कि प्रीवीपर्स खतम किया जाय। तीन वर्ष तक वर्किंग कमेटी में बहस चलती रही। काफी अर्से तक यह बात तय नहीं हो पायी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराजाओं का सम्बन्ध है, म बताना चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई भी महाराजा चुन कर नहीं आया था।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय मित्रों से दरख्वास्त करें कि अगर उनकी इसी तरह शोर करने की मंशा रही और आक्षेप करने की मंशा रही तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शान्त रहें।

एक सदस्य--

चौधरी साहब दल-बदलू हैं।

श्री शचीन्द्रनाथ बउसी (जिला बाराणसी)--

इन्दिरा गांधी दलबदलू हैं, चौधरी साहब नहीं।

श्री चरण सिंह--

नवाब रामपुर कांग्रेस के टिकट पर एम० एल० ए० चुन कर आये थे।

(व्यवधान)

नवाब रामपुर महाराजा नहीं, जमींदार थे। आपमें इतनी बुद्धि होनी चाहिये कि महाराजा और जमींदार में कितना फर्क है।

(व्यवधान)

मध्य प्रदेश के इलेक्शन में 9 राजा खड़े किये आपने, सात किये जनसंघ ने, चार हुए इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र पार्टी की तरफ से और नवां राजा (व्यवधान)।

सात आपके चुन कर आए। तो महाराजाओं से हम पैसा नहीं लेते,उनसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं।

मान्यवर, अंग्रेजों की दी हुई पेंशन यह गवर्नमेंट आज दे रही है। मुगलों ने जो पेंशन और जागीर दी उसको अंग्रेजों ने माना, अंग्रेजों ने जो पेंशन दी वह कांग्रेस गवर्नमेंट ने मानी और हमारे लीडर्स ने जो पेंशन दी---बहुत खून-खराबा हो सकता था, पाकिस्तान से मिल सकते थे, हैदराबाद सिपुर्द नहीं किया था सरदार पटेल के तो प्राब्लम हुई, कश्मीर सरदार पटेल के सिपुर्द नहीं किया था, नेहरू जी के हाथ में था वह आज तक मामला पड़ा है, जो 560 स्टेट्स सिपुर्द थीं सरदार पटेल के उसको उस महान नेता ने हल किया। वे चाहते तो फेडरेशन बना कर पाकिस्तान से मिल सकते थे। हम सब उन बातों को भूल गये। मैं इसको ब्रीच आफ फेथ मानता हूं। अक्तूबर, 1949 में सरदार पटेल ने कहा था कि महाराजा लोग चाहते हैं कि कांस्टीटयूशन में शामिल कर दिया जाय ताकि आगे आने वाले लोग उसको छेड़ न सकें। और अगर लोग ऐसा करेंगे तो वह ब्रीच आफ फेथ होगा। तो इसलिए मैंने इंकार कर दिया। हो सकता है मेरी राय गलत हो। लेकिन क्या इससे यह नतीजा निकलता है कि बी० के० डी० गरीबों की साथी नहीं है?

मान्यवर, पांच तारीख को राज्यसभा में वोट होने वाला था। दो-तीन वोटों पर जीत-हार डिपेंड करती थी। इसका जिक्र करने के पहले मैं एक बात भूल गया। मैं तो चुन कर आया। कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। चुन कर जो लोग आए अपने पर बल आए। मैं बीमार था 52 हजार की मेजोरिटी आयी। अगर कांग्रेस के बल पर चुने जा सकते तो माननीय त्रिपाठी ज सन् 67 में न हारते। तो कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इन्दिरा जी ने क्या किया, जिसको बख्शी जी कह रहे थे। नामीनेशन करती हैं रेड्डी साहब का और आत्मा की आवाज पर राय देती हैं गिरी साहब को। दुनिया में कोई दूसरी मिसाल इस तरह की है?

अनेक सदस्य---
शेम शेम।

श्री चरण सिंह---
जिस लीडर की मेरे दोस्त दुहाई देते हैं उसका यह अमल है। उनके पास कोई मारल जस्टीफिकेशन है किसी को दल-बदलू कहने का?

श्री बंशीधर पांडेय---
जो लोग रेड्डी साहब के चुनाव में गए और काम किये, वह ऐम्परर आफ डिफेक्शन या ऐम्परेस आफ डिफेक्शन है।

श्री चरण सिंह---
श्रीमन्, यह कहा जाता है कि हमारी कुछ परम्पराएं हैं। बड़े जोर की परम्परायें हैं। आपकी परम्पराएं ऐसी हैं कि उनके अनुसार मिनिस्टर मिनिस्टर रहे, बेटा मिनिस्टर के साथ रहे और आपके महकमें में ठेकेदारी कर सकता है। यह परम्पराएं हैं आपकी....

अनेक सदस्य—
शेम, शेम ।

श्री चरण सिंह—
इन परम्पराओं के खिलाफ मेरा रिवोल्ट था । त्रिपाठी जी और परम्परा की बात कहें ? बहुमत से क्या होता है ? बताएं यह वाक्या है या नहीं, डा० सम्पूर्णानन्द जी की नोटिस में था या नहीं, उन्होंने वायदा किया था कि नहीं तहकीकात का ? यह डाक्यूमेंटरी एवीडेंस है । तो यह परम्परा है ? यह माहौल रखोगे और डिफेक्शन कराओगे दिन-रात । करप्शन की बात बताना चाहता हूं । कहते हैं कि डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । यह तरीका है कहने का । कहा कि चरण सिंह अपने आपको इनफालीबिल समझते हैं । मैंने कब कहा ? लेकिन गलतियां होंगी आपकी या किसी की तो क्या मुझे हक नहीं है उनको प्वाइंट-आउट करने का ? यह कह कर टालना कि हम तो फालीबिल हैं, चरण सिंह अपने आपको इनफालीबिल समझते हैं । उन्होंने कहा कि मैं तो इनफालिबिल नहीं हूं । कोई नहीं है । इस फालिबिल इन फालिबिल की क्या बात है । सवाल आपकी फालिबिलिटी का नहीं है ।

आप कहते हैं कि मिसटेक हो गयी होगी । मिस्टेक नहीं हैं, जनाब बल्कि डेलीबरेट तौर पर चीजें की जा रही हैं । आप कहते हैं कि आप कमजोर हैं । ऐसी बात नहीं है, जानबूझ कर यह सब चीजें की जा रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि मिस्टेक हो गयी । श्री उमाशंकर जी मिश्र आपके यहां पी० एस० पी० से आये । अभी भी वे कांग्रेस के कान्वेन्शन्स से सराबोर नहीं हैं । लेकिन वे कांग्रेस के अन्दर हैं । अभी 4 मई को कौंसिल के अन्दर उन्होंने व्याख्यान दिया है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं । यह तो बी० के० डी० या जनसंघ के आदमी की स्पीच नहीं है । यह अंग्रेजी में हैं, मैं उसका तर्जुमा करता जाऊंगा :—

*Lucknow May* 4—1 Cong. (R) Member of the U. P. Legislative Council, Mr. Uma Shanker Misra, today delivered a scathing attack on the Government and declared that the present regime in the State was simply corrupt.

He was participating in the debate on the budget and remained hard hitting against the Government throughout.

The member said that in a large number of cases party legislators were acting as the agents of corrupt and guilty police officers and criminals and offenders and were exploiting their closeness to the Government leadership for aiding the criminals and corrupt police officers.

उनका कहना यह है कि उनकी पार्टी के जो विधायक गण हैं, वे भ्रष्ट हैं और मुजलिमों, पुलिस आफिसरों और क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं । आप आज उनके ज्यादा नजदीक हैं यानी गवर्नमेंट के लीडर्स यानी त्रिपाठी जी के वे ज्यादा नजदीक हैं ।

"Mr. Misra said that there was no law and order in the State and in case a guilty police officer was transferred, the political leaders who acted as agents of these police officers came in Fiat cars to the source of ministerial power to get the transfers stopped."

According to him the entire administration in Uttar Pradesh had become corrupt and was fed on huge bribery and Congress (R) leaders and Ministers danced to the tune set by those who gave big bribes.

He referred to a recent case in which a legislator had accepted a bribe of Rs.2 lakhs and a court of law had passed strictures against the legislator concerned. The State Government had done nothing in the matter.

वह यह कहते हैं कि उनके मुताबिक सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का करप्ट हो चुका है और रिश्वतें चल रही हैं। कांग्रेस के लीडर्स ईमानदार हैं लेकिन जो रिश्वत देने वाले हैं, वह कहते हैं कि वे उनके इशारों पर नाचते हैं।

वह कहते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक ने 2 लाख रुपये का ब्राइब लिया और अदालत ने उनके खिलाफ लिखा लेकिन गवर्नमेंट ने यहां से कुछ नहीं किया।

Similarly in another case a legislator had managed to get a grant of Rs.6,000 for a Harijan hostel through a corrupt practice but not a single brick had been purchased. At first a case was launched against the legislator but the present Government had moved to withdraw the case.

वह यह भी बताते हैं कि किसी पुलिस आफिसर का तबादिला हो जाता है लखनऊ की अथारिटीज के पास जाता है और उसका तबादिला कैंसेल हो जाता है।

लखनऊ में आते हैं तो तबादिला कैंसिल हो जाता है। यह स्पीच किसी मुखालिफ की नहीं है। यह स्पीच आपके पार्टी के मेम्बर की है। मैं कहता हूं जो चीज त्रिपाठी जी कह रहे हैं वह गलत है।आपने अपने उस पार्टी के मेम्बर के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया ? करप्शन और गलतियों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको फाल्यूबुल समझता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि आपके साथ कुछ ईमानदार लोग भी हैं। एक पुराने साथी उधर बैठे हैं ताज्जुब है कि इस काली कोठरी में वह ईमानदार कैसे आ गया है। केवल तीन या चार ही ऐसे लोग हैं। आपकी कैबिनेट में ज्यादा ईमानदार नहीं है। मैं करप्शन की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। केवल आपकी स्पीच से तसल्ली होनेवाली नहीं है और न मेजारिटी से तसल्ली होने वाली है। पब्लिक मेन्स इन्क्वायरी आनी चाहिये। आप वह भी नहीं करना चाहते हैं।उनको मालूम है कि वह किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं यह तो सभी को जाहिर है। आपकी हिम्मत है तो इसको कीजिये। पांच साल के अन्दर जिनके ऊपर एलेगेशन्स हैं वह सभी इसमें आजाएं, हम भी आयेंगे और आप भी आयेंगे। आप इसको करवाइए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सी चीजों का जवाब देना चाहता हूं, मेरी तबियत कल भी खराब थी और आज भी खराब हैं। राजेन्द्र कुमारी जी ने कास्टिज्म का जिक्र किया। कहा गया कि पन्त जी के समय में ब्राह्मणवाद, सम्पूर्णानन्द जी के समय में कायस्थवाद, गुप्ता जी के समय में गुप्तावाद और चरण सिंह के समय में जाटवाद और पंडित कमलापति त्रिपाठी के समय में ब्राह्मणवाद अगर होता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

(हंसी)।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं कि करप्शन के लिये दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरा पोलिटिक्स में। जब मेरे समय में 14 मिनिस्टर थे तो उस समय केवल दो जाट थे और टी० एन० सिंह के समय में 11 मंत्री थे। उसमें केवल एक ही जाट मंत्री था। फिर भी यह कहा जाता है कि जाटवाद या फलाने वाद। यह कहां तक सत्य है ? आपके यहां जब 30 मंत्री थे उसमें से 14 ब्राह्मण थे।

[श्री चरण सिंह]

आर्गेनाइजेशन में भी जो कहा जाता है हमारे यहां यह वाद चल रहा है तो इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरे यहां नहीं, आपके यहां चल रहा है। मेरा आर्गेनाइजेशन में 60 हैं जिसमें 3 जाट हैं, 16 ब्राह्मण हैं। यह जो हमारे बारे में कहा गया यह सरासर गलत है। आपके यहां ही ऐसा हो रहा है और ब्राह्मणों की तादाद बड़ी अकसरियत में है। आपके यहां नामिनेशन हों तो आधे ब्राह्मण! आधे में रब और आधे में सब। कौनसा हिसाब है, मैं जानना चाहता हूं? और आप लोग भी अपने कांशेंस को कैसे समझा रहे हैं? 1967 में जो टिकट दिये गये तो 131 ब्राह्मण दोस्तों को मिले। मुझे मिसाल नहीं मिल रही है! इधर 31-32 फीसदी और दूसरे लोगों के लिये कोई स्थान नहीं है। 1969 में 116 दिये गये ब्राह्मणों को। मैं नहीं कहता कि वह डिजर्व नहीं करते थे। मैं नहीं कहता हूं राजेन्द्र कुमारी जी और त्रिपाठी जी कि आपने ब्राह्मण होने के नाते दिया। मेरा चार्ज नहीं है। लेकिन अगर 14 में दो जाट हो जाएं और 60 में 3 हो जाएं प्रेसीडेन्ट तो मैं आपसे पूछता हूं कि जाट कहां है?

रही मुजफ्फरनगर और मेरठ की बात तो 12 परसेन्ट जाट और दो टिकट, मुसलमान 7 परसेन्ट—2 दो टिकट। ठाकुर कुछ परसेन्ट—दो टिकट। और मुजफ्फरनगर में एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। हमने इलेक्शन से पहले दिया—यह है जाटों की बिरादरी। ब्राह्मण साढ़े चार परसेन्ट—दो टिकट, गूजर साढ़े तीन परसेन्ट—दो टिकट, त्यागी पौने दो परसेन्ट—1 टिकट। आपके रिसोर्सेस बड़े हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी बुद्धि है, बड़ी इन्टेलीजेंशिया है। मेरे सपोर्टर किसान हैं—वे पढ़े एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उनमें चाहे जो आप प्रोपेगेन्डा कीजिये और बहिन जी कहती हैं कि चरण सिंह की आदत खराब हो गयी है, वह बिरादरी की दृष्टि से देखता है।

बहिन जी आज का "नेशनल हेराल्ड" है। उसमें लिखा हुआ है कि 9 आदमी मर गये जल कर, बेचारे हरिजन मुरादाबाद में। बहिन कहती है कि हमारे जाटों ने उनका मर्डर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है कि डेढ़ महीने की बात है, आग लग गयी थी। कोई रंजिश नहीं है, उस गांव में एक भी जाट नहीं है, चौहानों का गांव है। इनको किसी से शिकायत नहीं है। तो बहिन जी मैं जानना चाहता हूं कि आप पर यह जाट का भूत कैसे सवार है? आपको जाट की जाट दिखाई देता है। जिस रोज मैं पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाऊंगा, उस रोज जरूर जाटों का भला होगा। यह हिन्दुओं की बदकिस्मती है कि वह किसी का गुण-दोष नहीं देखता है। उसके सामने एक दम बिरादरी आती है। आपने बिना तहकीकात के कैसे कह दिया? अब जो सवाल है उसका जवाब दीजिये।

मैंने कहा कि तीन बड़े बड़े इंसीडेंट्स राज बिहारी सिंह जी, राम लखन जी और माननीय त्रिपाठी जी के हलके में हुए, हरिजनों के साथ अन्याय हो चुका है। आपने लिखा है, ठाकुरों ने अन्याय किया है...नहीं बहिन जी उसे भूल गयीं होंगी...

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—
मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...

श्री चरण सिंह—
आप अपनी वफादारी साबित कर चुके, बैठिए।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—
मैं पूछना चाहता हूं कि अपने सदन का समय कितना बढ़ाया है और दूसरे, चौधरी साहब बोल रहे हैं वह विषय से अलग जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक बजे से बैठा हूं और साढ़े सात बजे हैं। जब तक मैं बैठा हूं, आपको बैठना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है। यह मुख्य तथा प्रतिपक्ष का अवसर होता है।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय दोस्तों को इस सच्ची बात के सुनने से घबराहट क्यों है। अरे, सच्ची बात जितनी पल्ले पड़ जाय अच्छा है। मुमकिन है अक्ल ठीक हो जाय। जहां तक हरिजनों पर अन्याय की बात है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि मेरठ और वाराणसी, ये दो ही जिले लिये जाएं और इनमें कांग्रेस के हरिजन एम० एल० ए० का डेपुटेशन जाय और देखे कि हरिजनों के साथ अधिक समता का बर्ताव मेरठ में करते हैं या वाराणसी में करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनको नहीं मालूम है कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह कहा कि पानी पी-पी कर बोलें चाहे जब तक।

श्री चरण सिंह—

जब तक मैं पानी नहीं पियूं तब तक बोल सकता हूं। मैं यह कह रहा था कि जो लोग ऊंच-नीच में विश्वास करते हैं और एक आदमी की दूसरे के साथ बराबरी में यकीन नहीं करते वह डेमोक्रेट नहीं हो सकते। वह दबे हुए लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिये हरिजनों साथ अन्याय हो रहा है तो वह होता रहेगा क्योंकि उसके पीछे यह जहनियत है कि हम ऊंचे हैं और आप छोटे। बदकिस्मती यह है कि हम लोगों ने देश को अपने सामने गुलाम देखा। हममें से अधिकतर लोग कांग्रेस के लोग थे। हम हर साल कसम खाते हैं कि हम केवल वर्गविहीन समाज ही नहीं बनायेंगे बल्कि जातिविहीन समाज की रचना करेंगे। लेकिन हम उन सब बातों को भूल गये हैं।

हम भूल गये यह बात कि अगर देश सैंकड़ों वर्ष गुलाम रहा तो केवल जातिपांति के कारण और अगर पाकिस्तान बना है तो, यह ठीक है कि मुस्लिम लीग का प्रोपेगन्डा, जहर फैलाना था लेकिन मैं सेन्ट परसेन्ट उनकी जिम्मेदारी नहीं मानता हूं, 50 फीसदी जिम्मेदारी हमारे कास्ट सिस्टम की है जिसकी वजह से देश तकसीम हुआ बल्कि 50 फीसदी से भी ज्यादा।

1891 का सेन्सस उठा कर देखें आप पंजाब का, केवल 40 फीसदी हमारे मुसलमान भाई थे। 1931 में वह 52 फीसदी हो गये। और 1951 की सेन्सस रिपोर्ट में कमिश्नर क्या लिखता है पंजाब का कि फलां फलां बिरादरी अपनो को नीचा समझती थी इसीलिये इस बिरादरी के लोग 40 साल के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हो गये, सिख हो गये, हिन्दुओं की तादाद 43 फीसदी से घट कर 30 फीसदी रह गयी, सिखों की तादाद 8 फीसदी से बढ़ कर 13 फीसदी हो गयी और मुसलमानों की तादाद 40 फीसदी से बढ़ कर 52 फी सदी हो गयी। अब जब उनकी मेजारिटी हो गयी पंजाब में तो पाकिस्तान की डिमान्ड हुई। तो एक बहुत बड़ी हद तक हमारी बिरादरी जिम्मेदार है देश के बटवारे के लिये, इतिहास देखिए। अभी आंखें नहीं खुली हैं। अब भी अगर कहीं कोई बात हो तो फलाना स्ट्रांग हो जायगा, जाट होने की वजह से कोशिश कर रहा है।

दूसरी बात क्या है। मुसलमान यह देखता था कि हिन्दू अपने दूसरे हिन्दू भाई के साथ बराबरी का बर्ताव करने के लिये तैयार नहीं है, वह उसको अपना भाई समान नहीं मानता है, इसलिये उसके मन में यह भावना पैदा हुई कि जब अंग्रेज चला जायेगा तो हम लोग जो, कृष्ण और राम को अवतार नहीं मानते, गाय को अपनी माता नहीं मानते, जहां हमारी मेजारिटी

[श्री चरण सिंह]

है, वहां तकसीम करा लेंगे। अफसोस तो यह है कि इस मुल्क ने बदकिस्मती से उससे कोई सबक नहीं सीखा। अब भी छोटी जाति बड़ी जाति का सवाल मौजूद है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही आज इस ढंग से चल रहा है कि अधिकतर एक कास्ट के लोगों को भर दिया है। मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूं, आप आई० पी० एस०, आई० ए० एस०, तथा जो ऊंची-ऊंची सर्विसेज हैं, उनमें देख लीजिए कितने परसेन्ट किस-किस बिरादरी के हैं। आज सारे लोगों को यह पता चल गया है कि कास्ट काउन्ट करती है, मैरिट्स काउन्ट नहीं करता। मैं 10 मिनट और लूंगा।

अब एक बात और कही गयी छोटी फैक्टरीज और बड़ी फैक्टरीज के बारे में। बड़ी फैक्टरी भी चाहिये। मशीन बनाने की मशीन चाहिये। ढाई अरब रुपये से एक मशीन बनाने की मशीन रांची में लगी है और उसमें आपको मालूम होना चाहिये कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। कन्ट्री के डेवलपमेन्ट के लिये इस समय यह जरूरी नहीं था कि हम मशीन बनाने की मशीन लगावें। 1969 तक जो भी बड़ी बड़ी फैक्टरी लगी हैं उसमें 162 करोड़ का नुकसान आया है। मैं यह नहीं कहता कि बड़ी बड़ी फैक्टरीज न लगायी जाएं, इनको बिलकुल बन्द कर दिया जाय। लेकिन मशीन बनाने की मशीन लगायी जाय, यह मेरी समझ में कम आया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप शान्ति से सुनेंगे तो जल्दी हो जायगा।

श्री चरण सिंह---

अब प्रश्न यह है कि किस वजह से बड़ी बड़ी फैक्टरीज वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उसका कारण यह है कि इनको अगर बन्द कर देंगे तो इलेक्शन के लिये पैसा कौन देगा? जो अर्बन सीलिंग बिल लाया जा रहा है उसका असर इन फैक्टरी वालों पर, सिनेमा वालों पर, होटल वालों पर नहीं है। क्यों? आखिर रुपया कौन देगा? इन फैक्टरी वालों पर ही टैक्स का 9 अरब रुपया बकाया है। क्यों वसूल नहीं हो रहा है? इसलिये कि इनसे ही इलेक्शन के लिये रुपया आता है। बहिन राजेन्द्र कुमारी जी ने कहा कि लोग रुपया अपने खाते में जमा करा लेते हैं। मैंने लोगों से रुपया लिया, लोगों ने खुलकर उसे दिया, मेरे नाम से वह खाते में जमा है, मगर उसका हिसाब तो है। ऐसा नहीं है कि उसका हिसाब न हो। मगर आपके यहां क्या कहीं कोई हिसाब है? एक-एक कैन्डीडेट पर 3-3 लाख रुपया खर्च हुआ है, कहीं उसका हिसाब है? कितना रुपया आपने इकट्ठा किया कहीं उसका हिसाब है? मैंने तो बैंक में जमा कर दिया, उसका हिसाब तो है। आपने क्या किया? आपका 60 लाख रुपया नागरवाला कहा से आया, आज तक उसका कोई हिसाब है? उपाध्यक्ष, महोदय, बहिन जी से मैं कहना चाहता हूं कि शीशे के मकान में रहकर वह पत्थर के मकान में रहने वालों पर पत्थर फेंकना चाहती हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं भी आपसे कहती हूं कि आप शीशे के मकान में रहकर दूसरों के शीशे के मकान में पत्थर फेंकने की हिम्मत न कीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय---

अभियुक्त भी मर गया, जिम्मेदार आदमी भी गायब हो गया और केस भी गायब हो गया, यह सब इनका अन्धेर है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

लेकिन इस धन को इन्दिरा गांधी ने अपने पर्सनल एकाउन्ट में नहीं रखा।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब से जानकारी करना चाहता हूं आपके माध्यम से जो बहुत आवश्यक भी है कि क्या वह सही है कि चौधरी साहब की पार्टी के एक नेता और उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष, श्री पृथ्वीनाथ सेठ और उनकी धर्म पत्नी ने नेपाल में एक कारखाना खोलने के लिये भारत सरकार को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि यह सही है, तो यह रुपया कहां से आया जो नेपाल में कारखाना खुलने वाला है ?

चरण सिंह—

पृथ्वी नाथ सेठ मेरे मित्र हैं, धनी आदमी है, बहुत धनी तो नहीं हैं। उनसे मेरे कुछ विचार मिलते हैं। लेकिन उन्होंने गवर्नमेन्ट से कोई लाइसेन्स या परमिट नहीं लिया है और न वह ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उनके कुछ कोल्ड स्टोरेज हैं, थोड़ा कुछ और काम है तथा खेती कराते हैं। यह बात आज पहले पहल मेरी नोटिस में आई है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि जो जौनपुर के डी० एम० ओ० एच० हैं, उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए उन्होंने 25 हजार रुपया लिया है ?

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

इसी पर तो मैं बोलना चाहता था ताकि मैं इसकी सफाई कर दूं। रिश्वत लेने वाले सब उधर बैठे हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पूरी सफाई कर दूं।

श्री बन्शीधर पाण्डेय—

यह सारा देश और संसार जानता है कि सबसे बड़ा लाइसेन्स किसको मिला है जो सबसे बड़ा आदमी है।

श्री चरण सिंह—

मेरे उपाध्याय जी ने ऐसी बेबुनियाद बात कही, सरासर ऐसी बात कही है जो न उठाई जाय न धरी जाय। आपकी नालेज में और बात हों तो मुझे इत्तिला दीजिये। मुझे खुशी होगी, मैं उस फैक्टरी का बैनामा आपके नाम करा दूंगा। जिन लोगों के नाम बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के लाइसेन्स हैं, जिनके पास लाखों-करोड़ों की जायदाद है, जहां लाखों की रिश्वत चलती है, उनके लिये तो आपकी जबान नहीं खुलती है और झूठे इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, फीरोजाबाद में 48 मुसलमान कत्ल हुए। उनकी फेहरिस्त मेरे पास है। मैंने फिर भी कहा था आपने मुझसे फेहरिस्त नहीं मांगी आज तक आपकी पुलिस की रिपोर्ट है कि 23 आदमी मरे हैं, जब कि उनकी रिपोर्ट है कि 55 आदमी मरे हैं, 4 आदमियों का पता नहीं है, 40 की फेहरिस्त मौजूद है। आपने पुलिस से पूछा है कि 25 आदमी कहां गये ? वह फेहरिस्त मुझसे अब तक ली नहीं। दूसरी बात यह है कि 48 आदमी मरे वह कहते हैं लेकिन जुडीशल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी बात है। एक बड़े वर्ग के विश्वास का सवाल है, गवर्नमेन्ट की न्यायप्रियता का सवाल है। कोई छिपाने की बात है इसलिये नहीं इन्क्वायरी की। क्या इससे कम काण्डों पर जुडीशल इन्क्वायरी नहीं हुई ? 29 आदमी मर गये बनारस यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया था फौरन जुडीशल इन्क्वायरी करायी गयी। यहां 55 आदमी मरे हैं आप इन्क्वायरी करवाने को तैयार नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

एक माननीय मित्र ने कहा कि मेरा मुसलमानों की पैरवी करने का जो नया प्रेम है, उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जितने राजनीतिक काम करते हैं उनमें राजनीतिक दृष्टि से लाभ होने का स्वार्थ निहित होता है, चाहें या न चाहें। लेकिन मेरे सामने यह बात नहीं है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट ऐक्ट का शुरू में विरोध नहीं कर रहा था। मैंने बयान भी दिया था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसकी अटानमी खत्म की जा रही है।

आपने डेलही यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में आर्डिनेंस पास किया है। उस पर टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से बनारस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कानून ला रहे हैं। जितना अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के खिलाफ एहतजाज है उतना उस ऐक्ट के खिलाफ है। कोई पालिटिकल स्वार्थ की बात नहीं है। इसलिये मोटिव एट्रीब्युट करना ठीक नहीं है। आपने मुसलिम लीग को नेशनलिस्ट पार्टी कहा तब क्या मोटिव था और अब क्या मोटिव है? उनके साथ गवर्नमेन्ट चला रहे हो केरल में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के झण्डे एक साथ रखकर एलेक्शन लड़ा है। जवाब कुछ नहीं दे पाते हैं। यह कोई वसूल की बात है, कोई समाजवाद की बात है, कोई ईमानदारी की बात है? राज सत्ता और रुपयों की थैलियों का लालच है जो लोग छोड़ कर गये ह।

मैं एक अपील करना चाहता हूं कांग्रेस के माननीय साथियों से कि इतिहास आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जायगा अगर आप इस गवर्नमेन्ट को एक दिन और चलने देते हैं। इस अपील के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। (इस समय श्री उदित नारायण शर्मा खड़े हुए। उनके खड़े होते ही विरोधी दल की ओर से जोर जोर से मेजे थपथपायी गयीं और सदन में घोर शोर हुआ। श्री शर्मा ने उस घोर शोर के बीच में बोलना प्रारम्भ किया।)

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

(शोर) उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं (शोर) मैं चाहता हूं कि उनकी हिम्मत हो, वह उस बात को सुनें। चौधरी साहब ने जो कहा है जवाब में (शोर) सबको मालूम पड़ जाय कि चौधरी साहब क्या चीज है, वाकया क्या है। हमारा और उनका साथ रहा है। (शोर) उनकी हिम्मत नहीं है। (शोरगुल तथा व्यवधान के मध्य) जो बातें मैं चौधरी साहब के विरुद्ध कहना चाहता हूं उनको सुनने का उनमें साहस नहीं है। ये एस० एस० पी० के सदस्य ह, ये गवाह हैं इनसे पूछिए (शोरगुल तथा व्यवधान के मध्य)। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको ये लोग सुनना नहीं चाहते। अगर मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें तो दो मिनट में चौधरी साहब का परदा फाश हो जायगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें। मैं प्रस्ताव पर वोट लेने जा रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घण्टी बजाई गई।)

(घण्टी बन्द होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक बार फिर प्रस्ताव को रखता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

श्री जयराम वर्मा—

हम डिवीजन की मांग करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव के पक्ष का समर्थन करने वाले माननीय सदस्य "हां" की लाबी में और विपक्ष वाले "ना" की लाबी में चले जायं।

( प्रस्ताव लिखित विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ):

पक्ष में—११५

अनन्तराम जायसवाल, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
इन्द्रमणि, श्री
उदय नाथ श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोन्डा)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नत्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद अख्तर अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, जी (जिला आगरा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)

राम किंकर, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामजियावन, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम सागर, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विश्रामदास, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तू राम, श्री
सियाराम, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
हबीब अहमद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ठ, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

## विपक्ष में—२५६*

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमददुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदितनारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमाशंकर, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
काजी जलील अब्बासी, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

* 14 अगस्त, 1972 को श्री उपाध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संशोधित ।

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चित्तर सिंह, राजा
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेणी राय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महराम, सिंह श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती

मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम देव, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह,श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शमीम आलम, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री

शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोभनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बज कर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
3 अगस्त, 1972।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 897 पर)

—उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं शक्तिचालित करघा उद्योग आयोग की अंतरिम संस्तुतियां

(1) हैन्डलूम व पावर लूम वित्तीय एवं विकास निगम की स्थापना:—चूंकि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्तमान रूप रेखा के अन्तर्गत उसके द्वारा हैन्डलूम और पावरलूम क्षेत्र को अपेक्षित आर्थिक सहायता दिया जाना संभव नहीं प्रतीत होता, आयोग के विचार में इस उद्योग की विशेष ऋण (क्रेडिट) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक "हैन्डलूम व पावरलूम वित्तीय एवं विकास निगम" की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिये जिसके द्वारा बुनकरों को कार्यशील पूंजी ऋण उचित ब्याज पर उपलब्ध कराया जा सके।

प्रस्तावित निगम एक करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी से गठित किया जाय, जिसमें दस-दस रुपये के दस लाख इक्विटी शेयर्स हों तथा इसमें से सरकार 25 लाख रुपय के शेयर स्वयं खरीदे और शेष शेयर बुनकर जनता द्वारा खरीदे जायं। बुनकर जनता द्वारा शेयर की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिये शासन गारन्टी दे दे कि निगम के कमी भंग होने की दशा में उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। शासन हिस्सेदारों को 5 वर्ष तक कम से कम 3 प्रतिशत लाभ अवश्य देने की घोषणा करे। संचालक मंडल के सदस्य संचालकों द्वारा निर्धारित धनराशि के मूल्य के हिस्से खरीदना अनिवार्य होना चाहिये। प्रस्तावित निगम केवल अपने हिस्सेदारों को उनके हिस्से के मूल्य के दस गुना तक ऋण देगा। निगम ऋणी से एक निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस भी लेगा। ऋण जमानत पर, बिना जमानत के और व्यक्तिगत गारन्टी पर दिया जा सकेगा। ऋण के उपयोग की अवधि 90 दिन रक्खी जाय। ऋण के अनुपयोग तथा किस्त की अनादायगी की दशा में कुल अवशेष धनराशि की वसूली "पब्लिक मनी रिकवरी ऐक्ट" के अनुसार की जाय।

निगम को अपने कार्य संचालन के लिये पुनः वित्त पोषण (रिफाईनेंसिंग) की सुविधा की आवश्यकता होगी। केरल के ऐसे निगम को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा यह सुविधा उपलब्ध है। प्रस्तावित निगम को यह सुविधा शासन द्वारा गारन्टी देने पर अनुसूचित बैंकों से मिल सकती है।

प्रदेश के वृहत आकार तथा इस उद्योग की बहुमुखी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निगम के सुचार रूप से कार्य संचालन हेतु आरम्भ में तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोलना जरूरी होगा। इन कार्यालयों से होने वाले अनुभवों के प्रकाश में अन्य स्थानों पर ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इन कार्यालयों में उचित वेतनमान के अच्छे कर्मचारी रक्खे जाने चाहिये। तामिलनाडू के हैन्डलूम फाइनेंस कारपोरेशन के केंद्रीय तथा तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल मिला कर 72 कर्मचारी हैं।

(2) हैन्डलूम तथा पावर लूम के उत्पादन का विपणन—उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य को अपने हाथ में लेकर इस उत्तरदायित्व का सफलता से निर्वाह कर सकती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये इस निगम में एक नये अनुभाग को संगठित करना होगा तथा इसे समुचित पूंजी भी उपलब्ध करानी होगी। इस दिशा में शासन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से अनुरोध कर सकती है कि वह उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को अपना योगदान प्रदान करें। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष ने आयोग को बताया है कि अब कारपोरेशन देश के विभिन्न राज्यों की संस्थाओं के साथ देशी बाजार में व्यापार करने हेतु मदद देने को तैयार हैं। आयोग के विचार में एस० टी० सी० इस दिशा

में अपना योगदान देने के लिये तैयार हो जायगी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की इक्विटी शेयर पूंजी में भी एस० टी० सी० का योगदान हो सकता है और इसके अतिरिक्त वे ऋण का प्राविधान भी कर सकते हैं। आगे चल कर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम एस० टी० सी० की एक सम्बद्ध संस्था, "हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट निर्यात निगम" से भी संबंध स्थापित करके माल का निर्यात कराने में अधिक सफल हो सकता है। उत्तर प्रदेश लघु निगम आल इंडिया हैन्डलूम फेबरिक मार्केटिंग सोसाइटी से भी जो सहकारी क्षेत्रों के बाहर बने हुये माल को भी ले लेते हैं, संबंध स्थापित करके बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन में सहायता कर सकता है।

(3) स्टेपुल धागा तथा सूत का वितरण—चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के पास स्टेपुल धागा बाटने के लिये पर्याप्त कर्मचारी अथवा कुशल ज्ञान नहीं है, सूत के वितरण का कार्य भी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को दे दिया जाय।

(4) एकत्रित उत्पादन माल की मात्रा का सर्वेक्षण—कहा जाता है कि प्रदेश में इस समय 30 करोड़ रुपये का बुनकरों का उत्पादित माल एकत्रित है। इस बात का सर्वेक्षण होना जरूरी है कि एकत्रित माल की मात्रा कितनी है और क्या यह सामान्य उत्पादन व विपणन का प्रतिरूप ही तो नहीं है। शासन शीघ्र ही एक जांच 8–10 प्रमुख बुनकर केन्द्रों में कराये जहां पर इस माल के एकत्रित होने की संम्भावना है। इस जांच में बुनकर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। इस जांच के परिणाम के प्रकाश में इस समस्या के समाधान के लिये उपायों पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ख'

## परिशिष्ट 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 908 पर)

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् विधान भवन, लखनऊ १—के कार्य—

1—देश की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्वों को भली-भांति निभाना।

2—सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए कार्य।

3—राष्ट्रीय आपत्तिकालीन परिस्थितियों के सामना करने के लिये कार्य, जैसे दैवी प्रकोप, युद्ध, सुखा, बलवा, बाढ़, भूकम्प तथा इसी प्रकार की घटनाओं जैसे पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों की समस्या।

4—राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बढ़ावा देना और इस दिशा में शासन का हाथ बंटाना।

5—देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को उन सभी मामलों में निभाने के लिये तैयार रहना जो देश के लिये हित में हों विशेष रूप से देश की राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा बल तथा विकास बनाये रखने के लिए।

6—केन्द्रीय नागरिक परिषद् या राष्ट्रीय (बंगला देश) सहायता समिति, नई दिल्ली के पथ-प्रदर्शन में बंगला देश के विस्थापितों, शरणार्थियों की सहायतार्थ स्वेच्छापूर्वक चालू किये गये सहायता सम्बन्धी कार्यों को संगठित तथा समन्वित करना।

7—उसके सिलसिले में फंड को आपरेट करना। जिलों से नागरिक परिषद् की नगरसमितियों से धन तथा सामग्री प्राप्त करना और उनको निश्चित प्रक्रिया द्वारा आवंटित करना।

8—राज्य के जिलों और नगरों में नागरिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये पथ-प्रदर्शनार्थ निर्देश बनाना तथा उनको समन्वित करना।

9—विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच सौजन्यता और सौहार्दता उत्पन्न करना तथा उसे बनाये रखना तथा राज्य के नागरिकों के बीच पूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की भावना लाने तथा बनाये रखने के उद्देश्य से सामुदायिक तथा सामाजिक सौहार्दता को सुनिश्चित करने हेतु समस्त अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना।

रामनारायण त्रिपाठी,
महामंत्री।

# नत्थियां

## परिशिष्ट 'ब'

### नागरिक परिषद् द्वारा किए गए कार्य एवं उन पर खर्च की गई धनराशि का विवरण

| कार्य | व्यय विवरण |
|---|---|
| | रु० |
| 1—बंगला देश के विस्थापितों की सहायता .. .. | 33,510.59 |
| 2—प्रधान मन्त्री के रिलीफ फण्ड में बंगला देश के विस्थापितों एवं सैनिकों के कल्याणार्थ सहायता .. .. | 19,01,001.00 |
| 3—मृत सैनिकों की विधवाओं के लिये भवन निर्माण हेतु सहायता | 4,00,000.00 |
| 4—जवानों की सहायतार्थ रेड क्रास को दान .. .. | 1,000.00 |
| 5—विविध अनुदान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों तथा जिला नागरिक परिषद् को | 10,500.00 |
| 6—रामपुर जिले के साइक्लोन पीड़ितों की सहायता .. | 55.00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 908 पर)

### तालिका

उत्तर प्रदेश में हस्तकला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में खोले जाने वाले विकास केन्द्र निम्न हैं:—

1—गढ़वाल जिले में वेजीटेबुल फाइबर का नया केन्द्र।

2—भदोही में कालीन तथा रेशम उद्योग की स्थापना हेतु ऊन व रेशम रंगाई तथा सुखाने के केन्द्र।

3—भदोही में ऊनी गलीचों तथा रेशमी कपड़ों हेतु डिजाइन केन्द्र।

4—पौड़ी गढ़वाल में शाल बुनाई केन्द्र।

1972–73 में टसर उद्योग हेतु नए केन्द्र:—

| | |
|---|---|
| 5—नैनीताल जनपद में | श्याम खेत। |
| 6—पौड़ी जनपद में | खिरसों। |
| 7—टेहरी में | चम्मा। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21–22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 909 पर)

### विवरण 'क'

| क्रम संख्या | नाम प्रतिष्ठान | आर० डब्लू० सी० 10 से कम नहीं | | | आर० डब्लू० सी० 5 से कम नहीं | | | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4/5 लीटर की पैंकिंग प्रति लीटर | 22/25 लीटर की पैंकिंग में प्रति लीटर | 200/225 लीटर की पैंकिंग में प्रति लीटर | 4/5 लीटर की पैंकिंग में प्रति लीटर | 22/25 लीटर की पैंकिंग में प्रति लीटर | 200/225 लीटर की पैंकिंग में प्रति लीटर | |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | |
| 1 | सर्वश्री डिसइन्फैक्ट्रो केमिकल .. | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | .. | नार्मल |
| | इन्डस्ट्रीज, लखनऊ .. | 2.10 | 2.10 | 2.00 | .. | .. | .. | विन्टर |
| 2 | सर्वश्री गोपाल इंजीनियरिंग .. | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.72 | 1.70 | 1.55 | नार्मल |
| | एण्ड केमिकल, कानपुर .. | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 1.72 | 1.70 | 1.55 | विन्टर |
| 3 | सर्वश्री कोहिनूर केमिकल, इलाहाबाद | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | नार्मल |
| 4 | सर्वश्री पारिजात केमिकल, वाराणसी | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | |
| 5 | सर्वश्री मित्तल केमिकल, आगरा .. | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | नार्मल और वि० |
| 6 | सर्वश्री राज कैमिकल, वाराणसी .. | 2.00 | 1.95 | 1.80 | 1.50 | 1.48 | 1.35 | नार्मल और वि० |
| 7 | सर्वश्री स्टार केमिकल, कानपुर] .. | 2.00 | 1.95 | 1.85 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | नार्मल और वि० |
| 8 | सर्वश्री कपूर इण्डस्ट्री, हल्द्वानी .. | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.48 | 1.35 | |

अनुपूरक प्रश्न

## विवरण 'ख'

1—सर्वश्री डिसइन्फैक्टो केमिकल्स, लखनऊ।

2—सर्वश्री कोहिनूर केमिकल्स, इलाहाबाद।

3—सर्वश्री बंगाल फिनाइल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, मेरठ

4—सर्वश्री मित्तल केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, आगरा।

5—सर्वश्री नेशनल टार प्राडक्ट्श, कलकत्ता।

6—सर्वश्री राज केमिकल्स वर्क्स, वाराणसी।

7—सर्वश्री कृष्णा केमिकल, लखनऊ।

8—सर्वश्री स्टार केमिकल, कानपुर।

9—सर्वश्री पारिजात केमिकल, वाराणसी।

10—सर्वश्री गोपाल केमिकल्स एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर।

11—सर्वश्री भरत केमिकल वर्क्स, वाराणसी।

12—सर्वश्री के० वी० इण्डस्ट्रीज, कानपुर।

13—सर्वश्री पी० कूल एण्ड क०, लखनऊ।

14—सर्वश्री कपूर इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी, नैनीताल।

15—सर्वश्री बंगाल केमिकल एण्ड फार्मायूटिकल वर्क्स, कलकत्ता।

16—दी टरपैन्टाइन सब्सीडियरी, इण्डस्ट्रीज, बरेली।

---

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## विवरण 'ग'

वर्ष 1972–73 के लिये निम्नलिखित फर्मों के साथ उनके सामने उल्लिखित दर पर 30–6–73 तक के लिये फिनाइल का रेट कान्ट्रेक्ट किया गया है:—

| क्रम-संख्या | फर्म का नाम | 5 आर० डब्लू० सी० पैकिंग 4/5 लीटर | 22/25 लीटर | 200/225 लीटर | 10 आर० डब्ल्यू० सी० पैकिंग 4/5 लीटर | 22/25 लीटर | 200/225 लीटर | अभियुक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | टाइप |
| 1 | मेसर्स बंगाल फिनाइल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, मेरठ .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | नार्मल |
| 2 | मेसर्स भारत केमिकल इन्डस्ट्रीज, वाराणसी .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | .. | .. | .. | तदेव |
| 3 | मेसर्स डिस्इनफेक्टों केमिकल इन्डस्ट्रीज, लखनऊ (क) .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | तदेव |
| | (ख) .. | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | विन्टर |
| 4 | श्री गोपाल इंजीनियरिंग एन्ड केमिकल वर्क्स, कानपुर (क) .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | नार्मल |
| | (ख) .. | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | विन्टर |
| 5 | कोहनूर केमिकल इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | नार्मल |
| 6 | कपूर इन्डस्ट्रीज, हल्द्वानी, नैनीताल (क) .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | तदेव |
| | (ख) .. | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | विन्टर |
| 7 | मित्तल केमिकल इन्डस्ट्रीज, आगरा (क) .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | नार्मल |
| | (ख) .. | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | विन्टर |
| 8 | पारिजात केमिकल इन्डस्ट्रीज, वाराणसी (क) .. | 2.60 | 2.60 | 2.55 | .. | .. | .. | नार्मल |
| | (ख) .. | 2.80 | 2.75 | 2.70 | .. | .. | .. | विन्टर |
| 9 | —राज केमिकल वर्क्स, वाराणसी .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | नार्मल |
| 10 | टरपेन्टाइन सबसिडियरी इन्डस्ट्रीज लि०, बरेली (क) .. | (रु० 2.65 प्रति लीटर (नेकेड) | | | | | | तदेव |
| 11 | —स्टार केमिकल, कानपुर .. | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | तदेव |

नोट:—उपर्युक्त दर प्रति लीटर के अनुसार हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 913 पर)

### तालिका

अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये :—

1—नगरों तथा ग्रामों में विशेष सतर्कता से गश्त की व्यवस्था।

2—अपराध बहुल क्षेत्रों में संगठित अभियानों एवं अपराध निरोध सप्ताहों का आयोजन किया गया।

3—गुण्डा दमन दल तथा अपवाहन दल (एन्टी स्मगलिंग स्क्वेड) की भी स्थापना की गई।

4—पंजीकृत तथा जाने हुए अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

5—ग्राम सुरक्षा समितियों का पुर्नगठन करके उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाया गया।

6—अदालतों से अभ्यस्त अपराधियों को जमानत पर मुक्त न किया जाय इसके लिए प्रयास किया गया।

7—अपराधियों को अवैध शस्त्र उपलब्ध कराने वाले श्रोतों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया।

8—प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में रेडियो पेट्रोल-कार द्वारा अपराधियों को पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया गया।

9—समीपवर्ती जिलों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया।

10—जघन्य अपराधों के घटनस्थलों का वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अपराधों का पता लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये।

11—जिन थानों में अपराधों की संख्या बढ़ी हुई थी उनमें जीप दी गई ताकि पुलिस घटना स्थलों पर भी पहुंच सके।

12—क्राइम किट बाक्सों का प्रयोग कराया गया।

13—आग्नेयास्त्रों के जिन लाइसेंसदारों का मेल जोल बदमाशों से पाया गया उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये।

14—वांछित एवं घोषित अपराधियों तथा लापता हिस्ट्रीशीटरों के मकानों पर छापे मारे गये जो छिपकर अपराध करने में सक्रिय थे इसके फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में फरार अभियुक्त बन्दी बनाये गए।

15—पुलिस कर्मचारियों को अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया जिससे उनमें लगन कार्य करने की भावना जगे।

16—ईमानदारी और परिश्रम पर बल दिया गया।

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 918 पर)

जौनपुर जनपद के मुगराबाद शाहपुर तथा सुजानगंज थानों के अन्तर्गत जनवरी, 1972 से लेकर 19 अप्रैल, 1972 तक पड़ी डकैतियों का विवरण

| क्रम संख्या | कब किन के यहां और कहां डकैतियां पड़ीं | गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के नाम तथा पते | फरार व्यक्तियों का नाम तथा पता | अब तक की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | **थाना मुगराबाद शाहपुर** | | |
| 1 | दिनांक 16/17-1-72 की रात में श्री गिरजा शंकर, नि० डल्लू का पुरा, थाना बादशाहपुर, जिला जौनपुर के यहां डकैती पड़ी। (अपराध सं० 7) | 1—लल्लन पु० मनोहर, साकिन अमोलवा, फूलपुर, इलाहाबाद।<br>2—राम बाबूपुत्र शिवनाथ, मयलच्छ, फूलपुर, इलाहाबाद।<br>3—भगेलू पुत्र रामनाथ, बादलपुर, मऊआइमा, इलाहाबाद।<br>4—बुधिराम पु० बासू चमार, कल्लू का पुरा, थाना थरवई, इलाहाबाद।<br>5—कमल कुमार पुत्र छोटे लाल, सा० केली, थाना केन्ट, इलाहाबाद।<br>6—अख्तर हुसेन पुत्र समीउल्ला, सा० उसमानपुर थाना सोरांव, इलाहाबाद।<br>7—राम खेलावन पुत्र भरोस पासी, सा० हटिया, मऊ आइमा इलाहाबाद।<br>8—मोती पुत्र बुद्धू धरकार, सा० बड़ागांव, बादशाहपुर, जौनपुर। | 1—बचई उर्फ सालिक कुर्मी, सा० अगरा, फूलपुर इलाहाबाद।<br>2—छोटई कुर्मी इलाहाबाद।<br>3—लखन पासी, सा० परऊ थाना फूलपुर, इलाहबाद।<br>4—विजय सिंह, इलाहाबाद<br>5—बरसाती पासी ,,<br>6—नन्हकू सिंह, सा० बादशाहपुर, थाना बादशाहपुर, जौनपुर। | फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।<br><br>भगलू की सही शिनाख्त न हो सकने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। |

अनुभव मेव जयते

| क्रम संख्या | कब किनके यहां और कहां डकैतियां पड़ी | गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के नाम तथा पते | फरार अभियुक्तों का नाम तथा पते | अब तक की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | 9—बृज लाल उर्फ बिरजू पुत्र गजाधर, ग्रा० जाजापुर, रानीगंज प्रतापगढ़।<br>10—विश्वनाथ उर्फ कल्लू पुत्र समयी, सा० बाबूबेला, थाना सराय ममरेज, इलाहाबाद। | | |
| 2 | दिनांक 18/19-2-72 की रात में श्री राम लखन, तिवारी, निवासी ग्राम तडुरिया, थाना बादशहपुर, जौनपुर के यहां डकैती पड़ी (अ० सं० 18) | 1—राम दास उर्फ दासे पु० येतु चमार, सा० मीमापुर, थाना बादशाहपुर, जौनपुर।<br>2—रामखेलावन पुत्र भरोस पासी, सा० हरिया मऊ आइमा, इलाहाबाद।<br>3—बृज लाल उर्फ बिरजू पुत्र गजाधर, ग्राम जाजापुर रानीगंज, प्रतापगढ़।<br>4—मोती पुत्र बुद्धी घरकार, सा० बड़ा गांव, बादशाहपुर, जौनपुर।<br>5—बालादीन पुत्र झिगुरी पासी, सा० शिवराई, फूलपुर इलाहाबाद।<br>6—विश्वनाथ उर्फ कल्लू पुत्र समयी' सा० बावबेला, थाना सरांय ममरेज, इलाहाबाद। | 1—मुन्ना चमार, सा० कटना थाना, करनलगंज, इलाहाबाद<br>भगत उर्फ कुन्नू गड़रिया सा० ममरेज, रानीगंज प्रतापगढ़। | फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।<br>गिरफ्तारी किये 6 अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त होनी है। |
| 4 | दिनांक 12/13-3-1972 की रात में श्री कमलाशंकर तिवारी निवासी गरियांव, थाना बादशाहपुर, जिला जौनपुर (अ० सं० 29) | 1—नवसर उर्फ लडड्न पुत्र सैयद हुसैन, सा० आलम चन्द्र थाना कौखराज, इलाहाबाद।<br>2—प्रवीन कुमार पुत्र सुमेश्वर प्रसाद, सा० कोइली थाना पपड़ी, मुजफ्फरपुर, बिहार। | 1-त्रिभुवन दुबे, सा० बनकेसरी, थाना थरवई, इलाहाबाद। | फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।<br>नामांकित अभियुक्तगण:—<br>1—संकठा सिह पुत्र माधो- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3—गंगाधर मिश्र पुत्र कलाश नाथ मिश्र, सा० कोइली, थाना मुजफ्फरपुर, बिहार ।<br>4—सुधीर पुत्र किशोर प्रसाद, सा० कोइली थाना पपड़ी, मुजफ्फरनगर, बिहार ।<br>5—रामपूजन राय पुत्र सियाराम राय, सा० कोइली, थाना पपड़ी, मुजफ्फरपुर, बिहार<br>6—सुन्दर पुत्र राभदीन पासी, सा० वनकसरी थाना थरवई, इलाहाबाद ।<br>7—राजेन्द्र नाथ दुबे, सा० वनकेसरी, थाना थरवई, इलाहाबाद ।<br>8—रसीद अहमद पुत्र मुन्ने खां, सा० पुखराया, थाना भोगनापुर, कानपुर ।<br>9—कल्लन पुत्र सलामत अली, सा० दारानगर, सगनी, इलाहाबाद ।<br>10—हबीब पुत्र मोहम्मद शरीफ, सा० दारानगर, सगनी, इलाहाबाद ।<br>11—सफदर पुत्र वसी अली सा० दारानगर, सगनी, इलाहाबाद ।<br>12—गनेश प्रसाद मिश्र, सा० बीबीपुर मऊ आइमा, इलाहाबाद । | | सिंह सा० कुडी थाना बड़ा गाव, वाराणसी तथा 2—बरवा उर्फ राजाराम, सा० कुकरौठी थाना भदोही, वाराणसी का नामांकन सही न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई । |
| 5 | दिनांक 15/16-3-72 की रात में श्री बटुक नाथ मिश्र नि० रामपुरपुरा बहोरिया थाना बादशाहपुर, जिला जौनपुर ।<br>(अ० सं० 30) | 1—नवसेर उर्फ लड्डन पुत्र सैयद हुसैन, सा० आलमचन्द, कोखाराज, इलाहाबाद ।<br>2—प्रवीन कुमार पुत्र सुमेश्वर प्रसाद, सा० कोहली थाना मुजफ्फरपुर, बिहार ।<br>3—गंगाधर मिश्र पुत्र कैलाश नाथ मिश्र, कोइली थाना मुजफ्फरपुर, बिहार । | जुबेर, दरियाबाद थाना अतरसुरया, इलाहाबाद । | फरार अभियक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध म आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बरामद माल की शिनाख्त होनी है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4—सुधीर कुमार पुत्र किशोरी प्रसाद, कोइली थाना मुजफ्फरनगर, बिहार।<br>5—रामपूजन राय पुत्र सियाराम राय, सा० कोइली थाना, मुजफ्फरपुर, बिहार।<br>6—सुन्दर पुत्र रामदीन पासी, सा० बनकेसरी, थाना धरवई, इलाहाबाद ।<br>7—राजेंद्र नाथ दुबे पुत्र महादेव दुबे, सा० बनकेसरी, थाना धरवई, इलाहाबाद ।<br>8—रशीद अहमद पुत्र मुन्ने खां, सा० पुखराया, थाना भोगनीपुर, कानपुर।<br>9—कल्लन पुत्र सलामत, सा० दारानगर, थाना सगनी, इलाहाबाद।<br>10—हबीब पुत्र मो० शरीफ, सा० दारानगर, थाना सगनी, इलाहाबाद। | | |
| | | **थाना सुजानगंज** | | |
| 1 | दिनांक 15/16-2-72 की रात में श्री बंशीधर लाल, नि० लोहरिया व थाना सुजानगंज जिला जौनपुर। (अ० सं० 11) | 1—रामकुमार पुत्र गंगा प्रसाद, सा० उटरु खुर्द, थाना बक्सा, जौनपुर।<br>2—चिखुरी उपाध्याय पुत्र रामदयाल, सा० बाहरेपुर, थाना सुजानगंज, जौनपुर।<br>3—समर बहादुर सिंह पुत्र हरी बख्श सिंह, सा० दरिया, थाना बदलापुर, जौनपुर। | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4—राजेंद्र पासी पुत्र गौरी शंकर, ग्राम भलुवाही थाना बदलापुर, जौनपुर।

5—गिरजा शंकर पाण्डे पुत्र सालिकराम, सा० भल्लूपुर।

6—रामदेव मिश्र पुत्र बासदेव सा० सराय ख्वाजा गोपालपुर, थाना, कादीपुर जिला सुल्तानपुर।

7—नन्कू सिंह उर्फ बब्बन सिंह, सा० नवगंवा, थाना लम्बुआ, जिला सुल्तानपुर।

8—जहीरउद्दीन पुत्र अब्दुल समद, सा० अजोरपुर, थाना कोतवाली, सुल्तानपुर।

1—रामपदारथ केवट, सा० करावां, थाना सुजानगंज, जौनपुर।

फरार अभियुक्त रामपदारथ केवट की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निम्नलिखित गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण—

1—रामकुमार पुत्र गंगा प्रसाद।

2—चिखुरी उपाध्याय पुत्र राम दयाल।

3—समर बहादुर सिंह पुत्र हरिबख्श सिंह।

4—राजेंद्र पासी पुत्र गौरी शंकर।

5—गिरजाशंकर पांडेय पुत्र सालिकराम की सही शिनाख्त न हो सकने के कारण उनकी रिहाई के लिए रिपोर्ट दी गई। शेष 3 अभियुक्तगण की कार्यवाही शिनाख्त होनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## जौनपुर जनपद के मुगरा बादशाहपुर तथा सुजान गंज थानों के अन्तर्गत जनवरी, 1972 से लेकर 11-4-72 तक हुई हत्याओं का विवरण

| क्रम-संख्या | किसकी हत्या हुई | गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता | फरार अभियुक्तों का नाम व पता | अब तक की गयी कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | थाना सुजानगंज | | |
| 1 | अनन्त लाल सिंह, पुत्र राम फकीर, सा० मेसहा रामपुर (चबरिया)।, थाना सुजानगंज जिला जौनपुर । | गिरफ्तारी कोई नहीं हुई । निम्नलिखित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया:— 1—राम गोपाल, पुत्र महानन्द 2—रघुवर उर्फ भूपत पुत्र अमरपाल सिंह, साकिन मेसहा रामपुर (चबरिया), थाना सुजानगंज, जौनपुर। 3—छोटेलाल उर्फ नन्हकू, पुत्र महीपाल सिंह । 4—मन्नीलाल पुत्र हीरा लाल सिंह, साकिन कोटिला राम सहाय, थाना सुजानगंज, जौनपुर | .. | दिनांक 13-6-72 को धारा 302 भा० दं० वि० में अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगायी गयी । |
| | | थाना मुगरा बादशाहपुर | | |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 920 पर)।

**वर्ष 1970–71 व 1971–72 में जिला आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर प्राप्त डकैती, कत्ल, बल्वे तथा राहजनी की घटनाओं की रिपोर्टों के बारे में सूचना।**

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | डकैती | कत्ल | बल्वे | राहजनी | डकैती | कत्ल | बल्वे | राहजनी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1970-71 | | | | | 1971-72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | निजामाबाद .. | 19 | 4 | 12 | 8 | 16 | 3 | 21 | 3 |
| 2 | मुबारकपुर .. | 8 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 3 | चिरैयाकोट .. | 8 | 5 | 25 | 2 | 15 | 10 | 23 | 6 |
| 4 | तरबा .. | 10 | 3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 |
| 5 | वरदह .. | 5 | .. | 16 | 3 | 4 | 1 | 18 | 4 |
| 6 | देवगांव .. | 7 | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | गम्भीरपुर .. | 3 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 19 | 10 |
| 8 | कोतवाही .. | 21 | 4 | 47 | 38 | 10 | 7 | 32 | 45 |
| 9 | महाराजगंज .. | 8 | 2 | 18 | 11 | 9 | .. | 15 | 10 |
| 10 | अतरौला .. | 6 | 4 | 21 | 10 | 8 | 5 | 27 | 9 |
| 11 | अतरौलिया .. | 11 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 |
| 12 | कन्धरापुर .. | 11 | 5 | 17 | 4 | 13 | 4 | 22 | 10 |
| 13 | पवई .. | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 14 | सरायमीर .. | 2 | .. | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | दीदारगंज .. | 2 | .. | 3 | .. | 5 | 2 | 8 | .. |
| 16 | मऊ .. | 3 | 8 | 21 | 18 | 14 | 1 | 21 | 10 |
| 17 | कोपागंज .. | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | .. |
| 18 | मुहम्मदाबाद .. | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 16 | 3 |
| 19 | मधुवन .. | 2 | 6 | 21 | 1 | 5 | 3 | 28 | 6 |
| 20 | घोसी .. | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 21 | दोहरीघाट .. | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 20 | 7 |
| 22 | जीयनपुर .. | 6 | .. | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 3 |
| 23 | रौनापार .. | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| | योग .. | 154 | 85 | 351 | 128 | 105 | 83 | 379 | 152 |



उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 922 पर)

## अवैध शस्त्र तथा शस्त्रों के पुर्जों की सूची

1—एक जरब बन्दूक देशी 12 बोर एकनाली।
2—एक लोहे की पत्ती खांचेदार।
3—एक अदद रेती।
4—दो नाली देशी तमंचे की।
5—एक पुर्जा नया तमंचा खोलने व बन्द करने का।
6—एक चमकीली सी स्टील की पत्ती।
7—एक रेती छोटी।
8—एक लोहे की पत्ती पेट कटा सा।
9—एक बन्दूक की नाल जो एक तरफ से मोटी व एक तरफ से पतली है।
10—एक लकड़ी का डिब्बा।
11—एक लोहे काटने की आरी।
12—एक आरी लकड़ी काटने की।
13—एक सींग का टुकड़ा।
14—एक छोटी हथौड़ी।
15—दो लोहे के बर्मे।
16—दो लोहे के सुर्मे सुराख करने के।
17—एक छेनी लोहे की।
18—एक लोहे की सन्डासी।
19—एक लोहे की पत्ती दोहरी।
20—एक पेच कश।
21—तीन रेती।
22—एक लोहे का जमूरा।
23—एक लोहे का पुर्जा डायनुमा।
24—सात लोहे की कीलें छोटी बड़ी।
25—तीन पेंच एक इन्ची के।
26—7 स्प्रिंग लोहे के बड़े छोटे।
27—तीन छोटी-छोटी लोहे की पत्तियों के टुकड़े।
28—दो बोल्ट।
29—दो राड लोहे की।
30—एक पुर्जा लोहे का जिसमें 5 सूराख हैं।
31—दो लोहे के वासर।
32—एक लोहे की पत्ती का बनाम बन्दूक की बाडी का करना (नमूना)।
33—एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें एक तरफ से बारीक सूराख हैं।
34—9 अदद लोहे के लम्बे-चौड़े-मोटे पतले टुकड़े।
35—तीन टुकड़े रैगमार के।
36—चार टुकड़े बोरी टाट के।
37—एक अदद ड्रिल बर्मा मशीन जिस पर (हिन्दी पर शबली ब्राण्ड इंडिया) लिखा है।
38—एक लकड़ी के तख्ते पर फिट लोहे का सिकंजा तथा एक झोला।
39—तीन तमंचे देशी जिनमें 2 तमंचे 12 बोर के हैं व एक 303 बोर का।
40—26 कारतूस 12 बोर के भरे व एक खोखा कारतूस 303 बोर का पीतल का जिसकी पेंदी पर सुराख टेस्ट करने का मालूम होता है।

विधान सभा

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 925 पर)

## सूची

1—आराजी सबाइन।
2—खाली कगात जंगल मछार।
3—जंगल मछार चांदपुर।
4—जंगल मछार गोहर।
5—जंगल मछार अगरइवा।
6—जंगल टोला अमरहना कलां।
7—आराजी गयादत्त।
8—सूबेदारपुर।
9—जंगल मछार रघुनाथपुर।
10—करीमदारपुर।
11—कोदईपुर।
12—जंगल मछार राजापुर।
13—जंगल मठियाइद, तथा
14—जंगल मछार नवाबगढ़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 931 पर)

ग्राम कपसेठ, थाना देवगांव, निवासी श्री सीताराम सिंह (रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री गणेशराय महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर) के घर 20/21-2-1972 की रात में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के सन्दर्भ में उक्त डकैती में गिरफ्तार किये गये, आत्मसमर्पण करने वाले तथा फरार डाकुओं के बारे में सूचना।

| क्रम-संख्या | गिरफ्तार किये गये | आत्मसमर्पण | फरार |
|---|---|---|---|
| 1 | वीरेन्द्र सिंह, पुत्र हनुमान सिंह, निवासी ग्राम नायक डीह, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर। | 1—राम आश्रय सिंह, पुत्र उदय भान सिंह, निवासी ग्राम भेदूपुर, थाना चंदवक, जिला जौनपुर। | 1—सुखई, पुत्र पल्टू यादव, निवासी ग्राम सिगारपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर। |
| 2 | लालजी सिंह, पुत्र शिवनाथ सिंह, निवासी ग्राम नाथूपुर, थाना सादात, जिला गाजीपुर। | | 2—हरिशंकर सिंह, पुत्र रामलोचन सिंह, निवासी ग्राम नायकडीह, थाना सैदपुर, गाजीपुर। |
| 3 | रामाश्रय, पुत्र परमानन्द सिंह, निवासी ग्राम देवचन्द्रपुर, थाना करडा, जिला गाजीपुर। | | 3—संकठा सिंह, पुत्र बद्री सिंह, निवासी ग्राम हिसामपुर, थाना चंदवक, जिला जौनपुर। |
| 4 | इन्द्र बहादुर सिंह, पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम अरवईपुर, थाना, केराकत, जिला जौनपुर। | | 4—मोती, निवासी ग्राम लक्सा, थाना दशाश्वमेध वाराणसी, 5—रामजी, निवासी ग्राम शिवपुर, थाना कैंट, वाराणसी। |
| | | | 6—हरिवंश यादव, निवासी ग्राम नायक डीह, 4—थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर। |
| | | | 7—वीरेन्द्र सिंह, निवासी हनुमान लाल, थाना कैंट, वाराणसी। |
| | | | 8—मंगला सिंह, निवासी ग्राम आवईपुर, थाना केराकत, जिला जौनपुर। |

# नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 936 पर)

## सूची

संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य मन्त्री को एक मांग-पत्र दिया था जिसका मुख्य आशय था कि हस्तकला कर्मचारियों के बिना किसी पूर्व सूचना के क्या उनको अपना विकल्प प्रस्तुत करने का अनुचित अवसर दिये बिना चार हस्तकला में ही 10–15 वर्ष से चले आ रहे कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी हितों का न्यायोचित निर्णय किये बिना 15–12–71 को उन पर एकाएक नियति नियम लागू कर दिया गया जिससे भावी आशंका से कुप्रभावित होकर स्थायीकरण आदि के लिये न्याय करने की मांग की गई।

उक्त नियम लागू होने के कारण हस्तकला मुख्यालय लखनऊ से कानपुर न हटाने तथा कर्मचारियों के प्रदेशीय एवं अन्तप्रदेशीय स्थानान्तरण को रोकने की भी प्रार्थना की गई।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकत प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 937 पर)

## जिला कानपुर के थाना सजेती क्षेत्र में जुलाई, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक डकैती, राहजनी तथा कत्ल के सम्बन्ध में सूचना

| | मामलों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| थाना सजेती | जिनकी रिपोर्ट की गई | जो चालान किये गये | जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगी | जेरेतफतीश |
| डकैती .. .. | 2 | 1 | .. | 1 |
| राहजनी .. .. | 2 | .. | 1 | .. |
| कत्ल .. .. | 2 | 1 | 1 | .. |

नोट—राहजनी के उपरोक्त दो मामलों में से एक मामला झूठा पाये जाने के कारण खारिजकिया गया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—148 एल० ए०—1973-835-(मैग०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा